# बिहार
# पेंशन नियमावली, 1950

**केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के निर्णयों, समीक्षा तथा निर्णयज विधि सहित यथा संशोधित**

**भाग–I नियमावली**
**भाग–II परिशिष्ट तथा उदारीकृत पेंशन नियमावली**

अनिल कुमार सिन्हा

**ईस्टर्न बुक एजेन्सी**
*विभागीय तथा कानूनी पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता*
305, बुद्धा प्लाजा (तीसरी मंजिल) बुद्ध मार्ग, पटना–1

# प्राक्कथन

अपने द्वारा प्रकाशित हिन्दी में विभागीय पुस्तकों के प्रति पाठकों के झुकाव को देखते हुये हमने "बिहार पेंशन नियमावली" पुस्तक का प्रकाशित किया है जो आप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

पुस्तक में समीक्षाएँ, राज्य सरकार द्वारा निर्गत सारे राज्यादेशों एवं शुद्धि-पत्रों को उनके स्थान पर समाविष्ट किया गया है। साथ ही इसमें दो नये परिशिष्ट परिशिष्ट 9 (महत्वपूर्ण राज्यादेश) तथा परिशिष्ट 10 (निर्णयज विधि) को इस पुस्तक के अन्त में जोड़ा गया है। कुछ अद्यतन संशोधित राज्यादेश जो अंग्रेजी में थे उनका हिन्दी में अनुवाद करके उपयुक्त स्थान पर अपने पाठकों को सुविधा हेतु दे दिया है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना काफी कठिन कार्य है। यह कार्य तब और भी कठिन हो जाता है जब अनुवाद विधि सम्बन्धी हो।

प्रयास किया गया है कि अनुवाद युक्तिसंगत, नियमानुकूल एवं त्रुटिरहित हो। फिर भी, कहीं कोई अनुवाद नियमानुकूल नहीं लगे, तो उसे अंग्रेजी संस्करण से मिलान कर लें।

यह भी प्रयास किया गया है कि प्रकाशन त्रुटिरहित एवं साफ-सुथरी हो, फिर भी यदि कोई त्रुटि पायी जाये तो कृपया प्रकाशक को उससे अवगत कराने की कृपा करें। इसके लिए प्रकाशक आपका सदैव आभारी रहेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये प्रकाशक, मुद्रक तथा विक्रेता का कोई दायित्व नहीं होगा।

आशा है हमारे अन्य हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की भाँति इस पुस्तक को भी पाठकों का स्नेह प्राप्त होगा।

पटना 800 001 — ईस्टर्न बुक एजेन्सी

# बिहार पेंशन नियमावली

## भाग-I

## विषय-सूची


| | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| अध्याय 1 – सामान्य दायरा और लागू होने की सीमा | 1–5 | 1 |
| अध्याय 2 – परिभाषाएँ | 6–41 | 2–7 |
| अध्याय 3 – पेंशन-प्रदान-संबंधी सामान्य उपबन्ध – | | |
| प्रकरण 1 – सामान्य | 42–43 | 7 |
| प्रकरण 2 – मामले, जिनमें दावे अनुमान्य नहीं हैं | 44–45 | 8 |
| प्रकरण 3 – कदाचार, दिवाला या अदक्षता | 46–46क | 10 |
| प्रकरण 4 – विधवाओं और उत्तराधिकारियों के दावे | 47–48 | 10 |
| प्रकरण 5 – परिसीमन | 49 | 10 |
| अध्याय 4 – पेंशन-प्रदायी-सेवा – | | |
| प्रकरण 1 – सामान्य– | | |
| उप-प्रकरण (1) पेंशन-प्रदायी सेवा का वर्गीकरण – उत्कृष्ट और निचली | 50–53 | 11 |
| (2) अंशतः निचली और अंशतः उत्कृष्ट सेवा | 54–55 | 12 |
| (3) सेवा का आरंभ | 56–57 | 12 |
| प्रकरण 2 – पेंशन-प्रदायी सेवा की शर्तें – | | |
| उप-प्रकरण (1) सामान्य | 58–59 | 12–13 |
| (2) पहली शर्त – सरकार के अधीन-सेवा | 60 | 13 |
| (3) दूसरी शर्त – मौलिक और स्थायी योजना – | | |
| (i) सामान्य | 61–64 | 13–16 |
| (ii) शिशिक्षु और परीक्ष्यमान | 65–68 | 16–17 |
| (iii) अस्थायी पद पर काम करने के लिये स्थायी सरकारी सेवक का नियोजन | 69–70 | 17 |
| (iv) विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्ति और स्थायी पद का तोड़ा जाना | 71 | 17 |
| (v) उजरती काम | 72 | 17 |
| (vi) परिमाप बन्दोबस्त | 73 | 17 |
| (4) तीसरी शर्त – सेवा, जिसके लिये सरकार भुगतान करती हो – | | |
| (i) पारिश्रमिक के स्रोत | 74 | 18 |
| (ii) सेवा, जिसके लिये आम राजस्व से भुगतान किया जाए | 75 | 19 |

| | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| (iii) सेवा, जिसके लिये न्यास-निधि से भुगतान किया जाए | 76 | 19 |
| (iv) सेवा, जिसके लिये फीस या कमीशन से भुगतान किया जाए | 77 | 19 |
| (v) सेवा, जिसके लिये भू-धृति आदि के प्रदान पर भुगतान किया जाए | 78 | 19 |
| (vi) सेवा, जिसके लिए स्थानीय निधि से भुगतान किया जाए | 79-83 | 19-20 |
| (vii) स्थानीय निधि — पेंशन-निधि | 84 | 20 |
| **अध्याय 5** — पेंशन के लिये सेवा की गणना — | | |
| प्रकरण 1 — प्रास्ताविक | 85 | 20 |
| प्रकरण 2 — बुढ़ापा-पेंशन-प्रदायी-सेवा में विशेष योग | 86 | 20 |
| प्रकरण 3 — असैनिक-पेंशन के लिये सैनिक सेवा की गिनती | 87-88 | 21-22 |
| प्रकरण 4 — छुट्टी तथा कर्त्तव्य से अन्य प्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधियाँ — | | |
| उप-प्रकरण (1) छुट्टी की अवधि — | | |
| (i) उत्कृष्ट सेवा | 89-94 | 22-24 |
| (ii) निचली सेवा | 95 | 24 |
| (2) प्रशिक्षण की अवधि | 96 | 24 |
| (3) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति | 97-98 | 24 |
| प्रकरण 5 — मुअत्तली, पदत्याग, सेवा में भंग और अपूर्णता — | | |
| उप-प्रकरण (1) मुअत्तली की अवधि | 99-100 | 24 |
| (2) त्याग और बर्खास्तगी | 101-102 | 25 |
| (3) क्रम-भंग के कारण अतीत सेवा का न गिना जाना | 103-104 | 25 |
| (4) क्रम-भंग और अपूर्णता की क्षान्ति (माफी) | 105-106 | 25-26 |
| **अध्याय 6** — पेंशन-प्रदान की शर्तें — | | |
| प्रकरण 1 — पेंशनों का वर्गीकरण | 107 | 26 |
| प्रकरण 2 — क्षतिपूर्ति पेंशन — | | |
| उप-प्रकरण (1) प्रदान की शर्तें | 108-111 | 26-27 |
| (2) प्रक्रिया — | | |
| (i) उन्मुक्ति के लिये चुनाव | 112-113 | 27 |
| (ii) उन्मुक्ति की सूचना | 114-115 | 27-28 |
| प्रकरण 3 — असमर्थता पेंशन — | | |
| उप-प्रकरण (1) प्रदान की शर्तें | 116-121 | 28 |
| (2) प्रक्रिया | 122 | 29 |

| | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| (3) स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र संबंधी नियम – | | |
| (i) सामान्य | 123–127 | 29–30 |
| (ii) स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र का फारम | 128 | 30 |
| प्रकरण 4 – बुढ़ापा-पेंशन – | | |
| उप-प्रकरण (1) प्रदान की शर्तें | 129–131 | 30 |
| (2) प्रक्रिया | 132–133 | 31–35 |
| प्रकरण 5 – निवृत्ति-पेंशन | 134–135 | 38–41 |
| अध्याय 7 – पेंशन की रकम – | | |
| प्रकरण 1 – सामान्य | 136–143 | 41–43 |
| प्रकरण 2 – उत्कृष्ट पेंशन – | | |
| उप-प्रकरण (1) उपदान | 144 | 43 |
| (2) पेंशन | 145–146 | 43 |
| प्रकरण 3 – विशेष अतिरिक्त पेंशन | 147 | 43 |
| प्रकरण 4 – निचली पेंशन – | | |
| उप-प्रकरण (1) सामान्य | 148 | 45 |
| (2) उपदान | 149 | 45 |
| (3) पेंशन | 150 | 45 |
| प्रकरण 5 – उपलब्धियाँ और औसत उपलब्धियाँ – | | |
| उप-प्रकरण (1) पेंशन के लिये गिनी जाने वाली उपलब्धियाँ | 151–153 | 45–47 |
| (2) पेंशन के लिये न गिनी जाने वाली उपलब्धियाँ | 154–155 | 47 |
| (3) औसत उपलब्धियाँ | 156 | 48 |
| अध्याय 8 – पेंशनभोगियों का पुनर्नियोजन – | | |
| प्रकरण 1 – सामान्य | 157–163 | 53–56 |
| प्रकरण 2 – असैनिक पेंशनभोगी | 164–168 | 56 |
| प्रकरण 3 – सैनिक पेंशनभोगी | 169–171 | 56–57 |
| प्रकरण 4 – नयी सेवा के लिये पेंशन | 172–175 | 57 |
| प्रकरण 5 – निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक नियोजन | 175–अ | 57 |
| प्रकरण 6 – निवृत्ति के बाद भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन नियोजन | 175–ब | 58 |
| अध्याय 9 – क्षत और अन्य असाधारण पेंशन – | | |
| प्रकरण 1 – लागू होने की सीमा | 176 | 59 |
| प्रकरण 2 – परिभाषा | 177 | 59 |
| प्रकरण 3 – सामान्य नियम | 178–181 | 60–61 |
| प्रकरण 4 – आघातों के प्रकार | 182 | 61 |
| प्रकरण 5 – क्षत एवं आघात-पेंशन-परिदान | 183–186 | 61–66 |
| प्रकरण 6 – प्रक्रिया | 187 | 66 |

| | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **अध्याय 10 – पेंशन के लिए आवेदन और उसकी मंजूरी –** | | |
| प्रकरण 1 – सामान्य | 188–192 | 70–72 |
| प्रकरण 2 – आवेदन – | | |
| उप-प्रकरण (1) राजपत्रित सरकारी सेवक | 193–195 | 72 |
| (2) अराजपत्रित सरकारी सेवक | 196–199 | 73–75 |
| प्रकरण 3 – मंजूरी | 200–203 | 75–80 |
| प्रकरण 4 – प्रत्याशा-पेंशन | 204–208 | 84–95 |
| **अध्याय 11 – पेंशन का भुगतान –** | | |
| प्रकरण 1 – सामान्य नियम – | | |
| उप-प्रकरण (1) पेंशन के आरंभ की तारीख | 209–211 | 95–96 |
| (2) भुगतान का स्थान | 212–218 | 96–97 |
| (3) इंगलैंड और भारत के बीच अन्तरण | 219–220 | 97 |
| प्रकरण 2 – भारत में भुगतान | 221–227 | 97–99 |
| प्रकरण 3 – इंगलैंड में भुगतान | 228–229 | 99–100 |
| प्रकरण 4 – उपनिवेश में भुगतान – | | |
| उप-प्रकरण (1) सामान्य | 230–231 | 100 |
| (2) वारंट का निकलना | 232–233 | 100 |
| (3) भुगतान का अन्तरण | 234–235 | 100–101 |
| **अध्याय 12 – पेंशन का रूपान्तरण –** | | |
| प्रकरण 1 – सामान्य | 236–242 | 101–103 |
| प्रकरण 2 – आवेदन-पत्रों का उपस्थापन | 243–246 | 103–104 |
| प्रकरण 3 – महालेखाकार की रिपोर्ट | 247–248 | 104 |
| प्रकरण 4 – प्रशासनिक मंजूरी और स्वास्थ्य-परीक्षा | 249–254 | 104–106 |
| प्रकरण 5 – रूपान्तरित मूल्य का भुगतान | 255–259 | 106–107 |
| * **बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु- सह-निवृत्ति उपदान पुनरीक्षण ( विधिमान्यकरण एवं प्रवर्त्तन ) अधिनियम, 2001** | | 109–110 |


●

# केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का निर्णय

## भाग-I

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 1. | सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि। [ज्ञाप संख्या पी०सी० 2226, दिनांक 19-2-1976] | ... | 3 |
| 2. | बाह्य सेवा की अवधि में देय पेंशन-अंशदान। [ज्ञाप सं० 22210,दिनांक 31-7-1961] | ... | 4 |
| 3. | निलंबनाधीन सरकारी सेवक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर पहुँचने के फलस्वरूप वार्धक्य-निवृत्ति। [ज्ञापांक 12753, दिनांक 26-11-1970] | ... | 8 |
| 4. | उन सरकारी सेवकों की पेंशन-अदायगी जो निलंबन पर है या जिनके विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तिथि को पूरी नहीं हुई है। [ज्ञापांक 9144, दिनांक 22-8-1974] | ... | 8 |
| 5. | सरकारी सेवक जो निलम्बन पर हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को समाप्त नहीं हुई है, को पेंशन की अदायगी। [ज्ञापांक 11260, दिनांक 31-10-1974] | ... | 9 |
| 6. | असंपुष्ट सरकारी सेवक की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा घोषित करना। [ज्ञापांक 11779, दिनांक 12-8-1969] | ... | 13 |
| 7. | पेंशन के लिए अस्थायी सेवा की गणना। [अधिसूचना संख्या 12928, दिनांक 4-9-1962] | ... | 14 |
| 8. | भारत सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक दायित्व का आवंटन। [ज्ञापांक 1341, दिनांक 21-1-1969] | ... | 14 |
| 9. | भारत सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक् दायित्व का आवंटन। [ज्ञापांक 87, दिनांक 6-8-1969] | ... | 15 |
| 10. | तथैव (3) (20) (P) 79, दिनांक 31-3-1982। | ... | 15 |
| 11. | परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा की पेंशन हेतु गणना। [ज्ञाप संख्या 29, दिनांक 14-1-1964] | ... | 16 |
| 12. | बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के अन्तर्गत सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कर्मचारियों की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी घोषित करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 401, दिनांक 13-1-1975] | ... | 18 |
| 13. | बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के अन्तर्गत सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कर्मचारियों की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी घोषित करने के सम्बन्ध में — पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता। [ज्ञाप संख्या 13238, दिनांक 27-10-1978] | ... | 18 |
| 14. | चिकित्सा पदाधिकारी की युद्ध सेवा की असैनिक पेंशन गणना। [ज्ञाप संख्या 330, दिनांक 8-1-1972] | ... | 22 |
| 15. | पेंशन मामलों के अशुद्ध और अपूर्ण प्रस्तुतिकरण के कारण पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब। [ज्ञापांक 23434, दिनांक 8-12-1959] | ... | 31 |
| 16. | पेंशन मामलों के अशुद्ध और/या अपूर्ण प्रस्तुतिकरण की वजह से पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब। [ज्ञापांक 1562, दिनांक 5 दिसम्बर, 1953] | ... | 32 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 17. | आयु की माफी और सेवा में कमी । [ज्ञापांक 1418, दिनांक 12-12-1968] | ... | 35 |
| 18. | अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में रहने पर रोक। [ज्ञापांक 5749, दिनांक 14-4-1979] | ... | 36 |
| 19. | सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में बने रहने पर रोक । [ज्ञाप संख्या 6287 वि० (2), दिनांक 17-9-1988] | ... | 37 |
| 20. | सरकारी सेवक का सरकारी कम्पनी/निगम में स्थायी स्थानान्तरण-सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति । [ज्ञापांक 15445, दिनांक 5-12-1962] | ... | 38 |
| 21. | सरकारी सेवकों का सरकारी कंपनियों/निगमों में स्थायी स्थानान्तरण—निवृत्ति-लाभों की स्वीकृति । [ज्ञापांक 1950, दिनांक 18-2-1974] | ... | 38 |
| 22. | सरकारी सेवक का सरकारी कंपनी/निगम में स्थायी स्थानान्तरण – सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति । [ज्ञापांक 5190, दिनांक 30-4-1976] | ... | 40 |
| 23. | पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण – अन्तिम पूर्ण रुपये तक पेंशन राशि को करने के सम्बन्ध में । [ज्ञाप सं० 15982, दिनांक 28-11-1969] | ... | 41 |
| 24. | पेंशन-राशि में कमी । [ज्ञापांक 975, दिनांक 19-1-1976] | ... | 42 |
| 25. | पेंशन-स्वीकृति विषयक प्रक्रिया का सरलीकरण । [ज्ञापांक 5300, दिनांक 12-8-1969] | ... | 46 |
| 26. | वित्त विभाग ज्ञाप सं० 629 वि०, दिनांक 14-1-1964 । | ... | 49 |
| 27. | राज्य सरकार के पेंशनरों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय के आलोक में पुनरीक्षण। [संकल्प सं० 1853, दिनांक 19 अप्रील, 1990] | ... | 49 |
| 28. | राज्य चिकित्सा संवर्ग के चिकित्सा-पदाधिकारियों को पेंशन की अनुमान्यता । [ज्ञापांक पी०आर०जी० 2-05/70/3034 वि०, दिनांक 17-3-1973] | ... | 52 |
| 29. | चिकित्सकों के पेंशन एवं ग्रैच्यूटी के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्त्तन । [ज्ञाप संख्या 7082, दिनांक 9-6-1976] | ... | 52 |
| 30. | चिकित्सकों के पेंशन एवं उपदान के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्त्तन । [पत्र सं० 1252 वि०, दिनांक 10-5-1980] | ... | 53 |
| 31. | पुनर्नियुक्त सरकारी सेवक का वेतन और पेंशन का निर्धारण । [ज्ञापांक 13866, दिनांक 14-11-1969] | ... | 55 |
| 32. | कर्त्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधियों में मारे गये पुलिसकर्मियों तथा अन्य सरकारी सेवकों को अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में। [संकल्प सं० 5508, दिनांक 5-5-1997] | ... | 63 |
| 33. | पारिवारिक पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों का पुनरीक्षण । [ज्ञापांक 1302, दिनांक 15-2-1968] | ... | 64 |
| 34. | पारिवारिक पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशनों की दरों का पुनरीक्षण । [ज्ञाप सं० 10097, दिनांक 11-12-1969] | ... | 64 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 35. | पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों का पुनरीक्षण। [ज्ञापांक 3484, दिनांक 28-4-1970] | ... | 65 |
| 36. | "क्षत और अन्य असाधारण पेंशन अध्याय 9" के तहत वैसे मृत सरकारी सेवक के माता और पिता या मातृहीन बच्चों को उपदान की स्वीकृति, जो कार्यालयस्थ विशेष जोखिम के फलस्वरूप कालकवलित हो जाते हैं। [ज्ञापांक 9271, दिनांक 28-9-1970] | ... | 65 |
| 37. | बिहार पेंशन नियमावली के अनुच्छेद 9 (नौ) में निहित क्षत एवं असाधारण पेंशन नियमों का संशोधन । [ज्ञाप संख्या 6127, दिनांक 14-6-1974] | ... | 66 |
| 38. | केन्द्र सरकार में राज्य सरकार के सेवकों को प्रतिनियोजन । [पत्रांक एफ 19 (23) S.V. (A) 64, दिनांक 2-8-1965] | ... | 69 |
| 39. | जी०ओ०न० 1030/61-12928 वि०, दिनांक 4-9-1962 । | ... | 70 |
| 40. | सेवानिवृत्ति के 12 महीने (अब 18 महीने) पहले पेंशन-मामले का उपस्थापन। [ज्ञापांक पेन-1021/68/463 वि०, दिनांक 16-1-1969] | ... | 71 |
| 41. | पेंशन/ग्रेच्यूटी हेतु सेवा का सत्यापन । [ज्ञाप संख्या 1690, दिनांक 9-2-1978] | ... | 71 |
| 42. | अग्रिम पेंशन, अग्रिम उपदान और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य के मामले में अंतिम-वेतन-प्रमाण-पत्र जारी करना । [ज्ञापांक 4164 वि० (2), दिनांक 5-5-1964] | ... | 73 |
| 43. | पेंशन मामला का त्वरित निष्पादन । [ज्ञापांक 3561, दिनांक 30-4-1965] | ... | 75 |
| 44. | पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना । [पत्र सं० 6665, दिनांक 30-5-1951] | ... | 76 |
| 45. | राज्यादेश सं० पेन-1030/61-19928 वि०, दिनांक 4-9-1962 । | ... | 77 |
| 46. | वित्त विभाग, ज्ञापांक 642, दिनांक 14-1-1964 । | ... | 77 |
| 47. | बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 (क) के अन्तर्गत राजस्व (निबंधन) विभाग के अधीन विभिन्न निबंधन कार्यालयों के नियमित स्थापना में लाये गये अतिरिक्त लिपिकों को पेंशन, उपदान एवं पारिवारिक पेंशन देने की सुविधा । [ज्ञाप सं० P.C. 2-9-45/78-79-2 वि०, दिनांक 16-1-1979] | ... | 81 |
| 48. | कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 505, दिनांक 6-3-1978] | ... | 81 |
| 49. | दस वर्षों से अधिक लगातार सेवा वाले कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 एवं उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन की स्वीकृति । [संख्या पी०सी०-1-118/ 76/3425 वि०, दिनांक 31-3-1976] | ... | 82 |
| 50. | कार्यभारित कर्मचारियों को राज्य सरकार की नियमित स्थापना में लिया जाना तथा पेंशन में अतिरिक्त लाभ । [ज्ञाप संख्या 3058, दिनांक 22-10-1984] | ... | 82 |
| 51. | कार्यभारित कर्मचारियों को 'पेंशन' प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देने के लिए कार्यभारित स्थापना में बितायी गई अवधि को क्वालिफाईंग पीरियड की गणना करने के सम्बन्ध में । [संकल्प संख्या 3 पी०ए०आर० 01/86 खण्ड 1503 वि०, दिनांक 27-3-1987] | ... | 83 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 52. | पेंशन-स्वीकृति के लिए बिहार पेंशन नियमों और प्रक्रिया का सरलीकरण। [ज्ञापांक 8739, दिनांक 13-7-1967] | ... | 85 |
| 53. | बिहार पेंशन नियमावली और पेंशन-स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण और सेवा-पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृति-राशि का अंकन। [ज्ञापांक 2636, दिनांक 26-2-1970] | ... | 87 |
| 54. | बिहार पेंशन नियमावली एवं प्रक्रिया का सरलीकरण—औपबंधिक पेंशन एवं औपबन्धिक ग्रेच्युटी का भुगतान । [ज्ञाप सं० 4565, दिनांक 21-5-1973] | ... | 87 |
| 55. | बिहार पेंशन नियम एवं पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण। [ज्ञाप सं० PC-107-73-500 वि०, दिनांक 1-2-1973] | ... | 88 |
| 56. | बिहार पेंशन नियमावली के पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण। [ज्ञाप सं० 5659, दिनांक 28-6-1973] | ... | 89 |
| 57. | औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान । [ज्ञाप संख्या 1436, दिनांक 16-2-1974] | ... | 89 |
| 58. | औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान। [ज्ञाप संख्या 3349, दिनांक 2-4-1974] | ... | 90 |
| 59. | औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान । [ज्ञाप संख्या 4516, दिनांक 13-5-1974] | ... | 94 |
| 60. | औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान। [संख्या 11641, दिनांक 7-11-1974] | ... | 94 |
| 61. | बाह्य सेवा (फोरन सर्विस) में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक की निवृत्ति के पश्चात् 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन की ग्रेच्युटी का भुगतान । [ज्ञाप संख्या 12204, दिनांक 30-9-1972] | ... | 94 |
| 62. | उन सरकारी सेवकों को पेंशन की स्वीकृति जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद किन्तु पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन करने के पहले हो जाती है। [ज्ञापांक 15668, दिनांक 11 नवम्बर, 1957] | ... | 95 |
| 63. | पेंशन का स्थानान्तरण । [ज्ञाप सं० 5484, दिनांक 1-5-1978] | ... | 98 |
| 64. | पाकिस्तान में रहनेवाले व्यक्तियों को भारत में पेंशन की अदायगी। [ज्ञापांक 18618, दिनांक 18-9-1959] | ... | 99 |
| 65. | बिहार पेंशन नियमावली के तहत् पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति हेतु सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 1554, दिनांक 23-2-1991] | ... | 101 |
| 66. | वार्धक्य-निवृत्ति पर पेंशन का रूपान्तरण – चिकित्सीय जाँच आवश्यक नहीं। [ज्ञापांक 4019, दिनांक 14-3-1978] | ... | 104 |
| 67. | पेंशन के रूपान्तरित राशि की पुनर्स्थापन (Restoration)। [संकल्प सं० 646, दिनांक 8-3-1983] | ... | 107 |
| 68. | पेंशन की रूपान्तरित राशि का प्रत्यास्थापना (Restoration)। [वित्त विभाग, संकल्प संख्या 1851, दिनांक 19-4-1990] | ... | 108 |


●

# भाग-II

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| **परिशिष्ट 1 –** सौंपी गई शक्तियों की सूची – इन शक्तियों का प्रयोग अन्य सरकारी विभाग, वित्त विभाग से परामर्श किए बिना ही कर सकते हैं। | 1 |
| **परिशिष्ट 2 –** बिहार अनुकम्पा-निधि से अनुदान के संबंध में हिदायतें | 1-5 |
| **परिशिष्ट 3 –** रूपान्तरण तालिका | 5 |
| **परिशिष्ट 4 –** पेंशन पर महँगाई राहत की स्वीकृति | 6-42 |
| **परिशिष्ट 5 –** बिहार उदार-पेंशन योजना, 1950 | 43-170 |
| **फारम** | |
| 1. आघात पेंशन या उपदान के लिए आवेदन-पत्र | 153 |
| 2. परिवार-पेंशन के लिए आवेदन-पत्र | 154 |
| 3. आघात पर रिपोर्ट करने में चिकित्सक बोर्ड के व्यवहार के लिए फारम | 155-156 |
| 4. पेंशन या उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति-"उपदान" के लिए आवेदन-पत्र | 156-160 |
| 5. पेंशन-भुगतान-आदेश | 161-162 |
| 6. औपनिवेशिक (पेंशन भुगतान) वारंट | 163 |
| 7. असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण – आवेदन-पत्र | 163-166 |
| 8. असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण – प्रशासनिक मंजूरी का फारम | 166-168 |
| 9. असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण – स्वास्थ्य परीक्षा | 168-170 |
| 10. असैनिक पेंशनों का रूपान्तरण – बिना स्वास्थ्य परीक्षा का | 170 |
| **परिशिष्ट 6 –** पेंशन एवं उपदान स्वीकृति हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण और उसका शीघ्र भुगतान | 171-204 |
| **परिशिष्ट 7 –** सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के परिवार के आश्रितों को दी जाने वाली तात्कालिक राहत की स्वीकृति संबंधी योजना | 205-208 |
| **परिशिष्ट 8 –** राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन की स्वीकृति | 209-217 |
| **परिशिष्ट 9 –** महत्वपूर्ण राज्यादेश | 218-274 |
| **परिशिष्ट 10 –** निर्णयज विधि | 275-293 |

# केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का निर्णय

## भाग–II


| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित/समेकित पेंशन पर महँगाई राहत की स्वीकृति । [संकल्प सं० 2425, दिनांक 25 मई, 1990] | ... | 6 |
| 2. | बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के अधीन पेंशन पानेवाले पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति । [संकल्प सं० 4050, दिनांक 14 सितम्बर, 1990] | ... | 7 |
| 3. | राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशन–भोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति । [संकल्प संख्या 6006, दिनांक 28-12-1990] | ... | 9 |
| 4. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की स्वीकृति । [संकल्प संख्या 6493, दिनांक 30-8-1991] | ... | 10 |
| 5. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत के अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [सं० 4548, दिनांक 23-6-1992] | ... | 11 |
| 6. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [ज्ञापांक 4259, दिनांक 13-4-1994] | ... | 13 |
| 7. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [ज्ञापांक सं० 6952, दिनांक 27-6-1994] | ... | 14 |
| 8. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [संकल्प संख्या 9774, दिनांक 3 सितम्बर, 1994] | ... | 15 |
| 9. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों की स्वीकृति । [संख्या 3835, दिनांक 30-5-1995] | ... | 16 |
| 10. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [संकल्प सं० 260, दिनांक 12 जनवरी, 1996] | ... | 17 |
| 11. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [संकल्प सं० 2999, दिनांक 15 मार्च, 1996] | ... | 18 |
| 12. | राज्य के पेंशनभोगियों को औपबन्धिक पेंशन पर महँगाई राहत की स्वीकृति । [ज्ञापांक 9548, दिनांक 12-10-1995] | ... | 19 |
| 13. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [ज्ञाप सं० 9745, दिनांक 28-8-1996] | ... | 19 |
| 14. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [ज्ञाप सं० 13139, दिनांक 6-11-1996] | ... | 21 |
| 15. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [संख्या 6850, दिनांक 30 मई, 1997] | ... | 22 |
| 16. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति । [संख्या 950, दिनांक 22-1-1998] | ... | 23 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 17. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संख्या 4184, दिनांक 16-6-1998] | ... | 23 |
| 18. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [ज्ञाप सं० 5556, दिनांक 16-11-1998] | ... | 24 |
| 19. | राज्य के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [ज्ञाप सं० 5196, दिनांक 12-6-1999] | ... | 26 |
| 20. | राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [ज्ञाप सं० 9823, दिनांक 28 अक्टूबर, 1999] | ... | 27 |
| 21. | राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प संख्या 6635, दिनांक 31 जुलाई, 2000] | ... | 28 |
| 22. | राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प संख्या 1687, दिनांक 22-2-2001] | ... | 29 |
| 23. | दिनांक 1 जनवरी, 2001 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प संख्या पी०सी० 57/01-6706, दिनांक 24 सितम्बर, 2001] | ... | 31 |
| 24. | दिनांक 1-7-2001 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प सं० 2610, दिनांक 8-6-2002] | ... | 32 |
| 25. | दिनांक 1-1-2002 के प्रभाव से राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति। [संकल्प सं० 253, दिनांक 29-1-2003] | ... | 33 |
| 26. | दिनांक 1-7-2002 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 1881, दिनांक 11-6-2003] | ... | 34 |
| 27. | दिनांक 1-1-2003 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 978, दिनांक 4 मार्च, 2003] | ... | 35 |
| 28. | दिनांक 1-7-2003 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 3600, दिनांक 5-10-2004] | ... | 35 |
| 29. | दिनांक 1-1-2004 एवं 1-7-2004 के प्रभाव से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 776, दिनांक 11-4-2005] | ... | 36 |
| 30. | दिनांक 1-1-2005 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 478, दिनांक 1-7-2006] | ... | 37 |
| 31. | दिनांक 1-7-2005 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 57/01/04, दिनांक 7-1-2006] | ... | 38 |
| 32. | दिनांक 1-1-2006 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 902, दिनांक 9-5-2006] | ... | 39 |
| 33. | दिनांक 1-7-2006 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 1921, दिनांक 30-10-2006] | ... | 40 |
| 34. | दिनांक 1-1-2007 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 709, दिनांक 12-6-2007] | ... | 40 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 35. | दिनांक 1-7-2007 से राज्य सरकार के सेवकों को देय महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन। [संकल्प सं० 1252, दिनांक 9-11-2007] | ... | 41 |
| 36. | संकल्प सं० एफ०-वी०पी०ए०आर०-12/50-12548-एफ०, दिनांक 23 अगस्त, 1950। | ... | 43 |
| 37. | संकल्प सं० पेन-1053/ 60-26380 वि०, दिनांक 16-11-1960। | ... | 43 |
| 38. | बिहार उदार पेंशन योजना, 1950। [संकल्प सं० 12548, दिनांक 23 अगस्त, 1950] | ... | 44 |
| 39. | पेंशन गणना के सूत्र (फॉर्मूला) का उदारीकरण स्लैब-पद्धति को लागू करना। [संकल्प संख्या 7112, दिनांक 4-9-1979] | ... | 47 |
| 40. | राज्य के पेंशनरों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय के आलोक में पुनरीक्षण। [पत्र सं० 1853, दिनांक 19-4-1990] | ... | 47 |
| 41. | सेवानिवृत्ति की सूचना वापस लेने के सम्बन्ध में। [वित्त विभाग ज्ञापांक पी०-1012/53/ 459 एफ०, दिनांक 14 अगस्त, 1953] | ... | 50 |
| 42. | ज्ञापांक 11800, दिनांक 5 अक्तूबर, 1956। | ... | 50 |
| 43. | मृत्यु, उपदान एवं सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजनार्थ महँगाई भत्ते के एक भाग को महँगाई वेतन के रूप में गिना जाना। [संकल्प सं० 2318 वि० (2), दिनांक 16-5-1995] | ... | 50 |
| 44. | पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्षों से अनाधिक वास्तविक कालावधि जोड़ने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 3311, दिनांक 27 मार्च, 1952] | ... | 52 |
| 45. | ज्ञाप सं० 11187 वि०, दिनांक 14-9-1953। | ... | 52 |
| 46. | मृत सेवक के मनोनीत व्यक्ति वैध उत्तराधिकारी को देय अवशिष्ट उपदान की गणना के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 9812, दिनांक 7 सितम्बर, 1954] | ... | 53 |
| 47. | उपदान का भुगतान मृत सरकारी सेवकों के वैध अधिकारियों को करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 17830, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957] | ... | 53 |
| 48. | उपदान के भुगतान के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 8320, दिनांक 24 मई, 1958] | ... | 54 |
| 49. | ज्ञापांक पी० 1-1010/57-/7830 एफ०, दिनांक 18 दिसम्बर, 1957 में विहित मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अदायगी के लिए पुनरीक्षित प्रक्रिया के मद्देनजर मृत सरकारी सेवक के परिवार को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता सम्बन्धी सूचना भेजने के लिए निम्नांकित चार पुनरीक्षित और पृथक फारमों का पुनरीक्षण। | ... | 54 |
| 50. | वैसी स्थिति में सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान अदायगी जिसमें उसने किसी व्यक्ति को मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान प्राप्त करने को नामांकित नहीं किया हो। [ज्ञापांक 21896, दिनांक 28-7-1961] | ... | 56 |
| 51. | बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवाकाल में मृत्यु या सेवानिवृत्ति या छँटनी या अशक्तता की दशा में मृत्यु/निवृत्ति/आवधिक लाभ-स्वीकृति के सम्बन्ध में है। [ज्ञापांक 12929, दिनांक 4-9-1962] | ... | 56 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 52. | बिल्कुल अस्थायी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवाकाल में मृत्यु या सेवा-निवृत्ति या छँटनी या अशक्तता की दशा में मृत्यु/निवृत्ति/आवधिक लाभ-स्वीकृति के सम्बन्ध में। [ज्ञापांक 694, दिनांक 15-1-1964] | ... | 57 |
| 53. | वार्द्धक्य पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति में विलंब – उसके चलते हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध केस। [पत्र सं० 3665, दिनांक 5-10-1993] | ... | 58 |
| 54. | सरकारी सेवकों द्वारा मनोनयन करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० पी० 1-106-54–2905, दिनांक 15 मार्च, 1955] | ... | 60 |
| 55. | उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए नामांकन। [ज्ञाप सं० 28619 वि०, दिनांक 3-12-1960] | ... | 61 |
| 56. | शुद्धि पत्र सं० 79, दिनांक 12-7-1961 का मूलांश। | ... | 62 |
| 57. | मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में अनिवार्य नामांकन। [ज्ञाप सं० 21288, दिनांक 20-9-1960] | ... | 62 |
| 58. | जिस सरकारी सेवक को कोई परिवार नहीं है उसका मनोनयन करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 8788, दिनांक 1 सितम्बर, 1955] | ... | 62 |
| 59. | मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अवयस्क के अंश की अदायगी। [शुद्धि पत्र सं० 62, दिनांक 28-5-1959 द्वारा अन्तःस्थापित।] | ... | 63 |
| 60. | अवयस्क को मृत्यु-सह-निवृत्ति अदायगी। [ज्ञाप सं० 3798 वि०, दिनांक 17-4-1965] | ... | 64 |
| 61. | उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन अराजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान और पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में किया गया नामांकन। [ज्ञाप सं० 28610 वि०, दिनांक 3-12-1960] | ... | 64 |
| 62. | राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964। [ज्ञापांक 9505, दिनांक 3-9-1964] | ... | 65 |
| 63. | राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है, के परिजनों के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के प्रावधानों का उदारीकरण। [ज्ञापांक 9251, दिनांक 5-12-1966] | ... | 67 |
| 64. | राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 – वेतन की परिभाषा। [ज्ञापांक पेन०–10/17/70/8113, दिनांक 31-8-1970] | ... | 68 |
| 65. | जो सरकारी कर्मचारी 1-4-1964 के पहले सेवानिवृत्त या कालकवलित हो गये अथवा पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 से अन्यथा आच्छादित नहीं है, उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति। [संकल्प सं० 1918, दिनांक 4-6-1986] | ... | 68 |
| 66. | राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1964 – एक वर्ष की सेवा शर्त को हटाया जाना। [ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-9-4/83-300 वि०, दिनांक 29-7-1980] | ... | 70 |
| 67. | सरकारी कर्मचारियों के अविवाहित पुत्रियों के लिए 21 वर्ष की आयु से ऊपर परिवार पेंशन को जारी रखना। [ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-9-18-78–6167 वि०, दिनांक 6-6-1978] | ... | 71 |
| 68. | राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964। [ज्ञापांक 1884, दिनांक 19-3-1975] | ... | 71 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 69. | परिवार-पेंशन ज्येष्ठ पुत्र को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 8321, दिनांक 24 मई, 1958] | ... | 72 |
| 70. | निवर्तमान सरकारी सेवकों द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 में अंशदान स्वरूप देय मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान से दो महीने की उपलब्धियों की कटौती का समापन। [ज्ञापांक 4000, दिनांक 13-3-1978] | ... | 72 |
| 71. | मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान में से दो महीने की उपलब्धियों की कटौती को समाप्त करने के फलस्वरूप परिवार के पेंशन योजना, 1964 में आने के लिए विकल्प देना। [ज्ञाप सं० 10034, दिनांक 19-7-1978] | ... | 72 |
| 72. | राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना-पर्दानशीं महिलाओं के मामले में संयुक्त फोटो देने से छूट। [ज्ञापांक 11034, दिनांक 16-8-1967] | ... | 73 |
| 73. | राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना 1964 – दावों के निपटारे के सम्बन्ध में प्रक्रिया। [ज्ञापांक 1451, दिनांक 19 फरवरी, 1965] | ... | 73 |
| 74. | फौजदारी मुकदमा (Criminal case) के दौरान निलम्बित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन/मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान। [ज्ञाप सं० 11166, दिनांक 6-9-1975] | ... | 74 |
| 75. | सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964। [ज्ञापांक 13662, दिनांक 28-12-1964] | ... | 74 |
| 76. | उदारीकृत पेंशन नियमावली के अधीन वित्त विभाग के ज्ञापांक पी० 1-108/60-1852 एफ०, दिनांक 12-2-1960 की कंडिका 6 (1) की शर्तों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पुन: समंजन। [ज्ञापांक 11923, दिनांक 26-4-1961] | ... | 75 |
| 77. | पेंशन प्रदायी सेवा की गणना में प्रयोजनार्थ आधे दिन का अगला पूरा दिन माना जाय या नहीं। [ज्ञाप सं० 794, दिनांक 19 जनवरी, 1954] | ... | 76 |
| 78. | अंशदायी भविष्य निधि अंशदाता जो पेंशनी सेवा का चयन करते हैं और स्थायी रूप से उसमें अंतरित होते हैं, के सम्बन्ध में पेंशन के लिए सेवावधि की गणना। [ज्ञापांक पेन०–1011/63/5358-एफ०, दिनांक 7-5-1963] | ... | 76 |
| 79. | पेंशन एवं उपदान के निर्धारण हेतु अर्हक सेवा की गणना करने की नवीन पद्धति। [संकल्प संख्या 1852, दिनांक 19 अप्रील, 1990] | ... | 76 |
| 80. | अनुकम्पा निधि चालू करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 6375, दिनांक 22 मई, 1951] | ... | 77 |
| 81. | ज्ञाप सं० 415, दिनांक 28 जून, 1954। | ... | 79 |
| 82. | ज्ञाप सं० 6714, दिनांक 31 मई, 1951। | ... | 80 |
| 83. | ज्ञाप सं० 3623, दिनांक 23 मार्च, 1954। | ... | 81 |
| 84. | ज्ञाप सं० 11140, दिनांक 7 सितम्बर, 1951। | ... | 83 |
| 85. | ज्ञाप सं० 7276, दिनांक 2 जुलाई, 1952। | ... | 84 |
| 86. | ज्ञाप सं० 12947, दिनांक 27 अक्टूबर, 1953। | ... | 85 |
| 87. | ज्ञाप सं० 334, दिनांक 20 जून, 1955। | ... | 85 |
| 88. | पुलिस सहायक महानिरीक्षक को वित्त विभाग का पत्र सं० पी०-1-106/54-6412 वि०, दिनांक 2-6-1954। | ... | 86 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 89. | मृत्यु-सह-निवृत्ति लाभ के प्रावधानों का उदारीकरण। [संकल्प सं० 6796 एफ०, दिनांक 15-7-1975। | ... | 86 |
| 90. | राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि में वृद्धि। [ज्ञाप संख्या 3254, दिनांक 21-4-1982] | ... | 88 |
| 91. | राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि में वृद्धि। [ज्ञापांक 2-1-14/85-1 वि०, दिनांक 2-1-1986] | ... | 88 |
| 92. | 31 मार्च, 1979 के पहले के राज्य सरकारी पेंशन-लाभियों पर उदारीकृत पेंशन सूत्र लागू होना। [संकल्प सं० 1618, दिनांक 6-5-1986] | ... | 88 |
| 93. | 31-3-1979 – पूर्व राज्य सरकारी पेंशनलाभियों को उदारीकृत पेंशन सूत्र का लागू होना। [संकल्प सं० 4709, दिनांक 30-8-1988] | ... | 92 |
| 94. | पारिवारिक पेंशन के स्तर तक अशक्तता-पेंशन को बढ़ाने की स्वीकृति – बढ़ी हुई पेंशन पर राहत की अनुमान्यता-सीमा जिस हद तक बढ़ी हुई पेंशन का अल्पीकरण हो सकेगा। [ज्ञापांक 1831, दिनांक 10-2-1978] | ... | 93 |
| 95. | चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरी लाभ। [संकल्प संख्या 1374, दिनांक 17-2-1983] | ... | 93 |
| 96. | दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन के ढाँचे का योक्तिकीकरण। [संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990] | ... | 94 |
| 97. | राज्य सरकार के सेवीवर्ग के पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण। संकल्प सं० 11556, दिनांक 22-12-1999] | ... | 98 |
| 98. | दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन- भोगियों का वैचारिक रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन। [संख्या पी०सी० 01/99-11557 वि०पें०, दिनांक 22-12-1999] | ... | 103 |
| 99. | 1 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन का समेकन/पुनरीक्षण । [संकल्प संख्या 11558, दिनांक 22-12-1999] | ... | 111 |
| 100. | बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं असाधारण पेंशनभोगियों को राहत की मंजूरी। [संकल्प संख्या 4746, दिनांक 29-12-1986] | ... | 131 |
| 101. | पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति का निराकरण। [संकल्प संख्या 6230, दिनांक 23-8-1991] | ... | 133 |
| 102. | वित्त विभाग संकल्प संख्या 1854 वि०, दिनांक 19-4-1990 के तहत् पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन हेतु वांछित सूचनाएँ महालेखापाल को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। [सं०सं० 4858 वि०, दिनांक 14-11-1990] | ... | 134 |
| 103. | पहली जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन के ढाँचे का योक्तिकीकरण। [पत्र संख्या 7638, दिनांक 15 जुलाई, 1993] | ... | 134 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 104. | राज्य के पेंशनभोगियों के पेंशन का पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप आदेय बकाये के भुगतान की किस्त प्रणाली का संशोधन। [संख्या 6672, दिनांक 6-9-1991] | ... | 134 |
| 105. | फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के पेंशनभोगियों को पेंशन के पुनरीक्षण समेकन विषयक् आदेशों से सम्बन्धित स्पष्टीकरण। [संख्या 3467, दिनांक 7-8-1990] | ... | 135 |
| 106. | फिटमेन्ट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन का समेकन। [संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87-3465 वि०, दिनांक 7-8-1990] | ... | 135 |
| 107. | वार्धक्य पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण। [संकल्प सं० 3014, दिनांक 31-7-1980] | ... | 171 |
| 108. | औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। [पत्र सं० 532, दिनांक 13-2-1995] | ... | 177 |
| 109. | सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 943, दिनांक 6 अप्रैल, 1996] | ... | 178 |
| 110. | माननीय उच्च न्यायालय, पटना का निर्णय। [मो० रुक्मिनी देवी बनाम राज्य सरकार] | ... | 178 |
| 111. | पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन। [ज्ञापांक 228, दिनांक 5-8-1958] | ... | 183 |
| 112. | पेंशन मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब को भ्रष्टाचार मानकर कड़ी-से-कड़ी सजा देने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 10804, दिनांक 9-10-1973] | ... | 183 |
| 113. | सभी तरह की पेंशन (पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान समेत) की विलम्ब से अदायगी पर ब्याज की अदायगी। [ज्ञापांक 3155, दिनांक 7-11-1981] | ... | 184 |
| 114. | पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन — सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टियाँ दर्ज करना — सेवा का सत्यापन। [ज्ञापांक 6885, दिनांक 18-6-1964] | ... | 185 |
| 115. | सरकारी आवासीय आवास के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवक से किराये और अन्य बकाये की वसूली — लेखा-निबटारे के लिए प्रतिभू-बंधपत्र का प्रावधान। [ज्ञापांक 10290 एफ० 1, दिनांक 22-9-1961] | ... | 185 |
| 116. | पेंशन और उपदान के लम्बित मामले। [ज्ञापांक एम०टी०जी० 120/53-ए०सी०एस०-1145, दिनांक 25-2-1954] | ... | 187 |
| 117. | पेंशन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये बेबाकी (नो डिमाण्ड) प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतिकरण। [ज्ञापांक 13313, दिनांक 4-12-1968] | ... | 187 |
| 118. | सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवकों से सरकारी आवासीय निवास के सम्बन्ध में किराया, अन्य बकाए की वसूली। [ज्ञापांक 10291 एफ० (1), दिनांक 22-9-1964] | ... | 188 |
| 119. | पेंशन मामलों के निस्तार हेतु मकान किराया सम्बन्धी बकाए चुकती प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) का दाखिल करना। [ज्ञाप सं० 1037-1393 वि०, दिनांक 9-2-1973] | ... | 188 |
| 120. | पेंशन मामलों के निस्तार हेतु मकान किराया सम्बन्धी बकाया चुकती प्रमाण पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) को दाखिल करना। [ज्ञाप सं० 207, दिनांक 1-4-1975] | ... | 189 |
| 121. | पेंशन मामले के निस्तार हेतु मकान किराये सम्बन्धी बकाए प्रमाण-पत्र (नो-डिमाण्ड सर्टिफिकेट) को दाखिल करना। [ज्ञाप सं० 8871, दिनांक 5-9-1975] | ... | 189 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 122. | पेंशन स्वीकृति के आवेदन-पत्र के निष्पादन में विलम्ब। [ज्ञापांक 2566, दिनांक 27 फरवरी, 1956] | ... | 190 |
| 123. | पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान से सम्बन्धित प्रपत्रों को सभी विभागों/कार्यालयों में उपलब्ध रखने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 11865, दिनांक 12-11-1974] | ... | 191 |
| 124. | पेंशन के लिए आवेदन-पत्र का निष्पादन और स्वीकृति में विलम्ब। [ज्ञापांक 3169, दिनांक 12 मार्च, 1953] | ... | 192 |
| 125. | पेंशन मामलों का त्वरित निष्पादन। [ज्ञापांक लेख/पी० 2-1028/55-8321, दिनांक 21-9-1956] | ... | 193 |
| 126. | पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण। [ज्ञापांक 5060, दिनांक 6-1-1969] | ... | 195 |
| 127. | पेंशन मामलों के शीघ्र निष्पादन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। [ज्ञाप संख्या 5232, दिनांक 23-5-1974] | ... | 196 |
| 128. | पेंशन/उपदान मामलों के निष्पादन में विलम्ब। [ज्ञापांक 4728, दिनांक 2-8-1955] | ... | 197 |
| 129. | सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ ससमय भुगतान करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1922, दिनांक 31-3-1992] | ... | 198 |
| 130. | बिहार पेंशन नियमावली के तहत् पेंशन एवं उपदान की स्वीकृति हेतु सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के सम्बन्ध में। [ज्ञाप सं० 1554, दिनांक 23-2-1991] | ... | 199 |
| 131. | पेंशन सम्बन्धी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 10361, दिनांक 12-9-1996] | ... | 199 |
| 132. | पेंशन के पुनरीक्षण समेकन के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगति का निराकरण। [संकल्प संख्या 6230, दिनांक 23-8-1991] | ... | 200 |
| 133. | सेवानिवृत्ति के बाद के पति/पत्नी (Post-retiral Spouses) को पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के सम्बन्ध में। [ज्ञाप संख्या 9961, दिनांक 3-9-1996] | ... | 200 |
| 134. | 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों की उदारीकृत पेंशन फार्मूला का लाभ दिया जाना। [पत्र संख्या 421, दिनांक 6-3-1987] | ... | 201 |
| 135. | चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरी लाभ। [संकल्प संख्या 1976 वि०, दिनांक 17-2-1983] | ... | 202 |
| 136. | केन्द्र/अन्य राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा हेतु पेंशन एवं उपदान के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण। [पत्र संख्या 1399, दिनांक 19-3-1990] | ... | 202 |
| 137. | वित्त विभागीय संख्या 6796/वि०, दिनांक 15-7-1975 में निहित उदारीकृत पेंशन का फार्मूला का लाभ दिनांक 1-1-1973 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुलभ कराने के सम्बन्ध में। [सं० 10731, दिनांक 18-9-1996] | ... | 203 |
| 138. | तिथि 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों की स्लैब पद्धति से पेंशन गणना की सुविधा। [ज्ञाप सं० 392 वि०, दिनांक 4-3-1987] | ... | 203 |
| 139. | लापता सरकारी सेवक/पेंशनर के आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति की नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण। [पत्र संख्या 1083, दिनांक 24-2-1990] | ... | 204 |
| 140. | सेवावधि में मृत अराजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को तुरंत राहत देने की योजना। [ज्ञापांक 14265, दिनांक 5-12-1966] | ... | 205 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 141. | सेवाकाल में कालकवलित होने वाले राजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को तत्काल राहत देने का प्रश्न। [ज्ञापांक 12603, दिनांक 4-9-1969] | ... | 206 |
| 142. | सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवारों को सहायता देने का प्रावधान। [ज्ञापांक सं० 10268, दिनांक 17-8-1976] | ... | 207 |
| 143. | सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान। [ज्ञापांक 4380, दिनांक 20-4-1977] | ... | 208 |
| 144. | सेवाकाल में मृत्यु होने पर चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के परिवार को तीन हजार रुपये अनुग्रह अनुदान देने की सुविधा पुनः चालू करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 10852, दिनांक 22 सितम्बर, 1981] | ... | 208 |
| 145. | राजकीयकृत प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 2348, दिनांक 26-12-1977] | ... | 209 |
| 146. | राजकीयकरण के फलस्वरूप सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन मामलों के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 1069, दिनांक 23-6-1977] | ... | 211 |
| 147. | सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 1899, दिनांक 12-9-1978] | ... | 212 |
| 148. | अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं ग्रेच्यूटी की सुविधा देने के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 4018, दिनांक 29-11-1978] | ... | 212 |
| 149. | अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति भविष्य निधि, पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) एवं उपदान की सुविधा देने के सम्बन्ध में। [संकल्प संख्या 1775, दिनांक 30-8-1980] | ... | 213 |
| 150. | अराजकीय उच्च विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की भाँति पेंशन देने के सम्बन्ध में। [पत्रांक शि० 1732, दिनांक 5-8-1981] | ... | 215 |
| 151. | पेंशन/उपदान एवं पेंशन कम्युटेशन से सम्बन्धित निर्णय। [सं० 233, दिनांक 17-6-1996 महालेखाकार कार्यालय] | ... | 216 |
| 152. | शिक्षकों के सेवानिवृत्त के पश्चात् इनका पेंशन के मामले के निष्पादन के लिए पेंशन अदालतों की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्र एवं पेंशन अदालत की स्थापना। [सं० 2032 वि०, दिनांक 14-9-1996] | ... | 217 |
| 153. | Permanent Transfer of Government servant to Government Companies/Corporations—grant of retirement benefits. [Vide F.D. Memo No. 15445-F, dated 5-12-1962] | ... | 218 |
| 154. | Permanent transfer of Government servants to Government Companies/Corporation—Grant of retirement benefits. [Vide Memo No. 1950-F, dated 18-2-1974] | ... | 218 |
| 155. | Permanent transfer of Government servant to Government Companies/Corporations-Grant of retirement benefits. [Vide F.D. Memo No. 5190 F, dated 30-4-1976] | ... | 220 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 156. | सरकारी सेवकों की दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन की आदेयता के संबंध में। [ज्ञाप संख्या 10,059, दिनांक 6-9-1996] | ... | 221 |
| 157. | मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजनार्थ महँगाई भत्ते की एक भाग को महँगाई वेतन के रूप में गणना करने तथा उपादान की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने के सम्बन्ध में। [संकल्प ज्ञापांक 4159, दिनांक 5-5-1998] | ... | 221 |
| 158. | पेंशन सम्बन्धी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 8042, दिनांक 30-8-1999] | ... | 222 |
| 159. | चिकित्सकों के पेंशन एवं उपादान के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्तन। [पत्र सं० 1252, दिनांक 10-5-1980] | ... | 225 |
| 160. | 31-3-1979 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों को उदारीकृत पेंशन फार्मूला का लाभ दिया जाना। [पत्र संख्या 421, दिनांक 6-3-1987] | ... | 225 |
| 161. | फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन या दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप दिनांक 1-4-1997 से बकाये राशि के भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 3863, दिनांक 23-5-2000] | ... | 226 |
| 162. | फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण/समेकन के फलस्वरूप दिनांक 1-4-1997 से देय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 4547, दिनांक 8 जून, 2000] | ... | 226 |
| 163. | 1-1-1996 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण – बकाया भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। [पत्र संख्या 6469, दिनांक 26 जुलाई, 2000] | ... | 226 |
| 164. | वित्त विभाग के संकल्प संख्या 11557, दिनांक 22-12-1999 एवं संकल्प संख्या 11558, दिनांक 22-12-1999 में अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन-पत्र दाखिल करने की समय-सीमा के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 8960, दिनांक 28-9-2000] | ... | 228 |
| 165. | पेंशन के दायित्वों के बँटवारा के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 806 वि० (2), दिनांक 9-2-2001] | ... | 228 |
| 166. | बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 2689 वि० (2), दिनांक 25-4-2001] | ... | 229 |
| 167. | एल०पी०ए० 396/2000 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम देवेन्द्र कुमार मिश्रा में पारित माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश की प्रमाणित प्रति का परिचालन। | ... | 231 |
| 168. | पेंशन कागजातों के साथ बकाया रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1278, दिनांक 3-3-2000] | ... | 234 |
| 169. | औपबन्धिक पेंशन हेतु कोडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1009, दिनांक 21-2-2000] | ... | 235 |
| 170. | दो वर्षों से अधिक की अवधि से प्राप्त करने वाले औपबन्धिक पेंशन पर लगी रोक के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 4311, दिनांक 6-8-1998] | ... | 235 |
| 171. | सेवानिवृत्ति लाभों का त्वरित स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्र सं० 1678, दिनांक 21 मार्च, 2001] | ... | 235 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 172. | अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान के निमित्त सम्बन्धित शीर्ष के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 1275, दिनांक 2 मार्च, 2001] | ... | 236 |
| 173. | सेवाकाल में आरम्भ की गयी विभागीय कार्रवाई को सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त होने के बाद चालू रखने के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या का०–20233, दिनांक 8-11-1978] | ... | 237 |
| 174. | सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्ट्या आरोपों के सही पाने के उपरान्त उनकी सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि के अवरुद्ध रहने की समय-सीमा का निर्धारण। [संकल्प संख्या का०–14933, दिनांक 7-12-1985] | ... | 237 |
| 175. | सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्ट्या आरोपों के सही पाये जाने के उपरान्त उनकी सेवा सम्पुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि के अवरुद्ध रहने की समय-सीमा का निर्धारण। [ज्ञाप संख्या का०–9146, दिनांक 12-7-1991] | ... | 238 |
| 176. | राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अन्तरिम राहत की स्वीकृति। [संकल्प संख्या 213, दिनांक 9-1-1998] | ... | 240 |
| 177. | 1-1-1996 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण-बकाया भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण। [पत्र संख्या 6469, दिनांक 26-7-2000] | ... | 240 |
| 178. | वर्ष, 2001 में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या न०प्र० (ल०सिं०) अरा० स्था०–10/2001/295, दिनांक 16-2-2001] | ... | 241 |
| 179. | वित्त विभाग के संकल्प सं० 11557, दिनांक 22-12-1999 के अनुसार आनुपातिक पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 4209, दिनांक 21-6-2001] | ... | 242 |
| 180. | कर्त्तव्य के दौरान उग्रवादी हिंसा में मारे गये राज्य सरकार के सभी स्तर के पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में। [संकल्प सं० पी०सी०-7976, दिनांक 23-11-2001] | ... | 243 |
| 181. | पेंशनभोगियों को 100 रुपये चिकित्सा भत्ता स्वरूप देय होने के सम्बन्ध में। [ज्ञापांक 14/एम०-6-03/96 5308 (4), दिनांक 24-7-2001] | ... | 243 |
| 182. | राज्य सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह अनुदान की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में। [पत्रांक 6761, दिनांक 27-9-2001] | ... | 244 |
| 183. | बिहार सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 100 (एक सौ) रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 912, दिनांक 16-2-2002] | ... | 244 |
| 184. | सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति एवं अनुश्रवण की पुनरीक्षित व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में। [सं०सं० 2426, दिनांक 22-5-2002] | ... | 245 |
| 185. | दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 297, दिनांक 31-1-2003] | ... | 247 |
| 186. | वित्त विभाग के संकल्प सं० 11557, दिनांक 22-12-1999 के अनुसार आनुपातिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में। [पत्र संख्या 4209, दिनांक 21-6-2001] | ... | 248 |
| 187. | पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करते समय बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 3378, दिनांक 29 जुलाई, 2002] | ... | 248 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 188. | पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करते समय बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में। [पत्रांक 4483, दिनांक 25 नवम्बर, 2002] | ... | 250 |
| 189. | स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन का नियमित भुगतान करने के संबंध में। [संचिका संख्या 9457, दिनांक 23-11-2002] | ... | 250 |
| 190. | सरकारी सेवकों द्वारा बिना हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण किए वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने तथा पेंशनादि लाभ प्राप्त करने के संबंध में। [पत्रांक 4048, दिनांक 3-6-2003] | ... | 251 |
| 191. | सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति/मृत्यु के बाद पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की त्वरित स्वीकृति के संबंध में। [पत्र संख्या 5411, दिनांक 19-7-2003] | ... | 252 |
| 192. | पब्लिक सेक्टर बैंक के माध्यम से पेंशन का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनरों को तथा राज्य के पेंशनरों जो उन राज्यों में निवास करते हैं उन्हें द्विपक्षीय आधार पर करने के सम्बन्ध में। [संकल्प ज्ञापांक 2710, दिनांक 15-5-1991] | ... | 253 |
| 193. | सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन कागजात उनकी सेवानिवृत्ति के छः माह पहले महालेखाकार को उपलब्ध कराने के संबंध में। [पत्र संख्या 4968, दिनांक 3-12-2003] | ... | 254 |
| 194. | कार्यभारित कर्मचारीगण को नियमितिकरण के पश्चात् उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में। [पत्रांक 1393, दिनांक 31-3-2004 ] | ... | 255 |
| 195. | पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 3089, दिनांक 23 अगस्त, 2004] | ... | 256 |
| 196. | पेंशन एवं अन्य-सेवान्त लाभों के त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 7267, दिनांक 6-10-2004] | ... | 257 |
| 197. | Copy of Government of India Ministry of Personal, P.G. and Pensions, Department of Personal and Training, No. 28/43/2004-SRS 29-3-05, dated the March, 2005 | ... | 258 |
| 198. | पूर्व सेवा की परिगणना पेंशन प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन दिये जाने हेतु समय-सीमा का निर्धारण। [पत्र संख्या 1191, दिनांक 1-6-2005] | ... | 258 |
| 199. | पेंशन एवं भविष्य निधि राशि के त्वरित भुगतान हेतु दिनांक 19-2-2005 को मेगा स्पेशल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में। [पत्र संख्या 8764, दिनांक 21-12-2004] | ... | 259 |
| 200. | Copy of Bihar State Legal Services Authority, Letter No. 581, dated 13th December, 2004. From, Member Secretary. To, The Commissioner, Department of Personnel, Government of Bihar, Patna/The Commissioner, Department of Finance, Government of Bihar, Patna/The Director, State Provident Fund, Bihar, Patna/ The District Provident Fund Officer, Patna/The District & Sessions Judge, Patna. | ... | 259 |
| 201. | राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1-1-2005 से पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में करने के संबंध में। [संकल्प संख्या 775, दिनांक 11-4-2005] | ... | 259 |

| क्र०सं० | विषय | | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|---|
| 202. | दिनांक 1-9-2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना। [संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31-8-2005] | ... | 260 |
| 203. | दिनांक 1-9-2005 या उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में। [संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16-11-2005] | ... | 261 |
| 204. | पेंशन संबंधी विषयों का त्वरित एवं कालबद्ध निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 8042, दिनांक 30-8-1999] | ... | 267 |
| 205. | सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के संबंध में। [संकल्प सं० 1500, दिनांक 24-3-2005] | ... | 268 |
| 206. | अवकाश के नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने के संबंध में। [संकल्प सं० 1829, दिनांक 7-4-2005] | ... | 269 |
| | **झारखंड सरकार द्वारा निर्गत राज्यादेश** | | |
| 1. | सेवा निवृत्ति के उपरान्त पेंशन प्रपत्रों के अग्रसारण के सम्बन्ध में। [पत्र संख्या 39, दिनांक 24-1-2003] | ... | 271 |
| 2. | पेंशन दायित्वों के निर्वहन एवं विभाजन हेतु वांछित सूचना के संबंध में। [पत्र संख्या 458, दिनांक 16-2-2003] | ... | 271 |
| 3. | सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 11, दिनांक 24-02-2003] | ... | 272 |
| 4. | पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए सरकारी निर्णयों का कार्यान्वयन 1986 से पूर्व और बाद के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों इत्यादि की पेंशन का संशोधन-पेंशन/कुटुम्ब पेंशन में संशोधन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाना। [सं० 45/86/97-पी और पी डब्ल्यू (ए) भाग-III, दिनांक 15 मार्च, 2003] | ... | 272 |
| 5. | झारखंड राज्य के सेवा निवृत्त कर्मियों के पेंशन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के संबंध में। [पत्र संख्या 434, दिनांक 8-12-2003] | ... | 273 |
| 6. | महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त माह जनवरी एवं फरवरी, 2004 अन्तर्गत निर्गत पी०पी०ओ० सूची के सत्यापन के संबंध में। [पत्र संख्या 237, दिनांक 3-6-2004] | ... | 273 |
| 7. | राज्य के पेंशनभोगियों को दिनांक 1-4-2004 में मौजूदा पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत का विलय मूल पेंशन में करने के संबंध में। [ज्ञापांक 280, दिनांक 14-7-2004] | ... | 274 |

●

# अनुक्रमणिका

इस अनुक्रमणी का संकलन सिर्फ निर्देश के लिए दिया गया है । यह न समझना चाहिए कि इसमें प्रयुक्त कोई पद नियमों का किसी रूप में निर्वचन करता है ।


| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **अ** | | |
| **अंतरण —** | | |
| पेंशनी से गैर-पेंशनी स्थापना में — | 109 | 27 |
| सरकार के अधीन गैर-पेंशन प्रदायी सेवा में —— से अतीत सेवा न गिनी जाती है | 103 | 25 |
| **अंतिम वेतन-प्रमाण —** | | |
| इंगलैंड में निवृत्ति पर — | 228-229 | 99-100 |
| **अतिरिक्त पेंशन —** | | |
| पदाधिकारी, जिन्हें — दी जा सकेगी | 147 | 43 |
| **अदक्षता —** | | |
| पचपन वर्ष से कम उम्र के पदाधिकारी के मामले में वृद्धावस्था — का कारण नहीं मानी जाएगी | 126 | 29 |
| —— के कारण बर्खास्त किए गए पदाधिकारी को पेंशन अनुमान्य नहीं है । | 46 | 10 |
| **अनिवार्य निवृत्ति —** | | |
| —— संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के अर्थ में बर्खास्तगी या सेवा से हटाया जाना नहीं है | 135 | 41 |
| —— के लिए औपचारिक कार्यवाहियाँ आवश्यक नहीं | 135 | 141 |
| **अनुकम्पा-भत्ता —** | | |
| कदाचार या अदक्षता के कारण हटाए गए पदाधिकारियों को —— | 46 | 10 |
| **अनुपात नियम —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 36 | 6 |
| **अनुमोदित सेवा —** | | |
| पूरी पेंशन पाने के लिए —— आवश्यक | 139 | 42 |
| **अनुसचिवीय ( लिपिक ) सेवक —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 22 | 4 |
| **अनेक पदधारण —** | | |
| "——" करनेवाले पदाधिकारी की पेंशन | 142-143 | 42-43 |
| **अपूर्णता —** | | |
| —— मंजूर करने के सिद्धान्त | 106 (टिप्पणी) | 26 |
| **अवर-पुलिस कर्मचारी —** | | |
| —— द्वारा प्रशिक्षण पर बिताई अवधि पेंशन के लिए गिनी जायेगी | 96 | 24 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **असंयत आदत ( तों ) —** | | |
| —— के कारण हुई असमर्थता के कारण कोई पेंशन नहीं दी जायेगी | 120 | 28 |
| **असमर्थता —** | | |
| आंशिक —— की दशा में पूरी पेंशन नहीं दी जाएगी | 117 | 28 |
| —— के लिए चिकित्सक-साक्ष्य पेश करने से यह आवश्यक नहीं कि असमर्थता-पेंशन दे दी जाए | 119 | 28 |
| अनियमित या संयत आदतों के कारण हुई — के लिए कोई पेंशन नहीं दी जाएगी | 120 | 28 |
| पदाधिकारी को, जिसने और सेवा करने के सम्बन्ध में —— प्रमाणपत्र पेश किया हो, आगे भी सेवा में रखना | 122 | 29 |
| **असमर्थता पेंशन —** | | |
| —— प्रदान की शर्तें | 116 | 28 |
| पुनर्नियोजन के बाद —— चालू रहने पर बाद की पेंशन पर प्रभाव | 173 | 57 |
| —— के लिए स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र | 125 और 128 | 29-30 |
| असमर्थता के लिए चिकित्सक-साक्ष्य पेश करने से —— का दावा नहीं किया जा सकेगा | 119 | 28 |
| पुलिस-पदाधिकारियों की दशा में —— देने में विशेष सतर्कता रखी जायेगी | 121 और 127 | 28-30 |
| —— पर निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन | 161 | 54 |
| छुट्टी की समाप्ति के बाद —— पर निवृत्ति | 122 | 29 |
| —— के लिए आवेदक की अभिलिखित उम्र चिकित्सा-पदाधिकारी को सूचित की जाएगी | 124 | 29 |
| —— का स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र बिना कार्यालय प्रधान या कार्याध्यक्ष के निवेदन किए नहीं पेश किया जाएगा | 124 | 29 |
| **अस्थायी कर्त्तव्य —** | | |
| —— पर प्रतिनियुक्त स्थायी सरकारी सेवक की सेवा पेंशनप्रदायी होती है | 69 | 17 |
| **अस्थायी पद —** | | |
| —— पर नियुक्त स्थायी सरकारी सेवक की सेवा गिनी जाती है | 69 | 17 |
| "——" की परिभाषा | 40 | 7 |
| जब —— पर की गई सेवा पेंशन के लिए गिनी जाती है | 63 और 70 | 14-17 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **अस्थायी नियुक्ति —** | | |
| प्रयोगात्मक रूप से सृजित ——, जो बाद में स्थायी कर दी गई हो, पर की गई सेवा | 63 | 14 |
| —— पर की गई सेवा पेंशनप्रदायी नहीं है | 45 | 10 |
| **अस्थायी सेवा —** | | |
| ऐसी स्थापना में की गई ——, जिस स्थापना का कर्तव्य प्रतिवर्ष किसी नियत कालावधि तक सीमित हो | 62 | 14 |
| —— को पेंशन के लिए गिनने की अनुमति देने की शक्ति | 69 | 17 |
| जब —— पेंशन के लिए गिनी जाती हो | 63 | 14 |
| जब परिमाप और बन्दोबस्त विभाग की —— पेंशन प्रदायी नहीं है | 71 | 17 |
| **आ** | | |
| **आघात पेंशन —** | | |
| —— की रकम | 183 | 61 |
| —— की अवधि | 185 | 65 |
| —— मंजूर करने की शक्ति | 178 | 60 |
| **आजीवन वार्षिकी —** | | |
| —— की रकम कैसे निर्धारित की जाएगी | 224 | 99 |
| उपदान का —— में परिवर्तन | 224–225 | 99 |
| **आम राजस्व —** | | |
| —— से भुगतान की जानेवाली पेंशन-प्रदायी है, यद्यपि सरकार की ओर से समूचे खर्च या उसके किसी अंश की वसूली की जाती हो | 75 | 19 |
| "——" पद की परिभाषा | 16 | 4 |
| **उ** | | |
| **उजरती काम —** | | |
| —— की सेवा पेंशन के लिए किसी प्रकार गिनी जाएगी | 72 | 17 |
| **उत्तराधिकारी —** | | |
| सरकारी सेवक के —— का पेंशन के लिए दावा | 47 | 10 |
| भारतीय सैनिक पदाधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ के — की पेंशन वेतन में मिला दी जाएगी | 171 | 57 |
| **उत्कृष्ट सेवा —** | | |
| दो या अधिक निचला पद-धारण करनेवाला सरकारी सेवक —— में नहीं है | 51 | 11 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| अंशत: —— वाले सरकारी सेवक की पेंशन की गणना | 54 | 11 |
| —— और निचली सेवा के लिए पेंशन के वर्ग | 167 | 56 |
| निचली और —— में भेद | 19 और 29 | 4 और 6 |
| निचले पदनाम पर नियुक्त, पर —— में रखे गए सरकारी सेवक | 52 | 11 |
| निचली सेवा से —— में प्रोन्नत सरकारी सेवक | 53 | 11 |
| वे सरकारी सेवक, जो 35 रु० से अधिक वेतन पाने पर भी —— में नहीं हैं | 52 | 11 |
| "——" पद की परिभाषा | 39 | 7 |
| उन्मुक्ति — | | |
| संविदा के अधीन सेवा करने वाले पदाधिकारी की —— | 115 | 28 |
| कर्त्तव्यों में परिवर्तन के कारण राज्य सरकार को —— की रिपोर्ट | 110 | 27 |
| —— या बर्खास्तगी के पहले की सेवा | 102 | 24 |
| उपदान — | | |
| उन्मुक्ति की सूचना के बदले —— | 114 | 27 |
| पद सम्बन्धी जोखिम के कारण आहत या मारे गए पदाधिकारियों के परिवार को —— | 183-185 | 62 |
| —— की रकम | 144 और 149 | 44 |
| —— की आजीवन-वार्षिकी में परिवर्तन | 224 और 225 | 101 |
| पुनर्नियोजन पर —— न लौटने पर बाद की पेंशन या —— पर प्रभाव | 174 | 57 |
| पेंशन के बदले —— नहीं ले सकता | 141 | 44 |
| —— किस्तों में भुगतान योग्य नहीं है | 223 | 101 |
| मंजूरी की प्रत्याशा में —— का भुगतान | 205 | 97 |
| उन्मुक्ति की सूचना के बदले दिए गए —— की वापसी | 166 | 56 |
| उपदान — | | |
| पेंशन पद के अन्तर्गत —— भी है | 27 | 6 |
| "——" पद की परिभाषा | 27 | 6 |
| जब औसत उपलब्धियों के आधार पर — दिया जा सकेगा | 144 | 44 |
| जब —— का भारत में भुगतान किया जाए | 213 | 99 |
| उपनिवेश-वारंट — | | |
| —— किसके द्वारा निकाला जाता है | 232 | 100 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| —— का तीन प्रतियों में निकाला जाना | 233 | 100 |
| भारत लौटने पर —— का अर्पण | 235 | 101 |
| एक उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में पेंशन के भुगतान के अंतरण के लिए —— | 234 (ख) | 101 |
| **उपलब्धियाँ —** | | |
| अस्थायी पद सम्बन्धी —— पेंशन के लिए गिनी जायेंगी | 70 | 17 |
| पेंशन के लिए गिनी जानेवाली —— | | |
| उप-समाहर्त्ता (डिप्टी कलक्टर) और अवर-उप-समाहर्त्ता (सब-डिप्टी कलक्टर)—— | 151-153 | 45-47 |
| —— अपनी कुल परीक्ष्यमाण, अस्थायी, स्थानापन्न और मौलिक औपबंधिक अस्थायी (सब-प्रोटेम) सेवा की गिनती पेंशन के लिए कर सकते हैं | 68 | 17 |
| **उम्र —** | | |
| ——, जब पेंशन-प्रदायी सेवा आरम्भ होगी | 56 और 57 | 12 |
| "——" की परिभाषा | 8 | 3 |
| **क** | | |
| **कदाचार —** | | |
| —— के कारण हटाए गए पदाधिकारी को पेंशन नदी दी जा सकेगी | 46 | 10 |
| —— के मामले में पेंशन रोक रखी या वापस ले ली जा सकती है | 43 | 7 |
| **कर्त्तव्य पर वापस बुलाया जाना —** | | |
| अनिवार्य रूप से —— भारत-यात्रा पर बिताई गई अवधि गिनी जाएगी | 98 | 24 |
| **कमीशन —** | | |
| सेवा, जिसके लिए —— से भुगतान किया जाए, पेंशन-प्रदायी न होगी | 77 | 19 |
| **क्रमभंग —** | | |
| —— जिससे अतीत सेवा गिनी जाती है | 103 | 25 |
| पेंशन के लिए सेवा में —— का क्षान्त किया जाना | 105 | 25 |
| **कार्यवाहियाँ —** | | |
| अनिवार्यतः निवृत्त करने के लिए औपचारिक —— आवश्यक नहीं | 135 | 41 |
| **कार्याध्यक्ष या अध्यक्षालय —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 17 | 4 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **ख** | | |
| **खंड लेखक ( कों ) —** | | |
| —— की पेंशन के लिए उपलब्धियाँ | 151, 153 और 156 | 45-47 |
| पुनर्नियोजित —— की नियुक्ति पर वेतन | 167 | 56 |
| **ग** | | |
| **गहन —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 20 | 4 |
| **गृह-भत्ते —** | | |
| —— से भुगतान पानेवाली सेवा | 60 | 13 |
| **घ** | | |
| **घटौती —** | | |
| स्थापना में —— होने पर उन्मुक्त किए जाने — वाले सरकारी सेवकों का चुनाव इस प्रकार हो कि क्षतिपूर्ति-पेंशन पर कम-से-कम खर्च हो | 112 | 27 |
| **छ** | | |
| **छुट्टी —** | | |
| पेंशन मंजूर करनेवाला प्राधिकारी बिना इजाजत —— को भत्ता-रहित —— में रूपान्तरित कर सकता है | 104 | 25 |
| निचले सरकारी सेवक की —— किसी सीमा तक पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाएगी | 95 | 24 |
| भत्तों-सहित —— किसी सीमा तक पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाएगी | 90 | 23 |
| **छुट्टी से अधिक ठहर जाना —** | | |
| —— पेंशन के लिए सेवा में क्रमभंग नहीं | 103 | 25 |
| —— पेंशन के लिए नहीं गिना जाएगा | 94 | 24 |
| **ज** | | |
| **जिला उद्यान-स्थापना —** | | |
| —— की सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी | 44 | 8 |
| **जीवन-यापन-भत्ता —** | | |
| —— पेंशन के लिए नहीं गिना जाता | 154 | 47 |
| **ड** | | |
| **डाक बंगला-स्थापना —** | | |
| —— को सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है | 44 | 8 |
| **द** | | |
| **दिन —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 11 | 3 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| दिवाला — | | |
| —— के कारण बर्खास्त किया या हटाया जाना | 46 | 10 |
| दुर्घटना — | | |
| "——" पद की परिभाषा | 177 | 59 |
| देहरादून कॉलेज — | | |
| —— में वन-पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि गिनी जाएगी | 96 | 24 |
| द्वैध नियुक्ति — | | |
| —— में पेंशन के लिए सेवा | 45 | 8 |
| दो पेंशनें — | | |
| कोई सरकारी सेवक एक ही पद पर एक ही समय —— उपार्जित नहीं कर सकता | 49 | 10 |
| दो सरकारी सेवक — | | |
| —— एक ही पद के सम्बन्ध में एक ही साथ सेवा की गणना नहीं कर सकते | 49 | 10 |
| **न** | | |
| नगरपालिका — | | |
| —— की सेवा पेंशन प्रदायी न होगी | 60 | 13 |
| न गिना जाना — | | |
| क्रमभंग होने की दशा में अतीत सेवा का —— | 103 | 25 |
| निचली सेवा के सरकारी सेवक (ों) — | | |
| —— को सभी वर्ग की पेंशन अनुमान्य है | 149 और 150 | 45 |
| —— की पेंशन की रकम | 148 | 45 |
| दो या अधिक निचले पद धारण करनेवाला — | 51 | 11 |
| लगभग 30 वर्ष की सेवा कर चुकने पर — को पेंशन अमान्य नहीं होगी | 148 | 45 |
| 35 रु० वेतन पानेवाला ——, जिसका कर्त्तव्य निचला हो | 52 | 11 |
| निचली सेवा के सरकारी सेवक (ों) — | | |
| निचले पदनाम पर किसी — की नियुक्ति, किन्तु जिसका कर्त्तव्य उत्कृष्ट हो | 52 | 11 |
| सराहनीय सेवा करने के कारण उत्कृष्ट सेवा में प्रोन्नत —— की पेंशन | 53 | 11 |
| चिकित्सक द्वारा सेवा के अयोग्य प्रमाणित —— को सेवा में रखा जाना | 122 | 29 |
| —— की सेवा 16 वर्ष की उम्र से गिनी जाएगी | 57 | 12 |
| जब —— की पेंशन औसत वेतन पर जोड़ी जाए | 150 | 45 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **निचली सेवा —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 19 | 4 |
| उत्कृष्ट और —— में भेद | 53 | 11 |
| सैनिक सेवा का —— के रूप में गिना जाना | 53 | 11 |
| वैसे सरकारी सेवक की पेंशन, जिसने अंशत: —— की हो | 54 | 12 |
| वैसे पदाधिकारी की वार्धक्य-पेंशन, जिसने अंशत: —— की हो | 131 | 30 |
| सीमा, जहाँ तक छुट्टी पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जाए | 95 | 24 |
| **नियत भत्ता —** | | |
| सेवा, जिसके लिए —— से भुगतान किया जाए, पेंशन-प्रदायी नहीं होती | 60 | 13 |
| **नियमों के निर्वचन —** | | |
| —— का अधिकार सुरक्षित | 203 | 80 |
| **नियोजन —** | | |
| निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक —— | 175 अ | 57 |
| **निवृत्ति —** | | |
| 55 वर्ष की उम्र में वैकल्पिक —— | 130 | 30 |
| पुनर्नियोजन के अभिप्राय से —— अनुमत नहीं | 157 | 53 |
| —— के बाद वाणिज्यिक नियोजन | 175 अ | 57 |
| —— के समय लागू नियमों द्वारा पेंशन विनियमित | 4 | 1 |
| **निवृत्ति पेंशन —** | | |
| —— के सामान्य नियम | 134 | 38 |
| —— पर निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन | 161 | 54 |
| **प** | | |
| **पचपन वर्ष की उम्र —** | | |
| लेखा-परीक्षक-पदाधिकारी —— होने की रिपोर्ट करेगा | 133 | 35 |
| —— से कम उम्र के पदाधिकारी का रुग्णता —— प्रमाणपत्र | 126 | 29 |
| —— होने पर अपनी पसन्द से निवृत्ति | 130 | 30 |
| **पटवारी —** | | |
| पेंशन के लिए —— की सेवा | 44 | 8 |
| **पद का उठाया जाना —** | | |
| —— (ने) से भी अतीत सेवा गिनी जाएगी | 103 (घ) | 25 |
| —— (ने) पर क्षतिपूर्ति पेंशन के बदले पुनर्नियोजन स्वीकार करने वाले पदाधिकारी की पेंशन की रकम | 140 | 42 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए किसी पदाधिकारी की उन्मुक्ति का अर्थ —— नहीं है | 108 (टिप्पणी) | 26 |
| **पद का उठाया जाना —** | | |
| छुट्टी पर गए पदाधिकारी के मामले में —— छुट्टी की समाप्ति के बाद लागू होगा | 144 | 43 |
| —— (ने) पर उन्मुक्ति की सूचना दी जाएगी | 114 | 27 |
| —— (ने) पर सूचना के बदले दिए गए उपदान की वापसी | 166 | 56 |
| **पद सम्बन्धी जोखिम —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 177 | 59 |
| **पदत्याग —** | | |
| दूसरा पद-ग्रहण करने के लिए एक का —— | 101 | 25 |
| जब —— के कारण अतीत सेवा नहीं गिनी जाती | 101 | 25 |
| **परिदान —** | | |
| जिन्हें क्षत और असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन —— किए जा सकते हैं | 184-185 | 62-66 |
| क्षति और आघात —— की रकम | 183 | 61 |
| असाधारण पेंशन के अधीन —— मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी | 180 | 61 |
| **परिमाप —** | | |
| —— विभाग के निचले सेवकों की विश्रान्ति | 91 | 23 |
| जब —— विभाग की सेवा पेंशन-प्रदायी होती है | 73 | 18 |
| **परिवार-पेंशन —** | | |
| क्षत और असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन —— के प्रभावी होने की तारीख | 186 | 66 |
| —— की अवधि | 186 | 66 |
| **परिकल्पित वेतन —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 33 | 6 |
| **परीक्ष्यमाण —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 34 | 6 |
| **परीक्षा-छुट्टी —** | | |
| —— कब पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी | 92 | 23 |
| **पेंशन —** | | |
| —— की रकम भारतीय रुपयों में नियत होती है | 138 | 42 |
| अनियमित या असंयत आदतों के कारण हुई असमर्थता के लिए —— | 120 | 28 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| नियम के अधीन अनुमान्य रकम से अधिक —— | 203 | 80 |
| —— संबंधी दावा सेवा से उन्मुक्त आनिवृत्त होने के समय लागू नियम द्वारा विनियमित होगा। | 4 | 1 |
| काम करते हुए घायल हुए सरकारी सेवकों या मारे गए पदाधिकारी के परिवारों को —— | 176-187 | 59-66 |
| कोई सरकारी सेवक एक ही पद पर एक ही समय दो —— उपार्जित नहीं कर सकता | 49 | 10 |
| किस उम्र —— प्रदायी सेवा आरम्भ होती है | 56-57 | 12 |
| सरकार द्वारा नियुक्ति —— प्रदायी सेवा की आवश्यक शर्त है। | 60 | 13 |
| —— की रकम किस प्रकार नियत होती है | 136 | 41 |
| कोई पदाधिकारी छुट्टी पर अनुपस्थित रहने की अवधि का —— पा सकेगा | 188 | 70 |
| —— किसी दीवानी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं की जा सकती | 226 | 99 |
| —— के लिए औसत उपलब्धियों का जोड़ा जाना | 156 | 48 |
| निकटतम आना तक —— का जोड़ा जाना | 137 | 41 |
| किन दशाओं में —— अनुमान्य नहीं है | 45, 46, 90 और 180 | 8-10-23-61 |
| —— का दावा सेवा से उन्मुक्त या निवृत्त होने के समय लागू नियम द्वारा विनियमित होगा | 4 | 1 |
| —— का वर्गीकरण | 107 | 26 |
| —— के लिए क्रमभंगों और अपूर्णताओं की शान्ति | 105 और 106 | 25-26 |
| —— की तारीख का प्रारम्भ | 209 | 95 |
| —— के लिए उप-समाहर्त्ताओं की सेवा किस तारीख से गिनी जाए | 68 | 17 |
| भारत के बाहर कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्ति —— के लिए गिनी जाएगी | 97 | 24 |
| निचले सरकारी सेवकों की छुट्टी —— प्रदायी - सेवा के रूप में किस सीमा तक गिनी जाएगी | 95 | 24 |
| —— के लिए उपलब्धियाँ और औसत उपलब्धियाँ | 151, 153 और 156 | 45, 47 और 48 |
| उपलब्धियाँ, जो —— के लिए नहीं गिनी जातीं | 154 और 156 | 47-48 |
| छुट्टी —— प्रदायी-सेवा के रूप में किसी सीमा तक गिनी जाएगी | 89 और 90 | 22-23 |
| —— की गणना में वर्ष का भिन्नांक नहीं जोड़ा जाता | 136 | 41 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| आंशिक असमर्थता के लिए पूरी —— नहीं दी जाएगी | 117 | 28 |
| —— के लिए सरकार के विशेष अनुग्रह की सिफारिश की सूचना सरकारी सेवक को न दी जाएगी | 203 | 80 |
| सरकारी सेवक, जिन्हें विशेष अतिरिक्त —— दी जा सकेगी | 147 | 43 |
| —— के बदले उपदान नहीं लिया जा सकता | 141 | 42 |
| निचली सेवा में से —— 16 वर्ष की उम्र से गिनी जाएगी | 57 | 12 |
| सेवा में क्रमभंग होने से —— के लिए अतीत सेवा नहीं गिनी जाती | 103 | 25 |
| भारतीय उच्चायुक्त को, होम ट्रेजरी से भुगताई गई —— के पुनरीक्षण की सूचना | 230 | 100 |
| क्षतिपूरक-भत्ते की हानि के लिए —— अनुमान्य नहीं | 111 | 27 |
| सैनिक सेवा का असैनिक —— के लिए गिना जाना | 53 | 11 |
| नई सेवा अलग —— के लिए नहीं गिनी जाती | 172 | 57 |
| मौलिक नियुक्ति के बिना किसी सरकारी सेवक की स्थानापन्न सेवा का — के लिए गिना जाना | 64 | 16 |
| किसी सरकारी सेवक की पुन:स्थापित अतीत सेवा —— के लिए गिनी जा सकेगी | 102 | 25 |
| राज्य सरकार नियम बना सकती है कि कौन सी सेवा —— प्रदायी न होगी | 44 | 8 |
| अनुमान्य रकम से अधिक —— मंजूर करने की राज्य-सरकार की शक्ति | 203 | 80 |
| राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारियों की —— मंजूर करने की शक्ति | 201 | 76 |
| अस्थायी सेवा को —— के लिए गिनने की अनुमति देने की शक्ति | 59 | 13 |
| —— सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विमर्श | 191 | 72 |
| नियमों के निर्वचन और — के लिए प्रस्तावित रियायत के प्रश्न, जिनका उपबन्ध इस नियमावली में नहीं है, राज्य सरकार के पास भेज दिये जायेंगे | 203 | 80 |
| जब विभागीय छुट्टी —— के लिए गिनी जाएगी | 91 | 23 |
| —— से वसूली | 43 | 7 |
| असंतोषजनक सेवा की दशा में —— में कटौती | 139 | 42 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| —— भोगियों का पुनर्नियोजन | 153 | 47 |
| पुनर्नियोजन पर उपदान या —— का लौटाया जाना । | 174 | 57 |
| —— की मंजूरी का पुनरीक्षण | 202 | 79 |
| —— नियमावली के रूपभेदन और निर्वचन की शक्ति रक्षित होगी | 203 | 80 |
| नियम 5 में वर्णित सरकारी सेवकों का —— मान | 144-146 | 43 |
| स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र देने की तारीख के बाद —— के लिए सेवा | 122 | 29 |
| शिशिक्षु के रूप में सेवा —— प्रदायी नहीं है | 65 | 16 |
| प्रयोगात्मक रूप से सृजित किसी पद पर, जो बाद में स्थायी हो गई हो, की गई सेवा —— के लिए गिनी जाएगी | 63 | 14 |
| जब परीक्ष्यमान रूप में की गई सेवा —— के लिए गिनी जाएगी | 66 | 16 |
| स्थानीय-निधि और न्यास-निधि से भुगताई जाने वाली सेवा —— प्रदायी नहीं है | 79 | 19 |
| गृह भत्ते से भुगतान पानेवाली सेवा —— प्रदायी नहीं है | 60 | 13 |
| नियत-स्थापना-भत्ते से भुगतान पानेवाली सेवा —— प्रदायी नहीं है | 60 | 13 |
| सैनिक नियमावली के अधीन —— प्रदायी सेवा | 87 | 21 |
| स्थानीय निधि की शोध क्षमता और उसके अंश दाताओं के —— की व्यवस्था की सरकार गारंटी नहीं देती | 84 | 20 |
| सेवा का —— प्रदायी होना या न होना, भुगतान के स्रोत पर निर्भर करता है | 74 | 18 |
| मौलिक रूप से स्थायी स्थापना को कोई पद-धारण करना —— प्रदायी सेवा के लिए आवश्यक | 61 | 13 |
| अस्थायी सेवा का —— के लिए गिना जाना | 63 | 14 |
| "——" पद की परिभाषा | 27 | 5 |
| मुअत्तली के अधीन बिताई अवधि की —— | 99-100 | 24 |
| कर्तव्य पर वापस बुलाने पर यात्रा में बिताई अवधि — के लिए गिनी जाएगी | 98 | 24 |
| विद्यालय, महाविद्यालय आदि में प्रशिक्षण के रूप बिताई अवधि का —— के लिए गिना जाना | 96 | 24 |
| —— का अंतरण | 219-223 | 97-99 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| दो सरकारी सेवक एक ही पद के सम्बन्ध में एक ही साथ —— के लिए सेवा की गणना नहीं कर सकते | 49 | 11 |
| —— के लिए सेवा का सत्यापन | 196-199 | 73-75 |
| जब परीक्षा छुट्टी —— के लिए गिनी जाएगी | 92 | 23 |
| कदाचार के लिए —— का वापस ले लिया जाना | 43 | 7 |
| **पेंशन का भुगतान —** | | |
| मृत पेंशनभोगी के उत्तराधिकारियों को —— | 47 | 10 |
| मंजूरी की प्रत्याशा में —— | 207-208 | 95 |
| इंगलैंड में —— | 228-230 | 99-100 |
| उपनिवेश में —— | 231-235 | 100-101 |
| एक दूसरे उपनिवेश में अंतरण पर —— | 234 | 100 |
| —— के लिए उपनिवेश वारंट का निकाला जाना आवश्यक | 232 | 100 |
| —— करने के लिए प्राधिकार | 232 | 100 |
| —— आरम्भ होने की तारीख | 209-211 | 95-96 |
| इंगलैंड और भारत के बीच — का अंतरण | 219-220 | 97 |
| —— के परिवर्त्तन की दर | 213 | 96 |
| उपनिवेश से भारत लौटने पर — | 235 | 100 |
| —— की मंजूरी | 221 | 97 |
| **पेंशन की गणना —** | | |
| —— में वर्ष का भिन्नांक नहीं जोड़ा जाता | 139 | 42 |
| **पेंशन के लिए बकाया अंशानुदान —** | | |
| —— स्वीकार नहीं किया जा सकता | 80 | 19 |
| **पेंशन के लिए आवेदन —** | | |
| —— के साथ उपस्थापित किए जानेवाले ब्योरे | 199 (ख) | 75 |
| कालावधि, जिसके भीतर —— उपस्थापित करना चाहिए | 189 | 70 |
| अराजपत्रित-पदाधिकारी के —— की तैयारी | 199 | 75 |
| जिन अराजपत्रित-सरकारी सेवकों के लिए सेवा —— पुस्त रखी जाती है, उनके —— के निपटाव की प्रक्रिया | 199 (ख) | 75 |
| औपचारिक —— का उपस्थापन | 189 | 70 |
| —— के पहले सेवा का सत्यापन | 197 | 73 |
| **पेंशन नियमावली —** | | |
| कतिपय राजपत्रित सेवकों के लिए —— | 5, 85, 135, 146 और 147 | 1, 20, 41 और 43 |
| —— का दायरा और लागू होने की सीमा | 1 | 1 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| पेंशन प्रदायी सेवा — | | |
| —— में विशेष योग | 86 | 20 |
| पेंशन प्रदायी सेवा का आरम्भ — | | |
| —— की तारीख | 56-57 | 12 |
| पेंशन-भुगतान-आदेश — | | |
| —— का फारम | 222 | 99 |
| पुनर्नियोजन — | | |
| क्षतिपूर्ति उपदान के बाद —— | 164-165 | 56 |
| क्षतिपूर्ति पेंशन के बाद —— | 165 | 56 |
| असमर्थता पेंशन के बाद —— | 161 | 54 |
| बुढ़ापा और निवृत्ति-पेंशन के बाद | 161 | 54 |
| वाणिज्यिक फर्म आदि में —— | 175 (अ) | 57 |
| हरेक पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों का ध्यान, अध्याय 8 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए | 159 | 54 |
| पुनर्नियोजन – | | |
| क्षत और असाधारण पेंशन पर —— की दशा में वेतन नियत करने में विचार न किया जाएगा | 179 | 61 |
| —— पर सैनिक पदाधिकारियों के असैनिक वेतन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा | 170 | 56 |
| —— पर क्षतिपूर्ति पेंशन लेते रहने की दशा में उसका प्रभाव | 164 | 56 |
| —— पर क्षतिपूर्ति या असमर्थता पेंशन पाते रहने की दशा में पेंशन पर उसका प्रभाव | 173 | 57 |
| —— पर उपदान का न लौटाया जाना — पर बाद को पेंशन पर प्रभाव | 174 | 57 |
| —— पर नई सेवा की अलग पेंशन नहीं गिनी जाती | 172 | 57 |
| —— पर ब्योरे का महालेखाकार के पास भेजा जाना । | 158 | 53 |
| —— पर वेतन | 161 | 54 |
| उन्मुक्ति की सूचना के बदले मंजूर उपदान का —— के बाद लौटाया जाना | 166 | 56 |
| —— के विचार से निवृत्ति | 157 | 53 |
| ऐसे पदाधिकारी को दूसरी पेंशन, जो क्षतिपूर्ति पेंशन के बदले —— स्वीकार करें | 140 | 42 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| क्षत पेंशनभोगियों का — नहीं होगा | 176-187 | 59-66 |
| **पुनःस्थापन –** | | |
| बर्खास्तगी के बाद — का पेंशन-प्रदायी सेवा पर प्रभाव। | 102 | 25 |
| —— के बाद बर्खास्त पदाधिकारी की अतीत सेवा गिनी जाएगी | 101-102 | 25 |
| **पुलिस —** | | |
| —— जिला अधीक्षक के अनुरोध के बिना पेंशन के लिए स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट)— | 127 | 30 |
| परीक्ष्यमान —— की सेवा पेंशन के लिए गिनी जाएगी | 67 | 17 |
| **पोद्दार —** | | |
| —— निचली सेवा के अन्तर्गत हैं | 60 टिप्पणी 2 | 13 |
| प्रत्याशा पेंशन | 204-208 | 84-95 |
| **प्रथम नियुक्ति —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 13 | 3 |
| **प्रशिक्षण —** | | |
| —— की अवधि को पेंशन के लिए गिनने की अनुमति देने की शक्ति | 69 | 17 |
| किन मामलों में अवर पुलिस कर्मचारी, शिक्षा-पदाधिकारी और वन-पदाधिकारियों के — की अवधि गिनी जायगी | 96 | 24 |
| **प्रेस-कर्मचारी —** | | |
| —— की पेंशन के लिए औसत उपलब्धियाँ | 156 | 48 |
| —— की दशा में पेंशन के लिए उपलब्धियाँ किस प्रकार गिनी जाएँ | 151 | 45 |
| उजरती काम द्वारा भुगतान पाने वाले —— की पेंशन के लिए सेवा | 72 | 17 |
| **फ** | | |
| **फीस —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 12 | 3 |
| जिसकी सेवा के लिये —— से भुगतान किया जाय, वह पेंशन-प्रदायी नहीं होगी | 77 | 19 |
| **ब** | | |
| **बर्खास्तगी —** | | |
| —— के फलस्वरूप अतीत सेवा का न गिना जाना | 101 | 25 |
| —— का आदेश उलटने वाला पदाधिकारी घोषित | | |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| कर सकता है कि अतीत सेवा गिनी जायगी | 102 | 25 |
| बन्दोबस्त — | | |
| जब —— और परिमाप विभाग की सेवा में पेंशन-प्रदायी होती है | 73 | 17 |
| बल प्रयोग — | | |
| "——" पद की परिभाषा | 177 | 59 |
| बिना इजाजत अनुपस्थिति — | | |
| —— का भत्ता-रहित छुट्टी में रूपान्तर | 104 | 25 |
| बुढ़ापा-पेंशन — | | |
| उस पदाधिकारी की —— जिसकी सेवा अंशतः निचली रही हो | 54 | 12 |
| बुढ़ापा-पेंशन — | | |
| लेखा-पदाधिकारी यह सूचित करेगा कि किन पदाधिकारियों की — के लिए 55 वर्ष की उम्र हो गई है | 133 | 35 |
| —— पर वैकल्पिक निवृत्ति | 130 | 30 |
| —— पर निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन | 161 | 54 |
| "——" पद की परिभाषा | 129 | 30 |
| **भ** | | |
| भत्ता-रहित छुट्टी — | | |
| —— पर बितायी गई अवधि पेंशन के लिये न गिनी जायेगी | 93 | 23 |
| भविष्य-सदाचार — | | |
| —— पेंशन के लिये मानी हुई शर्त है | 43 | 7 |
| भारत यात्रा — | | |
| अनिवार्य रूप से कर्त्तव्य पर वापस जाने की —— पर व्यतीत अवधि गिनी जायेगी | 98 | 24 |
| भू-धृति — | | |
| —— से भुगतान पानेवाली सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है | 78 | 19 |
| **म** | | |
| मार्ग में बिताई अवधि — | | |
| —— सेवा में क्रमभंग नहीं | 103 | 25 |
| मास – | | |
| —— किस प्रकार जोड़ा जायगा | 23 | 5 |
| "——" पद की परिभाषा | 23 | 5 |
| मानदेय — | | |
| "——" पद की परिभाषा | 18 | 4 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **मौलिक वेतन —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 38 | 6 |
| **य** | | |
| **यात्रा-भत्ता —** | | |
| —— पेंशन के लिये नहीं गिना जाता | 155 | 47 |
| **र** | | |
| **राजकीय अभिहस्तांकित —** | | |
| —— के रूप में की गई सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी | 77 | 19 |
| **राजपत्रित सरकारी लेखक —** | | |
| कतिपय —— के लिये पेंशन नियमावली | 5, 85, 134, 146 और 147 | 1, 20, 38, और 43 |
| "——" पद की परिभाषा | 15 | 4 |
| **राजस्व परिमाण —** | | |
| —— की सेवा कब पेंशन-प्रदायी होती है | 73 | 17 |
| **राज्य सरकार —** | | |
| —— पेंशन मंजूर कर सकेगी | 201 | 76 |
| "——" की परिभाषा | 35 | 6 |
| आघात और परिवार पेंशन के सम्बन्ध में — की शक्ति । | 178 | 60 |
| **रूपान्तरण —** | | |
| पेंशन का —— | 236-259 | 101-107 |
| बिना इजाजत छुट्टी का भत्ता-रहित छुट्टी में — | 104 | 25 |
| पेंशन के —— के बाद पुनर्नियोजन पर वेतन | 162-163 | 55-56 |
| **रोग —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 107 | 26 |
| **ल** | | |
| **लोक-सेवा आयोग —** | | |
| क्षत और असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन मंजूर करने के पहले —— के परामर्श कर लेना चाहिये | 178 | 60 |
| **व** | | |
| **वर्गीकरण —** | | |
| पेंशनों का —— | 107 | 26 |
| **वन-पदाधिकारी —** | | |
| देहरादून कॉलेज में —— के प्रशिक्षण की अवधि पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी | 96 | 24 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **वर्ष का भिन्नांक —** | | |
| पेंशन की गणना में —— नहीं जोड़ा जाता | 136 | 41 |
| **वसू —** | | |
| पेंशन से —— | 43 | 7 |
| **वाणिज्यिक नियोजन —** | | |
| निवृत्ति के बाद —— | 171 (क) | 57 |
| **वापस —** | | |
| क्षति-पूर्ति उपदान का —— किया जाना | 164-166 | 56 |
| क्षति-पूर्ति पेंशन का —— किया जाना | 161 | 54 |
| **वाह्य सेवा —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 14 | 4 |
| **विदेश-वेतन —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 25 | 5 |
| **विविध —** | | |
| पेंशन के लिए —— का कोई दावा मान्य न होगा | 48 | 10 |
| **विधवाओं के दावे —** | | |
| पेंशन के लिए सरकार के —— | 48 | 10 |
| **विधि-पदाधिकारी —** | | |
| —— की सेवा, जो निजी व्यवसाय करने से वंचित नहीं होते, पेंशन-प्रदायी नहीं होगी | 45 | 8 |
| **विशेष अतिरिक्त पेंशन —** | | |
| कतिपय नियुक्तियों में सेवा के लिए —— | 147 | 43 |
| सेवा, जो —— के लिए गिनी जाय | 157 | 53 |
| **विशेष कर्त्तव्य —** | | |
| —— के आधार पर क्षतिपूर्ति पेंशन अनुमान्य नहीं है | 111 | 27 |
| —— पर की सेवा पेंशन-प्रदायी होती है | 71 | 17 |
| **विशेष जोखिम —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 177 | 59 |
| **विशेष योग —** | | |
| पेंशन-प्रदायी सेवा में —— | 86 | 20 |
| "——" पद की परिभाषा | 37 | 6 |
| **वेतन —** | | |
| पेंशन के बाद निवृत्त व्यक्ति के पुनर्नियोजन पर —— | 161 | 54 |
| पुनर्नियोजन पर ——, जब पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा लिया जाय | 162-163 | 55-56 |
| "——" पद की परिभाषा | 26 | 5 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **वैयक्तिक वेतन —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 32 | 6 |
| जब —— अनुमत हो | 32 | 6 |
| **श** | | |
| **शिशिक्षु —** | | |
| —— के रूप में सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है | 65 | 16 |
| **शिक्षक (ों) —** | | |
| नगरपालिका स्कूलों के —— की ओर से पेंशन के लिए अंशदान | 82 | 20 |
| **शिक्षा-पदाधिकारी ——** | | |
| पटना ट्रेनिंग कॉलेज में — द्वारा बितायी गयी अवधि पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायगी | 96 | 24 |
| **शिक्षा-विभाग —** | | |
| स्थानीय बोर्डों में बदले गए — के पदाधिकारी | 82 | 20 |
| **स** | | |
| **संवर्ग —** | | |
| "——" की परिभाषा | 9 | 3 |
| **सदाचार —** | | |
| भविष्य —— पेंशन की मानी हुई शर्त है | 43 | 7 |
| **सरकारी वकील —** | | |
| —— की सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं होगी | 45 | 8 |
| **सरकारी सेवकों के परिवार —** | | |
| —— को पेंशन | 48 | 10 |
| **सराहनीय सेवा —** | | |
| —— के कारण निचली कोटि से उत्कृष्ट कोटि में प्रोन्नत किसी पदाधिकारी का पेंशन के लिए दावा | 55 | 12 |
| **सावधिक पद —** | | |
| "——" की परिभाषा | 41 | 7 |
| **सेवा —** | | |
| दो सरकारी सेवक एक ही पद के सम्बन्ध में एक ही साथ —— की गणना नहीं कर सकते | 49 | 10 |
| **सेवा पुस्त —** | | |
| जिस अराजपत्रित पदाधिकारी की —— रखी जाती हो, उसके पेंशन-आवेदन पत्र को निबटाने की प्रक्रिया | 197 | 73 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **स्थानापन्न सेवा —** | | |
| जब मौलिक नियुक्ति रहित किसी पदाधिकारी की —— पेंशन के लिए गिनी जायगी | 64 | 16 |
| जब —— पेंशन के लिये गिनी जायगी | 64 | 16 |
| **स्थानापन्न रूप से काम करना —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 24 | 5 |
| **स्थानीय निधि —** | | |
| —— के नियोजितों की पेंशन के लिये अंशानुदान | 80 | 19 |
| **स्थानीय निधि —** | | |
| —— से भुगतान पानेवाली सेवा-पेंशन प्रदायी न होंगे | 79 | 19 |
| सरकार —— को शोध-क्षमता की गारंटी नहीं देती | 84 | 20 |
| "——" पद की परिभाषा | 21 | 4 |
| किसी — को पेंशनी स्थापना का दूसरे में बदला जाना | 83 | 20 |
| सरकार के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवा वाले किसी पदाधिकारी की — में बदली | 81 | 20 |
| —— के अधीन सेवा और सरकारी स्थापना के अधीन सेवा के बीच परस्पर बदली हो सकती है | 83 | 20 |
| **स्थायी पद —** | | |
| "——" की परिभाषा | 31 | 6 |
| **स्थायी सरकारी सेवक —** | | |
| "——" पद की परिभाषा | 30 | 6 |
| **स्वास्थ्य-प्रमाण पत्र —** | | |
| यदि असमर्थता-पेंशन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 60 वर्ष हो, तो —— की जरूरत न होगी | 118 | 28 |
| सेवा सम्बन्धी असमर्थता — तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक आवेदक के कार्यालय का प्रधान इसके लिये पत्र न दे | 124 | 29 |
| असमर्थता-पेंशन के — का अभिप्रमाणित किया जाना | 126 | 29 |
| भारत में पेंशन के लिए आवेदन करने के — का फारम | 128 | 30 |
| असमर्थता के — के लिए आवेदक की उम्र चिकित्सा-पदाधिकारी को सूचित की जायगी | 124 | 29 |
| —— पेश करने की तारीख के बाद की सेवा पेंशन के लिये न गिनी जायगी। | 122 | 29 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| रोग सम्बन्धी मामले के विवरण के साथ असमर्थता-पेंशन के लिए —का रहना अपेक्षित है | 125 | 29 |
| **साहाय्यित स्कूल —** | | |
| —— में बदली से अतीत सेवा न गिनी जायगी | 103 (ङ) | 25 |
| —— या संस्था के पदाधिकारियों की सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं होगी | 60 | 13 |
| **सैनिक पदाधिकारी —** | | |
| पुनर्नियोजन पर —— के असैनिक वेतन पर सैनिक पेंशन का प्रभाव | 170 | 56 |
| **सैनिक पेंशन —** | | |
| —— भोगी का पुनर्नियोजन | 169 | 56 |
| —— पाने वाले व्यक्ति का असैनिक विभाग का | 169 | 56 |
| **सैनिक सेवा —** | | |
| असैनिक नियमावली के अधीन पेंशन के प्रयोजनार्थ —— किस प्रकार गिनी जाय | 87 | 21 |
| असैनिक नियमावली के अधीन सरकार —— को पेंशन के लिए गिनने की अनुमति दे सकेगी | 53 | 11 |
| **क्ष** | | |
| **क्षत और अन्य असाधारण पेंशन —** | | |
| —— के लिये आवेदन | 187 | 66 |
| —— मंजूर करने के समय लोक-सेवा आयोग से परामर्श ली जायगी | 178 | 60 |
| —— के लिये नियम | 176-187 | 59-66 |
| "——" नियम के पदों की परिभाषा | 177 | 59 |
| —— के नियम किन पर लागू होते हैं | 176 | 59 |
| **क्षतपूर्त्ति उपदान —** | | |
| पदाधिकारी —— प्राप्त कर चुका हो, उसका पुनर्नियोजन | 164 | 56 |
| पुनर्नियोजन के बाद — की वापसी | 164-165 | 56 |
| **क्षतिपूर्त्ति-पेंशन —** | | |
| जिस पदाधिकारी ने पुनर्नियोजन के बाद —— रख ली हो, उसकी पेंशन की गणना | 173 | 57 |
| —— प्रदान की शर्त्त | 108-111 | 26-27 |
| "——" की परिभाषा | 108 | 26 |
| कर्त्तव्य में परिवर्त्तन के कारण —— पर किसी पदाधिकारी की उन्मुक्ति | 110 | 27 |
| अपेक्षाकृत अधिक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए —— पर किसी पदाधिकारी की उन्मुक्ति | 108 (टिप्पणी) | 26 |

| विषय | नियम | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **क्षतिपूर्ति पेंशन-जारी —** | | |
| —— पर उन्मुक्ति इस प्रकार विनियमित की जायँ, जिससे पेंशन पर कम से कम खर्च हो | 112 | 27 |
| सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी हो जाने के बाद —— पर उन्मुक्ति | 111 | 27 |
| —— पर उन्मुक्ति के बाद पुनर्नियोजित खंड-लेखकों और मुद्रणालय कर्मचारियों के उठाये गये पदों का वेतन | 167 | 56 |
| जो पदाधिकारी —— के बदले पुनर्नियोजन स्वीकार करे, उसकी पेंशन | 140 | 42 |
| भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, जिनको पेंशन दस रुपये प्रतिमास से अधिक न हो, रोक रखी गई —— के बाद पुनर्नियोजन | 161 | 54 |
| —— के मामले में उन्मुक्ति की सूचना के बदले प्रदत्त उपदान की वापसी | 166 | 56 |
| पुनर्नियोजन पर —— का त्याग | 168 | 56 |
| —— पर उन्मुक्ति के बाद पुनर्नियोजित पदाधिकारी की सेवा जब पेंशन-प्रदायी हो जाय | 168 | 56 |
| **क्षतिपूरक भत्ता —** | | |
| —— पेंशन के लिए नहीं गिना जाता | 154 | 47 |
| —— (से) की हानि के लिए पेंशन अनुमान्य नहीं है | 111 | 27 |
| सेवा, जिसके लिए —— दिया गया हो,पेंशन-प्रदायी नहीं होती | 45 | 8 |
| "——" की परिभाषा | 10 | 3 |
| **क्षान्ति —** | | |
| पेंशन के लिये सेवा में अपूर्णता की —— | 106 | 26 |
| पेंशन के लिये सेवा में क्रमभंग की —— | 105 | 25 |
| अपूर्णता को —— मंजूर करने के सिद्धान्त | 106 (टिप्पणी) | 26 |

# बिहार पेंशन नियमावली

## भाग–I

### अध्याय–1

### सामान्य दायरा और लागू होने की सीमा

**1.** (क) यह नियमावली बिहार पेन्शन नियमावली कहलाएगी। इसमें बिहार सरकार के अधीन सेवा द्वारा पेंशन उपार्जित करने की शर्तें एवं उसकी गणना तथा भुगतान की रीति बतलाई गई है।

(ख) जहाँ कोई दूसरा उपबन्ध हो, वहाँ छोड़कर, यह नियमावली 20 जनवरी, 1950 से लागू होगी।

**2.** जहाँ कोई दूसरा उपबंध हो, वहाँ छोड़कर, यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिन पर [1][ बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के नियम लागू हैं।]

[2][ **2 (क)**–इस राज्य में निवास कर रहे अन्य राज्यों के सिविल पेंशनरों को द्विपक्षीय आधार पर इस राज्य के लिए चयनित सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन का भुगतान निम्नांकित शर्तों के साथ प्रभावी होगा –

(क) उन्हीं सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन का भुगतान किया जायेगा जो इस राज्य के लिये चयन किये गये हैं।

(ख) कोषागार से सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन प्राप्त करने हेतु स्थानान्तरण की वही प्रक्रिया होगी जो इस राज्य की स्कीम में व्यवस्था है।

(ग) दूसरे राज्य के पेंशनरों को किये गये पेंशन भुगतान उसी राज्य के नाम के समक्ष दर्शाया जायेगा। परन्तु आरंभिक रूप से राशि इस राज्य के नकद अवशेष में ही डेबिट होगा।

(घ) दूसरे राज्यों के पेंशनरों को किये गये भुगतान का संकलन जिला कोषागारों से प्राप्त पेमेन्ट स्क्रौल के आधार पर महालेखाकार बिहार द्वारा किया जायगा। महालेखाकार, बिहार को इस तरह किये गये भुगतान की राशि को सम्बन्धित राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में एक दूसरे राज्यों के बीच समंजन की वर्त्तमान प्रक्रिया लागू होगी।]

**3.** जब तक प्रसंग से प्रतिकूल प्रतीत न हो, बिहार, उड़ीसा सेवा-संहिता के 3, 5, 6 और 7 नियमों के उपबंध इस नियमावली पर भी आवश्यक परिवर्त्तन के साथ लागू होंगे।

[परिशिष्ट I में सौंपी गई शक्तियों और उन शक्तियों की सूची है जिनका प्रयोग अन्य सरकारी विभाग, वित्त-विभाग की सलाह लिए बिना कर सकते हैं।]

**4.** इस नियमावली में जहाँ कोई दूसरा उपबंध हो, वहाँ छोड़कर और बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक का पेंशन संबंधी दावा उसके सरकारी सेवा छोड़ने, पदत्याग करने या उस (सेवा) से उन्मुक्त होने के समय लागू नियमों द्वारा विनियमित होगा।

**5.** (1) 86, 135, 146 और 147 नियमों के उपबंध निम्न अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं में या पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त (सैनिक पदाधिकारियों से भिन्न) केवल उन्हीं सरकारी सेवकों पर लागू होंगे, जिन्होंने –

(क) 29 अगस्त, 1919 के बाद पद-ग्रहण किये, या

(ख) जो 29 अगस्त, 1919 को सेवा में थे, किन्तु जिन्होंने सरकार की अनुमति से, लिखकर निश्चित रूप से पसन्द किया है, कि वे उन नियमों के अधीन रखे जाएँ।

**टिप्पणी :** 1919 में इंगलैण्ड में नियुक्त सरकारी सेवक इस नियम के प्रयोजनार्थ 29 अगस्त, 1919 को सेवा में समझे जाएँगे, यद्यपि उन्होंने उस तारीख के बाद पद-ग्रहण किया हो।

(2) राज्य सरकार अनुसूची में दी गई सूची के अन्तर्गत किसी ऐसी राजपत्रित सेवा या पद को रख सकती है जिसका काम इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे अवर नहीं माना जा सकता।

**टिप्पणी :** जो सरकारी सेवक निम्न अनुसूची में उल्लिखित कोई पद मौलिक रूप से धारण न करता हो, किन्तु जो नियम 147 से संलग्न अनुसूची में के किसी पद पर कारगर सेवा के रूप में गिनी जाने वाली स्थानापन्न

---

1. अब बिहार सेवा संहिता, 1952 देखें।
2. बिहार सरकार वित्त विभाग "संकल्प" ज्ञापांक 2710 वि० (2), दिनांक 15-5-1991 द्वारा अन्तः स्थापित।

सेवा करने के कारण अतिरिक्त पेंशन का पात्र हो गया हो, वह इस नियम के फायदों का हकदार होगा, बशर्ते कि 29 अगस्त, 1919 को सेवा में स्थित सरकारी सेवकों के मामले में, उन्होंने उपर्युक्त खण्ड (1) में निर्दिष्ट नियम को निश्चित रूप से पसन्द कर लिया हो ।

## अनुसूची

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कृषि विभाग | ... | बिहार कृषि सेवा । पेंशनरी सेवा में स्थित कृषि-अभियंता (इंजिनियर) । |
| 2. | बिहार असैनिक सेवा | ... | कार्यपालिका और न्यायपालिका । |
| 3. | शिक्षा विभाग | ... | बिहार शिक्षा सेवा । |
| 4. | आबकारी विभाग | ... | आबकारी अधीक्षक की पंक्ति के और उससे ऊपर के सरकारी सेवक । |
| 5. | कारखाना विभाग | ... | कारखाना-निरीक्षक, वाष्पित्र (बॉयलर्स) – निरीक्षक । |
| 6. | वन विभाग | ... | सहायक वन-संरक्षक (कंजरवेटर) पंक्ति के और उससे ऊपर के सरकारी सेवक । |
| 7. | उद्योग विभाग | ... | प्राचार्य, बिहार, इंजिनियरिंग कॉलेज । |
| 8. | कारा विभाग | ... | अधीक्षक की पंक्ति के और उससे ऊपर के सरकारी सेवक । |
| 9. | चिकित्सा विभाग | ... | असैनिक शल्य चिकित्सक, असैनिक सहायक शल्य-चिकित्सक, मेडिकल कॉलेजों के प्राध्यापक और रसायन-परीक्षक । |
| 10. | लोक-स्वास्थ्य विभाग | ... | बिहार लोक-स्वास्थ्य सेवा । |
| 11. | पुलिस विभाग | ... | उपाधीक्षक । |
| 12. | मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग | ... | अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय । |
| 13. | लोक-निर्माण विभाग | ... | बिहार अभियंत्रण (इंजिनियरिंग) सेवा । |
| 14. | पशु-चिकित्सा विभाग | ... | बिहार-पशु चिकित्सा सेवा । |
| 15. | निबंधन विभाग | ... | जिला-निबंधक की पंक्ति के और उससे ऊपर के सरकारी सेवक । |

16. सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग ।
17. उप-सचिव और अपर उप-सचिव ।
18. अवर-सचिव और अपर अवर-सचिव ।
19. बजट-पदाधिकारी ।
20. मुख्य सचिव का निजी सहायक ।
21. सचिवालय के निबंधक और अपर निबंधक ।
22. उप-अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय ।

[1][23. नियम 147 के अधीन अतिरिक्त पेंशन के पात्र अन्य सरकारी सेवक ।

[2][24. सरकारी विमान चालक (पायलट) ।

## अध्याय-2
## परिभाषाएँ

**6.** जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस अध्याय में परिभाषित पद इस नियमावली में, यहाँ बताए गए अर्थ में, प्रयुक्त हुए हैं ।

1. मद 23 मद (17) के लिए पुनः संख्यांकित और नये मद (17) से (22) तक वित्त विभागीय अधिसूचना सं० पी० 1-1014/53-12320 वि०, दिनांक 6 अक्तूबर, 1953 और शुद्धि-पत्र सं० 21, दिनांक 18 जनवरी, 1955 द्वारा जोड़ा गया ।
2. अधिसूचना सं० सी०डी०आर० पृष्ठ 1058/61-16, दिनांक 3-1-1968 द्वारा अन्तःस्थापित ।

**7.** "महालेखापाल" से तात्पर्य है भारत के महालेखा परीक्षक के अधीन लेखा-परीक्षा और लेखा-कार्यालय का प्रधान, जो राज्य का लेखा रखता है और भारत के महालेखापरीक्षक की ओर से, उन लेखाओं की परीक्षा करता है ।

[समीक्षा : अब ऑडिटर जेनरल का पदनाम भारत संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार बदलकर "कम्पट्रौलर और ऑडिटर जेनरल ऑफ इंडिया" कर दिया गया है ।]

**टिप्पणी :** इस परिभाषा के अन्तर्गत "लेखा-परीक्षा पदाधिकारी" भी है ।

**8.** "उम्र" जब किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षित हो कि कोई खास उम्र हो पर वह सेवा-निवृत्त हो जाएगा, तब जिस दिन उसकी वह उम्र हो जाए, वह दिन, दिन न माना जाएगा और वह सरकारी सेवक उस दिन से ही अवश्य निवृत्त हो जाएगा ।

***राज्य सरकार के निर्णय –***

**1.**

***विषय : सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि ।**

बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में दिए गये प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करना है जिसके अनुसार सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की वह तिथि है जिस तिथि को सरकारी सेवक की उम्र 58 वर्ष की हो जाती है ।

2. XXXX। तदनुसार दिनांक पहली फरवरी, 1976 से सभी सरकारी कर्मचारीगण उस माह के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवा से निवृत्त होंगे जिस माह में उनकी निवृत्ति की तिथि पड़ती है जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है ।

| जन्म तिथि | | 58 वर्ष की आयु अथवा निवृत्ति की विहित आयु प्राप्त करने पर निवृत्ति की तिथि |
|---|---|---|
| (ए) माह का प्रथम दिन | ... | पूर्ववर्ती माह के अन्तिम दिन का अपराह्न । |
| (बी) माह की कोई अन्य तिथि | ... | उस माह के अन्तिम दिन का अपराह्न । |

3. X X X X.

***[ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-11-1-76-2226, दिनांक 19-2-1976 का उद्धरण ।]**

**2.**

***विषय : निलम्बित सरकारी सेवकों की सेवा-निवृत्ति ।**

[देखें नियम 43 के नीचे राज्य सरकार का निर्णय संख्या 1 ।]

**9.** "संवर्ग" से तात्पर्य है पृथक् इकाई के रूप में मंजूर सेवा या सेवा के किसी भाग का कर्मचारी वर्ग ।

**10.** "क्षतिपूरक भत्ते" से तात्पर्य है व्यक्तिगत खर्च अथवा सुख-सुविधा या निजी वृत्ति की हानि, जो कर्त्तव्य- संपादन की खास परिस्थितियों के कारण हुई हो, के विचार से दिया जाने वाला भत्ता ।

इसके अन्तर्गत यात्रा-भत्ता भी है । इसके अन्तर्गत भारत से बाहर किसी स्थान को या से समुद्र द्वारा मुफ्त यात्रा की अनुज्ञा नहीं है ।

**11.** "दिन" से तात्पर्य है मध्य-रात्रि में आरम्भ और समाप्त होने वाला पंचांग-दिन ।

[1][ **12.** "फीस" से तात्पर्य है राज्य की संचित निधि से भिन्न स्रोत से सरकारी सेवक को आवर्त्तक या अनावर्त्तक भुगतान, चाहे वह सरकारी सेवक को सीधे किया जाये या सरकार के मध्यवर्ती के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्न आय नहीं हैं –

(क) सम्पत्ति, लाभांश और प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय; तथा

(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक कार्यों से आय, यदि ऐसे कार्यों में सरकारी सेवक द्वारा अपनी सेवा के दौरान में अर्जित ज्ञान से सहायता न मिली हो ।

**13.** "प्रथम नियुक्ति" के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी है जो उस समय सरकार के अधीन कोई पद धारण न करता हो, चाहे वह पहले ऐसा पद धारण कर चुका हो ।

---

1. शुद्धि पत्र सं० 47, दिनांक 13-11-1957 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**14.** "बाह्य सेवा" से तात्पर्य है वह सेवा जिसमें सरकारी सेवक सरकार की मंजूरी से अपना मौलिक वेतन (क) भारत सरकार के अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्वों से भिन्न किसी स्रोत से या (ख) राज्य-रेल चलाने वाली किसी कम्पनी से पाता हो।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

***विषय : बाह्य सेवा की अवधि में देय पेंशन-अंशदान।**

वित्त विभाग के संकल्प सं० 6074-एफ, दिनांक 30 अप्रैल, 1960 जिसमें पेंशन समेत कतिपय प्रयोजनों के लिए जीवन-यापन भत्ता को वेतन जैसा गणना किये जाने का राज्य सरकार का निर्णय संसूचित किया गया है, के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या बाह्य सेवा स्थित सरकारी सेवक के सम्बन्ध में प्रतिलभ्य पेंशन-अंशदान के प्रयोजन के लिए जीवन-यापन भत्ता की गणना की जाए, अथवा नहीं। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि बाह्य सेवावधि में देय पेंशन-अंशदान की मासिक दर की गणना करने में जीवन-यापन भत्ता के तत्त्व को भी सम्मिलित किया जाए जहाँ कतिपय प्रयोजनों के लिए इसकी गणना वेतन के रूप में की जाती है। बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 16 के भाग-I में दी गई अंशदान-दर की तालिका के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुनरीक्षित दरें उन सरकारी सेवकों को लागू नहीं होंगी जिन्हें इस आदेश के जारी होने से पहले बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त किया गया था।

***[ज्ञाप सं० पेंशन-903/61/22210 वि०,दिनांक 31-7-1961।]**

**15.** "राजपत्रित सरकारी सेवक" से

(1) किसी भी राज्य-सेवा का सदस्य,

(2) कोई ऐसा पद धारण करने वाले दूसरा सरकारी सेवक जिसे राज्य-सरकार ने खास तौर से राजपत्रित पद घोषित किया हो।

**16.** "आम राजस्वों" के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संगृहित या प्राप्त सभी राजस्व और सार्वजनिक धन है, स्थानीय निधियों के राजस्व उनके बाहर है।

**17.** "कार्याध्यक्ष या अध्यक्षालय" से तात्पर्य है बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित सरकारी सेवक या कार्यालय।

**18.** "मानदेय" से तात्पर्य है कोई आवर्त्तक या अनावर्त्तक भुगतान जो सरकारी सेवक को आम राजस्व से कभी-कभी होने वाले विशेष कार्य के लिये पारिश्रमिक के रूप में किया जाये।

**19.** "निचली सेवा" से तात्पर्य है किसी तरह की सेवा जो सरकार द्वारा इस रूप में खास तौर से वर्गित हो और कोई दूसरी तरह की सेवा जिसका अधिकतम वेतन आमतौर से 35 रु० मासिक से अधिक न हो।

**20.** "ग्रहन" से तात्पर्य है तुरन्त या किसी अनुपस्थिति काल या किन्हीं अनुपस्थिति कालों की समाप्ति के बाद, सावधिक पद सहित किसी स्थायी पद को, जिस पर सरकारी सेवक मौलिक रूप से नियुक्त हुआ हो, मौलिक रूप से धारण करने का सरकारी सेवक का हक।

**21.** "स्थानीय निधि" से तात्पर्य है–

(क) ऐसे निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व जो विधि (कानून) या विधि सम प्रभावी नियम द्वारा सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं, चाहे वह नियंत्रण आम तौर से कार्यवाहियों के संबंध में हो या खास विषयों के संबंध में, जैसे उनके बजट की मंजूरी, खास पद बनाने या भरने की मंजूरी अथवा छुट्टी या पेंशन संबंधी या वैसे ही अन्य नियम बनाना; तथा

(ख) किसी निकाय का राजस्व जो यथा प्रसंग भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा इन रूप में खास तौर से अधिसूचित किया जाये।

**22.** "अनुसचिवीय (लिपिक) सेवक" से तात्पर्य है अवर सेवा का सरकारी सेवक जिसके कर्त्तव्य पूर्णतः लिपिक हैं तथा किसी अन्य वर्ग का सेवक जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस रूप में खास तौर से परिभाषित है।

**23.** "मास" से तात्पर्य है पंचांग मास/मास और दिन के रूप में व्यक्त कालावधि की गणना करने में पहले पूरे पंचांग मास, हर मास की दिन संख्या पर विचार किए बिना ही, गिने जाने चाहिए और तब फुटकर दिनों की संख्या।

**उदाहरण** : इस प्रकार 25 जनवरी से 3 महीने 20 दिन की कालावधि की गणना करने में 3 महीना 24 अप्रैल को समाप्त समझना चाहिए और 20 दिन 14 मई को। इस तरह 30 जनवरी से 2 मार्च तक की कालावधि 1 महीना 2 दिन गिननी चाहिए। क्योंकि 30 जनवरी से (या 31 जनवरी या 1 फरवरी से) एक महीना फरवरी के अन्तिम दिन समाप्त होता है।

**24. स्थानापन्न रूप से काम करना** : सरकारी सेवक किसी पद पर स्थानापन्न रूप से काम करता है, जबकि वह ऐसे पद के कर्त्तव्यों का सम्पादन करता है, जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का गहन है। जिस रिक्त स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का गहन नहीं है, उस पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति, उस रिक्त स्थान पर मौलिक नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है।

सरकारी सेवकों की नियुक्ति किसी पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए हो सकती है,यद्यपि वह वस्तुत: उसके कर्त्तव्यों का सम्पादन नहीं कर रहा हो, जैसे कि निम्नलिखित दशाओं में –

(1) जबकि वह प्रशिक्षण में रखा गया हो या किसी शिक्षा-चर्या (कोर्स) में सम्मिलित हो;

(2) जबकि उसकी बदली बाह्य सेवा में हुई हो।

**25.** "विदेश वेतन" से तात्पर्य है वह वेतन जो किसी सरकारी सेवक को इस विचार से दिया जाए कि वह अपने अधिवास के देश से भिन्न किसी देश में सेवा कर रहा है।

**26.** (क) "वेतन" से तात्पर्य है वह राशि जो सरकारी सेवक प्रतिमास निम्न रूप में पाए –

(1) विशेष वेतन या अपनी वैयक्तिक योग्यताओं के कारण दिए जाने वाले वेतन से भिन्न वह वेतन, जो उसके द्वारा मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप से धारित पद के लिए मंजूर किया गया है अथवा जिसका हकदार वह किसी संवर्ग में अपनी स्थिति के कारण है; तथा

(2) विदेश वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन; तथा

(3) कोई अन्य आवर्त्तक उपलब्धि जिसे राज्य सरकार खास तौर से वेतन माने।

(ख) 1ली जुलाई, 1924 को लागू दरों से वेतन पाने वाले सैनिक पदाधिकारी की दशा में, वेतन के अन्तर्गत वह राशि भी है जो वह प्रतिमास निम्न नामों से पाता है –

(1) नियुक्ति का वेतन, निवास-भत्ता और विवाह-भत्ता; तथा

(2) पंक्ति-वेतन, कमान-वेतन, अपर वेतन, भारतीय सेना-भत्ता, निवास-भत्ता और विवाह-भत्ता।

1ली जुलाई, 1924 के पहले लागू दरों से वेतन पाने वाले सैनिक पदाधिकारी की दशा में, वेतन के अन्तर्गत वह राशि भी है, जो वह प्रतिमास निम्न नामों से पाता है –

(1) सैनिक वेतन और भत्ते, तथा स्टाफ वेतन;

(2) भारतीय सेना-वेतन और स्टाफ-वेतन; तथा

(3) समेकित (इकट्ठा) वेतन।

**टिप्पणी** : यदि सरकारी मुद्रणालयों का कोई उजरती कर्मचारी (पीस वर्कर) कालमान वाले किसी पद पर नियुक्त किया जाये, तो उसका "वेतन" उसकी प्रति घंटे वर्ग-दर के डेढ़ सौ गुने के बराबर समझा जायेगा।

[**समीक्षा** : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 (ख) (2) के उपनियम (1), (2) और (3) के प्रख्यापन के फलस्वरूप सैनिक पदाधिकारियों के वेतनमान और भत्ता में कई महत्वपूर्ण संशोधन तथा परिवर्तन हुआ है।]

**27.** पेंशन के अन्तर्गत उपदान भी है।

**28.** [1]**विखंडित।**

---

1. विखंडित, देखें, वित्त विभागीय अधिसूचना सं० पी 1-1048/55–1106 एफ०, दिनांक 16 अगस्त, 1956; शुद्धि-पत्र सं० 32, दिनांक 19 जुलाई, 1957।

**29.** "पेंशनी सेवा" से तात्पर्य है वह सेवा जो उसे करने वाले सरकारी सेवक को लोक राजस्व से पेंशन पाने की योग्यता प्रदान करे ।

**30.** "स्थायी सरकारी सेवक" से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो किसी स्थायी पद पर गहन रखता है या ऐसे पद पर गहन रखता, यदि उसका गहन निलंबित न कर दिया जाता ।

**31.** "स्थायी पद" से तात्पर्य है वह पद जिसमें कि एक नियत वेतन दर हो और जो बिना काल-सीमा के मंजूर हो ।

**32.** "वैयक्तिक वेतन" से तात्पर्य है वह वेतन जो सरकारी सेवक को –

(क) वेतन के पुनरीक्षण के कारण या अनुशासनात्मक कार्रवाई से अन्यथा मौलिक वेतन में हुई कमी के कारण सावधिक पद से भिन्न स्थायी पद के संबंध में मौलिक वेतन की हानि से बचाने के लिए, अथवा

(ख) विशेष परिस्थितियों में, अन्य वैयक्तिक विचारों से दिया जाये ।

**33.** "परिकल्पित वेतन" किसी खास सरकारी सेवक के प्रसंग में प्रयुक्त होने पर "किसी पद के परिकल्पित वेतन" से तात्पर्य है वह वेतन जिसका वह हकदार होता, यदि वह उस पद को मौलिक रूप से धारण करता और उसके कर्त्तव्यों का संपादन करता होता, किन्तु इसके अन्तर्गत विशेष वेतन नहीं है, जब तक कि वह सरकारी सेवक उस कार्य का सम्पादन नहीं करता हो या उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाता हो अथवा उन अस्वास्थ्यकर स्थितियों में नहीं हो जिनके विचार से विशेष वेतन मंजूर किया गया था ।

**34.** "परीक्ष्यमाण" से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो किसी विभाग के संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके सम्मुख परीक्ष्यमाण रूप से नियोजित हो ।

**टिप्पणी** : इस पद में वह सरकारी सेवक सम्मिलित नहीं है जो मौलिक रूप से कोई स्थायी पद धारण करता है और केवल किसी अन्य पद पर परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त किया गया हो ।

**35.** "राज्य सरकार" से तात्पर्य है बिहार राज्य की सरकार ।

**36.** "अनुपात नियम" – पेंशन "अनुपात नियम" के अनुसार भारितव्य कहलाता है, जबकि भार कई लेखाओं में उस अनुपात में विकलनीय हो जिस अनुपात में सरकारी सेवक द्वारा समूचे योग्यता-प्रदायी सेवा-काल में लिए गए कुल वेतन का भुगतान उन लेखाओं से किया गया हो ।

**टिप्पणी 1** : इस नियम के प्रयोजनार्थ विशेष वेतन को वेतन में ही शामिल करना चाहिए ।

**टिप्पणी 2** : यदि अनुपात-नियम के अनुसार लेखे पर भारितव्य पेंशन का अंश एक रुपये से अधिक न हो, तो इस लेखे पर कोई भार न रखा जायेगा और वह अंश उस लेखे द्वारा वहन किया जाएगा जिस पर अधिकतम अंश भारितव्य हो ।

**37.** "विशेष वेतन" से तात्पर्य है किसी पद की या किसी सरकारी सेवक की उपलब्धियों में वेतन के ढंग का योग जो निम्न कारणों से किया जाये –

(क) कर्त्तव्यों का खास तौर से कठिन होना; अथवा

(ख) काम या उत्तरदायित्व में खास वृद्धि; अथवा

(ग) कार्य-सम्पादन के स्थान की अस्वास्थ्यकरता ।

**38.** "मौलिक वेतन" से तात्पर्य है विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या नियम 26 (क) (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा वेतन के रूप में वर्गित उपलब्धियों से भिन्न वेतन, जिसका कोई सरकारी सेवक, उस पद के कारण जिस पर वह मौलिक रूप से नियुक्त हुआ है या किसी संवर्ग में अपनी मौलिक स्थिति के कारण, हकदार है ।

**टिप्पणी** : यदि बिहार के सरकारी मुद्रणालयों का कोई उजरती कर्मचारी (पीस वर्कर) कालमान वाले किसी पद पर नियुक्त किया जाये, तो उसका "मौलिक वेतन" उसकी प्रतिघंटे वर्ग-दर के डेढ़ सौ गुने के बराबर समझा जायेगा ।

**39.** "उत्कृष्ट सेवा" से तात्पर्य है किसी प्रकार की सेवा जो निचली न हो ।

**40.** "अस्थायी पद" से तात्पर्य है वह पद जिसकी नियत वेतन दर हो और जो सीमित समय के लिए मंजूर हो।

**41.** "सावधिक पद" से तात्पर्य है वह स्थायी पद जो कोई सरकारी सेवक किसी सीमित कालावधि से अधिक धारण नहीं कर सकता। शंका होने पर राज्य सरकार निश्चय करेगी कि अमुक पद सावधिक है या नहीं।

## अध्याय–3

# पेंशन-प्रदान सम्बन्धी सामान्य उपबन्ध

### प्रकरण 1 : सामान्य

**42.** हरेक पेंशन, अध्याय 8 में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदत्त मानी जायेगी।

[1]**43. (क) भविष्य सदाचार,** हर पेंशन-प्रदान की मानी हुई शर्त है। राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस ले लेने का अधिकार होगा, यदि पेंशन-भोगी गंभीर अपराध के लिये दोषी ठहराया जाए या घोर कदाचार का दोषी हो। इस नियम के अधीन समूची पेंशन या उसका कोई अंश रोक रखने या वापस ले लेने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और निर्णायक होगा।

[1][ **(ख) राज्य सरकार को पेंशन** या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार है चाहे स्थायी रूप में या विशिष्ट अवधि के लिए। **यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक** हानि पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है;

परन्तु –

(क) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि उस समय न चलायी गई हो जबकि सरकारी सेवक निवृत्तिपूर्व या पुनर्नियुक्ति की अवधि में कर्त्तव्यस्थ था –

- (i) राज्य सरकार की मंजूरी के बिना न चलाई जायेगी;
- (ii) उस घटना के सम्बन्ध में चलायी जायेगी जो विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुआ;
- (iii) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्राधिकार द्वारा एवं निर्धारित स्थान पर ऐसी सभी विभागीय कार्यवाहियाँ, जिनमें सेवा के बर्खास्तगी का आदेश भी दिया जा सकता है, लागू होने वाली प्रक्रिया के अनुसार चलाई जाएगी।

(ख) ऐसी न्यायिक कार्यवाहियाँ यदि सरकारी सेवक पर निवृत्तिपूर्व या पुनर्नियुक्ति के अवधि में कर्त्तव्यस्थ रहने पर नहीं चलाई गई हो तो खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अनुसार चलाई जायेगी।

(ग) अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की जायेगी।

**स्पष्टीकरण :** इस नियम हेतु –

(क) विभागीय कार्यवाही उस समय चलाई गई समझी जायेगी जब पेंशनभोगी सेवक के विरुद्ध आरोपित आरोपों की प्रति उसे निर्गत कर दी गई हो या उसे पूर्व की तिथि से उस तिथि को निलम्बित कर दिया गया हो; और

(ख) न्यायिक कार्यवाही उस समय चलायी गई समझी जायेगी जब –

- (i) आपराधिक मामलों में उस तिथि को जब परिवाद पत्र दाखिल किया गया या आरोप पत्र फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया; और
- (ii) सिविल कार्यवाही में, उस तिथि को जब परिवाद प्रस्तुत किया गया या जैसा भी मामला हो, सिविल न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है।

---

1. शुद्धि पत्र संख्या 73, दिनांक 10-6-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

**1.**

***विषय : निलंबनाधीन सरकारी सेवक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर पहुँचने के फलस्वरूप वार्धक्य-निवृत्ति ।**

बिहार सेवा संहिता के नियम 73 (एफ) में अंतर्विष्ट प्रावधानों को देखें जिनके अनुसार कदाचार के आरोप पर निलंबित सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर तब तक सेवानिवृत्त होने को आवश्यक या अनुमत नहीं किया जायेगा जब तक आरोप संबंधी जाँच पूरी नहीं हो जाती और सक्षम प्राधिकारी अन्तिम आदेश नहीं पारित कर देता; फलस्वरूप सम्बद्ध सरकारी सेवकों को वार्धक्य-निवृत्ति की आयु के बाद भी सेवा-विस्तार देकर सेवा में तब तक बनाए रखना आवश्यक है जब तक उनके विरुद्ध आरोपों की जाँच पूरी नहीं हो जाती ।

2. इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उक्त नियम के लागू होने से सरकारी सेवकों के पेंशन दावों के निबटारे में बहुधा विलम्ब होता है और बिना समुचित औचित्य के लम्बी अवधि तक मौलिक अनुदान की अनावश्यक अदायगी भी करनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया सरकारी सेवकों को जाँच या कार्यवाहियों की समाप्ति पर यथासमय पूर्णत: दोषमुक्त हो जाने पर स्वत: सेवा विस्तार का लाभ भी प्रदान करती है ।

राज्य सरकार ने इस बात पर भली भाँति विचार कर अब निर्णय लिया है कि निलंबन पर रहने वाले सरकारी सेवक, उनके विरुद्ध आरोपों की जाँच या विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही पूरी हुई हो या नहीं के प्रश्न पर विचार किए बिना, वार्धक्य-निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायेंगे । यह भी निर्णय लिया गया है कि यह पुनरीक्षित प्रक्रिया 1ली नवम्बर, 1970 से प्रभावी होगी ।

3. सरकारी सेवक के विरुद्ध अब तक आरंभित अथवा भविष्य में आरंभ की जाने वाली जाँच या कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) में सन्निविष्ट प्रक्रिया के अनुसार सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद भी चला करेगी । पूर्वोक्त कंडिका 2 में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी सेवा से निवृत्ति के उपरान्त ऐसे सरकारी सेवकों को पेंशन अदायगी किस प्रकार की जाएगी, इस सम्बन्ध में अनुदेश अलग से निर्गत किए जायेंगे ।

4. पूर्वोक्त कंडिका 2 में उल्लिखित निर्णय के आलोक में आवश्यक शुद्धि पत्र निर्गत करके बिहार सेवा संहिता के नियम 73 (एफ) को विलुप्त करने की कार्रवाई की जा रही है । इस बीच उक्त नियम 1ली नवम्बर, 1970 के प्रभाव से अप्रवृत्त माना जाए । ***[ वित्त विभाग, ज्ञापांक 3/एफ 1-50/70-12753 वि०, दिनांक 26-11-1970 ।]**

**2.**

***विषय : उन सरकारी सेवकों की पेंशन-अदायगी जो निलंबन पर है या जिनके विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तिथि को पूरी नहीं हुई है ।**

सरकारी सेवक जो निलंबन पर हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को पूरी नहीं हुई हो, को पेंशन स्वीकृत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है ।

2. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि (1) जहाँ बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अधीन कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित की गई हो वहाँ सरकारी सेवक या जहाँ पदाधिकारी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो गया हो, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, या अन्यथा कुछ हो, उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से प्रारंभ करके उस तिथि तक जिस तिथि को वैसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर अंतिम आदेश पारित किया गया है, उस पेंशन का, जो उसे सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्हता प्रदायी सेवा के आधार पर अनुमान्य हुई होती, 75% औपबन्धिक पेंशन दी जायेगी, अथवा यदि वह सेवानिवृत्ति की तिथि को निलम्बन पर था तो निलंबित किए जाने की तिथि के तुरंत पूर्ववर्ती तिथि तक (की सेवा के आधार पर) लेकिन वैसी कार्यवाही की समाप्ति और तदुपरान्त अंतिम आदेश निर्गत किए जाने तक उसे कोई उपदान (ग्रैच्युटी) या मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान नहीं दिया जायेगा ।

(2) पूर्वोक्त प्रावधान के अधीन औपबन्धिक पेंशन की अदायगी उस पदाधिकारी को, उपर्युक्त कार्यवाही की समाप्ति पर, स्वीकृत अंतिम निवृत्ति लाभों के प्रति समायोजित की जायेगी, किंतु यदि अंतिम रूप से स्वीकृत

पेंशन औपबन्धिक पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दी गई हो या रोक रखी गई हो तो कोई वसूली नहीं की जायेगी ।

3. जहाँ कार्यवाहियों की समाप्ति पर अंतिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी वहाँ पूर्वोक्त प्रावधान के अधीन पेंशन की स्वीकृति का बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के प्रवर्त्तन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

4. ये आदेश 1ली नवम्बर, 1970 से प्रभावी होंगे सभी लम्बित मामले एतद्नुसार निबटाए जायेंगे । ***[ वित्त विभागीय ज्ञापांक पी०सी० 11-40-28/74/9144 वि०, दिनांक 22-8-1974 ।]**

**3.**

***विषय : सरकारी सेवक जो निलम्बन पर हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या जाँच अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को समाप्त नहीं हुई है, को पेंशन की अदायगी ।**

वित्त विभागीय पत्रांक पी०सी० 11-40-28/74-9144 एफ०, दिनांक 22-8-1974 जो यह उपबंधित करता है कि सरकारी सेवक को जो सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही संस्थित है या चल रही है, अनुमान्य पेंशन का 75% तक औपबन्धिक पेंशन दी जायेगी, में उपर्युक्त आदेशों के तहत औपबन्धिक पेंशन देना आज्ञापक है । किन्तु, कुछ प्रशासी प्राधिकारियों का यह विचार प्रतीत होता है कि वैसे मामलों में जिनमें सरकारी सेवक के विरुद्ध भारी दंड के लिए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई हो और जिनमें कार्यवाही की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के अधीन अन्ततः उसे कोई पेंशन देय नहीं होती हो, औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति भी नहीं दी जानी चाहिए। यह विचार उक्त नियमों के अर्थ और भाव के विपरीत है । अतएव सभी विभागाध्यक्षों, आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को नियमों की सही स्थिति तथा राज्य सरकार की मंशा से अवगत करा दें, ताकि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को 75% औपबन्धिक पेंशन की अदायगी से वंचित नहीं होना पड़े । ***[ वित्त विभाग ज्ञापांक पी०सी०-11-40-98/ 74-11260 वि०, दिनांक 31-10-1974 ।]**

## प्रकरण 2 : मामले, जिनमें दावे अनुमान्य नहीं हैं ।

**44.** राज्य सरकार नियम बना सकती है कि किस श्रेणी के सरकारी सेवकों की सेवा पेंशन प्रदायी नहीं है --

(1) डाक बंगला और जिला उद्यान स्थापना की सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है ।

(2) पटवारी या ग्राम-पदाधिकारी उपकरों (सेसों) एवं निधियों के उन्मूलन के पहले या बाद नियुक्त पटवारी की सेवा किसी ऐसे मामले में पेंशन-प्रदायी नहीं है जिसमें वह अनेक उन्मूलन के पहले पेंशन-प्रदायी नहीं थी ।

**45.** निम्न मामलों में पेंशन के दावे अनुमान्य नहीं हैं –

(क) जबकि सरकारी सेवक किसी सीमित काल के लिए या किसी खास काम के लिये नियुक्त किया जाये, जिसकी समाप्ति के बाद वह उन्मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ख) जबकि कोई व्यक्ति विशिष्ट काल-सीमा या कर्त्तव्य के बिना अस्थायी रूप से मासिक मंजूरी पर नियोजित किया जाये ।

(ग) जबकि सेवक पूरे समय के लिये लोक सेवा में न रखा जाये, बल्कि उसे केवल किये गये कार्य के लिये ही भुगतान किया जाये, जैसे सरकारी वकील और विधि-पदाधिकारी जो निजी व्यवसाय करने से वंचित नहीं होते ।

(घ) जबकि कोई सरकारी सेवक कोई अन्य पेंशनी पद धारण करता हो तब वह खंड (ग) में वर्णित पद के सम्बन्ध में या वैसे कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में जिनके लिये क्षतिपूरक भत्ता मिलता है, पेंशन उपार्जित नहीं करता ।

(ङ) जबकि कोई सरकारी सेवक ऐसे करार के अधीन काम करता हो जिसमें पेंशन सम्बन्धी अभिसंविदा न हो, जब तक कि राज्य सरकार उसे ऐसी सेवा को पेंशन के निमित्त गिनने के लिए खास तौर से प्राधिकृत न करे ।

**टिप्पणी :** करार की भाषा ऐसी होनी चाहिये कि अपने विवेक से समय-समय पर नियमों को रूपभेदित करने का राज्य सरकार का आहार्य अधिकार अक्षुण्ण रक्षित रहे, ताकि करार की तारीख को यथा वर्त्तमान नियमों के लाभों का कोई दावा न किया जा सके ।

## प्रकरण 3 : कदाचार, दिवाला या अदक्षता ।

**46.** जिन सरकारी सेवकों को कदाचार, दिवाला या अदक्षता के कारण बर्खास्त कर या हटा दिया गया हो, उन्हें पेंशन न दी जा सकेगी; किन्तु यदि वे विशेष विचार के पात्र हों, तो उन्हें अनुकंपा-भत्ता दिया जा सकता है, परन्तु ऐसे सरकारी सेवक को दिया गया भत्ता, उस पेंशन की दो-तिहाई से अधिक न होगा जो स्वास्थ्य-प्रमाण पत्र पर उसके निवृत्त होने पर उसे अनुमान्य होती । (यह नियम 18 जून, 1935 से लागू हुआ ।)

### दण्डस्वरूप अनिवार्य निवृत्ति

[1][ **46. क** : वैसे सरकारी सेवक जिन्हें दण्डस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति करा दिया गया है को, वैसे पदाधिकारी द्वारा, जो ऐसे दण्ड अधिरोपण के हेतु सक्षम हो, दो-तिहाई पेंशन स्वीकृत किया जा सकता है जो पूर्ण अशक्तता पेंशन और विशेष अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को देय हो, से अधिक नहीं होगा;

परन्तु नियम में वर्णित वैसे सरकारी सेवक जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व 25 साल या अधिक अर्हक सेवा किये हों, उसे अशक्तता पेंशन का दो-तिहाई से कम और पूर्ण निवृत्ति पेंशन और विशेष अतिरिक्त पेंशन, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार होता यदि वह उस तिथि को सेवानिवृत्त होता, से अधिक नहीं होगा ।

**टिप्पणी 1** : यह नियम वैसे सरकारी सेवकों पर भी लागू होता है जो नवीन पेंशन नियमावली, जिसे वित्त विभाग के संकल्प सं० पी०एफ० पी०ए०आर०-12/50'-12548 वि०, दिनांक 23-8-1950 तथा समय-समय यथासंशोधित के द्वारा निर्गत किया गया था ।

**टिप्पणी 2** : जब कोई सरकारी सेवक अनिवार्यत: सेवानिवृत्त कराया जाता है, लेकिन दण्डस्वरूप नहीं तो वैसे सेवक का मामला बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के साथ पठित बिहार पेंशन नियमावली के नियम 134 (ख) के अनुसार शासित होगा ।

## प्रकरण 4 : विधवाओं या उत्तराधिकारियों के दावे ।

**47.** यदि कोई सरकारी सेवक वस्तुत: निवृत्त या उन्मुक्त होने के पहले मर जाय, तो उसके उत्तराधिकारियों को उसकी पेंशन के सम्बन्ध में किसी बात का दावा न होगा ।

[ **समीक्षा** : विधवाओं या उत्तराधिकारियों के दावे हेतु परिशिष्ट 5 में दी गई "परिवार पेंशन एवं मृत्यु-सह-पेंशन उपदान हेतु उदार पेंशन नियमावली के सम्बन्धित उपबन्धों को देखें ।]

**48.** (क) चूंकि हर सरकारी सेवक का कर्त्तव्य है कि वह स्वयं अपने परिवार के भरण-पोषण का प्रबंध करें, इसलिये सरकार किसी विधवा के ऐसे दावे को, जो पति की सेवाओं पर आधारित हो, मान्यता नहीं देती । फलत: सरकार को इस नियम के विरुद्ध की गई सिफारिशों को प्राय: बराबर खेद के साथ अस्वीकृत करना पड़ता है ।

(ख) बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसी सिफारिशें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे ऐसी आशाएँ बंधती हैं जो पूरी नहीं की जा सकती ।

**टिप्पणी 1** : कुछ खास मामलों को छोड़कर जिनमें असाधारण अनुग्रह न्यायसंगत हो और जो बहुत कम होते हैं; मृत सरकारी सेवक के परिवार या परिवार के किसी व्यक्ति को पेंशन-प्रदान वैसे मामलों तक सीमित है जहाँ सरकारी सेवक अपने कर्त्तव्य के संपादन में मारा जाए या उसमें लगी चोट या हुई दुर्घटना के कारण मर जाए ।

**टिप्पणी 2** : विशेष विचार योग्य मामलों में, दयनीय स्थिति में पड़े सरकारी सेवकों के परिवारों को अनुकंपा-निधि में से, उस निधि से उपदान का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन, सहाय्य दिया जा सकता है (देखें परिशिष्ट 2) ।

## प्रकरण 5 : परिसीमन ।

**49.** (क) कोई सरकारी सेवक एक ही पद पर एक ही समय में या एक ही निरन्तर सेवा द्वारा दो पेंशनें उपार्जित नहीं कर सकता ।

(ख) दो सरकारी सेवक एक ही पद के सम्बन्ध में एक ही साथ सेवा की गणना नहीं कर सकते ।

---

1. ज्ञाप सं० सी०डी०आर० पेन 1034/64/9092 वि०, दिनांक 11-9-1965 द्वारा दिनांक 27-10-1957 से अन्त: स्थापित ।

## अध्याय–4

# पेंशन-प्रदायी सेवा

### प्रकरण 1 : सामान्य ।

### उप-प्रकरण ( 1 ) : पेंशन-प्रदायी सेवा का वर्गीकरण – उत्कृष्ट और निचली ।

**50.** पेंशन-प्रदायी सेवा निचली तथा उत्कृष्ट सेवाओं में विभाजित है ।

[1][ **50. क.** बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 4 में उन पदों की सूचियाँ हैं जिनका वर्गीकरण खास तौर से उत्कृष्ट तथा निचले पदों के रूप में किया गया है ।

**टिप्पणी** : राज्य सरकार किसी पद या पद-वर्ग को, वेतन का विचार किये बिना निचली से उत्कृष्ट कोटि में बदल सकती है ।

### आपवादिक मामले

**51.** यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे दो या अधिक पद धारण करता हो या किया हो जिनमें से हरेक पद [2][ 35 ] रु० से अधिक वेतन न होने के कारण निचला हो तो वह इस आधार पर कि उसका सम्पूर्ण वेतन[2] [ 35 ] रु० से अधिक है, अपनी सेवा की गणना उत्कृष्ट सेवा के रूप में नहीं कर सकता, जब तक कि इस अभिप्राय से वे पद व्यवस्थित और उनके वेतन निर्धारित न किये गये हों कि उन पदों को एक ही व्यक्ति धारण करेगा ।

**52.** (क) जब [2][ 35 ] रु० से अधिक वेतन पानेवाले किसी सरकारी सेवक के, जिसका पदनाम निचला हो, निरमित कर्त्तव्य वस्तुतः वैसे ही हो, जैसे कि साधारणतः उत्कृष्ट सरकारी सेवक के, तब उनका पेंशन का दावा खास तौर से राज्य सरकार के पास भेजा जाना चाहिए ।

**टिप्पणी** : इस नियम का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई निचला सरकारी सेवक, उत्कृष्ट कार्य में स्वेच्छा से दिये गये अपने सहयोग के आधार पर अपनी सेवा की गिनती उत्कृष्ट के रूप में करें । इसमें ऐसे व्यक्ति के विषय में उपलब्ध है, जो उचित प्राधिकार के अधीन उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नियोजित हो, यद्यपि उसका पदनाम निचला हो ।

(ख) इसी तरह, ऐसा सरकारी सेवक जिसके वास्तविक कर्त्तव्य निचले सरकारी सेवक के से हों, यद्यपि वेतन [2][ 35 ] रु० से अधिक हो, केवल इस आधार पर उत्कृष्ट मान में पेंशन का हक नहीं है कि यह उत्कृष्ट पदनाम से वेतन पाता है ।

**53.** सेना में प्राइवेट के रूप में या किसी उच्चतर लड़ाकू-पंक्ति में की गई सेवा, जो 87 और 88 नियमों के अधीन असैनिक-पेंशन के लिए गिनी जाती हो, उत्कृष्ट सेवा मानी जायेगी, यदि उसके बाद असैनिक नियमों के अधीन पेंशनी पद पर उत्कृष्ट सेवा की गई हो दूसरे मामलों में, सैनिक सेवा, जिस पद पर सेवा की गई हो, उसके स्वरूप और असैनिक नियमों के अधीन पेंशनी पद के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती नियमों में विहित कसौटी के अनुसार उत्कृष्ट या निचली समझी जायेगी । संदिग्ध मामले राज्य सरकार के पास आदेश के लिए भेजे जाने चाहिये ।

**टिप्पणी** : इस नियम के आरम्भिक वाक्य में बतायी सीमित मात्रा तक छोड़, असैनिक पेंशन के लिए गिनी जा सकने वाली सैनिक सेवा का वर्गीकरण अनुवर्ती असैनिक नियोजन पर नहीं, बल्कि सैनिक-पद, जिस पर सेवा की गई थी, के स्वरूप पर निर्भर करता है । इसलिए असैनिक नियोजन के पहले की गई सैनिक सेवा का वर्गीकरण, उत्कृष्ट या निचली सेवा के रूप में, इस दृष्टिकोण से किया जायगा कि यदि असैनिक नियमों के अधीन इसी प्रकार के पेंशन पद पर सेवा की गई होती, तो वह उत्कृष्ट होती या निचली ।

असैनिक पेंशन के लिए गिनी जानेवाली सैनिक सेवा के "उत्कृष्ट" या "निचली" रूप में वर्गीकरण के निम्न सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए –

(क) सिपाही के रूप में सेवा अथवा किसी समान या उच्चतर लड़ाकू-पंक्ति में की गई सेवा 'उत्कृष्ट' समझी जानी चाहिए और अनुगामी के रूप में की गयी सेवा 'निचली' चाहे ऐसी सेवा के बाद 'उत्कृष्ट' असैनिक सेवा की गई हो या "निचली" असैनिक सेवा;

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन किसी पद पर किसी दूसरी हैसियत से की गई सेवा, समान कर्त्तव्यों वाले किसी असैनिक पद के वर्गीकरण के अनुसार, "उत्कृष्ट" या "निचली" समझी जानी चाहिए;

---

1. शुद्धि पत्र संख्या 2, दिनांक 7-2-1951 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. अब 425 रुपये ।

### उप-प्रकरण ( 2 ) : अंशतः निचली और अंशतः उत्कृष्ट सेवा

**54.** सरकारी सेवक, जिसकी सेवा कुछ समय के लिए निचली और कुछ समय के लिए उत्कृष्ट रही हो, चाहे तो –

(क) निचले मान पर पेंशन अथवा उपदान के लिए, समूची सेवा को निचली सेवा के रूप में या,

(ख) उत्कृष्ट मान पर उपदान के लिए उत्कृष्ट अंश को और निचले मान पर उपदान के लिए निचले अंश को गिन सकता है ।

(क) के अधीन पेंशन या उपदान की गणना वेतन ( चाहे उत्कृष्ट सेवा में या निचली में ) के आधार पर, जिसे सरकारी सेवक ने अपनी निवृत्ति के ठीक पहले प्राप्त किया हो, की जायगी ।

(ख) के अधीन उत्कृष्ट मान पर पेंशन या उपदान की गणना, क्रमशः औसत उपलब्धि या उपलब्धियों के आधार पर, जिन्हें सरकारी सेवक ने अपनी अन्तिम उत्कृष्ट सेवा में प्राप्त की हो, की जायगी और निचले मान पर पेंशन या उपदान की गणना, वेतन के आधार पर, जिसे उसने अँतिम निचली सेवा में प्राप्त किया हो, की जायगी;

परन्तु खण्ड (क) के अधीन स्वीकृत निचले मान पर पेंशन या उपदान अथवा खण्ड (ख) के अधीन स्वीकृत उत्कृष्ट मान पर पेंशन या उपदान तथा निचली मान पर उपदान उस राशि से अधिक न होगा जो, यदि कुल सेवा उत्कृष्ट रहती तो, अनुमान्य होती ।

[1] [ यदि सरकारी सेवक कदाचार के कारण उत्कृष्ट श्रेणी से निचली में विच्युत कर दिया गया हो, तो वह राज्य सरकार की विशेष अनुमति के बिना इस नियम के (क) और (ख) खण्ड में अनुमान्य नामों में से बड़ा लाभ नहीं पा सकता ।]

**टिप्पणी** : जब किसी नियुक्ति की पेंशनी स्थिति 'निचली' से 'उत्कृष्ट' में परिवर्तित कर दी जाए, तब यह समझना चाहिए कि ऐसे परिवर्त्तन का प्रभाव भूतलक्षी होगा जबतक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष आदेश न हो ।

**55.** सराहनीय सेवा के पुरस्कार स्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति निचली कोटि से उत्कृष्ट कोटि में कर दी जाय, तो उसके दावे के सम्बन्ध में राज्य सरकार विशेष रूप से विचार करेगी इस नियम का निर्वचन कड़ाई के साथ किया जायगा और इसके अधीन दावा सामान्य क्रम के बाहर हुए असाधारण प्रोन्नति पर ही आधारित होगा ।

[ **समीक्षा** : नियम 50 से 55 अब अप्रासंगिक हो गये हैं ।]

### उप-प्रकरण ( 3 ) : सेवा का आरंभ ।

### पेंशन-प्रदायी सेवा ।

**56.** जब तक विशेष नियम या संविदा द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो, हरेक सरकारी सेवक की सेवा, जिस पद पर वह प्रथम नियुक्त हो, उसके प्रभार-ग्रहण की तारीख से पेंशन प्रदायी होगी ।

**57.** निचली सेवा में नियोजित सरकारी सेवक के मामले में, पेंशन-प्रदायी सेवा तब तक आरंभ न होगी जब तक कि सम्बद्ध सरकारी सेवक 16 वर्ष (की उम्र) का न हो जाए ।

[ **टिप्पणी** : परिशिष्ट 5 में उदार पेंशन नियमावली के नियम 5 देखें जिसमें इस नियम में वर्णित 16 साल के न्यूनतम उम्र को 18 साल तक बढ़ाया गया है ।]

## प्रकरण 2 : पेंशन-प्रदायी सेवा की शर्तें ।

### उप-प्रकरण ( 1 ) : सामान्य ।

**58. सरकारी सेवक की सेवा तबतक पेंशन**-प्रदायी नहीं होती, जबतक कि वह निम्न तीन शर्तें पूरी नहीं करती –

पहली – सेवा सरकार के अधीन हो ।

दूसरी – नियोजन मौलिक और स्थायी अवश्य हो ।

तीसरी – सेवा के लिये सरकार भुगतान करती हो ।

इन तीनों शर्तों का पूर्ण स्पष्टीकरण अनुवर्ती उप-प्रकरणों में किया गया है ।

---

1. शुद्धि पत्र संख्या 48, दिनांक 13-11-1957 ।

**59.** आम राजस्व से भुगतान पाने वाली सेवा के मामले में, यद्यपि (1) और (2) शर्तों में से कोई या दोनों पूरी न हों, तो भी राज्य सरकार –

(1) घोषणा कर सकती है कि अराजपत्रित हैसियत से की गई कोई विशिष्ट प्रकार की सेवा पेंशन-प्रदायी होगी;

(2) खास मामलों में, और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें हर मामले में वह लगाना उचित समझे, निदेश दे सकती है कि सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा पेंशन-प्रदायी होगी।

[ समीक्षा : अस्थायी सेवा की गिनती अर्हक सेवा के रूप में करना है ।]

*राज्य सरकार का निर्णय –*

***विषय : असंपुष्ट सरकारी सेवक की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा घोषित करना ।**

विद्यमान पेंशन नियमावली के तहत अस्थायी सरकारी सेवक, यदि वह किसी पद पर संपुष्ट नहीं हुआ हो, तबतक पेंशन का हकदार नहीं होगा जबतक बिहार पेंशन नियमावली के नियम 59 के अधीन उसकी सेवा पेंशन प्रदायी नहीं घोषित कर दी जाए।

2. अस्थायी सरकारी सेवकों की एक बहुत बड़ी संख्या उन विभिन्न योजनाओं में नियुक्त है जो पिछले 15-20 वर्षों से चल रही हैं, और यदि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी तो उन्हें कठिनाई होगी।

3.अत:भली-भाँति सोच विचार के उपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि अस्थायी या स्थानापन्न सरकारी सेवक, जो किसी पद पर संपुष्ट नहीं है, की सेवा निरंतर है और 15 वर्षों से अधिक है तो वह सेवा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 59 के अधीन पेंशन प्रदायी मानी जायेगी।

4. ये आदेश 12 अगस्त, 1969 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों पर प्रभावी होंगे।

***[ ज्ञापांक पेंशन 1024/69/11779 वि०,दिनांक 12-8-1969 ।]**

**उप-प्रकरण ( 2 ) : पहली शर्त – सरकार के अधीन सेवा ।**

**60.** सरकारी सेवक की सेवा तब तक पेंशन-प्रदायी नहीं होती, जब तक वह नियुक्त नहीं हो जाता और उसके कर्त्तव्य और वेतन सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन विनियमित नहीं होते। इस नियम के कारण, उदाहरणार्थ, निम्न सरकारी सेवक पेंशन नहीं पा सकते –

(1) नगरपालिका-कर्मचारी,

(2) सहाय्य-अनुदान पाने वाले स्कूलों और संस्थाओं के कर्मचारी-वृन्द,

(3) राज्यपाल के गृह-भत्ते या उनके नियत स्थापना-भत्ते से भुगतान पाने वाली स्थापना में सेवा।

**टिप्पणी 1 :** यदि किसी सरकारी सेवक ने अंशत: (ऐसी हैसियत में जिससे पेंशन के लिए उसका दावा हो जाता यदि उस सेवा के लिए आम राजस्व से भुगतान होता) राज्यपाल की गृह-स्थापना में और अंशत: आम राजस्व से भुगतान पाने वाली स्थापना में सेवा की हो, तो वह उस पेंशन का जिसका वह हकदार होता यदि उसकी समूची सेवा के लिए आम राजस्व से भुगतान हुआ होता, उतना अंश आमराजस्व से पाने का हकदार है, जितना आम राजस्व से भुगतान सेवाकाल का अनुपाती हो।

**उदाहरण :** 'क' नामक एक संदेशवाहक ने 8 रुपया प्रतिमास के वेतन पर कुल 32वर्षों तक सेवा की है, जिसमें से उसने 16 वर्ष राज्यपाल की गृह-स्थापना में सेवा की है। यदि 'क' की समूची सेवा के लिये आम राजस्व से भुगतान किया गया होता तो वह अधिक-से-अधिक 4 रुपये प्रतिमास पेंशन का हकदार होता। उसे आम राजस्व से अधिकतम 2 रुपया प्रतिमास पेंशन मिलेगी।

**टिप्पणी 2 :** पोद्धारों को बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता में उनके वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार निचले मान पर पेंशन मिलती है।

**उप-प्रकरण ( 3 ) : दूसरी शर्त – मौलिक और स्थायी नियोजन ।**

**(i) सामान्य**

**61.** सेवा पेंशन-प्रदायी तबतक नहीं होती जबतक कि सरकारी सेवक स्थायी स्थापना का कोई पद मौलिक रूप से धारण नहीं करता।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

***विषय : पेंशन के लिए अस्थायी सेवा की गणना ।**

अब यह निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित को छोड़कर राज्य सरकार के अधीन अस्थायी या स्थानापन्न सेवा, जिसकी परिणति (सेवक को) उसी पद या किसी अन्य पद पर स्थायी करती हो, पूरी-की-पूरी पेंशन के लिए गणित की जायेगी –

(1) गैर-पेंशन प्रदायी प्रतिष्ठान में अस्थायी सेवा की अवधि, और

(2) आकस्मिकताओं से संदत्त सेवा की अवधि ।

पेंशन के लिए पूरी-की-पूरी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा की गणना करने की रियायत उन सरकारी सेवकों को उपलभ्य होगी जो प्राचीन पेंशन नियमावली या उदारीकृत पेंशन नियमावली से शासित होते हैं ।

***[ अधिसूचना संख्या 12928 वि०, दिनांक 4-9-1962 । यह 1-8-1962 से प्रभावी है ।]**

**62.** जिस स्थापना के कर्त्तव्य निरन्तर नहीं हो, बल्कि प्रतिवर्ष किसी नियत कालावधि तक सीमित हो, वह अस्थायी स्थापना नहीं है । ऐसी स्थापना में की गयी सेवा, जिसमें वह कालावधि भी सम्मिलित है जबकि कर्मचारी-वर्ग नियोजित नहीं रहता, पेंशन-प्रदायी है; किन्तु उस कालावधि को, जबकि कर्मचारी-वर्ग नियोजित नहीं रहता, पेंशन-प्रदायी है; किन्तु उस कालावधि को, जबकि कर्मचारी-वर्ग नियोजित नहीं रहता, सेवा के रूप में गिनने की रियायत उस सरकारी सेवक पर लागू नहीं होती, जो काम पूरा हो जाने के बाद जब कर्मचारी वर्ग को उन्मुक्त किया गया था, वास्तविक कर्त्तव्य पर नहीं था और न उस सरकारी सेवक पर लागू होती है, जो कर्मचारीवर्ग के पुनर्नियोजन के प्रथम दिन वास्तविक कर्त्तव्य पर नहीं था ।

**63.** अस्थायी से स्थायी पद पर बदला गया सरकारी सेवक अस्थायी पद पर की गयी सेवा को गिन सकता है, यदि पहले प्रयोगात्मक या अस्थायी रूप से सृजित होने पर भी वह पद बाद में स्थायी हो जाए ।

**टिप्पणी** : इस नियम से यह ध्वनित होता है कि जब किसी संवर्ग से असम्बद्ध कोई पृथक पद जो पहले अस्थायी या प्रयोगात्मक रूप से मंजूर हुआ हो, बाद में स्थायी कर दिया जाये, तब उस पद पर सरकारी सेवक या सेवकों की समूची अस्थायी सेवा पेंशन के लिए गिनी जायेगी । बशर्ते कि ऐसा सरकारी सेवक या सेवकगण बाद में मौलिक रूप से स्थायी पद पर नियुक्त कर लिये जायें । यह रियायत केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमान्य है जो स्थायी पद पर गहन रखे बिना, मौलिक या स्थानापन्न रूप से अस्थायी सेवा करते हों और उस सरकारी सेवक के लिए भी अनुमान्य है जो अस्थायी पद को, उस (पद) के स्थायी बना दिये जाने पर, धारण नहीं करता ।

किसी खास वर्ग के मामलों में इस नियम को अक्षरश: लागू करने से जो असंगति उत्पन्न हो सकती है, उसे दूर करने के लिए ऐसे मामलों में इस नियम को लागू करने में निम्न सिद्धान्त का पालन करना चाहिये –

(1) एक ही तरह के पदों के स्थायी संवर्ग को अनुपूरित करने वाले और समान कर्त्तव्य वाले अस्थायी पद के धारी के बारे में यह मानना चाहिये कि उसने अस्थायी पद पर सेवा की है यद्यपि वह वस्तुत: ऐसे काम पर नियोजित था जो उचित रूप से उस संवर्ग में स्थायी पद से सम्बन्धित था ।

(2) ऊपर (1) यथा उल्लिखित स्थायी संवर्ग को अनुपूरित करने वाले अनेक अस्थायी पदों में से कुछ पद जब स्थायी बना दिये जायें और इन पदों पर स्थायी प्रोन्नति वरीयता के अनुसार या चुनाव से की जाये, तो वस्तुत: इस प्रकार प्रोन्नत सरकारी सेवक उन अस्थायी पदों के धारी समझे जाएँ जो स्थायी कर दिये गये हैं और वे उन पदों पर की गई अपनी अस्थायी सेवा को पेंशन के लिये गिन सकते हैं ।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

**1.**

***विषय : भारत सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक दायित्व का आवंटन ।**

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय ज्ञापांक पेंशन 1018/64-970 वि०, दिनांक 24 सितम्बर, 1965 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिए हैं –

2. इस राज्य को प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले अस्थायी केन्द्रीय सरकारी सेवकों को, राज्य सरकार के अधीन अंतर्लीन कर लिए जाने पर, राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमान्य पेंशन-लाभों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन निरंतर अस्थायी सेवा की अवधि की गणना करने की अनुमति दी जायेगी। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच पेंशन विषयक दायित्व का बँटवारा प्रत्येक सरकार के अधीन की गई अर्हता प्रदायी सेवा की अवधि के आधार पर किया जायेगा । यह लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो स्वेच्छा से विज्ञापनों या परिपत्रों, जिनमें बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन और परिपत्र भी सम्मिलित हैं, के अनुपालन में राज्य में नौकरी प्राप्त करेंगे ।

3. भारत सरकार ने राज्य सरकार के उन अस्थायी कर्मचारियों को भी पारस्परिक आधार पर समान लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है जो केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं और अंततोगत्वा उसमें अन्तर्लिप्त हो जाते हैं ।

4. सभी लम्बित मामले एवं एतद्पश्चात् उद्भूत मामले एतद्नुसार निष्पादित किए जा सकेंगे । ***[ ज्ञापांक पेंशन–1055/68/1341 वि०, दिनांक 21-1-1969 ।]**

**2.**

***विषय : भारत सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक् दायित्व का आवंटन ।**

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग में ज्ञापांक पेंशन – 1055/68/1341 एफ०, दिनांक 21 जनवरी, 1969 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उसकी कंडिका 2 के प्रावधान के अनुसार राज्य के पास प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के अस्थायी सेवकों को राज्य सरकार के अधीन अंतर्लीन हो जाने पर राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमान्य पेंशन विषयक लाभों के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार के अधीन निरंतर अस्थायी सेवा की अवधि की गणना करने की अनुमति प्रदान की जायेगी । यह लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो स्वेच्छा से राज्य सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त कर लेंगे; इसलिए सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवा को राज्य सरकार के अधीन सेवा में विलय के समय इस आशय की स्पष्ट प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी सेवक के सेवा-पत्रक/सेवा-पुस्तिका में अनिवार्यत: करनी होगी कि राज्य सरकार के अधीन सेवा में विलय लोकहित में है या नहीं और राज्य सरकार के अधीन सेवा में विलय के पूर्व की उनकी केन्द्र सरकार के अधीन निरंतर सेवा पेंशन प्रदायी है या नहीं, ताकि सेवानिवृत्ति के समय ऐसी सूचना के अभाव में उसकी पेंशन के अंतिम निबटारे में विलम्ब न हो ।

***[ ज्ञापांक पेंशन 1025/69/5-87 वि०, दिनांक 6-8-1969 ।]**

**3.**

**सं० 3 ( 2 ) पेंशन ( ए )/79**

**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग )**

**नई दिल्ली, 31 मार्च, 1982**

**सेवा में,**

**सभी राज्य सरकारों के सचिव,**

**वित्त विभाग ।**

**( जम्मू-कश्मीर तथा नागालैंड सरकारों को छोड़कर )**

**विषय : भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में पेंशन विषयक दायित्व का आवंटन ।**

निदेशानुसार मुझे कहना है कि भारत सरकार, राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके, उन अस्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन विषयक आनुपातिक दायित्व का पारस्परिक आधार पर अंशप्राप्ति के सम्बन्ध में विचार करती रही है जो स्वेच्छा से विज्ञापनों या परिपत्रों, जिनमें राज्य/संघ लोक सेवा आयोगों के विज्ञापन और परिपत्र भी हैं, के अनुपालन में विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त करने के पूर्व केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी सेवा करते रहे थे और जो अन्ततोगत्वा अपने नये पदों पर सम्पुष्ट कर

लिए गए। राज्य सरकारों के परामर्श से अब निर्णय लिया गया है कि चूंकि सम्बन्धित सरकार के नियमों के अधीन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन की गई अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में वैसी सेवावधि के लिए पेंशन विषयक आनुपातिक दायित्व का आवंटन सम्बद्ध सरकारों का बनता है जहाँ कर्मचारी पेंशन प्रदायी अर्हता प्राप्त किया होता, इसलिए कर्मचारी के लिए उस सरकार द्वारा पेंशन की स्वीकृति प्रदान करने में, जहाँ से वह अन्तत: सेवानिवृत्त होगा, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन की गई अर्हता प्रदायी सेवा की गणना पेंशन के लिए की जायेगी। तथापि, सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के लिए लिया गया उपदान (ग्रैच्युटी) सम्बन्धित सरकार को लौटा देना होगा।

2. उपर्युक्त निर्णय की शर्तों के तहत संयुक्त सेवा के लाभ का दावा करने वाले सरकारी सेवक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आयेंगे –

(1) जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा से छंटनीग्रस्त होकर स्वेच्छा से राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त किया है। छंटनी की तिथि और नया नियोजन की तिथि के बीच व्यवधान-सहित या व्यवधान रहित।

(2) जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अस्थायी पद धारण करते हुए उचित माध्यम से/सम्बद्ध प्रशासी प्राधिकारी की समुचित अनुमति से राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन पद के लिए आवेदन किया है;

(3) जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अस्थायी पद धारण करते हुए बिना सम्बद्ध प्रशासी प्राधिकारी की अनुमति के राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन पद के लिए सीधे आवेदन किया है और राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन नया नियोजन पर योगदान करने के लिए अपना पूर्ववर्ती पद त्याग दिया है।

ऊपर की श्रेणी (1) और (2) के सरकारी सेवकों को लाभ दिया जा सकेगा। जहाँ श्रेणी (2) के कर्मचारी के लिए प्रशासी कारणवश तकनीकी अपेक्षा के समाधानार्थ नया नियोजन पर योगदान करने से पहले उसके द्वारा धारित अस्थायी पद का त्याग कर देना आवश्यक होगा वहाँ उसके पदत्याग को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी इस आशय का प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे कि प्रशासनिक कारणवश और/या तकनीकी अपेक्षा से समाधानार्थ नया पद पर योगदान करने के लिए त्यागपत्र दिया गया है। कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में उचित अभिप्रमाणन सहित उस प्रमाणपत्र का एक अभिलेख भी रखा जा सकेगा, ताकि सेवानिवृत्ति के समय उसे इसका लाभ देने में वह सहायक हो। स्पष्ट है श्रेणी (3) के सरकारी सेवक पेंशन के लिए अपनी पूर्ववर्ती सेवा की गणना करने के हकदार नहीं होंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था भारत सरकार के कर्मचारियों, जम्मू-काश्मीर और नागालैंड को लागू नहीं होगी।

4. ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे और उस तिथि को तथा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सभी सरकारी सेवकों के मामले तद्नुसार विनियमित किये जायेंगे।

5. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श से निर्गत किये गए हैं।]

**64.** मौलिक नियुक्ति रहित सरकारी सेवक जो किसी ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा हो जो रिक्त हो या जिसका स्थायी धारी वेतन का कोई अंश न पाता हो या सेवा न गिनता हो, यदि अपनी सेवा में भंग के बिना संपुष्ट हो जाए तो, अपनी स्थानापन्न सेवा पेंशन के लिए गिन सकता है।

### (ii) शिशिक्षु और परीक्ष्यमाण।

**65.** शिशिक्षु के रूप में सेवा पेंशन-प्रदायी नहीं है।

**66.** जो परीक्ष्यमाण स्थायी पद धारण करता हो और मौलिक वेतन पाता हो, उसकी सेवा पेंशन-प्रदायी है। इसी तरह उस सरकारी सेवक की सेवा भी पेंशन-प्रदायी है जो किसी स्थायी पद पर परीक्ष्यमाण हों, यदि वह परीक्षण-काल तक अपने लिये रक्षित किसी रिक्त पद पर जिस पर कोई अन्य सरकारी सेवक साथ ही अपनी सेवा की गिनती न करता हो, नियोजित हो।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

***विषय : परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा की पेंशन हेतु गणना।**

परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा या सरकारी सेवक जो परिवीक्षा पर हो पूरी सेवा की गिनती पेंशन हेतु की

जायेगी यदि वह स्थायी पद पर संपुष्ट हो जाता है । *[ वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पेन–103/63/29 वि०, दिनांक 14-1-1964 ।]

**67.** पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी सुपरिनटेंडेंट) द्वारा परीक्ष्यमाण रूप से बिताई अवधि पेंशन सेवा के रूप में गिनी जायेगी ।

**68.** उप-समाहर्त्ता (डिप्टी कलक्टर) और अवर-उप-समाहर्त्ता (सब-डिप्टी कलक्टर) अपनी कुल परीक्ष्यमाण अस्थायी, स्थानापन्न और मौलिक औपबंधिक अस्थायी (सब-प्रोटेम) सेवा की गिनती पेंशन के लिये कर सकते हैं ।

### (iii) अस्थायी पद पर काम करने के लिये स्थायी सरकारी सेवक का नियोजन ।

**69.** यदि स्थायी स्थापना का सरकारी सेवक अस्थायी पद पर काम करने के लिये इस शर्त्त पर नियोजित हो कि अस्थायी काम समाप्त हो जाने पर वह स्थायी स्थापना में लौट आयेगा, तो उसकी नियोजित सेवा पेंशन के लिये गिनी जायेगी ।

**टिप्पणी :** इस नियम द्वारा पेंशन-प्रदायी सेवा की दूसरी शर्त्त का अस्थायी निलंबन अनुमत है; यह (नियम 58 का) पहली शर्त्त या तीसरी शर्त्त का शैथिल्य प्राधिकृत नहीं करता और खासकर यह कभी न समझना चाहिये कि यह बाह्य-सेवा युक्त सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले नियमों में कोई परिवर्त्तन लाता है ।

**70.** जब कोई अस्थायी पद प्रथमत: या खण्डश: कम-से-कम तीन वर्ष के लिये सृजित किया जाए और उस पद को स्थायी स्थापना का कोई सरकारी सेवक धारण करे, तब राज्य सरकार, यदि न्यायोचित समझे तो किसी भी समय घोषित कर सकती है कि अस्थायी पद से संबद्ध सेवा और उपलब्धियों की गिनती पेंशन के लिए की जाएगी ।

[1][ **टिप्पणी 1 :** स्थायी स्थापना के सरकारी सेवक द्वारा धारित अस्थायी पद से सम्बद्ध छुट्टी की अवधि की उपलब्धियाँ पेंशन के लिए गिनी जाएँगी, यदि स्थायी स्थापना का सरकारी सेवक मौलिक रूप से अस्थायी पद धारण करता हो, और उसके पक्ष में नियम 70 के अधीन राज्य सरकार ने घोषणा की हो ।]

**टिप्पणी : 2** यदि स्थायी स्थापना का कोई सरकारी सेवक कोई ऐसा पद धारण करता हो, जिसे बाद में स्थायी कर दिया जाए, तो उसकी अस्थायी पद की उपलब्धियाँ पेंशन के लिए गिनी जायेंगी, बशर्त्ते कि सरकार नियम 70 के अधीन उसके पक्ष में इस आशय की घोषणा कर दे ।]

### (iv) विशेष कर्त्तव्य से प्रतिनियुक्ति और स्थायी पद का तोड़ा जाना ।

**71.** यदि मौलिक रूप से सरकारी सेवक द्वारा धारित किसी स्थायी पद को नियम 108 के अर्थ में तोड़ दिया जाये, किन्तु यदि सरकारी सेवक उस समय विशेष कर्त्तव्य पर हो या अपने पद के तोड़े जाने के बाद विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाए, तो विशेष कर्त्तव्य पर की उसकी सेवा पेंशन-प्रदायी होगी, किन्तु कर्त्तव्य विशेष अवश्य हो; केवल स्थायी नियोजन के क्रम में उस समय रिक्त किसी अस्थायी पद पर नियोजन ही से पेंशन का हक न होगा ।

### (v) उजरती काम ।

**72.** कोई प्रेस कर्मचारी, जो अपने उजरती काम के लिये भुगतान पाता हो, स्थायी-पद का धारी समझा जायेगा, यदि –

(1) वह आकस्मिक रूप से नहीं, बल्कि नियत स्थापना के सदस्य के रूप में नियोजित हो; और

(2) वह अपने वास्तविक नियोजन के पिछले 72 महीनों की कालावधि में एक पद से 24 महीनों तक अविच्छिन्न रूप में संलग्न रहा हो या इस प्रकार संलग्न न रखे जाने का कारण उसकी अपनी इच्छा या कदाचार न हो ।

### (vi) परिमाप और बन्दोबस्त ।

**73.** परिमाप और बन्दोबस्त-विभाग में सेवा की गिनती तबतक की जायेगी, जबतक इसके बाद बिना विच्छेद के पेंशन-प्रदायी सेवा जारी न रही हो ।

1. वित्त विभाग अधिसूचना सं० सी०डी०आर०–506/51–666 एफ०आर०, दिनांक 7 अगस्त, 1959; शुद्धि-पत्र सं० 70, दिनांक 27 मई, 1950 ।

**टिप्पणी :** उप-समाहर्त्ता और इसी प्रकार के अन्य राजपत्रित सरकारी सेवक, जब अस्थायी काम के लिये खास तौर से नियोजित न हों, इस नियम से प्रभावित न होंगे, क्योंकि तत्काल जिस विभाग विशेष से वे संलग्न रहते हैं, उस पर विचार न कर स्वतंत्र रूप से उनकी सेवा की गिनती की जाती है ।

*भारत सरकार का निर्णय –*

**1.**

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के अन्तर्गत सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कर्मचारियों की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी घोषित करने के सम्बन्ध में ।**

सर्वे एण्ड सेट्लमेंट के कर्मचारी 15 वर्षों से अधिक सेवा करने के पश्चात् अस्थायी रूप में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, परन्तु बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के वर्त्तमान उपबन्धों के अनुसार उन्हें पेंशन ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं मिलती है । फलस्वरूप जीवन के अन्तिम अवधि में कर्मचारियों को काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सर्वे एण्ड सेट्लमेंट के जो अस्थायी कर्मचारी 15 वर्षों से अधिक सेवा की अवधि के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन 1024/69-11779 वि०, दिनांक 12-8-1969 के अनुसार पेंशन/ग्रेच्यूटी के हकदार होंगे बशर्त्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों –

(i) उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पद पर हुई है और सेवा नियमित एवं लगातार हो ।

(ii) सेवानिवृत्ति के समय तक उनके वेतन का भुगतान नियमित स्थापना वेतन विपत्र के द्वारा किया गया हो ।

उनकी सेवा आकस्मिक एवं मौसमी (Casual and seasonal) नहीं हो ।

3. यह आदेश 1-1-1973 से प्रभावकारी होगा । सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कार्यालय के जो अस्थायी कर्मचारी 1-1-1973 या उसके बाद की तिथि को 15 वर्ष से अधिक अवधि को लगातार एवं नियमित सेवा करने के उपरान्त निवृत्त हैं या होंगे उन्हें उपरोक्त सुविधा प्राप्त होगी ।

4. सम्बन्धित नियम का संशोधन बाद में किया जायेगा । ***[ ज्ञाप संख्या P.C. 11-46/74-401 वि०, दिनांक 13-1-1975 ।]**

**2.**

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 73 के अन्तर्गत सर्वे एण्ड सेट्लमेंट कर्मचारियों की अस्थायी सेवा को पेंशन प्रदायी घोषित करने के सम्बन्ध में – पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता ।**

वित्त विभाग की परिपत्र संख्या पी०सी० 11-46-74.401 वि०, दिनांक 13-1-1975 के द्वारा सर्वे के कर्मचारियों की अस्थायी सेवा तिथि 1-1-1973 से पेंशन प्रदायी घोषित की गयी है । अब एक प्रश्न यह उठाया है कि इस कोटि के कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन देय होगा या नहीं ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सर्वे एण्ड सेटेलमेंट के अस्थायी कर्मचारी जो नियमित सेवा में है, उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को अन्य अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की भाँति नियमानुसार पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्यूटी आदि की सुविधा उपलब्ध होगी । यह आदेश 1-1-1973 से लागू होगा । **[ *ज्ञाप संख्या P.C.–11-46-75-13238 वि०, दिनांक 27-10-1978 ]**

**उप-प्रकरण ( 4 ) – तीसरी शर्त्त – सेवा, जिसके लिये सरकार भुगतान करती हो**

**(i) पारिश्रमिक के स्रोत ।**

**74.** उप-प्रकरण 2 और 3 में विहित शर्त्तें पूरी करने [redacted] स्रोत पर निर्भर करता है जिससे उसके लिये भुगतान किया जाता है । इस नियम के प्रसंग में, सेवा निम्न वर्गों में विभाजित है :–

(क) जिसके लिये आम राजस्व से भुगतान किया जाये ।

(ख) जिसके लिये स्थानीय निधि से भुगतान किया जाये ।

(ग) जिसके लिये उस निधि से भुगतान किया जाये जिसकी न्यासी सरकार हो ।

(घ) जिसके लिये विधि द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन उगाही गयी फीस से अथवा कमीशन से भुगतान किया जाये ।

(ङ) जिसके लिये, विधि और रूढ़ि के अनुसार, भू-घृति या कोई आय स्रोत या धन-तहसीलने का अधिकार प्रदान कर भुगतान किया जाये ।

**(ii) सेवा, जिसके लिये आम राजस्व से भुगतान किया जाये ।**

**75. आम राजस्व से भुगतान पानेवाली सेवा पेंशन-प्रदायी है ।** इस बात से कि सरकार की ओर से स्थापना या सरकारी सेवक के समूचे खर्च या उसके किसी अंश की वसूली के लिये व्यवस्था की जाती है, इस सिद्धान्त के प्रवर्त्तन पर असर नहीं पड़ता, बशर्ते कि स्थापना या सरकारी सेवक का नियुक्ति, नियन्त्रण और भुगतान सरकार करती हो; जैसे कि खास व्यक्तियों और निगम निकायों के खर्च पर रखी गई पुलिस ।

**टिप्पणी :** स्थापना खर्च की वसूली की व्यवस्था करने में यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार को केवल तात्कालिक खर्च ही नहीं, बल्कि छुट्टी-भत्ते और पेंशन का खर्च भी उठाना पड़ता है ।

**(iii) सेवा, जिसके लिये न्यास-निधि से भुगतान किया जाए ।**

**76.** वैसी सेवा पेंशन-प्रदायी होगी, जिसके लिए ऐसी निधि से भुगतान किया जाए जिसे सरकार न्यासी के रूप में रखती हो, जैसे कि किसी प्रतिपालक-अधिकरण के अधीन या किसी कुर्क संपदा (इस्टेट) में ।

**(iv) सेवा, जिसके लिये फीस या कमीशन से भुगतान किया जाए ।**

**77.** जहाँ फीस या कमीशन वेतन के अतिरिक्त आम राजस्व से लिया जाये, वहाँ छोड़कर ऐसे पद पर की गई सेवा, जिसके लिये भुगतान केवल फीस से, चाहे वह विधि द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन उगाही गयी हो, अथवा कमीशन से किया जाए, पेंशन-प्रदायी होगी ।

राजकीय अभिहस्तांकिती के रूप में की गई सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी ।

**(v) सेवा, जिसके लिये भू-घृति आदि प्रदान कर भुगतान किया जाए ।**

**78.** वैसी सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी, जिसके लिये विधि और रूढ़ि के अनुसार, भू-घृति या कोई अन्य आय स्रोत या धन तहसीलने का अधिकार प्रदान कर भुगतान किया जाए ।

**(vi) सेवा, जिसके लिये स्थानीय निधि से भुगतान किया जाए ।**

**79.** निम्न नियमों के अधीन किये गये विशेष उपबंधों को छोड़कर, स्थायी निधि से भुगतान पाने वाली सेवा पेंशन-प्रदायी न होगी ।

**80.** स्थानीय निधि के प्रशासक, राज्य सरकार की अनुमति से, अपने स्थायी कर्मचारियों या उनके किसी विशेष वर्ग को आम-राजस्व से पेंशन देने के लिए विहित दर से सरकार को अंशानुदान करने की स्थायी व्यवस्था कर सकते हैं; परन्तु--

(क) अंशानुदान की पूरी रकम का भुगतान हर महीने के आरंभ में नकद या चेक के जरिए निकटतम सरकारी कोषागार में करना होगा । अंशानुदान के भुगतान में किसी तरह की चूक होने से सरकार के विरुद्ध दावा सोख्त हो जाएगा;

(ख) स्थापना-भार के बिलों की लेखा-परीक्षा सरकार करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये प्रवेष्टाओं से स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र प्राप्त किये जा चुके हैं, समूची मंजूर स्थापना सम्बन्धी अंशानुदान वसूले जाते हैं, और कोई भी कर्मचारी किसी महीने में अपने पद के लिये मंजूर राशि से अधिक नहीं पाता ।

किसी खास कर्मचारी या किसी खास वर्ग के कर्मचारियों की विगत सेवा को पेंशन-प्रदायी बनाने के विचार से दिये जाने वाले बकाये अंशानुदान स्वीकार नहीं किये जा सकते ।

**81.** जो सरकारी सेवक सरकार के अधीन पेंशन-प्रदायी सेवा में है, उसकी बदली राज्य सरकार, उन्हीं परिसीमाओं और शर्तों के अधीन जो बाह्य-सेवा में बदली पर लागू होती हैं, किसी स्थानीय निधि के अधीन सेवा में कर सकती है ।

**82.** सरकारी स्कूलों के जो पेंशनी शिक्षक और अन्य कर्मचारी अपने स्कूलों के साथ स्थानीय बोर्डों के अधीन सेवा में बदले जाएँगे, उनकी सेवा आम राजस्व से पेंशन-योग्य बनी रहेगी और यद्यपि वे जिस स्कूल के साथ बदले गये हों, उस स्कूल से दूसरे स्कूल में जो पहले सरकारी प्रबन्ध में रहा हो, भेज दिए जाएँ, फिर भी रियायत के हकदार होंगे ।

स्थानीय बोर्ड के प्रबन्ध में अन्तरित स्कूलों में नियुक्त शिक्षक आम राजस्व से पेंशन के हकदार होंगे, यदि राज्य सरकार स्कूल को मुफ्त पेंशन के रूप में अपना कुल अंशानुदान देती हो ।

[ **समीक्षा :** राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को मिलने वाली पेंशनीय लाभ हेतु सम्बन्धित राज्यादेशों को देखें जो परिशिष्ट VIII में दी गई है ।]

**83.** यदि कोई सरकारी सेवक, जिसकी सेवा नियम 80 के उपबंधों के अधीन पेंशनी मानी जाती हो, अन्य स्थानीय बोर्ड के समान पेंशनी स्थापना में बदला जाये, तो ऐसी बदली से पेंशन के लिये उसकी सेवा में क्रम भंग न होगा । स्थानीय निधि के अधीन ऐसे सेवा तथा सरकारी स्थापना में सेवा के बीच भी परस्पर बदली हो सकती है ।

**(vii) स्थानीय निधि–पेंशन निधि ।**

~~**84.** सरकार, स्थानीय निधि-अंशधारियों के अंशदानों से गठित निधियों से पेंशन प्रदान करते समय उसके अंशदाताओं के लिये पेंशन की व्यवस्था करने की गारंटी नहीं देती।~~

## अध्याय–5

# पेंशन के लिये सेवा की गणना ।

### प्रकरण 1 : प्रस्ताविक ।

**85.** जिन शर्तों और सीमाओं के अधीन किसी पद पर की सेवा पेंशन-प्रदायी होती है, उनका उल्लेख अध्याय 4 में किया गया है ।

बुढ़ापा-पेंशन-प्रदायी सेवा में विशेष योग सम्बन्धी नियम और पेंशन के लिये सैनिक सेवा, छुट्टी, मुअत्तली, पदत्याग आदि की कालावधियों की गिनती से सम्बन्धित तथा सेवा में भंग और अपूर्णता की क्षान्ति (माफी) से संबंधित नियम इस अध्याय के अनुवर्ती प्रकरणों में दिए गए हैं ।

### प्रकरण 2 : बुढ़ापा पेंशन-प्रदायी सेवा में विशेष योग ।

**86.** जो सरकारी सेवक नियम 5 के उपबन्धों के अधीन हों और जो निम्न अनुसूची में उल्लिखित किसी सेवा में या पद पर बने हों तथा जो 25 वर्ष से अधिक उम्र में 31 मार्च, 1938 को या के पहले भर्त्ती किये गये हों, वे बुढ़ापा-पेंशन-प्रदायी सेवा में (किन्तु किसी अन्य प्रकार की पेंशन के लिये नहीं) उतनी वास्तविक अवधि, जितनी भर्त्ती के समय 25 वर्ष की उम्र से अधिक थी, जोड़ सकते हैं पर इस प्रकार जोड़ी जानेवाली अवधि 5 वर्ष से अधिक न होगी । यह रियायत उन सरकारी सेवकों को न दी जायेगी जो 25 वर्ष से अधिक उम्र में निम्न अनुसूची में उल्लिखित विभागों या पदों से भिन्न विभागों में या पदों पर नियुक्त हों । कोई भी सरकारी सेवक इस नियम के फायदे का दावा नहीं कर सकता जब तक कि सरकारी सेवा छोड़ने के समय उसकी वास्तविक पेंशन-प्रदायी सेवा 10 वर्ष से कम न हो ।

**टिप्पणी :** इस नियम में स्वीकृत अतिरिक्त वर्षों की गिनती नियम 147 में विहित 28 वर्ष की पेंशन- प्रदायी सेवा की सीमा में की जायेगी ।

**अनुसूची ।**

(1) बिहार शिक्षा-सेवा
(2) मुख्य कारखाना-निरीक्षक तथा कारखाना-निरीक्षक

(3) मुख्य वाष्पित्र-निरीक्षक तथा वाष्पित्र-निरीक्षक

(4) बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा)

(5) अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, बिहार

[ **समीक्षा :** इस नियम का प्रावधान अब अप्रासंगिक हो गया है । ]

[1][(2) (क) यदि कोई विमान चालक बिहार सरकार की सेवा में हो, तो उसके अर्हक सेवा में 5 साल की अवधि जोड़ दी जायेगी, यदि वह पाँच साल लेकिन 10 साल से अधिक अवधि तक सरकारी सेवा की हो और सरकारी कार्य के सम्पादन में आशक्त हो जाये ।

(ख) यदि 10 वर्ष लेकिन 15 वर्ष से अनधिक सेवा के पश्चात् आशक्त हो जाता है तो उसे अर्हक सेवा अवधि में सात साल का लाभ मिलेगा ।

(ग) यदि वह 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक सरकारी सेवा पूरा करने के पश्चात् सरकारी कार्य के सम्पादन के दौरान आशक्त हो जाता है तो उसके पेंशन प्रदायी सेवा में 10 वर्ष की और अवधि जोड़ दी जायेगी बशर्ते कि कुल पेंशन प्रदायी सेवा अवधि [2][33] वर्ष से अधिक न हो ।

## प्रकरण 3 : असैनिक पेंशन के लिये सैनिक सेवा की गिनती ।

[3][ **87.** सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्ति उम्र के पहले असैनिक सेवा में या पद पर नियुक्त किया जाता है, तथा ऐसी पुनर्नियुक्ति के पहले 18 वर्ष की उम्र हो जाने के पश्चात् नियमित सैनिक सेवा की हो, असैनिक सेवा या पद पर सम्पुष्ट हो जाने पर, निम्नलिखित में से कोई विकल्प दे सकता है–

(1) (क) यदि वह सैनिक पेंशन प्राप्त करता रहेगा या सैनिक सेवा से हटने के पश्चात् प्राप्त उपदान को अपने पास रखेगा तो पूर्व में की गई सैनिक सेवा की गिनती अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जायेगी; या

(ख) पेंशन या उपदान लौटा देने पर पूर्व की सैनिक सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिनती की जायेगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार गिनती की जाने वाली सेवा, भारत में या अन्यत्र, कर्मचारी की इकाई या विभाग के भीतर या बाहर, उस सेवा अवधि तक प्रतिबन्धित रहेगी जिसके लिए भारतीय संचित निधि से भुगतान की गई हो या जिसके लिए सरकार द्वारा पेंशनरी अंशदान प्राप्त किया गया हो ।

(2) (क) असैनिक सेवा या पद पर मौलिक पुनर्नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर उपनियम (1) में दिए गए विकल्प का उपयोग किया जायेगा, अथवा यदि सरकारी सेवक उस दिन अवकाश में हैं तो अवकाश से लौटने पर तीन माह के अन्दर जो भी बाद में पड़े ।

(ख) यदि खण्ड (क) में दी गई अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि सरकारी सेवक ने उपनियम (1) के खण्ड (क) को विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है ।

(3) (क) सरकारी सेवक जो उप नियम (1) के खण्ड (ख) के लिए विकल्प देता है, तो सैनिक सेवा से उन्मुक्ति के समय प्राप्त पेंशन या उपदान मासिक किस्तों में जो 36 से अधिक नहीं होगी, लौटा देगा, पहली किस्त उसके विकल्प देने के बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी ।

(ख) जब तक पूरी राशि वापस नहीं कर दी जाती है, पूर्व में की गई सेवा की गिनती अर्हक सेवा के रूप में करने हेतु कोई दावा मान्य नहीं है ।

(4) सरकारी सेवक जो पेंशन और उपदान की राशि वापस करने का विकल्प दिया हो और पूरी राशि वापस करने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन और उपदान की शेष राशि जिसे वापस नहीं की गई है, को उक्त सरकारी सेवक के मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि के विरुद्ध समंजित कर दी जायेगी, जो उनके परिवार को भुगतेय हो सकता है ।

(5) जब इस नियम के अधीन ऐसा कोई आदेश, जो पूर्व में की गई नियमित सैनिक सेवा को असैनिक सेवा के अंश के रूप में गिनने से सम्बन्धित हो, पारित किया जाता है, तो उक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी अनियमित सैनिक सेवा और असैनिक सेवा के बीच टूट की अवधि को क्षान्त समझा जायेगा ।

1. अधिसूचना सं० पेन-सी०डी०आर०-पेन 1058/67–16, दिनांक 3-1-1968 यह दिनांक 25-4-1968 से प्रभावी है ।
2. "30" के लिए जी०एस०आर० 7106, दिनांक 31-6-1977 द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 1-1-1973 से प्रभावी ।
3. जी०एस०आर० 3035, दिनांक 21-3-1977 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**टिप्पणी** : इस उपनियम के उपबन्ध उस सेवक पर भी लागू होगा जो सिर्फ लगातार अस्थायी रूप से अनियमित सैनिक सेवा में रहा हो या महायुद्ध में वैतनिक सैनिक सेवा की हो तो अस्थायी अनियमित सैनिक सेवा और असैनिक सेवा के बीच सेवा में टूट की अवधि को भी इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार क्षान्त किया जा सकता है।

[1][ **88.** जो असैनिक कर्मचारी अपने असैनिक नियोजन के पहले किसी स्थायी पद पर नियुक्ति हेतु जो पहली जनवरी, 1948 के पूर्व रिक्त हुआ हो भारतीय स्थल सेना या राष्ट्रमंडल देश के स्थल सेना में ऐसी सन्तोषजनक वैतनिक (पूर्णकालिक) सेवा दिनांक 3 सितम्बर, 1939 से 1 अप्रैल, 1946 के बीच कर चुके हों। जिसके द्वारा सैनिक नियमावली के अधीन सेवा पेंशन अर्जित नहीं हुई हो, उन्हें निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी सैनिक सेवा को जिसमें ऐसे सेवाकाल में पूर्ण वेतन पर ली गई छुट्टी जिसमें बीमारी छुट्टी भी शामिल है, असैनिक पेंशन के लिए गिनने की अनुमति दी जायेगी –

(क) जिन सेवाओं में भर्ती के लिए निम्नतम उम्र नियत हो, उनमें उससे कम उम्र में की गई सैनिक सेवा की गिनती पेंशन के लिए नहीं की जायेगी;

(ख) राष्ट्रमंडल देश के अंशदान या हिस्सा के लिए कोई दावा उस देश के सरकार से नहीं की जायेगी।

(ग) कर्मचारियों से युद्ध सेवा से सम्बन्धित लाभांश (बोनस) या उपदान की वापसी हेतु कोई माँग की जायेगी।

(2) सरकारी सेवक द्वारा की गई युद्ध सेवा जिसे 31 दिसम्बर, 1947 के बाद असैनिक सेवा में सृजित सेवा या पद पर नियुक्त किया गया, द्वारा की गई युद्ध सेवा को उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार सैनिक सेवा के रूप में मानी जायेगी जैसा कि नियम 87 में प्रावधान है।]

[ **समीक्षा** : इस नियम के कई प्रावधान अब अप्रासंगिक हो गये हैं।]

***राज्य सरकार का निर्णय –***

***विषय : चिकित्सा पदाधिकारी की युद्ध सेवा की असैनिक पेंशन की गणना।**

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित पत्रांक पी०आर०–1 एस०टी०–1106, दिनांक 24-11-1970 के प्रसंग में कहना है कि सरकार के अधीन यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के असैनिक सेवा में आने के पूर्व युद्ध में की गयी सेवा हेतु प्राप्त उपदान को असैनिक पेंशन लाभ देते समय वापस करा दिया जाये या नहीं। इन प्रश्न पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सी०एस०आर० भाग 1 अनुच्छेद 357 डी० के नीचे निर्णय संख्या 12 के अनुसार वैसा बोनस या ग्रेच्युटी जो युद्ध सेवा के लिए इनाम के रूप में प्राप्त हुआ हो उसे वापस नहीं किया जाएगा। परन्तु अगर उपदान सेवा (Service Gratuity) के रूप में मिला हो तो उसे वापस करा लिया जायेगा। [ ***ज्ञाप संख्या 330 वि०, दिनांक 8-1-1972।]**

## प्रकरण 4 : छुट्टी तथा कर्त्तव्य से अन्य प्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधियाँ

### उप-प्रकरण (1) : छुट्टी की अवधि।

### (i) उत्कृष्ट सेवा।

**89.** नियम 90 में उपबन्धित स्थिति को छोड़कर, सुविधा-छुट्टी से भिन्न छुट्टी पर बितायी अवधि, या 29वीं जुलाई, 1920 के पहले लागू नियमावली के अधीन ली गई पूरक छुट्टी उत्कृष्ट सेवा के रूप में न गिनी जायगी [2][ किन्तु हर मामले में राज्य सरकार के विशेष आदेश के अधीन, अपनी व्यवसायिक योग्यता और ज्ञान के सम्वर्धन के लिए सरकारी सेवक द्वारा ली गयी असाधारण छुट्टी सेवा के रूप में इस शर्त्त पर गिनी जायगी कि सरकारी सेवक छुट्टी से लौटने पर उपाधि (डिग्री), उपाधिपत्र (डिप्लोमा) या अन्य योग्यता-पत्र के रूप में अथवा जिस संस्था में पाठ्य-क्रम चालू रहा हो, उसके प्रधान से प्राप्त प्रमाणपत्र के रूप में, यह सिद्ध करने के लिए सन्तोषजनक साक्ष्य पेश करेगा कि वह उस पाठ्य-क्रम से लाभान्वित हुआ है; यदि

1. जी०एस०आर० 3035, दिनांक 21-3-1977 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. शुद्ध-पत्र सं० 3, दिनांक 7 फरवरी, 1951 द्वारा अन्तःस्थापित।

सरकारी सेवक ऐसा साक्ष्य पेश न करेगा, तो राज्य सरकार असाधारण छुट्टी की अवधि के सेवा के रूप में गिने जाने के विशेष आदेश को रद्द कर सकती है ।

**स्पष्टीकरण :** (i) चार महीने से अनाधिक औसत वेतन पर छुट्टी की कोई अवधि, चार महीनों से अधिक औसत वेतन पर ली गई छुट्टी की किसी अवधि के प्रथम चार महीने अथवा किसी लम्बी अवधि की छुट्टी, जिसका हकदार सरकारी सेवक एफ०आर० 81 (बी०) की टिप्पणी (वर्तमान टिप्पणी : 1) के अधीन हो, पेंशन या अनुपाती पेंशन और अतिरिक्त पेंशन की गणना में, सुविधा छुट्टी के रूप में गिनी जायगी ।

(ii) छुट्टी की कोई अन्य अवधि जिसमें छुट्टी-वेतन मिलता हो, भत्ता सहित छुट्टी के रूप में गिनी जायगी ।

(iii) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति काल में खंडशः में औसत वेतन पर ली गई छुट्टी विभिन्न अवधियों में खंडित न की जायगी बल्कि एक लगातार छुट्टी मानी जायगी और कुल मिला कर चार महीनों से अनाधिक अवधि पेंशन के लिए गिनी जायगी ।

[1][ **स्पष्टीकरण 2 :** (i) एक ही क्रम में 120 दिनों से अधिक उपार्जित छुट्टी की अवधि, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन के लिए सेवा की गणना में, 'सुविधा छुट्टी' के रूप में गिनी जाएगी ।

(ii) छुट्टी की कोई अन्य अवधि, (एक ही क्रम में 120 दिनों से अधिक उपार्जित छुट्टी सहित) जिसमें छुट्टी वेतन लिया जाय, भत्ता सहित छुट्टी के रूप में गिनी जाएगी ।

(iii) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के ठीक आगे-पीछे ली गयी उपार्जित छुट्टी प्रति नियुक्ति द्वारा पृथक्कृत विभिन्न अवधियों में खंडित न की जायगी बल्कि एक लगातार छुट्टी-अवधि मानी जायगी और उपर्युक्त (1) तथा (2) के अनुसार पेंशन के लिए गिनी जायगी ।]

[2][ **90.** भत्तों सहित छुट्टी पर बिताई अवधि सेवा के रूप में निम्न प्रकार से गिनी जायगी --

| 1 | 2 |
|---|---|
| यदि सरकारी सेवक की कुल सेवा -- | वह अधिक से अधिक निम्नलिखित छुट्टी अवधि को सेवा में गिन सकता है । |
| 15 वर्ष और अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम हो । | 1 वर्ष |
| 30 वर्ष और उससे अधिक हो | 2 वर्ष |

**टिप्पणी 1 :** [3][X X X]

**टिप्पणी 2 :** नियम में उल्लिखित कुल सेवा से तात्पर्य है कुल सेवा जो पेंशन-प्रदायी सेवा के आरम्भ की तारीख से गिनी जाएगी जिसमें छुट्टी की अवधि भी शामिल रहेगी ।

**टिप्पणी 3 :** इस नियम के प्रयोजनार्थ, लंका, बर्मा, पाकिस्तान और मलयक [स्टेट्स सेटलमेंट] को भारत के बाहर नहीं समझा जायगा ।

**91.** बिहार परिमाप विभाग (बिहार सर्वे डिपार्टमेन्ट) के अवर कर्मचारियों द्वारा विभागीय छुट्टी पर बिताई अवधि गिनी जायेगी, बशर्त्ते कि जब उनके उपरिस्थ पदाधिकारी आदेश दें, तब वे अपने कर्त्तव्य पर लौट आएँ ।

**टिप्पणी :** बिहार परिमाप विभाग के निचले सेवकों को, जो बिलकुल क्षेत्रीय कार्य के लिये नियोजित हों, दी गई विभागीय छुट्टी पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी ।

**92.** राज्य सरकार घोषित कर सकती है कि किसी प्राच्यभाषा में परीक्षा की तैयारी करने में सरकारी सेवक द्वारा बिताई गई अवधि, पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी ।

**93.** बिना भत्ता छुट्टी पर बिताई अवधि पेंशन के लिये न गिनी जायेगी ।

***राज्य सरकार का निर्णय --***

*यह निर्णित किया गया है कि असाधारण छुट्टी सहित सभी प्रकार की छुट्टी बिना किसी रुकावट के पेंशन हेतु कलित की जायेगी । (यह 1-8-1962 से प्रभावी है ।) [ ***ज्ञाप सं० 12928 वि०, दिनांक 4-9-1962 में दिए गये सरकारी आदेशानुसार ।]***

1. मेमो नं० 12928 एफ०, दिनांक 4-9-1962 द्वारा पुनः निर्मित ।
2. शुद्धि-पत्र सं० 49, दिनांक 13 नवम्बर, 1957 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. Notification No. 12928, दिनांक 4-9-1962 द्वारा लुप्त किया गया ।

**94.** छुट्टी से अधिक ठहरने की अवधि पेंशन के लिये न गिनी जायेगी ।

(ii) निकली सेवा ।

[1][ **95.** छुट्टी, पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में, निम्नलिखित सीमा तक गिनी जायगी –

(क) नयी छुट्टी नियमावली के अधीन सरकारी सेवकों के मामले में –

(1) सेवा-काल में ली गई कुल उपार्जित छुट्टी,

(2) 31वीं मई, 1949 तक स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र पर ली गयी छुट्टी, असाधारण छुट्टी पर बिताइ अवधि को छोड़ उस तारीख तक की गई सेवा के 1/30 वे अंश तक; और

(3) 31वीं मई, 1949 के बाद ली गई आधे वेतन पर छुट्टी और रूपान्तरित छुट्टी असाधारण छुट्टी पर बिताई अवधि को छोड़ उस तारीख से की गई सेवा के 1/25 वें अंश तक ।

(ख) साधारण छुट्टी नियमावली के अधीन सरकारी सेवकों के मामले में पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिने जाने वाले कर्त्तव्य के हर पूरे वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 20 दिन के बराबर-अवधि तक ।

### उप-प्रकरण ( 2 ) : प्रशिक्षण की अवधि ।

**96.** जो सरकारी सेवक (इसमें वह व्यक्ति भी है जो सरकारी सेवा के लिये प्रशिक्षण पा रहा हो, किन्तु सरकारी सेवा में नियुक्त न हो) प्रशिक्षण पाने के लिए चुना गया हो, उसके मामले में राज्य सरकार अपने विवेक से निश्चित करेगी कि प्रशिक्षण में बिताई अवधि पेंशन-प्रदायी सेवा के रूप में गिनी जायेगी या नहीं ।

**टिप्पणी :** प्रशिक्षण की अवधि को इस नियम के अधीन सेवा के रूप में गिनने के लिये सामान्य आदेश निम्न के संबंध में निकाले जा चुके हैं –

(1) अवर पुलिस कर्मचारी और अवर पुलिस सेवा में सीधी भर्त्ती के उम्मीदवार, जब वे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल या कॉलेज में प्रशिक्षण पर रहे हों ।

(2) पहले से ही सरकारी सेवा में स्थित वन-विभाग के अवर कर्मचारी जब वे उत्कृष्ट वन-सेवा-चर्या (कोर्स) या वनपाल-चर्या (रेन्जर कोर्स) या किसी वन-स्कूल में जहाँ वे प्रतिनियुक्त किये जायें, हों ।

(3) शिक्षा-पदाधिकारी, जब वे एम०एड० और डिप्लोमा परीक्षाओं के लिये पटना ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण पर रहे हों ।

### उप-प्रकरण ( 3 ) : भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति ।

**97.** जब सरकारी सेवक कर्त्तव्य पर भारत के बाहर प्रतिनियुक्त किया जाए तब भारत से बाहर उसकी अनुपस्थिति की समूची अवधि गिनी जायेगी । भारत के बाहर छुट्टी पर स्थित सरकारी सेवक जब कर्त्तव्य पर नियोजित किया जाये या छुट्टी की समाप्ति के बाद कर्त्तव्य पर रोक रखा जाये तब नियोजन या रोक रखे जाने की ऐसी अवधि गिनी जायेगी ।

## प्रकरण 4 : कर्त्तव्य पर वापस बुलाया जाना ।

**98.** जो सरकारी सेवक भारत के बाहर किसी अभिज्ञात छुट्टी की समाप्ति के पहले कर्त्तव्य पर वापस बुला लिया जाए, उसके द्वारा भारत यात्रा पर बिताई अवधि गिनी जायेगी, बशर्ते कि कर्त्तव्य पर उसका लौट आना अनिवार्य हो ।

## प्रकरण 5 : मुअत्तली, पदत्याग, सेवा में भंग और अपूर्णता ।

### उप-प्रकरण ( 1 ) : मुअत्तली की अवधि ।

**99.** मुअत्तली के अधीन बिताई अवधि जिसके भीतर आचार के संबंध में जाँच चल रहा हो, गिनी जाएगी, यदि उसके बाद पुन: स्थापन हो जाये । किन्तु जो मुअत्तली विशेष दंड के रूप में न्यायनिर्णीत हो, उसके अधीन बिताई अवधि न गिनी जायेगी ।

**100.** यदि कोई सरकारी सेवक, जो अपने आचार के संबंध में जाँच होने तक मुअत्तल किया गया हो, पुन: स्थापित कर लिया जाये, किन्तु उसकी मुअत्तली की अवधि के भत्ते का कोई अंश जब्त कर लिया जाये, तो

1. शुद्धि-पत्र संख्या 16, दिनांक 1-7-1953 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(कार्याध्यक्ष की खास मंजूरी के बिना) वह अवधि न गिनी जायेगी, जब तक कि सरकारी सेवक को पुन: स्थापित करने वाला प्राधिकारी पुन: स्थापित करते समय स्पष्ट रूप से घोषित न करें कि वह अवधि गिनी जाएगी।

**उप-प्रकरण ( 2 ) : त्याग और बर्खास्तगी।**

**101.** (क) **लोक-सेवा का त्याग** करने से अथवा कदाचार, दिवाला, या अदक्षता जो उम्र की वजह से न हो, या विहित परीक्षा में असफलता के कारण, सेवा से हटाये जाने या बर्खास्तगी से अतीत सेवा नहीं गिनी जाती।

**(ख) [1][ नियुक्ति-प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी दूसरे पद के ग्रहण के लिये, जिसके अन्तर्गत सेवा गिनी जाती हो, किसी पद का त्याग लोक-सेवा का त्याग नहीं है।]**

**102.** कोई प्राधिकारी जो पुनरीक्षण या अपील के फलस्वरूप सरकारी सेवक की बर्खास्तगी या उसके हटाये जाने संबंधी आदेश को उलट दें, घोषित कर सकता है कि उसकी अतीत सेवा गिनी जायेगी।

**उप-प्रकरण ( 3 ) : क्रम भंग के कारण अतीत सेवा का न गिना जाना।**

**103.** निम्न मामलों को छोड़, सरकारी सेवक की सेवा में क्रम भंग होने से उसकी अतीत सेवा नहीं गिनी जाती –

(क) प्राधिकृत छुट्टी पर अनुपस्थिति।

(ख) प्राधिकृत छुट्टी पर अनुपस्थिति के क्रम में उस समय तक अप्राधिकृत अनुपस्थिति जब तक कि अनुपस्थित सेवक के पद को मौलिक रूप से पूर्ति न हो जाये, यदि उसके पद पर मौलिक रूप से पूर्ति हो जाये, तो अनुपस्थिति सेवक की अतीत सेवा न गिनी जायेगी।

[2][ (ग) मुअत्तली, जबकि इसके तुरत बाद उसी या किसी दूसरे पद पर उसका पुन:स्थापन हो जाए अथवा जबकि सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाए या मुअत्तल रहने की अवधि में ही उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी जाये या सेवानिवृत्त करा दिया जाये।

(घ) स्थापना में घटौती के कारण पद का उठाया जाना या नौकरी छूटना।

(ङ) सरकारी नियंत्रण के अधीन स्थापना के अन्तर्गत गैर-पेंशन-प्रदायी सेवा में बदली। बदली सक्षम-प्राधिकारी द्वारा होनी चाहिए, जो सरकारी सेवक स्वेच्छा से पेंशन-प्रदायी सेवा का त्याग कर दे, वह इस अपवाद के फायदों का दावा नहीं कर सकता। साहाय्यित स्कूल में बदली से सेवा न गिनी जायेगी।

(च) एक नियुक्ति से दूसरी नियुक्ति के ग्रहण के लिये मार्ग में बिताई अवधि, बशर्ते कि सरकारी सेवक की बदली सक्षम प्राधिकारी के आदेश से हुई हो अथवा यदि वह अरापत्रित सरकारी सेवक हो तो, उसके पुराने कार्यालय के प्रधान की सम्मति ले ली गई हो।

**104.** पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी बिना इजाजत अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से भत्ता रहित छुट्टी में रूपान्तरित कर सकता है।

**उप-प्रकरण ( 4 ) : क्रम भंग और अपूर्णता की क्षांति ( माफी )।**

**105.** सरकारी सेवक की सेवा के सभी क्रम भंगों को, यदि वह पद छोड़े, तो क्षांति के लिये आवेदन के समय उसके द्वारा धारित पद की पूर्ति करने में सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए और हर मामले में अपने द्वारा लगाई गई शर्तों पर, क्षान्त कर सकेगा।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

*बिहार पेंशन नियमावली के नियम 105 की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार ने सेवा-टूट की माफी के लिए निम्नांकित व्यापक मापदंड निर्धारित किये हैं –

(क) सम्बद्ध सरकारी सेवक के नियंत्रण के परे व्यवधान कारित हुआ हो; दूसरे शब्दों में व्यवधान-स्वेच्छया पदत्याग अथवा बर्खास्तगी इत्यादि के परिणामस्वरूप नहीं हुआ हो।

---

1. शुद्धि पत्र संख्या 5, दिनांक 27-3-1952 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. प्रतिस्थापित, देखें वित्त विभाग अधिसूचना सं० सी०डी०आर० 5011/60–12888-वि०, दिनांक 7 जुलाई, 1990 शुद्धि-पत्र सं० 72, दिनांक 29 जुलाई, 1960।

(ख) टूट से पहले की सेवावधि दो वर्ष से कम नहीं हो ।

(ग) टूट की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो । यदि दो या उससे अधिक व्यवधान हों तो टूटों की सकल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो । तथापि, ऐसे मामलों में टूट के पहले की गई सेवा की अवधि की गणना की जायेगी यदि उपर्युक्त (बी) की शर्त्त पूरी होती हो ।

[ *ज्ञापांक पेंशन–1040/69/8990, दिनांक 13-11-1969 ।]

**106.** सरकारी सेवक को पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी अपने द्वारा लगायी गयी शर्त्तों पर सरकारी सेवक की पेंशन-प्रदायी सेवा में तीन महीने की अपूर्णता को क्षान्त कर सकता है । तीन महीने से अधिक की अपूर्णता की क्षान्ति के लिये राज्य सरकार से आदेश लेना होगा;

परन्तु, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना निम्न मामलों में क्षान्ति नहीं दी जायेगी –

(1) जब पेंशन, बिना ऐसी क्षान्ति के 50 रु० या उससे अधिक हो, और

(2) जब सरकारी सेवक 55 वर्ष से अधिक उम्र होने पर सेवा में रखे जाने के बाद निवृत्त हो रहा हो ।

तीन महीने से अधिक अपूर्णता की क्षान्ति के लिये सभी मामलों में राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी ।

**टिप्पणी :** इस नियम के अधीन सेवा में अपूर्णता की क्षान्ति सम्बन्धी मामलों में निम्न सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये –

(क) अल्प अवधि के लिये क्षान्ति साधारणत: वहाँ दी जायेगी जहाँ सरकारी सेवक को असमर्थता-पेंशन पर निवृत्त होने के लिए बाध्य किया जाये अथवा जब अल्प अपूर्णता की क्षान्ति इसलिये आवश्यक हो कि सरकारी सेवक उपदान के बदले पेंशन पा सकें ।

(ख) अल्प अवधि की क्षान्ति साधारणत: वहाँ भी दी जायेगी जहाँ पर्याप्त लम्बी अवधि या लगातार अस्थायी या अन्य सेवा रही हो (जैसे कि जिला बोर्ड आदि में सेवा जो पेंशन-प्रदायी नहीं है) ।

## अध्याय-6

# पेंशन-प्रदान की शर्त्तें

## प्रकरण 1 : पेंशनों का वर्गीकरण

**107.** पेंशन को चार वर्गों में बाँटा गया है, जिनके नियम इस अध्याय के निम्न प्रकरणों में विहित हैं –

(क) क्षतिपूर्ति-पेंशन (देखें प्रकरण 2),

(ख) असमर्थता-पेंशन (देखें प्रकरण 3),

(ग) बुढ़ापा-पेंशन (देखें प्रकरण (4) व

(घ) निवृत्ति-पेंशन (देखें प्रकरण 5) ।

**टिप्पणी :** ऊपर वर्णित पेंशन-वर्गों के अलावा, विशेष परिस्थितियों में कुछ वर्गों के सरकारी सेवकों को विशेष अतिरिक्त पेंशन भी दी जाती है (नियम 147) ।

[ **समीक्षा :** इस सम्बन्ध में उदार पेंशन नियमावली जो परिशिष्ट-5 पर है की कण्डिका 1 (4) और 9 देखें जो पूर्व 1939 प्रविष्टियों (Pre 1939 Entrants) से सम्बन्धित है ।]

## प्रकरण 2 : क्षतिपूर्ति-पेंशन

### उप-प्रकरण ( 1 ) : प्रदान की शर्त्तें

**108.** यदि स्थायी पद उठाये जाने के कारण कोई सरकारी सेवक उन्मुक्ति के लिये चुना जाये, तो जब तक वह किसी दूसरे पद पर नियुक्त न हो जाये जिसकी शर्त्तें उसे उन्मुक्त करने में सक्षम पदाधिकारी कम से कम उसके पहले पद की शर्त्तों के बराबर समझे, उसे निम्न में से किसी को भी पसन्द करना होगा –

(क) क्षतिपूर्ति-पेंशन या उपदान जिसे पाने का हकदार वह अपनी पूर्व सेवा के आधार पर हो, अथवा

(ख) यदि दिया जाये तो कम वेतन पर भी दूसरा पद या दूसरी स्थापना में बदली स्वीकार करना और पेंशन के लिये अपनी पूर्व सेवा को गिनते जाना ।

**टिप्पणी** : अपेक्षाकृत अधिक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिये किसी सरकारी सेवक की उन्मुक्ति, इस नियम के अर्थ में, पद का उठाया जाना नहीं है; पद के उठाये जाने से सरकार को वास्तविक बचत होनी चाहिये ।

**109.** जब कोई सरकारी सेवक पेंशनी सरकारी सेवा से गैर-पेंशनी स्थापना में बदला जाये, तब उसे उसकी सेवा के पेंशन-प्रदायी अंश के लिये अनुमान्य कोई पेंशन या उपदान तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक वह गैर-पेंशनी स्थापना से, जिसमें वह बदला गया हो, वस्तुत: निवृत्त न हो जाये ।

**राज्य सरकार का निर्णय** –

देखें नियम 134 के नीचे राज्य सरकार का निर्णय ।

## खास मामले

**110.** यदि किसी सरकारी सेवकों को, उसके पद के कर्त्तव्यों के स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप, उन्मुक्त करना आवश्यक हो, तो मामले को राज्य सरकार के पास भेजना चाहिए जो उन्मुक्ति की सूचना और क्षतिपूर्ति-पेंशन या उपदान के विषय में इस प्रकरण में विनिहित नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई करेगी ।

## प्रतिबंध

**111.** क्षतिपूर्ति पेंशन निम्न मामलों में अनुमान्य नहीं है –

(क) जो सरकारी सेवक लोक-सेवा का सदस्य हो और उसके अतिरिक्त किसी खास स्थानीय पद का प्रभार धारण करता हो, उसे खास स्थानीय पद के उठा दिये जाने पर ।

(ख) सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्मुक्ति के फलस्वरूप नौकरी छूटने के लिये ।

(ग) विशेष वेतन या क्षतिपूरक-भत्ते की हानि के लिये ।

(घ) जो स्कूल शिक्षक या अन्य सरकारी सेवक अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त डाक विभाग में किसी हैसियत से नियोजित हों, उसे ऐसे कर्त्तव्यों से मुक्त होने पर ।

## उप-प्रकरण ( 2 ) : प्रक्रिया

### (i) उन्मुक्ति के लिये चुनाव

**112.** स्थापना में घटौती होने पर उन्मुक्त किये जाने वाले सरकारी सेवकों का चुनाव प्रत्यक्षत: इस प्रकार होना चाहिये कि क्षतिपूर्ति-पेंशन पर कम से कम खर्च हो ।

**113.** उन्मुक्ति से होने वाले बचत के ब्योरे क्षतिपूर्ति-पेंशन संबंधी हर आवेदन में दिये जाने चाहिये । बचत की राशि पेंशन की राशि से सदा अधिक होनी चाहिये, अन्यथा स्थापना घटाने या पद उठाने की कार्रवाई स्थगित कर देना ही अधिक अच्छा होगा ।

**टिप्पणी** : जब स्थापना के पुनर्गठन की कोई योजना हो, तब पेंशन संबंधी दावे, जो पुनर्गठन के फलस्वरूप उठ सकता हो, के संबंध में विचार बराबर परिवर्त्तन के पहले ही कर लेना चाहिए और, नितान्त आवश्यक मामले को छोड़, स्थापना में ऐसा परिवर्त्तन नहीं करना चाहिये जिससे क्षतिपूर्ति भत्ते के दावे अधिक हों और उनके खर्च की पूर्त्ति परिवर्त्तन से होने वाली बचत से न हो सके ।

### (ii) उन्मुक्ति की सूचना

**114.** (क) स्थायी सरकारी सेवक को, उसके पद के उठाये जाने पर सेवा-मुक्त करने के पहले युक्तिसंगत सूचना देनी चाहिये । यदि, किसी मामले में कम से कम तीन महीने की सूचना न दी जाये और जिस तारीख को वह सेवा-मुक्त किया जाये, उस तारीख को उसे कोई दूसरी नौकरी न दी जाए, तो उसे सेवा-मुक्त करने में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अध्याय 7 के नियमों के अधीन वह जितनी पेंशन का हकदार हो उसके अतिरिक्त वस्तुत: दी गई सूचना की अवधि तीन महीने से जितना कम हो, उतनी अवधि की उपलब्धियों से अनधिक उपदान दिया जायेगा किन्तु उस अवधि के लिये कोई पेंशन देय न होगी, जिसके लिये सूचना के बदले उसे उपदान मिला हो ।

(ख) जब अस्थायी पद धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति की कालावधि समाप्त होने के पहले या ऐसे व्यक्ति को, जो अवधि या कर्त्तव्य के सीमा-निर्देश के बिना मासिक मंजूरी पर अस्थायी रूप से नियोजित हो,

उन्मुक्त करने का विचार हो, तब ऐसे व्यक्ति को उन्मुक्ति के सम्बन्ध में एक महीने की सूचना देनी चाहिये और उसे उतनी अवधि के लिये, वेतन या मंजूरी अवश्य देनी चाहिये जितनी सूचना की अवधि एक महीने से कम हो।

1. इस नियम में विहित उपदान नौकरी छूट जाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि केवल उन्मुक्ति की सूचना के बदले दिया जाता है, ताकि अकस्मात नौकरी छूट जाने के कारण सरकारी सेवक को जो कष्ट हुआ हो, उसे दूर किया जा सके। इसलिये यदि बिना सूचना के उन्मुक्त किसी सरकारी सेवक को उसी तारीख को, जिस तारीख को वह सेवा-मुक्त किया जाए, दूसरी नौकरी दे दी जाए, चाहे वह नौकरी पेंशन-प्रदायी हो या नहीं हो उसे उपदान पाने का हक न होगा।

2. जब तक आदेश में इसके प्रतिकूल कोई स्पष्ट कथन न हो, किसी पद या नियुक्ति के उत्सादन (उठाये जाने) का आदेश, ऐसे उत्सादन पर सेवा-मुक्त किये जाने वाले सरकारी सेवक को सूचना देने के बाद तीन महीने की समाप्ति तक कार्यान्वित न किया जायेगा। विभान्तर कार्यालय-प्रधान या कार्याध्यक्ष इसके जिम्मेवार होंगे कि ऐसी सूचना देने में अनावश्यक विलम्ब न हो। छुट्टी पर गये सरकारी सेवक के मामले में, ऐसा आदेश छुट्टी की समाप्ति होने तक कार्यान्वित न किया जायेगा।

**टिप्पणी** 1 : यह नियम उन मामलों में लागू न होगा जहाँ नियुक्ति की शर्तों में उन्मुक्ति की सूचना के लिये विशिष्ट उपबन्ध हो।

**टिप्पणी** 2 : इस नियम में "उपलब्धि" से तात्पर्य है वह उपलब्धि या छुट्टी-भत्ता (या अंशत: उपलब्धि और अंशत: छुट्टी-भत्ता) जो सरकारी सेवक को, यदि उसे सूचना न दी गई होती तो, सम्बद्ध अवधि में प्राप्त होता।

**115.** संविदा के अधीन सेवा करने वाले सरकारी सेवक की सेवा जब करार-अवधि के भीतर समाप्त करना आवश्यक समझा जाये, तब करार की समाप्ति की तथा जिन आधारों पर इसे समाप्त किया गया हो, उनकी विशेष सूचना सरकारी सेवक को लिखित रूप में दी जायेगी।

## प्रकरण 3 : असमर्थता-पेंशन

### उप-प्रकरण (1) : प्रदान की शर्तें

**116.** लोक सेवा से निवृत्त होने पर उस सरकारी सेवक को असमर्थता पेंशन दी जाती है जो शारीरिक या मानसिक निर्बलता के कारण लोक-सेवा या उसकी जिस खास शाखा से, वह सम्बद्ध हो, उसके कार्यों के सम्पादन में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाये।

**117.** आंशिक असमर्थता की दशा में (नियम 128 में वैकल्पिक प्रमाण-पत्र देखें), सरकारी सेवक को यदि संभव हो तो, कम वेतन पर भी नियोजित कर लेना चाहिए, ताकि उसे पेंशन देने में खर्च न हो। यदि उसे कम वेतन पर भी नियोजित करने की कोई गुंजाइश न हो, तो उसे पेंशन दी जा सकती है; किन्तु इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि उसके आंशिक रूप से जीविकोपार्जन सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसे नियम के अधीन अनुमान्य पूरी पेंशन देना आवश्यक है या नहीं।

[1][ **118.** यदि असमर्थता-पेंशन हेतु आवेदन करने वाले सरकारी सेवक को नियम 128 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार असमर्थता सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना होगा।]

**119.** उपर्युक्त कारणों से भिन्न कारणों के आधार पर उन्मुक्त सरकारी सेवक नियम 116 के अधीन पेंशन का दावा नहीं कर सकता, यद्यपि वह सेवा संबंधी असमर्थता के लिये चिकित्सक-साक्ष्य पेश कर सकता हो।

**120.** यदि असमर्थता प्रत्यक्षत: अनियमित या असंयत आदतों के कारण हुई हो, तो कोई पेंशन नहीं दी जा सकती। यदि असमर्थता प्रत्यक्ष रूप से ऐसी आदतों के कारण न हुई हो, किन्तु उन्हीं के कारण शीघ्र हो गई हो या बढ़ गई हो, तो पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी को निर्णय करना होगा कि इस मद्दे कितनी कटौती की जाए।

### पुलिस के संबंध में विशेष सतर्कता

**121.** पुलिस विभाग में पुलिस अधीक्षक इस बात के लिये सतर्क रहेंगे कि सरकारी सेवक, जो और सेवा करने योग्य हों, असमर्थता-पेंशन पर निवृत्त होने की चेष्टा न करें (नियम 127 भी देखें)।

1. ज्ञाप संख्या पेन-1020/65/7898 वि०, दिनांक 28-8-1965 द्वारा प्रतिस्थापित।

### उप-प्रकरण ( 2 ) : प्रक्रिया

[1][ **122.** जो सरकारी सेवक नियम 118 के अधीन आगे सेवा लग्न रहने के सम्बन्ध में असमर्थता स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, उसे यदि वह कर्त्तव्यस्थ हो तो, अपने कर्त्तव्यों से मुक्त होने की तारीख से, अथवा यदि उसे बिहार सेवा-संहिता के परिशिष्ट 9 के नियम 20 के अधीन छुट्टी दी जाये, तो ऐसी छुट्टी बीतने के बाद सेवा-असमर्थ करार दिया जाएगा। स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने पर उसे अपने कर्त्तव्यों से मुक्त करने की व्यवस्था अविलम्ब की जानी चाहिए। यदि स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के समय वह छुट्टी पर हो, तो उक्त संहिता के परिशिष्ट 9 के नियम 20 के अधीन दी गई या बढ़ाई गई छुट्टी बीतने के बाद वह सेवा-असमर्थ करार दिया जाएगा।

### उप-प्रकरण ( 3 ) : स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र संबंधी नियम

#### (i) सामान्य

[2][ **123.** (क) यदि ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाला सरकारी सेवक भारत से बाहर अन्यत्र अवकाश पर हो तो, उसके स्वास्थ्य परीक्षा का आयोजन बाहर रह रहे भारत मिशन के मारफत गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा की जायेगी। चिकित्सा परिषद् में एक कार्य चिकित्सक, एक शल्य चिकित्सक और एक नेत्र चिकित्सक रहेंगे, प्रत्येक चिकित्सक का पद परामर्शदाता का होगा। सम्बन्धित मिशन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वीकृत चिकित्सकों की सेवाएँ उक्त प्रयोजन के लिए ली जायेगी यदि वे उपर्युक्त शर्तों को पूरा करते हों। जब कभी किसी महिला उम्मीदवार की जाँच परीक्षा करनी हो तो, उस प्रयोजन हेतु एक स्त्री चिकित्सक को सदस्य के रूप में चिकित्सा परिषद् में शामिल किया जाएगा।

(ख) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाला सरकारी सेवक यदि भारत में हो तो उसके जाँच पदाधिकारी –

(1) सभी राजपत्रित सरकारी सेवक एवं वैसे अराजपत्रित सरकारी सेवक जिनका वेतन बिहार सेवा संहिता के नियम 34 के अनुसार रु० 500 प्रतिमाह से अधिक न हो, के मामले में चिकित्सा परिषद्;

(2) अन्य मामले में शल्य चिकित्सक या जिला चिकित्सा पदाधिकारी या समतुल्य पद के चिकित्सा पदाधिकारी।

[2][ **124.** उन मामलों को छोड़कर जिसमें सरकारी सेवक भारत में ही कहीं अन्यत्र छुट्टी पर हो, सेवा-संबंधी असमर्थता का स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र तबतक न दिया जायेगा, जब तक कि आवेदक इस आशय का पत्र न पेश करें कि उसके कार्यालय-प्रधान या कार्याध्यक्ष को विदित है कि वह चिकित्सा-पदाधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना चाहता है। जिस कार्यालय में आवेदक नियोजित हो, उसका प्रधान या अध्यक्ष चिकित्सा पदाधिकारी को एक विवरण भेजेगा कि सरकारी अभिलेखों के अनुसार आवेदक की उम्र क्या है ? जहाँ आवेदक की सेवा-पुस्त हो, वहाँ उसमें अभिलिखित उम्र सूचित की जायेगी।

**125.** (क) रोग और किये गये उपचार का संक्षिप्त विवरण, यदि संभव हो, अनुलग्न कर देना चाहिये।

(ख) यदि जाँच करने वाला चिकित्सा पदाधिकारी, सरकारी सेवक में कोई खास रोग पाने में असमर्थ होते हुए भी उसे 55 वर्ष की उम्र के पहले सामान्य दुर्बलता के कारण आगे सेवा करने से, असमर्थ समझे तो उसे अपनी राय के लिये विस्तृत कारण देने चाहिये और यदि संभव हो, तो ऐसे मामले में बराबर एक दूसरे चिकित्सक की राय ले लेनी चाहिये।

(ग) इस तरह के मामले में, कार्यालय प्रधान या कार्याध्यक्ष से उन आधारों के संबंध में, जिन पर सरकारी सेवक को असमर्थ ठहराने का विचार हो, विशेष स्पष्टीकरण की आशा की जायेगी।

**126.** जिन सरकारी सेवक की अभिलिखित उम्र 55 वर्ष से कम हो उसके मामले में इस आशय का साधारण प्रमाण-पत्र पर्याप्त न होगा कि उसकी अयोग्यता, वृद्धावस्था या ढलती उम्र के फलस्वरूप स्वाभाविक क्षीणता के कारण है, किन्तु चिकित्सा-पदाधिकारी यह प्रमाणित करते समय कि सरकारी सेवक अपनी सामान्य दुर्बलता के कारण आगे सेवा करने से असमर्थ है, उन कारणों का उल्लेख कर सकता है जिनके आधार पर उसे विश्वास हो कि उम्र कम बताई गई है।

1. शुद्धि पत्र सं० 67, दिनांक 26-5-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. ज्ञाप सं० 7898 वि०, दिनांक 28-8-1965 द्वारा प्रतिस्थापित।

**127.** (क) चिकित्सा-पदाधिकारी उन पुलिस-कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्हें अस्पताल में और ठहरने से फायदा न हो सकता हो, केवल छुट्टी के लिये ही सिफारिश करेंगे । जब तक चिकित्सा-पदाधिकारियों से अधिकारिक रूप से पुलिस-कर्मचारी की आगे सेवा-सम्बन्धी असमर्थता के विषय में रिपोर्ट देने के लिये अनुरोध न किया जाये, तब तक वे यह प्रमाणित न करेंगे कि पुलिस-कर्मचारी आगे सेवा करने में असमर्थ हो गया है ।

(ख) चिकित्सा-पदाधिकारी, पेन्शन के लिये आवेदन करनेवाले हर कर्मचारी की शारीरिक-अयोग्यता की जाँच में खास तौर से छानबीन करेंगे, और जब भी पेंशन संबंधी आवेदकों की संख्या अधिक हो, तब जाँच यदि संभव हो तो, दो चिकित्सा-पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी ।

### (ii) स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र का फारम

**128.** भारत में पेंशन के लिये आवेदन करनेवाले सरकारी सेवक को दिये जानेवाले प्रमाण-पत्र का फारम निम्न है :-

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने (हमने) क, पिता का नाम ख की, जो ... विभाग में ... हैं, सावधानी से जाँच की है । उनकी उम्र उनके कथनानुसार ... वर्ष है और देखने से लगभग ... वर्ष लगती है । मैं (हमलोग) समझता हूँ (समझते हैं) कि ... के कारण (यहाँ रोग या कारण लिखें) क आगे किसी तरह की सेवा (या अपने विभाग में सेवा) करने में पूर्ण और स्थायी रूप से असमर्थ हैं । मुझे (हमें) उनकी असमर्थता उनकी अनियमित या असंयत आदतों के कारण उत्पन्न प्रतीत नहीं होती ।

**टिप्पणी** : यदि असमर्थता प्रत्यक्षत: असंयत आदतों के फलस्वरूप हो, तो अन्तिम वाक्य के स्थान में निम्न वाक्य लिखें – "मेरी (हमारी) राय में उनकी असमर्थता अनियमित या असंगत आदतों के फलस्वरूप हुई हैं" ।

यदि असमर्थता पूरी और स्थायी प्रतीत न हो, तो प्रमाण-पत्र को तद्नुसार रूपभेदित करना चाहिये और उसमें निम्न वाक्य जोड़ देना चाहिये – "मेरी (हमारी) राय में क, जैसी सेवा वे करते हैं, उससे कम परिश्रम वाली सेवा करने योग्य हैं अथवा ... महीने विश्राम करने के बाद, जैसी सेवा वे करते रहे हैं, उससे कम परिश्रम वाली सेवा करने योग्य हो सकेंगे ।"

## प्रकरण 4 : बुढ़ापा पेंशन

### उप-प्रकरण (1) : प्रदान की शर्तें

**129.** बुढ़ापा पेंशन उस सरकारी सेवक को दी जाती है जो नियम द्वारा किसी खास उम्र में सेवानिवृत्त होने के लिए हकदार या बाध्य हो । (देखें नीचे नियम 131 और बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता का नियम 75) ।

**[ समीक्षा : इस सम्बन्ध में दिनांक 1-12-1952 से प्रवृत्त बिहार सेवा संहिता के नियम 73 स्वत: स्पष्ट हो, जिसमें सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है ।]**

[1][ **नियम 73 : किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह है जिस तारीख को उसकी** उम्र 58 वर्ष की हो जाती है । अनिवार्य-सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद वह राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर सार्वजनिक कारणों से जो लिख रखे जायेंगे सेवा में रखा जा सकता है ।

[इस नियम के अधीन सौंपी गई शक्तियों के लिए परिशिष्ट 1 देखें ।]

जिस सरकारी सेवक को नियमों के अधीन किसी खास उम्र में निवृत्त होना है, उसकी ओर से क्षतिपूर्त्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

### 55 वर्ष की उम्र में वैकल्पिक निवृत्ति

**130.** उत्कृष्ट सेवा में स्थित सरकारी सेवक, जिसकी उम्र 55 वर्ष हो चुकी हो, अपनी पसन्द से बुढ़ापा-पेंशन पर निवृत्त हो सकता है ।

**131.** जो सरकारी सेवक इस नियमावली के अधीन निवृत्त होने के लिये बाध्य किया जाए अथवा जो नियम 130 के अधीन स्वेच्छा से निवृत्त हो और जिसकी सेवा का कुछ अंश निचला रहा हो, वह नियम 54 द्वारा अनुमत विकल्प का हकदार है ।

1. जी०एस०आर० 152, दिनांक 28-9-1973 द्वारा प्रतिस्थापित ।

## उप-प्रकरण ( 2 ) : प्रक्रिया

**132.** (क) हर सरकारी सेवक का मामला, जब वह बुढ़ापा-पेन्शन की उम्र को पहुँच रहा हो तथा हर सेवा काल-वृद्धि की समाप्ति के पहले, हाथ में लिया जाएगा।

(ख) जो सरकारी सेवक बुढ़ापा-पेन्शन, की उम्र को प्राप्त करने वाले हों या प्राप्त कर चुके हों, वे सेवा-काल बढ़ाने के लिये आवेदन, मौलिक या बढ़ाई गई सेवा की समाप्ति के छः महीने पहले करेंगे।

[ **समीक्षा** : देखें नियम 133 के नीचे दी गई राज्य सरकार का निर्णय तथा परिशिष्ट 6 ।]

*राज्य सरकार का निर्णय –*

**1.**

***विषय : पेंशन मामलों के अशुद्ध और अपूर्ण प्रस्तुतिकरण के कारण पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब।**

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के ज्ञापांक 15462 वि०, दिनांक 15 दिसम्बर, 1953 की ओर ध्यान दिया जाए जिसके साथ एक प्रश्नावली प्रसारित की गई थी ताकि स्वीकृति प्राधिकारी सभी तरह से परिपूरित पेंशन-मामले महालेखाकार कार्यालय को भेजने में समर्थ हों। राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि प्रश्नावली के अनेक मदों के उत्तर या तो जैसे-तैसे दिये जाते हैं या खानापूरी मात्र, जिसके लिये प्रश्नों में निहित कार्य का सभी स्तरों पर निष्पादन अपेक्षित था। प्रतीत होता है कि सम्बद्ध प्राधिकारी प्रश्नावलियों को सावधानी से नहीं पढ़ते हैं और अपूर्ण ही नहीं, बल्कि अशुद्ध उत्तरों के साथ पेंशन-मामले महालेखाकार कार्यालय को भेज देते हैं। परिणाम यह होता है कि त्रुटि-सुधार के लिए, महालेखाकार द्वारा मामलों को लौटा दिया जाता है और फलतः पेंशन-मामलों के अन्तिमीकरण में काफी विलम्ब होता है। महालेखाकार द्वारा मामलों को लौटा दिया जाता है और फलतः पेंशन-मामलों के अन्तिमीकरण में काफी विलम्ब होता है। महालेखाकार द्वारा रिपोर्ट की गई कुछ बड़ी त्रुटियाँ जिनके कारण महालेखाकार कार्यालय द्वारा पेंशन-मामले के निष्पादन में विलम्ब होता है निम्नांकित हैं –

(क) इस आशय का स्पष्ट प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है कि आरंभ में अस्थायी, स्थानापन्न और परिवीक्षाधीन की गई सेवाओं के सम्बन्ध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63, 64 और 66 की शर्तों का पालन किया गया या नहीं, और न उसमें रिक्तियों कीशृंखला बताई जाती है। सेवा-पुस्तिका में ऐसे प्रमाण दर्ज नहीं रहते जो ऐसी सेवाओं को अर्हताप्रदायी सेवा की गणना के लिए आवश्यक हैं।

(ख) निलम्बन की स्थिति में, पुनःस्थापना के आदेश प्रायः दर्ज नहीं रहते। यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं रहता है कि निलम्बनावधि को किस तरह से पेंशनार्थ गणना की जाए।

(ग) बहुत सारे मामले में वित्त विभाग द्वारा विधिवत् जाँचोपरान्त वेतन निर्धारण के विवरण की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ समुचित रूप में संशोधित नहीं की जातीं, और यह प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता कि अधिक निकासियों को यदि हों, फिर से समंजित कर दिया गया है। यह भी पाया जाता है कि यद्यपि महालेखाकार कार्यालय/वित्त विभाग इस बात को प्रश्नावली के उत्तर में उल्लेख कर देता है, फिर भी वह जाँच विवरण सेवा-पुस्तिका में नहीं चिपकाया जाता है।

(घ) जब मौलिक रूप से स्थायी पद धारण करनेवाला कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रहता है तब उसका मूल वेतन सेवा-पुस्तिका के स्तंभ 4 में दर्शित किया जाता है और स्थानापन्न नियुक्ति के फलस्वरूप वेतन में हुई किसी वृद्धि को सेवा-पुस्तिका के स्तंभों में दर्शित करना होता है। लेकिन ऐसा यदा-कदा ही किया जाता है। चूँकि सामान्यतः केवल मूल वेतन ही उपलब्धियाँ गिना जाता है, इसलिए उस वेतन का विनिश्चय करना कठिन होता है जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 151 के तहत पेंशन के लिए उपलब्धि गिना जाए।

(ङ) यद्यपि कुछ मामलों में प्रश्नावली के उत्तर में यह कह दिया जाता है कि सरकारी सेवक द्वारा लिया गया स्थानापन्न वेतन में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 151 (एफ०) की शर्तों का अनुपालन हुआ है, तथापि सेवा-पुस्तिका में अपेक्षित प्रमाण दर्ज नहीं रहता और न रिक्तियों कीशृंखला दर्ज रहती है।

(च) यदि सरकारी सेवक के वेतन कम करने की सजा दी गई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं रहता कि उससे भविष्यत् वृद्धियाँ स्थगित रखने का भी प्रभाव पड़ेगा या नहीं। कम करने का मूल आदेश

और उसका पश्चात्वर्ती रूपान्तरण भी नत्थी नहीं रहते, फलस्वरूप समय-समय पर वेतन-स्थितियों को समझ पाना संभव नहीं होता ।

(छ) कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि प्रश्नावली के उत्तर में यह कहा गया है कि सरकारी सेवक ने वित्त विभाग के ज्ञापांक 5282 वि०, दिनांक 26-4-1951 के अधीन अपना विकल्प प्रयोग किया है, किन्तु सेवा-पुस्तिका में वह मूल-विकल्प चिपकाया नहीं रहता है जिसपर विकल्प देने की तिथि अंकित हो और प्रतिहस्ताक्षर हों । इन परिस्थितियों में पेंशन की अनुमान्यता सम्बन्धी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती ।

(ज) अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में एल०डब्लू०पी० की स्वीकृति से वृद्धियाँ स्थगित नहीं की जातीं । फलत: महालेखाकार कार्यालय को कागजात वापस करना आवश्यक हो जाता है ताकि वेतन का सही-सही नियमन किया जा सके और अधिभुगतान की राशि का पता किया जा सके ।

2. पेंशन-स्वीकृति में विलम्ब कम करने और महालेखाकार कार्यालय और पेंशन--स्वीकृति प्राधिकारी के बीच सुदीर्घ पत्राचार से बचने के लिये अनुरोध है कि प्रश्नावली में अंकित मदों को भरते समय अधिक ध्यान दिया जाए । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बिन्दुओं का विधिवत् परिहार किया गया है ताकि वे यथासाध्य आपत्तिमुक्त हों ।

3. राज्य सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता है । उक्त नियम का उद्देश्य पहले ही इस विभाग के ज्ञापांक पी० 1-1013/55-2090 वि०, दिनांक 15-2-1956 में स्पष्ट किया जा चुका है ।

अत: अनुरोध है कि प्रत्येक पेंशन-मामला सरकारी सेवक की वास्तविक निवृत्ति की तिथि से कम-से-कम एक वर्ष (अब पन्द्रह माह)) पहले हाथ में लिया जाए ।

4. पेंशन-मामलों के त्वरित निष्पादन की एक मुख्य बात यह है कि महालेखाकार बिहार द्वारा आपत्ति सहित लौटाये गए मामलों को उनमें की गई आपत्तियों को दूर करके उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पुन:प्रेषित कर दिया जाए । अत: सरकारी विभागों से आग्रह है कि वे वैसे मामलों को अनुपालनोपरान्त बहुत जल्द महालेखाकार कार्यालय को वापस कर दें । जिन मामलों में महालेखाकार, बिहार द्वारा पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की अनुमान्यता संबंधी रिपोर्ट ऐसी कतिपय शर्तों के अध्यधीन की जाती है जो लघु प्रकृति की आपत्तियाँ होती हैं या जिसमें उन्हें स्पष्टीकरण देना होता है, उन मामलों में कोई वजह नहीं दिखती कि आपत्तियाँ दूर करने और पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति प्रदान करने में अधिक विलम्ब क्यों होता है ।

पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब से बचने के लिए इन निर्देशों से अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाए । [ ***ज्ञापांक पेन-1049/59/पी० 1-3-23434 वि०, दिनांक 8-12-1959** ]

**2.**

***विषय : पेंशन मामलों के अशुद्ध और/या अपूर्ण प्रस्तुतिकरण की वजह से पेंशन-मामलों के निष्पादन में विलम्ब ।**

सरकार को जानकारी दी गई है कि महालेखाकार के कार्यालयों को भेजे गए बहुत सारे पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान मामले अपूर्ण और अशुद्ध हैं और फलस्वरूप पेंशन-मामलों के अंतिमीकरण के पहले सुदीर्घ पत्राचार करने की आवश्यकता है । इससे पेंशन की स्वीकृति में विलम्ब होगा और परिणाम स्वरूप पेंशनभोगी को कठिनाई होगी ।

2. पेंशन-स्वीकृति में विलम्ब और महालेखाकार-कार्यालय और पेंशन-स्वीकृति प्राधिकारी के बीच पत्राचार को कम करने की दृष्टिबिन्दु से, महालेखाकार, बिहार के परामर्श से एक प्रश्नावली (प्रति संलग्न) तैयार की गई है जो उत्तरित कर दिये जाने पर पेंशन-मामला को करीब-करीब पूर्ण कर देगी ।

3. अनुरोध है कि प्रश्नावली में बताई गई रूपरेखा के आधार पर हर पेंशन-मामला को पूर्णता दी जाये, और पेंशन-कागजात के साथ विधिवत् उत्तरित और अग्रसारण पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति महालेखाकार को भेजी जाए ।

4. 24 फरवरी, 1954 के बाद महालेखाकार को बिना प्रश्नावली और उत्तर के भेजे गए सभी पेंशन- मामले महालेखाकार द्वारा फिर से उन सबके साथ भेजे जाने के लिए वापस कर दिये जाएँ।

5. मापदण्ड के अनुसार प्रश्नावली बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं और इस बीच हस्तलिखित प्रतियों का प्रयोग किया जाए।

6. ऊपरांकित निर्देश उन सभी प्राधिकारियों को, जो पेंशन स्वीकृत करने को सक्षम हैं या पेंशन-कागजात को तैयार करने से सम्बन्ध रखते हैं, संसूचित कर दिये जाएँ। [ *ज्ञापांक 1562-वि०, दिनांक 5 दिसम्बर, 1953 ]

**प्रश्नावली**

| प्रश्न | उत्तर (प्रत्येक मद के सामने हाँ या न में उत्तर दें।) |
|---|---|
| 1. क्या पेंशन मामला के साथ निम्न प्रत्येक विवरण संलग्न किए जाते हैं – | |
| (1) बिहार पेंशन नियमावली के प्रपत्र 4 में पेंशन हेतु आवेदन पत्र | |
| (2) निवृत्ति की तिथि तक अद्यतन सेवा पुस्त और छुट्टी लेखा – क्या सेवा पुस्त का प्रथम पन्ना जाँचोपरान्त पुन: अभिप्रमाणित 5 वर्ष के अन्तराल में की गई है। | |
| (3) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र जिसमें किस तिथि तक और किस दर से भुगतान किया गया दर्शाते हुए – | |
| (4) पेंशन आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ की एक प्रति विधिवत् भरा हुआ और अभिप्रमाणित | |
| (5) दो हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना | |
| (6) दो चिह्न जिस पर बाएँ अँगूठा और अँगुलियों का निशान हो (पासपोर्ट साइज फोटो जहाँ जरूरत हो) विधिवत् अभिप्रमाणित। | |
| 2. क्या सम्पूर्ण अराजपत्रित सेवा (राजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में, अराजपत्रित सेवा का अंश, यदि कोई हो) को स्थानीय अभिलेख से मिलान प्रत्येक वर्ष किया गया है और प्रत्येक वर्ष सेवा पुस्त में अंकित किया गया है। | |
| क्या बिहार पेंशन नियमावली के प्रपत्र 4 में इस प्रकार के सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सेवा इतिहास में अंकित किया गया है। | |
| 3. क्या आपने बिहार पेंशन नियमावली के प्रपत्र 4 के पेज 2 में सेवा के इतिहास में दिए गये तिथि का मिलान सेवापुस्त में दी गई तिथि से किया है ताकि दोनों तिथियों में भिन्नता न हो। | |
| 4. क्या बिहार पेंशन नियमावली के नियम 63 में दी गई शर्त्तों का अनुपालन किया गया है। सम्पूर्ण सेवावधि या अस्थायी सेवा के किसी अवधि जो शुरू से प्रारम्भ हुई हो। | |
| (अगर उपर्युक्त का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या इस आशय का प्रविष्टि सेवा-पुस्त में कर दी गई है) | |
| 5. क्या प्रशिक्षु सेवकों के सम्बन्ध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 64 में दी गई शर्त्तों को पूरी कर दी गई है। | |
| 6. (यदि उपर्युक्त का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस आशय की प्रविष्टि अभिप्रमाण के तहत सेवा-पुस्त में कर दी गई है) | |
| 7. क्या बिहार पेंशन नियमावली के नियम 66 में दी गई शर्त्तों को पूरी कर दी गई है। | |
| क्या सेवा-पुस्त में स्थायी पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि और मौलिक वेतन की दर अंकित की गई है ? | |

8. क्या असमर्थता के मामले में असमर्थता का प्रमाण-पत्र सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में प्राप्त कर ली गई है और पेंशन मामलों के साथ संलग्न है ।

9. क्या सेवा-पुस्त में निलम्बन के पश्चात् हुई पुनर्अभिषेक को सेवा-पुस्त में अंकित कर दी गई है ?

10. क्या बिहार पेंशन नियमावली के नियम 110 में दी गई शर्त्तों एवं घोषणा की पूर्त्ति कर दी गई है ?

11. क्या निर्धारित वेतनमान में उनके वेतन की जाँच ऑडिट कार्यालय द्वारा कर ली गई है यदि हाँ तो जाँच प्रतिवेदन पेंशन मामला के साथ संलग्न है । (अगर वेतन निर्धारण विवरणी संलग्न नहीं किया गया है तो उसकी दूसरी प्रति संलग्न की जाये ।)

12. क्या पदाधिकारी ने वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 5285 वि०, दिनांक 25-4-1951 की कंडिका 2 (ख) और 2 (ग) के लिए अपना विकल्प दिया है, यदि हाँ तो क्या आवेदनकर्त्ता का लिखित घोषणा प्राप्त कर प्रति हस्ताक्षरित करा कर सेवापुस्त में चिपका दी गई है ।

13. क्या सेवा-पुस्त के सभी कालमों को उचित अभिप्रमाणन के तहत भर दिया गया है ।

14. (क) क्या सेवा के विगत 8 वर्षों में कोई विशेष वेतन की निकासी की गई है ?
(ख) विशेष वेतन की स्वीकृति हेतु कारणों का उल्लेख करें ।
(ग) क्या यह कर्त्तव्य भत्ता के रूप में था ?

15. क्या विगत तीन वर्षों के अन्दर आवेदक ने विशेष वेतन अवकाश के दौरान प्राप्त किया ?

16. क्या सेवा के तीन वर्षों के अन्दर निकासी की गई विशेष वेतन से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 15 (F) के शर्त्तों की पूर्त्ति होती है ।

17. क्या सरकारी सेवक द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 की टिप्पणी में पेंशन एवं उपदान नहीं प्राप्त करने सम्बन्धी घोषणा को प्रेषित किया गया है ?

18. (क) क्या विगत तीन वर्षों के बीच पड़ने वाली वेतन बढ़ोत्तरी, लेकिन औसत वेतन पर चार माह की छुट्टी को रोक दिया गया है ?
(ख) यदि रोकी नहीं गई है तो क्या औसत वेतन की गणना में इसे सम्मेलित किया गया है ।

19. अगर कोई राशि (जो वेतन की अधिक निकासी, भत्ता या वेतन अग्रिम की नहीं वापस की गई राशि, यात्रा पर यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता, मोटरकार या साईकिल अग्रिम, मकान निर्माण या किसी प्रकार का कोई देन-पावना) जो पेंशनर से अदायगी के लिए लम्बित हो । यदि हाँ तो, इस राशि की कटौती के लिए पेंशनर से सहमति पत्र प्राप्त किया जा सकता है, बिना कटौती किए वित्त विभाग के पत्र संख्या 6654 वि०, दिनांक 30-5-1951 के अनुसार अंतिम पेंशन मंजूर नहीं किया जाये, बल्कि प्रत्याशा पेंशन या घटायी गई पेंशन स्वीकृत की जा सकती है ।

20. (क) क्या छुट्टी, औसत प्राप्ति, मृत्यु-सह-सेवा उपदान का विवरण सेवा-पुस्त से जाँच कर ली गई है और पेंशन कागजात के साथ संलग्न कर दिया गया है ?

21. चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवक के मामले में पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति पेंशन कागजात के साथ संलग्न है ?

22. (क) पेंशनर की मृत्यु के मामले में क्या परिवार पेंशन/और या मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान वास्ते मनोनयन पेंशन कागजात के साथ संलग्न है ।

(ख) मनोनयन नहीं होने की अवस्था में क्या उपदान के लिए पेंशनर के उचित उत्तराधिकारी द्वारा दावा वित्त विभाग के पत्र सं० 11140 वि०, दिनांक 7-9-1951 की कण्डिका 2 (ख) के अनुसार वैधिक उत्तराधिकार के साथ पेश किया गया है।

(ग) क्या विवरणात्मक रौल, हस्ताक्षर का नमूना, अँगूठा/अँगुलियों के निशान (उत्तराधिकारी का) प्राप्त कर संलग्न कर दिया गया है।

23. (क) औपबन्धिक पेंशन/उपदान हेतु आपके द्वारा अनुशंसा की गई है ?

(ख) क्या मनोनयन के अभाव में पेंशनर के वैध उत्तराधिकारी द्वारा उपदान हेतु द्वारा उचित प्राधिकार के साथ वित्त विभाग के पत्रांक V/सी०डी०आर०- 506/51-11140 वि०, दिनांक 7-9-1951 के अनुसार दाखिल किया गया है ?

24. सरकारी सेवक के सेवा से पदच्युति या बर्खास्तगी के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में सक्षम पदाधिकारी से घोषणा प्राप्त की गई है कि सेवक की पूर्व की सेवा की गिनती पेंशन हेतु की जायेगी अथवा नहीं।

25. क्या बिहार सरकार वित्त विभाग के आदेश सं० 1369 वि०, दिनांक 22-3-1953 के अनुसार पेंशन का दावा प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को स्पष्ट किया गया है ?

26. यदि सरकारी सेवक की सेवा एक से अधिक सरकार के अन्दर हो, तो क्या पेंशन आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर इसका उल्लेख किया गया है ?

27. यदि आवेदक किसी सहकारी संस्था या पक्षकार के तहत विदेश सेवा में हो तो उसके विदेश सेवा के वर्षों की तथा पेंशन अनुदान जो दिया गया है तथा महालेखाकार को परामर्शित हो उसका विवरण दें।

28. राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में जिनके वेतन और भत्ता की निकासी ऑडिट ऑफिसर के अंकेक्षण के तहत की गई हो तो क्या उक्त ऑडिट ऑफिसर के पदनाम सहित ऐसी निकासी का विवरण सेवा की वर्षों के साथ संलग्न किया गया है ताकि महालेखाकार द्वारा इसे सत्यापित किया जा सके।

**अग्रसारण पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

**133.** अनुसचिवीय (लिपिक) और गैर-अनुसचिवीय (लिपिक) सरकारी सेवक को, जो बुढ़ापा-पेंशन की उम्र को पहुँच रहे हों, सेवा में बनाये रखने या न बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निकालने की दृष्टि से, महालेखाकार प्रति वर्ष 1ली सितम्बर को या उसके लगभग पद (यदि रिक्त हों) भरने में सक्षम प्राधिकारी के पास उन सरकारी सेवकों की सूची प्रस्तुत करेगा जो अगले सरकारी वर्ष में बुढ़ापा-पेंशन की उम्र को प्राप्त कर लेंगे या बढ़ाई गई सेवा-अवधि पूरी कर लेंगे।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

**1.**

***विषय : आयु की माफी और सेवा में कमी।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन 1013/68/8426 एफ०, दिनांक 30 जुलाई, 1963 का निर्देश करें जिसके तहत उपसचिव, प्रभारी पेंशन, वित्त विभाग को पेंशन-मामले के निबटारे में बाधक होनेवाले विभिन्न कारणों से संव्यवहार करने की उपर्युक्त शक्तियाँ प्रदान की गई है।

2. विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बकाया पड़े पेंशन-मामलों की समीक्षा की गई और पाया गया कि पेंशन-मामले अधिकतर निम्नांकित कारणों से रुके पड़े हैं :-

(ए) पेंशनलाभी और उसके पारिवारिक सदस्यों छायाचित्र और हस्ताक्षर नमूने का अभाव;

(बी) आयु की माफी, सेवा में कमी, पेंशन के लिए अस्थायी सेवा की गणना और अन्य सेवा-शर्तों में शिथिलता।

3. जबकि पेंशनलाभियों से छाया-चित्र और हस्ताक्षर-नमूने प्राप्त करने हैं और जब तक वे प्राप्त नहीं हो जाते तब तक पेंशन-कागजात का निबटारा नहीं हो सकता; आयु की माफी और सेवाकमी, आदि प्रश्न पेंशनप्रभारी उपसचिव द्वारा निर्णीत किये जा सकते हैं बशर्ते कि उन्हें आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध करा दी जायें ।

4. अत: अनुरोध है कि सभी पेंशन-मामले जो आयु की माफी और सेवा-शर्तों में शिथिलता, आदि के लिये रूके पड़े हैं पेंशन प्रभारी उप-सचिव को भेज दिये जायें जिससे वे इन पेंशन-मामलों का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र कर सकें ।

5. सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों या उन सेवकों, जो एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, के वेतन-निर्धारण मामले उनके पास उनके नाम से भेज दिये जायें । [ ***ज्ञापांक पेन–104/68/1418 वि०, दिनांक 12-12-1968** ]

**2.**

***विषय : अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में रहने पर रोक ।**

लम्बित पेंशन मामलों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद में भी सरकारी सेवक वर्षों तक सेवा में रख लिये जाते हैं और उन्हें आम राजस्व से भुगतान किया जाता है, जो अनियमित है । इसका दुष्प्रभाव उनके पेंशन/ग्रैच्युटी के मामले के शीघ्र निष्पादन पर पड़ता है और उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक कठिनाइयों का शिकार होना पड़ता है । इस प्रकार की अनियमितता के निम्नांकित मुख्य कारण हैं :–

(1) पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी/कार्यालय प्रधान द्वारा आगामी 18 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अग्रिम सूची नहीं तैयार की जाती है और उस सूची के अनुसार समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है;

(2) उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर नियमों एवं निर्गत राज्यादेश का सही रूप में अनुपालन नहीं किया जाता है ।

2. प्रचलित नियमों के अधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में औपबन्धिक पेंशन/ग्रैच्युटी की स्वीकृति की शक्ति कार्यालय प्रधान को प्रदत्त है । अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन को तैयार करने की सारी जिम्मेदारी कार्यालय प्रधान की ही है । कर्मचारियों की सेवा-पुस्ति कार्यालय प्रधान के पास ही रहती है । अत: सेवा अभिलेखों के आधार पर ही सेवानिवृत्ति के 18 माह पूर्व सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व उन्हीं का है । परन्तु पेंशन स्वीकृत पदाधिकारी को नियुक्ति पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इस बात की पूर्ण जानकारी रखना चाहिए कि उनके अधीन कौन कर्मचारी कब सेवानिवृत्ति की अनिवार्य आयु अर्थात् 58 वर्ष प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही उन्हें सेवानिवृत्त करा देने की पूर्ण जिम्मेवारी है ।

**राजपत्रित पदाधिकारी**

राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवा अभिलेख महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में रहता है । तिथि 1-4-1967 के बाद राजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन कागजात को तैयार करने की जिम्मेवारी महालेखाकार, बिहार की है । अत: उन्हें अगले 18 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूचना पेंशन स्वीकृति पदाधिकारियों के पास तैयार कर भेज देना चाहिए । जिससे वे सम्बद्ध राजपत्रित कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में नहीं रख सके । साथ ही पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी भी अपने स्तर से इस तथ्य की सदैव जाँच करते रहें कि किस राजपत्रित कर्मचारी को किसी अमुक तिथि को सेवानिवृत्त होना है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करते ही उन्हें एक दिन भी सेवा में बने रहने देना नहीं चाहिए ।

साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों की यह पूर्ण जिम्मेवारी है कि वे अपना पेंशन सम्बन्धी कागजात 18 माह पूर्व ही दाखिल कर दें । ऐसे राजपत्रित कर्मचारी जिनका वेतन पुर्जा महालेखाकार द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है, उनके मामले में अराजपत्रित कर्मचारियों की तरह ही आवश्यक कार्रवाई की जाये । अगर कोई राजपत्रित कर्मचारी राज्य सरकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के स्वेच्छा से 58 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने रहते तो वे उस अवधि के लिए वेतन भत्ता आदि से वंचित रहेंगे तथा कदाचित उस अवधि के लिए उन्हें पेंशन/उपदान आदि की सुविधा नहीं मिलेगी ।

3. इस प्रसंग में वित्त विभाग के ज्ञापांक–3/पी०ए०आर०–01/77–9989/वि०, दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 भी द्रष्टव्य है। किसी हालत में किसी कोटि के कर्मचारी को 58 वर्ष के बाद सेवा में बने रहना सरकारी आदेश की स्पष्ट अवहेलना है और अनाधिकृत है। अगर इस प्रकार के मामले सरकार की नजर में आवें तो दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और गलत ढंग से वेतन आदि के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली करने की कार्रवाई की जायेगी।

4. इस परिपत्र में विहित आदेश का पूर्णत: पालन किया जाये। इसकी सूचना अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी दे दी जाये। [ *ज्ञापांक सं०–2-20-78–5749 वि०, दिनांक 14-4-1979 ]

**3.**

***विषय : सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के बाद सेवा में बने रहने पर रोक।**

राज्य सरकार ने समय-समय पर वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9989/वि०, दिनांक 4-10-1977, संख्या–5749 वि०, दिनांक 14-4-1978 एवं संख्या 591/वि०, दिनांक 29-1-1986 के जरिये सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की 58 वर्ष की आयु के बाद किसी भी स्थिति में सेवा में बनाये रखने पर रोक लगा रखी है तथा उक्त परिपत्रों में निहित नीति-निर्णय को शिथिल नहीं करने के निदेश भी हैं।

2. फिर भी कुछ ऐसे मामले सामने आये जिनमें पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त कराने की वास्तविक रूप में आवश्यकता महसूस की गई। उसी उद्देश्य से मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा परिपत्र संख्या–460, दिनांक 1-3-1988 निर्गत किया गया है।

3. मंत्रिमंडल सचिवालय के उक्त–परिपत्र में अपवाद स्वरूप जनहित में, एक महीने पहले से सरकारी निर्णय प्राप्त कर अधिकतम तीन महीने के सेवा-विस्तार की स्वीकृति का प्रावधान है।

4. पूर्ण पेंशन एवं उपदान का लाभ प्राप्त कराने के उद्देश्य से अधिकतम तीन महीने की सेवा-वृद्धि स्वीकृत करने का भी प्रावधान उक्त परिपत्र में है। किन्तु पाया जा रहा है कि पूर्ण पेंशन एवं उपदान की प्राप्ति के लिए तीन महीने की सेवा–वृद्धि के अनेक ऐसे दावे भी पेश किए जा रहे हैं जिनमें मात्र कुछ दिनों का सेवा-विस्तार स्वीकृत करने से पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो जा सकता है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 1 मार्च, 1988 के उक्त परिपत्र में निहित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निरूपण की आवश्यकता महसूस की गई है।

5. अत: सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पूर्ण पेंशन एवं उपदान का लाभ स्वीकृत कराने के वैसे ही उद्देश्य से भी वैसे ही पदाधिकारियों/कर्मचारियों के मामले विचार के लिए प्रस्तुत किये जायें –

(क) जिनकी चारित्रिक अभ्युक्तियाँ उत्तम अथवा उच्च कोटि की हो, न कि मात्र साधारण, औसत अथवा संतोषजनक श्रेणी की, और

(ख) जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक अथवा विभागीय कार्यवाही या कोई फौजदारी मुकदमा लम्बित या विचाराधीन नहीं हो।

साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि पूर्ण पेंशन एवं उपदान का लाभ प्राप्त हो जाने के लिए तैंतीस वर्षों की निर्धारित समय-सीमा पूरी होने में वास्तविक रूप में जितने दिन की कमी हो, मात्र उतने ही दिनों के लिए सेवा–विस्तार की स्वीकृति केवल उपर्युक्त शर्तों को पूरा करनेवाले मामलों में ही दी जा सकती है, किन्तु किसी भी दशा में सेवा–वृद्धि की यह अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

6. इस प्रसंग में यह महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि नियमों के अन्तर्गत विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए वित्त विभगा के माध्यम से सरकार के पूर्व सक्षमादेश के बिना, किसी भी सरकारी सेवक को 58 वर्ष की अनिवार्य सेवा–निवृत्ति की आयु पूरी करने के बाद एक दिन के लिए भी सेवा में नहीं रहने दिया जाये और नहीं कोई सरकारी सेवक स्वयं भी रहें। ऐसा करने की जिम्मेदारी तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी एवं सम्बन्धित सरकारी सेवक की होगी। बिना सक्षमादेश के सम्बन्धित सरकारी सेवक स्वत: सेवानिवृत्त माना जायेगा

और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे एक दिन के लिये भी किसी वेतनादि या किसी अन्य किस्म के भुगतान अनुमान्य नहीं होगा । इसका सर्वथा दृढ़ता से पालन किया जाये । [ ***ज्ञाप संख्या 3/एफ 3-02/88/6287 वि० ( 2 ), दिनांक 17-9-1988 ]**

## प्रकरण 5 : निवृत्ति-पेंशन

**134.** (क) निवृत्ति-पेंशन उस सरकारी सेवक को दी जाती है जिसे तीस वर्षों या ऐसी कम अवधि, जो किसी खास वर्ग के सरकारी सेवक के लिये विहित हो, की पेन्शन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की जाए ।

(ख) निवृत्ति-पेंशन उस सरकारी सेवक को भी दी जाती है जिसे 25 वर्षों या उससे अधिक अथवा सेवा की किसी अन्य विहित अवधि की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी करने के बाद निवृत्त होना पड़ता है ।

(देखें : बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता का नियम 75 (घ), नियम 135, और नीचे टिप्पणी 1) । [अब बिहार सेवा संहिता का नियम 74 देखें ।]

***राज्य सरकार का निर्णय –***

**1.**

***विषय : सरकारी सेवक का सरकारी कम्पनी/निगम में स्थायी स्थानान्तरण-सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति ।**

राज्य सरकार के पास यह प्रश्न विचाराधीन रहा था कि यदि किसी सरकारी सेवक को जिन्हें सरकार द्वारा स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम-निकाय की सेवा में प्रतिनियुक्त या स्थानान्तरित कर दिया गया है या जिनकी सेवाएँ वैसे निकाय को उधार दी गई हैं, उस निकाय की सेवा में स्थायी रूप से विलीन कर दिये जाने की स्थिति में सरकार के अधीन उनके द्वारा की गई पेंशनप्रदायी सेवा के लिए कोई सेवानिवृत्ति लाभ मंजूर किया जा सकेगा अथवा नहीं, और यदि हाँ तो किस सीमा तक और किस रूप में । सावधानी से विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वैसे मामले में, नीचे दी गई कंडिका 2 की अंतर्वस्तु में अध्यधीन उस राशि के बराबर राशि जो सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकार के अधीन अंशदायी भविष्य निधि शर्तों पर सेवा के दौरान अंशदान की होती है साथ-साथ सरकार के अधीन उसकी पेंशनप्रदायी सेवावधि के लिए दो प्रतिशत साधारण ब्याज, स्थायी रूप से विलीन होने की तारीख को आरंभिक अतिशेष स्वरूप स्वशासी निकाय के पास उसके अंशदायी भविष्य निधि लेखा के नाम डाल दी जायेगी, और इस अदायगी के फलस्वरूप सरकार के अधीन उक्त पदाधिकारी का पेंशनप्रदायी सेवा के सम्बन्ध में सरकार का दायित्व समाप्त समझा जायेगा । सरकारी अंशदान की दर सम्बद्ध सरकारी सेवक की उपलब्धियों की 6½% (साढ़े छह प्रतिशत) होगी ।

2. उपर्युक्त निर्णय केवल उसी मामले में लागू होगा जिसमें सरकारी सेवा से स्वशासी निकाय में स्थानान्तरण लोकहित में किया गया हो और स्थानान्तरण सरकारी या अर्धसरकारी निकाय में न कि निजी संस्थान में किया गया हो । अन्य किसी मामले में पदाधिकारी के स्थानान्तरण के पहले उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिये सेवानिवृत्ति लाभ देने का दायित्व सरकार पर नहीं होगा ।

3. रियायत का दावा पेश करने का अधिकार होगा, लेकिन इसे मंजूर करना मामला-दर-मामला सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा और मामला विशेष के औचित्य पर निर्भर करेगा । [ ***वित्त विभाग ज्ञापांक पेन०-1050/62/15445-एफ०, दिनांक 5-12-1962 ]**

**2.**

***विषय : सरकारी सेवकों का सरकारी कंपनियों/निगमों में स्थायी स्थानान्तरण-निवृत्ति-लाभों की स्वीकृति ।**

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से अन्तर्लीन सरकारी सेवकों को स्वीकृत किये जाने वाले निवृत्ति-लाभों को राज्य सरकार ने और समीक्षा की है और सभी पौर्विक आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये हैं :–

**( क ) परिस्थितियाँ जिनमें स्थायी अन्तर्लीनता की अनुमति दी जा सकेगी ।**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियोजन पर होने वाले सरकारी सेवकों को लोकहित में स्थायी आधार पर अन्तर्लीन किया जा सकता है । केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सरकारी सेवा से स्थानान्तरण की अनुमति दी जायेगी । अन्य किसी मामले में सरकारी पदाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण से पहले सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति-लाभ देने का दायित्व नहीं स्वीकार करेगी । सरकारी सेवक, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अंतर्लीन होने की अनुमति दी जायेगी, सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी अंतर्लीनता की तारीख से सरकारी सेवा से निवृत्त समझा जायेगा ।

**( ख ) पेंशनी लाभ**

(1) **स्थायी सरकारी सेवक, सार्वजनिक उपक्रम में अंतर्लीन होने पर, अंतर्लीन होने की तारीख तक सरकार के अधीन उसकी अर्हता प्रदायी सेवा की लम्बाई पर आधारित आनुपातिक पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान पाने के उपयुक्त होंगे ।** पेंशन की गणना अंतर्लीनता की तिथि से पूर्व की एक वर्ष की औसत उपलब्धियों के आधार पर की जायेगी और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की गणना अंतर्लीनता के तुरंत पहले निकाली गई उपलब्धियों के आधार पर की जायेगी । **जिन मामलों में अंतर्लीनता के समय सरकारी सेवक की 10 वर्ष से कम सेवा होगी और पेंशन का हकदार नहीं होगा, उनमें आनुपातिक पेंशन का प्रश्न नहीं उठेगा; वह केवल पेंशन के बदले आनुपातिक सेवा-उपदान और सेवा की लम्बाई पर आधारित मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान उपयुक्त होंगे ।**

(2) पेंशन/उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि सम्बद्ध सरकारी सेवक के स्थायी अंतर्लीनता के समय प्रवृत्त नियमों के आधार पर गणित की जायेगी, और सार्वजनिक उपक्रम में अंतर्लीनता पर तुरंत उसे उसकी पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान दे दिये जायेंगे । तथापि, वैसे सरकारी सेवक को वचनबद्धता देनी होगी कि यदि सरकारी सेवा से निवृत्ति और सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी अंतर्लीनता की तारीख दो वर्ष के अन्दर नियोजक अथवा कर्मचारी की प्रेरणा पर सार्वजनिक उपक्रम में उसकी सेवा समाप्त हो जायेगी तो वह किसी प्राइवेट नियोजन ग्रहण करने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

(3) जो कुछ पेंशनी लाभ सरकारी सेवक अपनी अन्तर्लीनता के पहले अर्जित करेगा वह सब उसे सार्वजनिक उपक्रम के अधीन वेतन के अतिरिक्त मिला करेगा ।

(4) वैसे सरकारी सेवक के लिए विकल्प होगा कि या तो

   (क) वह सामान्य सरकारी व्यवस्था के तहत पूर्व में गणित मासिक पेंशन, और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान लें, अथवा

   (ख) वह उपदान और उस तारीख को, जबसे आनुपातिक पेंशन, उपदान, आदि भुगतेय हैं, प्रचलित रूपान्तरण तालिका के अनुसार गणित पेंशन के बदले एकमुस्त रकम लें ।

   ऊपर बताये गये विकल्प का प्रयोग लिखित रूप में स्थायी अंतर्लीनता की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर करना होगा और सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा इसका संप्रेषण उपक्रम को तथा महालेखाकार बिहार को और सम्बद्ध मूल कार्यालय को किया जायेगा जो सरकारी सेवक ऊपरांकित (क) के लिए विकल्प देंगे वे राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पेंशन के रूपांतरण के लाभ के भी हकदार होंगे । जिन मामलों में विहित समय के अन्दर कोई विकल्प नहीं दिया जायेगा उनमें सम्बद्ध सरकारी सेवक ऊपरांकित (ख) द्वारा शासित होंगे ।

(5) सार्वजनिक उपक्रमों में स्थायी रूप से अंतर्लीन होनेवाले सरकारी सेवकों के मामले में सरकार पारिवारिक पेंशन का कोई दायित्व नहीं लेगी ।

(6) सरकारी सेवक के सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी रूप से अन्तर्लीन हो जाने के बाद सरकार द्वारा पेंशन नियमों को अधिक उदार बनाने के निर्णय का लाभ उस सेवक को नहीं मिलेगा ।

**( ग ) भविष्य निधि**

उपक्रम के अधीन सेवा के लिये विकल्प देनेवाले सरकारी सेवक के भविष्य निधि खाता में जमा अंशदान-राशि और उसका ब्याज, यदि सेवक चाहे, उस उपक्रम के अधीन उसके नये भविष्य निधि खाता में अन्तरित कर दिया जायेगा बशर्त्ते सम्बद्ध उपक्रम भी वैसा अन्तरण के लिए सहमत हो । तथापि, यदि सम्बद्ध उपक्रम भविष्य निधि नहीं चलाता हो तो प्रश्नाधीन राशि अंशदाता को वापस कर दी जायेगी । सरकारी अंशदायी भविष्य निधि द्वारा आच्छादित सरकारी सेवक को, यदि वह चाहें, उपक्रम में अपने नये भविष्य निधि लेखा के सरकारी अंशदान समेत समग्र राशि अग्रनीत करने की भी अनुमति दी जायेगी । भविष्य निधि अतिशेष का एक बार इस तरह से अन्तरण हो जाने के बाद सम्बद्ध सरकारी सेवक सम्बद्ध उपक्रम के भविष्य निधि नियमों से शासित होंगे, न कि राज्य सरकार के भविष्य निधि नियमों से ।

**( घ ) अर्जित छुट्टी**

1. प्रतिनियुक्त व्यक्ति को अंतर्लीन करने की स्थिति में सम्बद्ध सार्वजनिक उपक्रम सरकारी सेवक को उपक्रम में अंतर्लीन करने वास्ते अंतिम आदेश जारी करते समय उस औसत-वेतन पर छुट्टी/अर्जित छुट्टी को, जो सम्बद्ध सरकारी सेवक का सरकारी सेवा छोड़ते समय उसके खाते में जमा है, अपने दायित्व में ले लेगा और बदले में इसके लिए राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम में उसके स्थायी अंतर्लय की तिथि को उसकी बाकी औसत-वेतन पर छुट्टी/अर्जित छुट्टी के लिए छुट्टी-वेतन के बराबर एकमुस्त रकम उपक्रम को अदा करेगी । सार्वजनिक उपक्रम द्वारा हर तरह का नहीं अदा किया गया छुट्टी-वेतन-अंशदान सम्बद्ध सरकारी सेवक की औसत-वेतन पर छुट्टी/अर्जित छुट्टी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा देय एकमुस्त रकम के प्रति समंजित किया जायेगा ।
2. उपर्युक्त आदेश निर्गम की तिथि से प्रभावी होंगे और उन सरकारी सेवकों के मामलों को आच्छादित करेंगे जो उक्त तिथि को सार्वजनिक उपक्रम में सेवारत हैं ।
3. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा सचिवालय और बिहार विधान परिषद् सचिवालय में सेवारत व्यक्तियों का सम्बन्ध है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद् के सभापति से सहमति प्राप्त करने के बाद अलग से आदेश निर्गत किये जाएँगे ।
4. सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी सेवक के स्थायी (अंतर्लय से सम्बन्धित सभी मामलों का निष्पादन उपर्युक्त संप्रेषित निर्णयों के आलोक में किया जायेगा । **[ ज्ञापांक पेन-1044/70/1950 वि०, दिनांक 18-2-1974 ]**

**3.**

***विषय : सरकारी सेवक का सरकारी कंपनी/निगम में स्थायी स्थानान्तरण — सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति ।**

वित्त विभाग के उपर्युक्त विषयक ज्ञापांक पी०सी०-पेन-1044/70/1950 वि०, दिनांक 18-2-1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है और निम्नांकित प्रकार से स्पष्टीकृत किया जाता है —

(1) सरकारी कंपनियों/निगमों में सरकारी सेवकों के स्थायी स्थानान्तरण और उन्हें सेवानिवृत्ति-लाभों की स्वीकृति से सम्बन्धित सभी आदेश वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे ।

(2) वैसी कंपनी/निगम में आदित : प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से अंतर्लीन नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसा करने से छुट्टी/पेंशन-अंशदान की वापसी या गैर अदायगी का दावा उद्‌भूत होगा जिसे वर्तमान नियमों के तहत न तो रोका जा सकता है और न वापस किया जा सकता है ।

(3) जैसा कि ऊपर में निर्देशित वित्त विभाग के ज्ञापांक 1950 एफ०, दिनांक 18 फरवरी, 1974 में बताया गया है, सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों के स्थायी रूप से अंतर्लीन होनेवाले सभी मामलों की जाँच उनमें अन्तर्निहित लोकहित के दृष्टिकोण से की जाये । जिस मामले में सरकारी सेवक को स्वशासी निकाय (सार्वजनिक उपक्रम समेत) में नियुक्ति के लिये चयन उसके स्वयं के आवेदन पत्र

के आधार पर किया जायेगा, उसमें उनका स्थानान्तरण लोकहित में नहीं समझा जाये और सरकार अपने अधीन की गई सेवा की अवधि के लिए किसी निवृत्ति-लाभ या छुट्टी का अग्रनयन के सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं स्वीकार करे । [ ***वित्त विभाग ज्ञापांक पी०सी० 11-40-55/75-5190 एफ०, दिनांक 30-4-1976 ]**

**135.** नियम 5 में वर्णित सरकारी सेवक, अपने त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने पर निवृत्ति-पेन्शन पाने के हकदार तभी होंगे, जबकि वे कम से कम 25 वर्षों की पेन्शनप्रदायी सेवा पूरी कर चुके हों ।

**टिप्पणी 1 :** सरकार को पूर्ण अधिकार होगा कि वह 25 वर्षों की पेंशन-प्रदायी सेवा पूरी कर लेने के बाद ऐसे किसी सरकारी सेवक को बिना कारण बताये निवृत्त कर दे और इस मद्दे विशेष क्षतिपूर्ति का कोई दावा स्वीकार न किया जायेगा । इस अधिकार का प्रयोग तभी किया जायेगा, जबकि सरकारी सेवक को आगे सेवा में न रखना लोकहित में हो ।

[1] [इस टिप्पणी के अनुसार की गई अनिवार्य निवृत्ति संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के अर्थ में बर्खास्तगी या सेवा से हटाया जाना नहीं है और इस प्रकार निवृत्त किया गया सरकारी सेवक साधिकार यह दावा नहीं कर सकता कि उसके सम्बन्ध में की जानेवाली कार्रवाई के खिलाफ उसे सफाई देने के लिये उचित अवसर मिलना चाहिये । ऐसे मामलों में, किसी सरकारी सेवक को सरकारी सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त करने के पहले उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने के लिए विनिहित प्रक्रिया का अनुसरण करना भी आवश्यक न होगा ।

**टिप्पणी 2 :** जो सरकारी सेवक 15वीं नवम्बर, 1919 को या के पहले सेवा में था, उसके त्यागपत्र की स्वीकृति किसी भी दशा में उसके त्यागपत्र की तारीख से 6 महीने से अधिक स्थगित न रखी जायेगी ।

**टिप्पणी 3 :** देखें नियम 157 भी ।

## अध्याय-7

# पेंशन की रकम

### प्रकरण 1 : सामान्य

**136.** दी जा सकनेवाली पेंशन की रकम सेवा काल के आधार पर नियत होती है, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रकरणों में उल्लिखित है । पेंशन की गणना में वर्ष का भिन्नांक नहीं जोड़ा जाता;

परन्तु नियम 147 के अधीन विशेष अतिरिक्त पेंशन की रकम सेवा के पूरे महीनों के आधार पर नियत होती है, जैसे पेंशन-प्रदायी सेवा के 2 वर्ष 6 महीने का 30 महीना गिना जायेगा और अतिरिक्त पेंशन की गणना तद्नुसार की जायेगी । महीने का भिन्नांक न जोड़ा जायेगा ।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

*जब सरकारी सेवक की अर्हक सेवा की अवधि पूर्ण वर्ष से 6 माह अधिक हो जाये तो उक्त सेवक को अतिरिक्त 6 माह का लाभ देकर पेंशन और उपदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । [ ***जी०ओ०न० 12928, दिनांक 4-9-1962 जो दिनांक 1-8-1962 से प्रभावी होगा ।]**

[2] [ **137.** रुपये में नियत पेंशन की गणना, पाँच नये पैसे के निकटतम घात में की जायेगी ( यह पहली अप्रैल, 1957 से लागू होगी) ।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

**1.**

***विषय : पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण – अन्तिम पूर्ण रुपये तक पेंशन राशि को करने के सम्बन्ध में ।**

समय-समय पर राज्य सरकार का ध्यान पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु आकृष्ट किया जाता रहा है, तद्नुसार राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पेंशन की अन्तिम निर्धारित राशि को पूर्ण रुपये में ही पूर्णांकित किया जाये ।

---

1. पुरानी उप-कंडिका और व्याख्या के लिए प्रतिस्थापित, देखें, वित्त विभाग अधिसूचना सं० एफ०-1-1068/52-1217-वि०, दिनांक 30 जनवरी, 1953; शुद्धि पत्र सं० 17, दिनांक 1 जुलाई, 1953 ।
2. शुद्धि पत्र सं० 59, दिनांक 28-5-1959 द्वारा प्रतिस्थापित ( दिनांक 1-4-1957 से प्रभावी ) ।

सम्बन्धित नियम का संशोधन कालान्तर में निर्गत की जायेगी । [ *ज्ञाप सं० 15982 वि०, दिनांक 28-11-1969 ]

**138.** पेंशन की रकम भारतीय रुपयों में नियत होती है, यद्यपि यह भारत के बाहर देय हो ।

**139. (क) इस नियमावली** के अधीन अनुमान्य पूरी पेंशन मामूली तौर से न दी जाएगी, अथवा तबतक न दी जाएगी जब तक कि की गई सेवा वस्तुतः अनुमोदित न हो गयी हो ।

**(ख) यदि सेवा पूर्णतः सन्तोषजनक** न रही हो, तो पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी पेंशन की रकम में यथोचित कटौती कर सकता है ।

[1][(ग) अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन पारित पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश को पुनरीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार को है यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असन्तोषप्रद रहा है । लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ सम्बन्धित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान करने और उससे जवाब प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए, पर इस शक्ति का प्रयोग प्रथम पेंशन स्वीकृति की तिथि से तीन साल के बाद नहीं की जायेगी ।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

***विषय : पेंशन-राशि में कमी ।**

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (क) और (ख) का निर्देश किया जाए जो निम्नोद्धृत हैं–

"(क) नियमानुसार अनुमान्य पेंशन सहज ही नहीं दी जानी है और न तो जबतक की गई सेवा का वास्तविक अनुमोदन हुआ हो ।

(ख) यदि भलीभाँति संतोषप्रद सेवा नहीं रही हो तो पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी उतनी कमी कर दें जितनी वह उचित समझें ।"

यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था कि क्या पेंशन या उपदान में कमी करने के पहले सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दी जाए ।

2. सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी पेंशन या उपदान या दोनों में कमी करने सम्बन्धी अंतिम आदेश पारित करने के पहले उस राशि में प्रस्तावित कमी और उसके कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को दें और उस व्यक्ति से नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर या वैसा अधिक समय, जो प्राधिकारी अनुमत करें, के अन्दर वैसे अभिवेदन की माँग करें जैसा वह व्यक्ति प्रस्तावित कमी के विरुद्ध करना चाहता हो, और अंतिम आदेश पारित करने के पहले उस अभिवेदन पर, यदि दिया गया हो, विचार करें ।

3. बिहार पेंशन नियमावली को उपर्युक्त आधार पर संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई यथासमय की जायेगी । [ *वित्त विभाग ज्ञापांक पी०सी०–11–40–72/75–975 वि०, दिनांक 19–1–1976 ]

**140.** यदि कोई सरकारी सेवक जो क्षतिपूर्ति-पेंशन पाने का हकदार हो, उसके बदले, लोक-सेवा में कोई दूसरी नियुक्ति स्वीकार कर ले और बाद में किसी श्रेणी की पेंशन पाने का फिर हकदार हो जाये, तो ऐसी पेंशन की रकम उस रकम से कम न होगी जिसका दावा, नियुक्ति स्वीकार न करने पर वह कर सकता ।

## परिसीमाएँ

**141.** पेंशन का हकदार सरकारी सेवक, पेंशन के बदले उपदान नहीं ले सकता ।

**142.** यदि किसी सरकारी सेवक ने अनेक पद धारण किये हों, जिनमें से हरेक के सम्बन्ध में उसे पेंशन अनुमान्य होती, यदि उसने उसे अलग-अलग और अकेले धारण किया होता, तो उसे अनुमान्य पेंशन की रकम उन अनेक पेंशनों की कुल रकम के बराबर होगी जो उसे अनुमान्य होती, यदि उसने हरेक पद को अलग-अलग और अकेले धारण किया होता । इस प्रकार अनुमान्य समेकित (इकट्ठी) पेंशन, इस अध्याय के 2 से 4 तक प्रकरणों में उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन रहेगी ।

1. शुद्धि पत्र सं० 89, दिनांक 7-12-1961 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**143.** कोई सरकारी सेवक, किसी पद पर की गई सेवा के लिये जो किसी दूसरे पद के साथ संयुक्त रूप से की गई हो, किसी ऐसे पेंशन का हकदार न होगा जो उसे अनुमान्य न होती, यदि उसने उस पद को अलग-अलग और अकेले धारण किया होता ।

## प्रकरण 2 : उत्कृष्ट पेंशन

### उप-प्रकरण ( 1 ) : उपदान

**144.** 10 वर्ष से कम की सेवा करने पर सरकारी सेवक को उपदान दिया जा सकता है जिसकी राशि सेवा के हरेक पूरे वर्ष के लिए एक महीने की उपलब्धि से अधिक न होगी । यदि सरकारी सेवक की उपलब्धियाँ, दंड से अन्यथा, उसकी सेवा के पिछले तीन वर्षों के भीतर, घटा दी गई हों, तो उपदान मंजूर करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार उपलब्धियों के स्थान में औसत उपलब्धियाँ दी जा सकेंगी ।

[ **समीक्षा** : उदार पेंशन नियमावली द्वारा शासित सरकारी सेवकों हेतु अद्यतन आदेश, परिशिष्ट-5 की कंडिका 1 में मुद्रित है ।]

### उप-प्रकरण ( 2 ) : पेंशन

**145.** (क) कम से कम 10 वर्ष सेवा करने पर पेंशन दी जा सकती है जो निम्न रकमों से अधिक न होगी –

(क) निवृत्ति-पेंशन के लिये

अमुद्रित

(ख) अन्य पेंशनों के लिये

अमुद्रित

[1][ **146.** नियम 5 में वर्णित सरकारी सेवकों के लिये पेंशन का मान निम्न है –

(क) निवृत्ति-पेंशन के लिये

अमुद्रित

[ **समीक्षा** : देखें परिशिष्ट-5 में उदार पेंशन नियमावली ।]

## प्रकरण 3 : विशेष अतिरिक्त पेंशन

**147.** नियम 5 में वर्णित सरकारी सेवकों को विशेष अतिरिक्त पेंशन-प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नियम हैं –

(1) जिस सरकारी सेवक के नीचे अनुसूची में निम्नतर कोटि में उल्लिखित कोई पद धारण किया हो उसे राज्य सरकार उसी कोटि में सम्मिलित किसी पद पर की गई कारगर सेवा के हरेक पूरे महीने के लिए 16 $^{2}/_{3}$ रु० की दर से वार्षिक अतिरिक्त पेंशन दे सकती है, परन्तु कोई भी सरकारी सेवक उक्त कोटि में वर्णित सेवा के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये से अधिक अतिरिक्त पेंशन न पायेगा ।

(2) जिस सरकारी सेवक ने नीचे अनुसूची में उच्चतर कोटि में उल्लिखित कोई पद धारण किया हो, उसे राज्य सरकार उस कोटि में सम्मिलित किसी पद पर की गई कारगर सेवा के हरेक पूरे महीने के लिए 25 रु० की दर से वार्षिक अतिरिक्त पेंशन दे सकती है; परन्तु कोई भी सरकारी सेवक उच्चतर और निम्नतर कोटियों में संयुक्त रूप से या केवल उच्चतर कोटि में की गई सेवा के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 1,500 रु० से अधिक अतिरिक्त पेंशन न पायगा । जिस सरकारी सेवक ने उच्चतर और निम्नतर दोनों कोटियों में अतिरिक्त पेंशन अर्जित की हो, उसके मामले से, महीने की किसी खण्डित अवधि के लिये उच्चतर कोटि में की गई सेवा निम्नतर कोटि में की गई सेवा के रूप में गिनी जा सकेगी । यदि सरकारी सेवक की पेंशन उसके द्वारा बढ़ जाती हो ।

(3) जिस सरकारी सेवक ने कोई ऐसा अस्थायी पद धारण किया हो जिसके सम्बन्ध में उस पद को सृजित करने में सक्षम प्राधिकारी ने घोषित किया हो कि उसके कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ वैसी ही हैं तथा वेतन दरें वही

1. अधिसूचना सं० 12928 वि०, दिनांक 4-9-1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।

हैं, जैसी जिम्मेवारियाँ और कर्त्तव्य तथा जो वेतन दरें नीचे अनुसूची में उल्लिखित पद की हैं, उसे राज्य–सरकार उक्त पद के सम्बन्ध में यथास्थिति, इस नियम के खण्ड (1) या (2) में विहित दर पर और शर्त्तों के अधीन अतिरिक्त पेंशन दे सकती है ।

(4) इस नियम के (1), (2) और (3) खंडों के प्रयोजनार्थ, "कारगार सेवा" के अन्तर्गत इन खण्डों में निर्दिष्ट पद पर कर्त्तव्य की अवधियों के अलावा निम्न भी है –

(i) कर्त्तव्य, जो निम्नलिखित पदों पर सम्पादित किया गया हो –

(क) बाह्य–सेवा में अनुसारी पंक्ति और जिम्मेवारी वाले पद पर, अथवा

(ख) विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्ति में,

(ग) अस्थायी पद पर, अथवा

(घ) स्थानापन्न रूप से स्थायी पद पर सरकारी सेवक खण्ड (1), (2) या (3) में वर्णित पद धारण करते हुए बदली या नियुक्त किया जाय । यदि, वैसे सरकारी सेवक के मामले में जिसने खण्ड (1) या (2) में वर्णित पद स्थानापन्न रूप से धारण किया हो, अथवा वैसे सरकारी सेवक के मामले में जिसने खण्ड (3) में वर्णित पद धारण किया हो, राज्य सरकार यह प्रमाणित करें कि यदि वह (सरकारी सेवक) इस तरह बदला या नियुक्त न किया गया होता, तो सम्बद्ध पद पर स्थानापन्न रूप से काम करता रहता या उसे धारण किये रहता ।

(ii) खण्ड (1), (2) या (3) में वर्णित किसी पद पर की गई सेवा की अवधि में या इस खण्ड के उप-खण्ड (i) के अन्तर्गत किये गये कर्त्तव्य की अवधि में सरकारी सेवक द्वारा बिहार–उड़ीसा सेवा संहिता के अधीन औसत वेतन पर ली गई उपार्जित छुट्टी की किसी अवधि के प्रथम चार महीने, यदि ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जिसने खण्ड (1) या (2) में वर्णित पद स्थानापन्न रूप से धारण किया हो, या जिसने खण्ड (3) में वर्णित पद धारण किया हो, राज्य सरकार यंह प्रमाणित करें कि, यदि वह (सरकारी सेवक) छुट्टी पर न गया होता, तो वह खण्ड (1) या (2) में वर्णित पद पर स्थानापन्न रूप से काम करता रहता या खण्ड (3) में वर्णित पद धारण किये रहता ।

(5) जिस सरकारी सेवक को बिहार–उड़ीसा सेवा संहिता के नियम 352 (1) के अधीन नीचे अनुसूची में उल्लिखित पदों में से किसी पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति मिली हो, या जिसके मामले में राज्य सरकार यंह प्रमाणित करे कि यदि वह विशेष कर्त्तव्य पर न रहा होता या अस्थायी पद धारण न किए होता, तो उसे ऐसी प्रोन्नति मिली होती, उसे राज्य-सरकार, यथास्थिति, इस नियम के खण्ड (1) या (2) में विहित दरों पर और शर्त्तों के अधीन अतिरिक्त पेंशन दे सकती है, मानो जिस अवधि में उसने स्थानापन्न रूप से काम किया या किया होता, उसमें उसने अनुसूची में उल्लिखित कोई पद धारण किया था ।

**टिप्पणी :** इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, स्थानापन्न प्रोन्नति की अवधि में, उस अवधि में बिहार–उड़ीसा सेवा संहिता के अधीन औसत वेतन पर ली गई उपार्जित छुट्टी की किसी अवधि के प्रथम चार महीने भी शामिल हैं, यदि राज्य सरकार यह प्रमाणित कर दे कि यदि सरकारी सेवक छुट्टी पर न गया होता, तो वह उसी पद पर बना रहता, किन्तु उसमें कोई अन्य छुट्टी शामिल नहीं है ।

(6) पूरी विशेष अतिरिक्त-पेंशन नियम 172 में उल्लिखित शर्त्तों के अधीन दी जायगी ।

**टिप्पणी :** जो सरकारी सेवक किसी दूसरी सरकार के अधीन अंशतः विशेष अतिरिक्त पेंशन–प्रदायी सेवा करने के बाद निवृत्त हो रहा हो, उसे अनुमान्य साधारण पेंशन अविलम्ब दी जानी चाहिए । विशेष अतिरिक्त पेंशन–प्रदान में अनावश्यक विलम्ब न हो, उसके लिए प्रशासी विभाग को चाहिए कि जैसे ही सरकारी सेवक राज्य सरकार के अधीन सेवा में वापस आये, वैसे ही वह यह सुनिश्चित करे कि दूसरी सरकार के अधीन की गई सेवा अतिरिक्त पेंशन-प्रदायी सेवा के पद में स्वीकृत की गई हैं या नहीं ।

(7) अतिरिक्त पेंशन–प्रदान की शर्त्त यह है कि स्वैच्छिक निवृत्ति की दशा में सरकारी सेवक 28 वर्षों की पेंशन–प्रदायी सेवा अवश्य पूरी कर चुका हो । इस नियम के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक निवृत्ति नियम 130 और नियम 135 के अधीन निवृत्ति मानी जायगी ।

### अतिरिक्त पेंशन वाले पदों की अनुसूची

### ( क ) उच्च कोटि

मुख्य अभियन्ता (इन्जीनियर, लोक-निर्माण-विभाग) ।

लोक-शिक्षा निदेशक ।

### ( ख ) निम्न कोटि

वन-संरक्षक ।

निदेशक, पशु-चिकित्सा-सेवा ।

कृषि-निदेशक ।

लोक स्वास्थ्य निदेशक ।

निबन्धन-महानिरीक्षक ।

कारा-महानिरीक्षक ।

सरकार के सचिव ।

पहले से वर्तमान ऐसे उत्कृष्ट आई०सी०एस० पद धारण करने वाले सभी सरकारी सेवक जो प्रवर कोटि में प्रमंडल-आयुक्त या जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे हों ।

[ **समीक्षा** : देखें परिशिष्ट 5 में उदार पेंशन नियमावली की कंडिका (4) और (9) ।]

## प्रकरण 4 : निचली पेंशन

### उप-प्रकरण ( 1 ) : सामान्य

**148.** अमुद्रित ।

[ **समीक्षा** : यह नियम अब अप्रासंगिक हो गया है ।]

### उप-प्रकरण ( 2 ) : उपादान

**149.** अमुद्रित ।

[ **समीक्षा** : यह नियम अब अप्रासंगिक हो गया है ।]

### उप-प्रकरण ( 3 ) : पेंशन

**150.** अमुद्रित ।

[ **समीक्षा** : यह नियम अब अप्रासंगिक हो गया है ।]

## प्रकरण 5 : उपलब्धियाँ और औसत उपलब्धियाँ

### उप-प्रकरण ( 1 ) : पेंशन के लिये गिनी जानेवाली उपलब्धियाँ

**151.** साधारण पेंशनों के सम्बन्ध में यथा प्रयुक्त "उपलब्धि" पद से तात्पर्य है वह उपलब्धि जो सरकारी सेवक अपनी निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था और जिसमें निम्न भी शामिल हैं –

[ **समीक्षा** : उपलब्धियाँ और औसत उपलब्धियाँ की परिभाषा दिनांक 1-1-1986 (वैचारिक) से और वास्तविक भुगतान दि० 1-3-1989 हेतु वित्त विभाग संकल्प सं० पी०सी० 1-9-161/7–1853 वि०, दिनांक 19-4-1990 देखें जो नियम 156 के नीचे राज्य सरकार का निर्णय में मुद्रित है ।]

(क) मौलिक रूप से धारित स्थायी पद का मौलिक वेतन;

(ख) विदेश-वेतन;

[1][ (ग) वैयक्तिक वेतन, जो (i) किसी स्थायी पद के सम्बन्ध में मौलिक वेतन की हानि के बदले या (ii) किसी अन्य वैयक्तिक विचार से राज्य सरकार की विशेष मंजूरी से दिया जाता है;

1. शुद्धि पत्र सं० 27, दिनांक 27-12-1953 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) विशेष वेतन;

(ङ) मौलिक-नियुक्ति-रहित सरकारी सेवक का स्थानापन्न वेतन, यदि नियम 64 के अधीन स्थानापन्न सेवा गिनी जाती हो;

(च) औपबन्धिक मौलिक वेतन अथवा मौलिक रूप से स्थायी पद धारण करने वाले वैसे सरकारी सेवक के मौलिक वेतन और स्थानापन्न वेतन का अन्तर जो बिहार-उड़ीसा-सेवा-संहिता के नियम 74 (घ) ]* के अधीन औपबन्धिक रूप से या बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के अध्याय 4 के प्रकरण 2 के नियमों के अधीन स्थानापन्न रूप से ऐसे पद पर नियुक्ति हो जो मौलिक रूप से रिक्त हो और जिस पर किसी सरकारी सेवक का गहन न हो अथवा ऐसे पद पर नियुक्त हो जो स्थायी पदधारी के वेतन-रहित असाधारण छुट्टी पर चले जाने या बाह्य-सेवा में बदले जाने के कारण अस्थायी रूप से रिक्त हो; [ *अब बिहार सेवा संहिता के नियम 69 देखें ।]

(छ) किसी सरकारी संस्था में प्राध्यापक या व्याख्याता के पद से संलग्न भत्ता;

(ज) फीस या कमीशन, यदि वह किसी पद की प्राधिकृत उपलब्धि हो तथा वेतन के अलावा हो, ऐसी "फीस और कमीशन" की गणना जब उपलब्धि के रूप में की जाये, तब उनसे तात्पर्य होगा सेवा के अन्तिम छः महीनों का औसत उपार्जन;

(झ) किसी अस्थायी पद पर सरकारी सेवक का वेतन जिसके बारे में नियम 70 के अधीन घोषणा की गई हो तथा बिहार-उड़ीसा-सेवा-संहिता के नियम 74 (घ) के (बिहार सेवा संहिता के नियम 69) के अधीन उक्त शृंखला में औपबन्धिक मौलिक रूप से नियुक्त सरकारी सेवक का वेतन ।

**टिप्पणी** : खंड-लेखकों के मामले में जिनकी सेवा विशेष आदेशों के अधीन पेंशन के लिये गिनी जा सकती है तथा मुद्रणालय कर्मचारियों के मामले में जिनकी सेवा नियम 72 के अधीन पेंशन प्रदायी है, "उपलब्धि", से तात्पर्य है सेवा के अन्तिम छः महीनों का औसत उपार्जन । उत्कृष्ट मान पर उपदान की गणना के लिये "उपलब्धि" से तात्पर्य है उत्कृष्ट सेवा में अन्तिम छः महीनों का औसत उपार्जन और निचले मान पर पेंशन की गणना के लिये "वेतन" से तात्पर्य है निचली सेवा की अवधि के लिये नियम 149 के अधीन यथा कलित औसत उपार्जन ।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

***विषय : पेंशन-स्वीकृति विषयक प्रक्रिया का सरलीकरण ।**

पेंशन के लिए उपलब्धियों की गणना के सम्बन्ध में नियमों के सरलीकरण का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । भलीभाँति सोच-विचार कर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पेंशन, सेवा, उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए उपलब्धियाँ शब्द का अभिप्राय बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 में परिभाषित "वेतन" है जो पदाधिकारी निवृत्ति के तुरंत पहले प्राप्त करता था ।

(1) यदि पदाधिकारी अपनी निवृत्ति या मृत्यु के तुरंत पहले भत्ते सहित छुट्टी पर होने के कारण अपने कार्य पर अनुपस्थित था तो सेवा-उपदान और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की गणना के लिए उसकी उपलब्धियाँ वहीं समझी जायेंगी जो उसकी हुई होतीं यदि वह कार्य पर अनुपस्थित नहीं होता । किन्तु उपदान की राशि वस्तुतः नहीं निकाली गयी वेतन-वृद्धि के आधार पर नहीं बढ़ाई जायेगी, और उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी वेतन का लाभ तभी मिलेगा जब यह प्रमाणित किया जायेगा कि यदि वह छुट्टी पर न गया होता तो वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी नियोजन को धारित करता होता ।

(2) आवधिक नियोजन में लिया गया वेतन की गणना होगी बशर्ते कि आवधिक नियोजन में सेवा-विशेष अतिरिक्त पेंशन के लिए अर्हता प्रदान नहीं करती हो ।

2. ये आदेश 12 अगस्त, 1969 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों पर लागू होंगे ।

**[ *ज्ञापांक पेन०–1029/69/5300 वि०, दिनांक 12-8-1969 ]**

**152.** (क) जब अस्थायी कर्त्तव्य पर की गयी सेवा, नियम 69 के अधीन, पेंशन के लिये गिनी जाती है, तब पेंशन की रकम निर्धारित करने में सरकारी सेवक द्वारा धारित स्थायी पद के वेतन पर, न कि अस्थायी कर्त्तव्य

के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन पर, विचार किया जायेगा, जबतक कि सरकारी सेवक अस्थायी पद के सम्बन्ध में कोई विशेष वेतन न पाता हो; किन्तु नियम 70 भी देखें ।

यह न तो उस सरकारी सेवक पर लागू होता है जो अपने पद के उठाये जाने पर विशेष कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त हो और न उस सरकारी सेवक पर जो अपने पद के उठाये जाने के समय विशेष कर्त्तव्य पर था । इन मामलों में पूरी उपलब्धियाँ गिनी जाती हैं ।

(ख) जब कोई स्थायी सरकारी सेवक अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त हो, जो यद्यपि पहले-पहल प्रयोग के तौर पर या अस्थायी रूप से सृजित किया गया हो पर बाद में स्थायी बना दिया जाये, तब [1][ यदि नियम 70 के अधीन घोषणा न की गई हो तो; उसकी उपलब्धियाँ उसके द्वारा धारित स्थायी पद के वेतन पर न कि अस्थायी कर्त्तव्य के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन पर गिनी जायेगी ।

**153.** जो सरकारी सेवक मौलिक पद धारण करते हुए किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता हो या कोई अस्थायी पद धारण करता हो, उसके मामले में "उपलब्धि" से तात्पर्य है –

(क) वह उपलब्धि जिस पर, यथास्थिति, उसके स्थानापन्न पद या अस्थायी पद के सम्बन्ध में 151 और 152 नियमों के अधीन विचार किया जायेगा; अथवा

(ख) वह उपलब्धि जिस पर, यदि वह मौलिक पद पर बना रहता तो, 151 या 152 नियमों के अधीन विचार किया जाता;

इन दोनों में से जो भी उसके लिये अधिक अनुकूल हो ।

**टिप्पणी 1 :** इस नियम का अभिप्राय यह है कि सरकारी सेवक की नियुक्ति किसी उच्चतर पद पर हो जाने के कारण उसकी पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उच्चतर पद धारण करने वाले को उच्चतर पद की किन्हीं ऐसी उपलब्धियों को पेंशन के लिये गिनने दिया जाये जिन्हें वह पहले नहीं गिन सकता था । अत: मौलिक पद धारण करने वाला सरकारी सेवक जो निवृत्ति के पहले किसी उच्चतर नियुक्ति पर स्थानापन्न रूप से काम करें या उच्चतर अस्थायी पद धारण करें, निम्न उपलब्धियों में से किसी को भी जो उसके अधिक अनुकूल हो, पेंशन के लिये गिन सकता है – उन उपलब्धियों को जिनपर नियम 151 के अधीन उच्चतर पद के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा अथवा उन उपलब्धियों को, जिन पर विचार किया जाता, यदि सरकारी सेवक अपने मौलिक पद पर बना रहता ।

**टिप्पणी 2 :** जहाँ संवर्ग-पद (जिनमें कुछ से विशेष वेतन संलग्न हो) अंतर्ग्रस्त हों, वहाँ यह प्रश्न कि किस पद को मौलिक पद माना जाये, जिस पर सरकारी सेवक बना रहता, यदि वह अन्यत्र स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त न किया गया होता, ऐसा है जिसका निर्णय सक्षम नियुक्ति-प्राधिकारी ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर, कर सकता है, चाहे सरकारी सेवक स्थानापन्न नियुक्ति के ठीक पहले वस्तुतः कोई भी मौलिक पद धारण करता हो और चाहे सरकारी सेवक को किसी खास पद पर या उस संवर्ग में किसी पद पर वस्तुत: ग्रहन दिया गया हो या नहीं । इस नियम के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, सक्षम नियुक्ति- प्राधिकारी की ओर से यह घोषणा कि यदि सरकारी सेवक स्थानापन्न रूप से अन्यत्र नियुक्त न होता, तो वह अमुक मौलिक पद पर बना रहता, लेखा-परीक्षा में स्वीकार की जायेगी ।

## उप-प्रकरण ( 2 ) : पेंशन के लिये गिने जाने वाली उपलब्धियाँ

**154.** सरकारी सेवक किसी भी तरह के क्षतिपूरक भत्ता को पेंशन के लिए उपलब्धि के रूप में नहीं गिन सकता ।

**टिप्पणी :** इस नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्न आते हैं – मकान भाड़ा भत्ता, बिना किराया क्वार्टरों का अनुमानित मूल्य, सरकार के साथ आने-जाने वाले सरकारी सेवकों के दौरा तथा अन्य भत्ते और महँगाई भत्ता ।

**155.** सरकारी सेवक के वेतन या उपलब्धि का कोई अंश, जो उसके कर्त्तव्य के प्रासंगिक खर्चों के लिये खास तौर से उपबन्धित किया गया हो, शामिल न किया जायेगा । इस नियम के निम्न उदाहरण हैं –

1. यह 7 अगस्त, 1959 से लागू है । जोड़ा गया, देखें, वित्त विभाग अधिसूचना सं० 506/59–666–एफ०आर०, दिनांक 7 अगस्त, 1959; शुद्धि पत्र सं० 71, दिनांक 27 मई, 1960 ।

(1) जब सरकारी सेवक का वेतन अंशत: उसके घोड़ा रखने या के लिये घोड़े की व्यवस्था सम्बन्धी खर्च की पूर्त्ति करने के लिए अभिप्रेत हो, तब उसका वेतन उतना ही माना जाना चाहिये जितना कि ऐसे खर्च की पूर्ति के लिए अभिप्रेत न होने पर होता। जब जलवाहक के वेतन में बैल के लिए उपबन्ध भी शामिल हो तब उसका वेतन उतना ही माना जाना चाहिये जितना कि वेतन होता, यदि उसे बैल न रखना पड़ता।

(2) जब समेकित (इकट्ठे) वेतन में खास तौर से तंबू-भत्ता, यात्रा-भत्ता या मकान-भत्ता हो तो इन्हें अवश्य घटा देना चाहिये।

(3) जब सरकारी सेवक का वेतन दो दरों पर नियत हो, स्थिर-कर्म के समय नीची दर और दौरे या यात्रा में बितायी अवधि के लिये ऊँची दर, तब पहली दर के आधार पर ही गणना होनी चाहिये।

## उप-प्रकरण (3) : औसत उपलब्धियाँ

**156.** (1) "औसत उपलब्धि" से तात्पर्य है वह औसत जो सेवा के अन्तिम [1](एक) वर्षों के आधार पर निकाला गया हो।

(2) यदि सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में सरकारी सेवक छुट्टी-वेतन सहित छुट्टी पर कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहा हो, या मुअत्तल होने पर सेवा खोये बिना पुन:स्थापित कर लिया गया हो, तो औसत निश्चित करने के लिये, उसकी उपलब्धि उतनी ही समझी जायेगी जितनी कि छुट्टी पर न जाने या मुअत्तल न होने पर होती; परन्तु बराबर (क) [खंड (2अ) में उपबंधित स्थितियों को छोड़कर] उसकी पेंशन, वेतन-वृद्धि के कारण, जो वस्तुत: प्राप्त न की गयी हो, न बढ़ाई जायेगी और (ख) सरकारी सेवक छुट्टी की अवधि में, यदि उस छुट्टी की अवधि में उसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये दूसरा सरकारी सेवक नियुक्त कर लिया गया हो तो, स्थानापन्न कार्य के लिये प्राप्त अतिरिक्त वेतन को, जिसे वह, यदि वह कर्त्तव्य पर रहता तो, उपलब्धि के रूप में नियम 151 (च) के अधीन गिन सकता था, उपलब्धि के रूप में न गिन सकेगा। किन्तु, यदि विभागीय छुट्टी पर उसकी अनुपस्थिति नियम 91 के अधीन सेवा के रूप में गिनी जाये, तो ऐसी छुट्टी में वस्तुत: प्राप्त भत्ता ही केवल गिना जायेगा।

[2][(2अ) जो सरकारी सेवक निवृत्ति-पूर्व-छुट्टी के उपभोग की अवधि में किसी ऐसे उच्चतर पद पर संपुष्ट हो जाए, जिस पर वह ऐसी छुट्टी पर जाने के पहले स्थानापन्न का अस्थायी रूप से काम करता था, उसकी उक्त उच्चतर पद की मौलिक उपलब्धियाँ, जो वह कर्त्तव्यस्थ पर पाता, औसत उपलब्धियों की गणना में शामिल की जाएँगी।

[3][ **टिप्पणी** : परन्तुक (क) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में लागू नहीं होता, जो अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में छुट्टी ले और जो चार महीने से अनधिक औसत वेतन पर छुट्टी में या चार महीने से अधिक औसत वेतन पर छुट्टी की अवधि के प्रथम चार महीनों में ऐसी वेतन-वृद्धि उपार्जित करे, जो रोक न रखी जाये। ऐसे मामलों में सरकारी सेवक, अपनी छुट्टी की अवधि के सम्बन्ध में उस वेतन को, जिसे वह, यदि कर्त्तव्य पर रहता, तो ले सकता, "उपलब्धि" के रूप में गिनने का हकदार है, यद्यपि वेतन-वृद्धि के कारण होनेवाली वेतन की बढ़ोत्तरी वस्तुत: छुट्टी में नहीं ली गयी।

**स्पष्टीकरण** : यह ऐसी वेतन-वृद्धि के मामले में भी लागू होगा, जो उपार्जित छुट्टी के 120 दिनों के भीतर पड़ती हो।

(3) यदि सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में सरकारी सेवक वेतन-रहित छुट्टी][4] (जो पेंशन के लिये न गिनी जाती हो अथवा राज्य सरकार के विशेष आदेश से नियम 89 के अधीन गिनी जा सकती हो) पर कर्त्तव्य से अनुपस्थित

1. शुद्धि पत्र सं० 66, दिनांक 27-5-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. यह 23 अगस्त, 1928 से लागू है। सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग अधिसूचना सं० सी०डी०आर०-50 10/59-17013-वित्त, दिनांक 9 सितम्बर, 1959; शुद्धि पत्र सं० 66, दिनांक 27 मई, 1960।
3. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग अधिसूचना सं० पी०-1-1048/55-1106-एफ०आर०, दिनांक 16 अगस्त, 1956; शुद्धि पत्र सं० 33, दिनांक 19 जुलाई, 1957।
4. "पेंशन के लिए न गिनी जाती हो", प्रकोष्ठ शब्दों के लिए प्रतिस्थापित देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० 16400 वि०, दिनांक 6 दिसम्बर, 1950; शुद्धि पत्र सं० 4, दिनांक 7 फरवरी, 1951।

हुआ हो, या निचली सेवा में रहा हो, अथवा ऐसी स्थिति में मुअत्तल किया गया हो कि मुअत्तली की अवधि सेवा के रूप में न गिनी जाती हो, तो इस तरह बितायी गयी अवधि औसत उपलब्धि की गणना में शामिल न की जायेगी और इन तीन वर्षों के पहले की उतनी ही अवधि शामिल की जायेगी ।

(4) पदग्रहण काल की अवधियाँ जो सरकारी सेवक की सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में पड़ती हों, "औसत उपलब्धि" के प्रयोजनार्थ उन तीन वर्षों का ही अंश समझी जायेंगी ।

बिहार-उड़ीसा-सेवा-संहिता के *[नियम 346 के (क) और (ग) खंडों के अधीन पड़ने वाले पदग्रहण-काल के मामले में, जहाँ किसी खास पद का वेतन मिलता हो, वस्तुत: प्राप्त "उपलब्धि" (न कि वास्तविक पदग्रहण-काल-भत्ता) औसत उपलब्धि के प्रयोजनार्थ ली जायेगी । उक्त नियम के खंड (ख) (i) के अधीन पड़नेवाले पदग्रहण काल के मामले में, जिसमें छुट्टी-वेतन मिलता हो, और उक्त नियम के खंड (ख) (i) और टिप्पणी 2 के अधीन पड़ने वाले मामले में जिसमें वेतन या छुट्टी-वेतन न मिलता हो, वेतन (अर्थात् उपलब्धि), जो (इसे अनुमत न करने वाले नियम या आदेश के न रहने पर) सरकारी सेवक प्राप्त करता, यदि वह पद ग्रहण-काल पर न रहता "औसत उपलब्धि" की गणना में शामिल किया जायेगा । [अब बिहार सेवा संहिता का नियम 264 देखें ।]

(5) ऊपर खंड 2 से 4 तक में उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, केवल वस्तुत: प्राप्त उपलब्धि ही गणना में शामिल की जायेगी । उदाहरणार्थ, जब सरकारी सेवक को, वेतन-वृद्धि के लिये भूतलक्षी प्रभाव से समय के गिनने की अनुमति दी जाये, किन्तु उसे भूतलक्षी प्रभाव से अन्तर्वर्ती आवधिक वृद्धियाँ न मिलें, तब इन अन्तर्वर्त्ती वृद्धियाँ को गणना में शामिल न किया जायेगा ।

(6) खंड-लेखकों के मामले में जिनकी सेवा पेंशन के लिये गिनी जा सकती हो, और मुद्रणालय कर्मचारी के मामले में जिसकी सेवा नियम 72 के अधीन पेंशन-प्रदायी हो, "औसत उपलब्धि" से तात्पर्य है उत्कृष्ट सेवा में अन्तिम 72 महीनों का औसत उपार्जन ।

**टिप्पणी 1 :** यह खंड उस मुद्रणालय कर्मचारी पर लागू होता है जो नियत दर पर वेतन पाता हो, यदि उसका वेतन उजरती काम के अनुदान से मिलता हो ।

**टिप्पणी 2 :** उजरती कर्मियों का अधिकाल-भत्ता, चाहे वह उजरत-दर पर हो या नियत वेतन पर, इस खंड के अधीन "औसत उपलब्धि" की गणना में शामिल न किया जायेगा ।

**टिप्पणी 4 :** उजरती कर्मियों की पेंशन के प्रयोजनार्थ औसत उपलब्धि की गणना करते समय, निम्न भत्तों पर भी विचार किया जायेगा –

(1) अवकाश-बन्दी के दिन संपादित काम के लिये किये गये भुगतान ।

(2) अस्थायी तृतीय श्रेणी तथा कुल चतुर्थ श्रेणी के उजरती कर्मियों को दी गई 16 दिनों की छुट्टी के लिये वर्ग-दर पर किये गये भुगतान ।

(3) 10वीं नवम्बर, 1940 को सेवा में बने उजरती कर्मियों के मामले में, 10वीं नवम्बर, 1940 तक अधिकाल-कार्य अथवा अवकाश-बन्दी के दिन या रविवार को किये गये कार्य के लिये उपार्जित अतिरिक्त भत्ता ।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

**1.**

*असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी की अवधि के सम्बन्ध में, यदि वह सेवा में तीन साल के अन्दर पड़ता है, तो जो उपलब्धि सरकारी सेवक प्राप्त किया होता, लेकिन वह अवकाश में प्रस्थान करने के कारण लेखा में समायोजित की जायेगी । **[ *वित्त विभाग ज्ञाप सं० 629 वि०, दिनांक 14-1-1964 ]**

**2.**

***विषय : राज्य सरकार के पेंशनरों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय के आलोक में पुनरीक्षण ।**

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपदान आदि से संबंधित मामलों पर फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा

अपने पेंशनभोगी कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान के प्रावधानों में परवर्ती कंडिकाओं के अनुसार पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है ।

**( 1 ) (i) प्रभाव की तिथि :** इस संकल्प में निहित पेंशन एवं उपदान के पुनरीक्षित प्रावधान वैसे सरकारी सेवक के मामलों में लागू होंगे, जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, अथवा जिनकी मृत्यु दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद सेवाकाल में हुई हो । दिनांक 1 जनवरी, 1986 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण केवल वैचारिक (Notionally) रूप से किया जायेगा एवं पेंशन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ-दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से ही अनुमान्य होगा । इसका अर्थ यह है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986, से दिनांक 28 फरवरी, 1989 की अवधि के लिये किसी तरह का बकाया देय नहीं होगा ।

**(ii)** उक्त कोटि के जिन मामलों में इस आदेश के निर्गत होने के पहले ही औपबंधिक पेंशन स्वीकृत हुआ हो, उसका पुनरीक्षण इस संकल्प में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा । जिन मामलों में प्रचलित नियमों के अनुसार इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व ही पेंशन की अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो, उनका भी पुनरीक्षण वर्तमान आदेश के अनुसार किया जायेगा । बशर्त्ते कि इस तरह का पुनरीक्षण पेंशनभोगी के लिए लाभकारी हो ।

**( 2 ) परिलब्धियाँ :** पेंशन एवं उपदान की गणना हेतु "परिलब्धियों" में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 (a) (1) में उल्लिखित "मूल वेतन" अभिप्रेत है जिसका भुगतान सेवक को सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को किया गया है । इस तरह से "औसत परिलब्धियों" का निर्धारण किसी भी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व दस माह की अवधि में प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर किया जायेगा ।

**( 3 ) (i) पेंशन :** वित्त विभाग के संकल्प संख्या–पी०सी० 2.9.12/78–7112 वि०, दिनांक 4 सितम्बर, 1979 में अंगीकृत स्लैब पद्धति के बदले में अब पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से की जाएगी जिसकी न्यूनतम राशि रुपये 375 प्रति माह होगी, परतु इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

**(ii) पारिवारिक पेंशन :** इस बिन्दु पर पूर्व में निर्गत राज्यादेशों का आंशिक सुधार करते हुए पारिवारिक पेंशन की गणना अब निम्नलिखित रीति से करने का निर्णय लिया गया है –

| क्र०सं० | मूल वेतन | | प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन की दर ( औसत मूल्य सूचकांक 608 बिन्दु पर देय महँगाई राहत सहित ) |
|---|---|---|---|
| 1. | रु० 1,500 प्रतिमाह तक | – | मूल वेतन का 30 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 375 प्रतिमाह) । |
| 2. | रु० 1,501 प्रतिमाह से रु० 3,000 तक | – | मूल वेतन का 20 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 450 प्रतिमाह) । |
| 3. | रु० 3,000 प्रतिमाह से अधिक | – | मूल वेतन का 15 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 600 प्रतिमाह एवं अधिकतम 1,250 रु० प्रतिमाह) । |

पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की वर्तमान प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

**(iii) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान :** सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति उपदान को गणना करने वर्तमान सिद्धांत एवं दर इस आदेश के निर्गत होने के बाद भी बरकरार रहेंगे, जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की परिलब्धियों के अधिकतम 16.5 गुणा अनुमान्य होगा तथा इसकी अधिकतम राशि [1][एक लाख रुपया होगी । सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृत्यु उपदान की गणना निम्नांकित रीति से करने का निर्णय लिया गया है –

| क्र०सं० | सेवा अवधि | | उपदान की राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | एक वर्ष से कम | – | उपलब्धियों का दो गुणा |
| 2. | एक वर्ष या अधिक पर 5 वर्ष से कम | – | उपलब्धियों का छः गुणा |
| 3. | पाँच वर्ष या अधिक पर 20 वर्ष से कम | – | उपलब्धियों का 12 गुणा |

1. अब 2.50 लाख रुपये ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | बीस वर्ष या अधिक | — | पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए उपलब्धियों का आधा जो उपलब्धियों के 33 गुणा से अधिक नहीं हो और जिसकी अधिकतम सीमा [1] [ एक लाख रुपये होगी । |

इस आदेश के प्रावधानों के आधार पर वैसे सरकारी सेवकों की मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि का न तो पुनरीक्षण किया जायेगा और न ही इसके चलते किसी प्रकार का बकाया देय होगा जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 28 फरवरी, 1989 तक सेवानिवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही उक्त अवधि में हुई हो ।

**( 4 ) महँगाई राहत :** वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनरों को उस सिद्धांत एवं दर पर महँगाई राहत स्वीकृत की जाती है जो भारत सरकार में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व प्रचलित थी । फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब राज्य सरकार के पेंशनरों को भी भारत सरकार के फार्मूले एवं दर से प्रति वर्ष पहली जनवरी एवं पहली जुलाई को उसकी पूर्ववर्त्ती 31 दिसम्बर और 30 जून के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर महँगाई राहत स्वीकृत की जायेगी, परन्तु नये फार्मूले एवं दर पर महँगाई राहत दिनांक 1 जुलाई, 1989 के प्रभाव से स्वीकृत की जायेगी । तद्नुसार महँगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

**( 5 ) पेंशन का रूपान्तरण :** फिटमेंट-सह-वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा और भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति को गौर करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामले में पूर्व में प्रचलित स्लैब पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन और इस आदेश के जरिये अपनायी गई 50 प्रतिशत की दर से निर्धारित पेंशन के अन्तर की राशि के एक-तिहाई के रूपान्तरण की अनुमति पेंशनभोगी कर्मचारियों को दी जाये । इसके लिए पेंशनभोगी कर्मचारियों को स्वास्थ्य परीक्षा कराना जरूरी नहीं होगा, चाहे पूर्व में उनके पेंशन का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षा के बाद हुआ हो अथवा बिना स्वास्थ्य परीक्षा कराये ही हुआ हो । ऐसे प्रत्येक मामले में पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश के साथ ही महालेखाकार, बिहार, पटना अन्तर पेंशन की एक-तिहाई के रूपान्तरित मूल्य का प्राधिकार पत्र भी निर्गत कर देंगे और पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान उक्त एक-तिहाई राशि की कटौती के बाद किया जायेगा । उक्त प्रक्रिया उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक पेंशन का लघुकरण स्वीकृत नहीं किया गया है । ऐसे पेंशनर को प्रचलित प्रणाली के अनुसार वित्त विभाग में आवेदन-पत्र देना होगा ।

(6) वैसे सरकारी सेवकों के मामले में जिन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान को स्वीकार किया है और जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के 10 माह के भीतर सेवानिवृत्त हो गए हों, सेवानिवृत्ति के दस माह पूर्व की औसत उपलब्धियों की गणना निम्नांकित ढंग से की जाये –

(i) दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व की अवधि में पुराने वेतनमान का मूल वेतन, महँगाई भत्ता, अतिरिक्त महँगाई भत्ता एवं तदर्थ महँगाई भत्ता यदि देय हो ।

(ii) दिनांक 2 जनवरी, 1986 के बाद की अवधि में पुनरीक्षित वेतनमान का नोशनल वेतन ।

6.1. दिनांक 1 जनवरी, 1986 से दिनांक 30 जून, 1990 तक सेवानिवृत्त हुए/होनेवाले कर्मचारियों को यह विकल्प (ऑप्शन) देने की सुविधा प्राप्त होगी कि इस आदेश के निर्गत होने के प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत अपना पेंशन एवं उपदान ले सकते हैं ।

(7) महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि इस संकल्प में निहित प्रावधानों के आधार पर पेंशनभोगी कर्मचारियों के मामले में पेंशन/पुनरीक्षित पेंशन तथा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र यथाशीघ्र निर्गत करें । अन्य राज्यों में रहने वाले तथा अपने पेंशन का भुगतान लेने वाले इस राज्य के पेंशन धारकों को भी इस आदेश के अनुसार पेंशन का भुगतान करने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकार को प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाये और उसकी सूचना इस विभाग को भी दी जाये । कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों से अनुरोध है कि पेंशन का भुगतान इस आदेश के अनुसार करने के लिए सम्बन्धित बैंक को इस निर्णय से अवगत करा दें ।

1. अब 2.50 लाख रुपये ।

(8) जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान-सभा/परिषद् के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर आदेश बाद में निर्गत किया जायेगा। [ ***संकल्प सं० पी०सी०–1-9-16/97–1853 वि०, दिनांक 19 अप्रील, 1990** ]

**3.**

***विषय : राज्य चिकित्सा संवर्ग के चिकित्सा-पदाधिकारियों को पेंशन की अनुमान्यता।**

राज्य चिकित्सा संवर्ग में चिकित्सा पदाधिकारियों को 'प्रतिस्थापन वेतनमान' वेतन में पेंशन-लाभ देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन रहा था। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिए हैं –

(क) चिकित्सा पदाधिकारी, जिसे निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति प्राप्त हो, की पेंशन की गणना वस्तुतः निष्कासित शुद्ध वेतन पर, यानि नन प्रैक्टिसिंग वेतनमान में सकल वेतन पर – वेतन की 20% के बराबर राशि कम करके, न्यूनतम 115 रु० और अधिकतम 350 रु० कम करके – की जायेगी।

(ख) चिकित्सा पदाधिकारी, जिसे निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी गई हो और ननप्रैक्टिसिंग वेतन मिल रहा हो, की पेंशन की गणना सैद्धांतिक तौर पर उपर्युक्त मद (क) में सुझाए गये शुद्ध वेतन के आधार पर की जायेगी, तथापि, उनके मामले में उस प्रकार कम की गई राशि नन-प्रैक्टिसिंग (प्रतिकारात्मक) भत्ता जैसी मानी जायेगी और स्वास्थ्य विभाग पत्रांक 6338 एच०, दिनांक 2-5-1959 और पेन०–1–1021/ 66–192 (2), दिनांक 12-1-1967 में विहित सिद्धांतों की शर्त्तों के अधीन अतिरिक्त पेंशन मानी जायेगी। तद्नुसार वे स्वयं द्वारा निष्कासित नन-प्रैक्टिसिंग वेतन से सैद्धांतिक तौर पर कमी की गई राशि के आधार पर अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे।

2. पुनः स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव को भेजे गए सहायक महालेखाकार श्री बी०के० नारायण के अर्धसरकारी पत्रांक पी०आर०–1–15 स्ट-961, दिनांक 21–8–1969 की ओर ध्यानाकृष्ट किया जाता है। उसमें उठायी गई बिन्दुओं को नीचे स्पष्ट किया जाता है –

मद सं० (1) – नन-प्रैक्टिसिंग भत्ता के तत्व को सैद्धांतिक आधार पर नन–प्रैक्टिसिंग वेतन के पृथक किया जाना चाहिए, जैसा कि पूर्वोक्त मद (ख) में व्याख्यायित किया गया है।

मद सं० (2) (क) – स्वास्थ्य विभाग पत्रांक 6338, दिनांक 2-5-1959 की टिप्पणी 'क' में अन्तर्विष्ट निर्देश के आलोक में अंतिम तीन वर्षों के दौरान निकाला गया नन-प्रैक्टिसिंग प्रतिपूरक भत्ता की औसत पर गणना की जायेगी। इसका अर्थ यह है कि सेवा के आरंभ में और सेवा के अंत में नन-प्रैक्टिसिंग पदों के प्रति की गई अवधि को उस सकल अवधि के लिए गणना की जायेगी जिसके लिए क्षतिपूरक भत्ता निकाला गया है और पेंशन की गणना पूरी की गई सेवा के उस अंतिम तीन वर्षों के दौरान निकाली गई औसत राशि के आधार पर की जायगी जिस दौरान नन-प्रैक्टिसिंग भत्ता निकाला गया है।

(ख) नन-प्रैक्टिसिंग भत्ता पर अतिरिक्त पेंशन की गणना प्रतिस्थापन वेतनमान या पुराना वेतनमान में या मिश्रित दोनों में अनुमान्य राशि के आधार पर की जायेगी, बशर्त्ते कि पदाधिकारी नन-प्रैक्टिसिंग पद धारण करता हो या अपनी सेवा की सम्पूर्ण अवधि में तीन पूरे वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए नन-प्रैक्टिसिंग वेतनमान में वेतन निकालता हो।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में चिकित्सा पदाधिकारियों के पेंशन मामले निष्पादित किये जायें। [ ***ज्ञापांक पी०आर०जी० 2-05/70/3034 वि०, दिनांक 17-3-1973** ]

**4.**

***विषय : चिकित्सकों के पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्त्तन।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3034/वि०, दिनांक 17–3–1973 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह कहना है कि सामान्य नियमों के अनुसार सेवकों को पेंशन की गणना वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। परन्तु चिकित्सकों के मामले में उन्हें प्राप्त ग्रौस-पे (Gross-Pay) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर (न्यूनतम) सीमा रुपये 115/– एवं अधिकतम रुपये 350/– नेट (Net) वेतन पर पेंशन की गणना की जाती

है । जहाँ तक नन-प्रैक्टिसिंग पद पर कार्यरत् चिकित्सक हैं, उनकी पेंशन के अलावे नन-प्रैक्टिसिंग पद पर की गयी सेवा के आधार पर अतिरिक्त पेंशन दिया जाता है । परन्तु, वैसी सुविधा प्रैक्टिसिंग पद पर कार्यरत् चिकित्सकों को उपलब्ध नहीं है । फलस्वरूप प्रैक्टिसिंग पर कार्यरत् चिकित्सकों को नन-प्रैक्टिसिंग पद पर कार्यरत चिकित्सकों से कम पेंशन मिलता है ।

2. सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 156 (5) को शिथिल करते हुए अब यह निर्णय लिया है कि प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों को उनके ग्रौस-पे (Gross-Pay) अर्थात् 20 प्रतिशत कटौती बिना किये हुये जो उपलब्धियों के रूप में वेतन प्राप्त होता है उस आधार पर पेंशन एवं ग्रैच्युटी की गणना की जाये एवं वर्तमान में नन-प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों को नन-प्रैक्टिसिंग सेवा के आधार पर जो अतिरिक्त पेंशन देने की व्यवस्था है उसे समाप्त किया जाये । इस निर्णय के फलस्वरूप अब से प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग इन दोनों कोटि के चिकित्सकों को उनके द्वारा पाये गये ग्रौस-पे (Gross-Pay) के आधार पर ही पेंशन आदि की गणना की जायेगी ।

3. यह आदेश तिथि 1 जनवरी, 1976 से प्रभावकारी होगा । उक्त तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–3034, दिनांक 17-3-1973 को रद्द समझा जाये । **[ *ज्ञाप संख्या 7082, दिनांक 9-6-1976 ]**

**5.**

***विषय : चिकित्सकों के पेंशन एवं उपदान के निर्धारण की प्रक्रिया में परिवर्त्तन ।**

वित्त विभाग द्वारा निर्गत राज्यादेश सं० 7082, दिनांक 7-9-1976 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि तिथि 1 जनवरी, 1976 से प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग दोनों कोटि के चिकित्सकों को उनके द्वारा प्राप्त ग्रास-पे (Gross-Pay) के आधार पर ही पेंशन आदि की गणना की जाये पर इस आदेश के चलते दिनांक 1 अप्रैल, 1964 से दिनांक 31-12-1975 की अवधि में सेवानिवृत्ति प्रैक्टिसिंग चिकित्सक उपयुक्त लाभ से वंचित हो गये । एकरूपता की दृष्टि से इस विषमता को दूर करना उचित जँचता है, क्योंकि वैधानिक अड़चनों की संभावना है ।

अत: सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उक्त परिपत्र को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया है कि ग्रास-पे (Gross-Pay) पर सभी चिकित्सकों को प्रैक्टिसिंग एवं नन-प्रैक्टिसिंग पेंशन आदि की गणना करने की सुविधा दिनांक 1-4-1964 से दी जाये ।

इस निर्णय के फलस्वरूप वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3034, दिनांक 1-7-1973 स्वत: रद्द समझा जाये ।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक 1-4-1964 से दिनांक 31-12-1975 की अवधि में सेवानिवृत्ति/मृत प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों के पेंशन/उपदान के मामलों को पुनरीक्षित करें । **[ *पत्र सं० 1252 वि०, दिनांक 10-5-1980 ]**

## अध्याय–8

# पेंशनभोगियों का पुनर्नियोजन

### प्रकरण 1 : सामान्य

**157.** कोई भी सरकारी सेवक सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित होने और वेतन के अतिरिक्त पेंशन पाने के अभिप्राय से निवृत्त हो सकता है ।

**158.** जब कोई व्यक्ति, जो पहले सरकारी सेवा में रहा हो, सरकारी सेवा में अस्थायी या स्थायी रूप से पुनर्नियोजित किया जाये, तब उसे नियुक्ति-प्राधिकारी के सामने अपने पूर्व नियोजन के सम्बन्ध में प्रदत्त उपदान, लाभांश, या पेंशन की रकम घोषित करनी होगी । पुनर्नियोजन-प्राधिकारी पुनर्नियुक्ति के आदेश में विशेष रूप से उल्लिखित करेगी कि पेंशन या वेतन में से, इस अध्याय के नियमों की अपेक्षानुसार, कोई रकम घटायी जायेगी या नहीं, और इस आदेश की एक प्रति महालेखापाल के पास संसूचित करेगा ।

**टिप्पणी** : इस नियम का सिद्धान्त सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर लगातार नियोजन के मामले में लागू है । घोषित की जानेवाली पेंशन की रकम वह रकम होगी जो मूलत: मंजूर की गयी हो, अर्थात् इसमें वह रकम भी शामिल रहेंगी जो रूपान्तरित की गयी हो (देखें नियम 162 और 163) ।

**159.** पुनर्नियोजित किये जानेवाले हरेक सरकारी सेवक का ध्यान उन्हें पुनर्नियोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा तथा जब महालेखापाल ऐसी नियुक्ति से अवगत हो जाये, तब महालेखापाल द्वारा इस अध्याय के उपबन्धों की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाएगा, किन्तु ये प्राधिकारी ऐसा न करें तो यह चूँकि इस अध्याय में अन्तर्विष्ट विनियमों के भंग की क्षान्ति का आधार न मानी जायेगी ।

**160.** इस अध्याय के नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के अध्याय 9 के अधीन मंजूर क्षत या अन्य असाधारण पेंशन सैनिक नियमावली के अधीन प्रदत्त क्षत या आघात या अशक्तता पेंशन या पेंशन में अशक्तता के लिए जोड़ी जाने वाली रकम निवृत्त सैनिक या असैनिक सरकारी सेवक को उसके पुनर्नियोजन या लगातार नियोजन की अवधि में मिलती रहेगी और केवल उसके प्रदान की शर्तों के अधीन रहेगी । पुनर्नियोजन या लगातार नियोजन काल का वेतन नियत करते समय ऐसी पेंशन या पेंशन में जोड़ी रकम पर विचार न किया जायेगा ।

**टिप्पणी :** जहाँ सैनिक पेंशन समेकित हो और सेवा तथा अशक्तता अंशों को स्पष्टतः अलग-अलग न दिखाया गया हो, वहाँ कुल पेंशन को निम्न रीति से विभाजित किया जायेगा । पेंशन के सेवा-अंश का प्रतीक उपार्जित सेवा-पेंशन होगा अथवा, यदि सेवा-पेंशन उपार्जित न की गई हो, तो सेवा जिस पंक्ति में और वस्तुतः जिस अवधि तक की गयी हो, उसके लिये अनुमान्य निम्नतम साधारण पेंशन के आधार पर कलित आनुपातिक सेवा-पेंशन होगा । इस सेवा-अंश की गणना में, [1][ पचास नये पैसे या उससे अधिक को पूरा रुपया माना जायेगा और [1][ पचास नये पैसे कम को छोड़ दिया जायेगा । शेष रकम पेंशन का अशक्तता अंश होगी ।

**161.** (क) निवृत्त सरकारी सेवक के पुनर्नियोजन या सेवा-काल बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं है, बशर्ते कि (i) असमर्थता-पेंशन पर निवृत्त व्यक्ति के मामले में, यदि वह स्वास्थ्य-लाभ कर चुका हो अथवा सेवा की उस शाखा से जिसके लिये वह असमर्थ करार किया गया था, भिन्न शाखा में कार्य करने योग्य पाया जाये और (ii) बुढ़ापा-पेंशन या निवृत्ति-पेंशन पर निवृत्त व्यक्ति के मामले में, उसका पुनर्नियोजन लोकहित में किया गया हो और उसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी हो ।

[इस उप नियम के अधीन सौंपी गई शक्तियों के लिए, देखें परिशिष्ट I ]

(ख) पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को, जबतक सरकार उसे बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के *[ नियम 83 के अधीन अग्रिम वृद्धियाँ मंजूर न करें, पद का आरम्भिक वेतन मिलेगा, परन्तु वेतन और पेंशन की कुल रकम कभी भी उस रकम से अधिक न होगी जो उसे उन्मुक्ति से पहले अन्तिम मौलिक वेतन के रूप में मिली हो । जहाँ कुल रकम अन्तिम मौलिक वेतन से अधिक हो जाये, वहाँ केवल उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी मिलने से पेंशन और पद के आरम्भिक वेतन का कुल योग अन्तिम मौलिक वेतन से अधिक न हो सके । *[ अब बिहार सेवा संहिता का नियम 86 देखें ।]

**टिप्पणी 1 :** उन पेंशनभोगियों के पुनर्नियोजन के मामले में जिनकी पेंशन का कुछ अंश किसी अन्य सरकार से, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार, वसूलना हो, यदि वेतन और पेंशन की कुल रकम उन्मुक्ति के समय प्राप्त मौलिक वेतन से अधिक हो जाये तो पेंशन को अंशतः या पूर्णतः रोक रख कर पुनर्नियोजन के बाद मिलनेवाला वेतन नियत न किया जायेगा, अर्थात्, ऐसे मामलों में पेंशन रोक रखने के बदले वेतन को ही कम कर देना चाहिये ।

**टिप्पणी 2 :** ये प्रतिबन्ध भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों पर, जिनकी पेंशन 10 रु० प्रतिमास से अधिक न हो, लागू नहीं होते ।

(ग) खास मामलों में, जहाँ सरकारी सेवक ऐसे पदों पर पुनर्नियोजित किया जाये जिनसे सम्बद्ध कर्त्तव्य या उत्तरदायित्व, उसके द्वारा निवृत्ति की तारीख को धारित मौलिक पद से सम्बद्ध कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण हों, पुनर्नियोजन पर वेतन और पेंशन की कुल रकम, राज्य-सरकार के आदेश से, उसके अन्तिम मौलिक वेतन से अधिक हो सकेगी ।

(घ) यदि एक बार उपर्युक्त शर्तों के अनुसार पेंशन की रकम नियत हो जाये, तो सरकारी सेवक अपने नये वेतनमान में वृद्धियाँ पाने या अन्य वेतनमान या पद प्रोन्नति पाने के फायदों का हकदार हो जायेगा और ऐसी स्थिति

1. यह पहली अप्रील, 1957 से लागू है । "8 आने" अंक एवं शब्द के लिए प्रतिस्थापित, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० पी०-1-1023/57-15242-वि०, दिनांक 6 अक्टूबर, 1958; शुद्धि पत्र सं० 60, दिनांक 28 मई, 1959 ।

में न तो उसकी पेंशन में आगे अनुक्रमिक कटौती की जायेगी और न इस प्रकार नियत पेंशन की रकम में छुट्टी की अवधि में कोई हेरफेर किया जायेगा।

(ङ) उस पेंशनभोगी के पुनर्नियोजन के मामले में जो क्षतिपूर्ति पेंशन या असमर्थता पेंशन प्राप्त कर चुका हो, यदि उसका पुनर्नियोजन पेंशन-प्रदायी सेवा में हुआ हो, तो उपर्युक्त खंड (ख) में वर्णित शर्तों पर वह या तो अपनी पेंशन कायम रख सकता है जिस दशा में उसकी पूर्व सेवा भावी पेंशन के लिये न गिनी जायेगी, अथवा अपनी पेंशन का कोई अंश पाना बन्द कर सकता है और अपनी पूर्व सेवा को गिन सकता है। बीच में प्राप्त पेंशन को वापस करने की जरूरत नहीं है।

**टिप्पणी** : सरकारी सेवक खंड (क) के अधीन अपनी पूर्व सेवा को गिन सकता है, यदि पुनर्नियुक्ति के बाद उपर्युक्त खंड (ख) में वर्णित शर्त्तों के अधीन उसकी समूची पेंशन रोक रखी जाये।

(च) जहाँ पुनर्नियोजन, बुढ़ापा-निवृत्ति से पहले की सेवा के क्रम में हो, वहाँ छोड़कर, सभी मामलों में पुनर्नियोजन सक्षम चिकित्सा-प्राधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पेश करने पर किया जायेगा।

(छ) अनुकम्पा-भत्ता सर्वथा पेंशन ही है, इसलिये पेंशनभोगियों के पुनर्नियोजन के नियम अनुकम्पा-भत्ता पानेवाले व्यक्ति के मामले में भी समान रूप से लागू होंगे; यह भत्ता असमर्थता या क्षतिपूर्ति पेंशन माना जायेगा।

(ज) किसी भी पेंशनभोगी को 60 वर्ष की उम्र के बाद पुनर्नियोजित न किया जायेगा या नियोजन में बना रहने न दिया जायेगा; ऐसा केवल अति विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है और वह भी राज्य सरकार की मंजूरी से।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

***विषय : पुनर्नियुक्त सरकारी सेवक का वेतन और पेंशन का निर्धारण।**

बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट नियमों के तहत पुनर्नियोजन पर सरकारी सेवक का वेतन और पेंशन इस तरह निर्धारित किये जायें कि वेतन और पेंशन (मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के समान पेंशन समेत) का कुल योग उसके द्वारा निवृत्ति से पूर्व अन्तिम प्राप्त "मूल वेतन" से अधिक नहीं हो।

राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि अन्तिम "मूल वेतन" के बदले वेतन और पेंशन (मृत्यु-सह- निवृत्ति उपदान के समान पेंशन समेत) इस तरह निर्धारित किये जावें कि उनका कुल योग सेवक द्वारा निवृत्ति से पूर्व अन्तिमत: प्राप्त वेतन (बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26 में यथा-परिभाषित) से अधिक न हो। संक्षेप में पुनर्नियोजन पर वेतन और पेंशन के निर्धारण का आधार अन्तिम वेतन होगा, न कि अंतिम "मूल वेतन"। अंतिम वेतन में विशेष वेतन भी सन्निविष्ट समझा जायेगा, यदि निवृत्ति से पूर्व विशेष वेतन मिला हो। तदनुसार नियमों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इस बीच पुनर्नियोजन के सभी नए मामलों में वेतन और पेंशन-निर्धारण में उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायी जाये। [ *ज्ञापांक पेन०- 1029/69/13866, दिनांक 14-11-1969 ]

**162.** ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में जो सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित कर लिया जाये और ऐसे पुनर्नियोजन के बाद अपनी पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा ले, इस अध्याय के नियमों के अधीन वह उतनी रकम पेंशन के रूप में पाने का हकदार होगा, जितनी रकम का हकदार वह होता, यदि रूपान्तरण न हुआ होता; किन्तु उस रकम में से रूपान्तरित रकम घटा दी जायेगी।

[1][ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में जिसकी समूची पेंशन ऐसे पुनर्नियोजन काल में रोक रखी गयी हो, और जो इस अवधि में अपनी पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा ले, पुनर्नियोजन काल के उसके वेतन से रूपान्तरित पेंशन की रकम, रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख से घटा दी जायेगी। वैसे पेंशनभोगी के मामले में जिसकी पेंशन ऐसे पुनर्नियोजन-काल में अंशत: रोक रखी गयी हो और जो इस अवधि में अपनी पेंशन का कोई अंश रूपान्तरित करा ले जो उसे वस्तुत: प्राप्त पेंशन के अंश से अधिक हो, ऐसे पुनर्नियोजन काल में उसके वेतन से,

[ ] सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० पी०-1-106/56-3408-वि०, दिनांक 15 मार्च, 1956; शुद्धि पत्र सं० 82, दिनांक 10 अगस्त, 1957।

1. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग की अधिसूचना सं० सी०डी०आर०-5011/52-1265-वि०, दिनांक 31 जनवरी, 1953; शुद्धि पत्र सं० 18, दिनांक 1 जुलाई, 1953।

रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख से, उतनी रकम घटा दी जायेगी जितनी रकम का रूपान्तरित पेंशन के अंश और रूपान्तरण एक प्राप्त पेंशन के अंश के बीच अन्तर हो ।]

**163.** ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जिसकी पेंशन का कोई अंश पुनर्नियोजन के पूर्व रूपान्तरित हो गया हो, पुनर्नियोजन या लगातार नियोजन काल में प्राप्त होने वाली कुल रकम नियत करने में न केवल अरूपान्तरित पेंशन, बल्कि पेंशन की मूल रकम पर विचार किया जाएगा ।

## प्रकरण 2 : असैनिक पेंशनभोगी

**164.** कोई सरकारी सेवक, जो क्षतिपूर्ति-उपदान प्राप्त कर चुका हो, यदि पेंशन-प्रदायी सेवा में पुनर्नियोजित किया जाये तो, या तो अपना उपदान रख सकता है जिस दशा में उसकी पूर्व सेवा भावी पेंशन के लिये गिनी जायेगी या उसे वापस कर अपनी पूर्व सेवा को गिन सकता है ।

**165.** पुनर्नियोजन के बाद तुरन्त ही उपदान वापस करने की इच्छा प्रकट कर देनी चाहिये; किन्तु उपदान की वापसी सरकारी सेवक के वेतन की तिहाई से कम की मासिक किस्तों में न होगी तथा जिस सेवा के लिए उपदान किया गया था, उसके समाप्त होने के बाद जितने महीने बीत गये हों, उनकी संख्या से समूचे उपदान को विभाजित करने से जो रकम निकलेगी, उससे भी कम न होगी । पूर्व सेवा गिनने का अधिकार तब तक उज्जीवित नहीं हो सकता जब तक कि समूची रकम लौटा न दी जाये ।

**टिप्पणी :** इस नियम का औचित्य इस बात पर आधारित है कि जब तक उपदान की वापसी स्थगित रहती है, सरकारी सेवक जोखिम नहीं उठाता और राज्य को इसकी संभावना नहीं रहती कि सरकारी सेवक की मृत्यु या बर्खास्तगी से उसका उपदान लोक-कोषागार में पूर्णतः व्यपगत हो जायेगा । बाद में उपदान की चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भी लौटाने से इस बीच ऐसी संभावना के न रहने के कारण राज्य की होनेवाली क्षति की पूर्ति नहीं होती ।

**166.** यदि सरकारी सेवक सूचना की तारीख से तीन महीनों के भीतर स्थायी रूप से पुनर्नियोजित कर लिया जाये, तो नियम 164 और 165, जिनके द्वारा पुनर्नियोजन के बाद क्षतिपूर्ति-उपदान की वापसी अपेक्षित है उस उपदान पर भी लागू होंगे जो नियम 114 (क) के अधीन दिया गया हो । किन्तु, सरकारी सेवक को इस नियम के अधीन उपदान के उस अनुपात को लौटाने की जरूरत नहीं है जो अनुपात उस व्यक्ति के नियोजित न रहने की अवधि और समूचि अवधि जिसके लिये उपदान दिया गया हो, के बीच हो । यदि सरकारी सेवक केवल अस्थायी रूप से पुनर्नियोजित किया जाये, तो उसे अपने उपदान के किसी अंश को वापस करने की जरूरत नहीं है; किन्तु यदि ऐसे अस्थायी नियोजन के संभावना पहले से भाँप ली जाये, तो उपदान अनुपाततः घटा दिया जाना चाहिये ।

**167.** पुनर्नियोजित मुद्रणालय कर्मचारी के मामले में (देखें नियम 72), उन्मुक्ति के समय का मौलिक वेतन, नियोजन के अन्तिम छः महीनों का औसत उपार्जन माना जायेगा ।

**168.** यदि सरकारी सेवक अपने पुनर्नियोजन की तारीख से तीन महीनों के भीतर नियम 161 द्वारा अनुमत पेंशन पाना बन्द कर अपनी पूर्व सेवा की गिनती करने के विकल्प का प्रयोग न करें, तो उसके बाद राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता ।

## प्रकरण 3 : सैनिक पेन्शनभोगी

**169.** जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित हो, वहाँ छोड़कर, इस अध्याय के प्रकरण 2 के नियम उन सैनिक पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों, वारंट या अनायुक्त पदाधिकारियों या सैनिकों पर लागू न होंगे जो सैनिक नियमावली के अधीन पेंशन-प्रदान के बाद असैनिक नियोजन के लिये जाएँ या बने रहने दिये जाएँ । असैनिक विभाग में ऐसे सरकारी सेवकों के वेतन के दावे इस प्रकरण में उल्लिखित नियमों द्वारा शासित होंगे । असैनिक विभाग में सेवा के लिये अनुमत उसकी पेंशन पर उसकी सैनिक पेंशन का कोई प्रभाव न पड़ेगा ।

**170.** (क) जब कोई व्यक्ति, जो पहले सैनिक सेवा में रहा हो, सैनिक पेंशन-प्रदान के बाद असैनिक विभाग में नियोजित किया जाये, तब वह अपनी सैनिक पेंशन पाता रहेगा, किन्तु जिस पद पर वह पुनर्नियोजित किया गया हो, उस पद के वेतन और भत्ते नियत करने में सक्षम प्राधिकारी को, जिस पद पर वह पुनर्नियोजित किया गया हो, उस पद के वेतन और भत्ते नियत करने में पेंशन की रकम, जिसमें पेंशन का वह अंश भी शामिल है जो रूपान्तरित किया गया हो, पर भी विचार करने की शक्ति होगी ।

(ख) असैनिक नियोजन में रहते हुए जब किसी सैनिक पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी, वारंट या अनायुक्त पदाधिकारी या सैनिक को सैनिक नियमावली के अधीन पेंशन प्रदान की जाए, तब वह असैनिक नियोजन में रहते हुए ऐसी पेंशन लेगा, किन्तु असैनिक नियोजन के पद का वेतन और भत्ता नियत करने में सक्षम प्राधिकारी, पेंशन-प्रदान की तारीख से, ऐसे पदाधिकारी या सैनिक के वेतन या भत्ते से वह रकम घटा सकता है, जो पदाधिकारी या सैनिक के उस पेंशन की रकम से अधिक न हो।

**टिप्पणी :** बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के नियम 296 के अधीन छुट्टी प्राप्त असैनिक नियोजन में स्थित सभी सैनिक पदाधिकारियों के मामले में सैनिक पेंशन का भुगतान तबतक रोक रखा जायेगा, जबतक कि पदाधिकारी असैनिक नियोजन से, उनको अंतिम रूप से निवृत्त नहीं कर दिया जाता। [अब बिहार सेवा संहिता के नियम 183 और परिशिष्ट-12 देखें।]

**171.** किसी भारतीय सैनिक पदाधिकारी या अनायुक्त पदाधिकारी या सैनिक के उत्तराधिकारी अथवा चिकित्सीय अधीनस्थ के उत्तराधिकारी की पेंशन, किसी असैनिक विभाग के अन्तर्गत नियोजन-काल में, उसके वेतन में मिला दी जायेगी।

## प्रकरण 4 : नयी सेवा के लिये पेंशन

**172.** इस अध्याय के प्रकरण 3 में उपबंधित स्थिति के अतिरिक्त, कोई सरकारी सेवक, जो पेंशन के साथ उन्मुक्त हो जाने पर बाद में पुनर्नियोजित कर लिया जाये, अपना नई सेवा की गिनती अलग पेंशन के लिये नहीं कर सकता। पेंशन पुरानी सेवा के साथ मिलाकर नई सेवा के लिये अनुमान्य है और दोनों सेवाओं को मिलाकर समूची एक सेवा के रूप में गिनती की जाती है।

**173.** यदि कोई सरकारी सेवक, जिसे क्षतिपूर्ति या असमर्थता-पेंशन मिल चुकी हो, पेंशनी-सेवा में पुनर्नियोजित कर लिया जाये और पेंशन पाता रहे (देखें नियम 161), तो बाद की सेवा के लिये अनुमान्य पेंशन या उपदान निम्न परिसीमाओं के अधीन रहेगा, अर्थात् उपदान या पेंशन का पूँजी-मूल्य, उसकी अंतिम निवृत्ति के समय अनुमान्य पेंशन के मूल्य, यदि सेवा की दोनों अवधियाँ संयुक्त कर ली गई हों, और पूर्व सेवा के लिये प्रदत्त पेंशन के मूल्य के बीच के अंतर से अधिक न होगा।

**174.** (क) यदि पूर्व सेवा के लिये प्राप्त उपदान न लौटाया गया हो, तो (यथास्थित) उपदान या पेंशन बाद की सेवा के लिये इस शर्त पर दी जा सकती है कि ऐसे उपदान की राशि या ऐसी पेंशन का वर्त्तमान मूल्य और पूर्व उपदान की राशि, कुल मिलाकर, पूर्व सेवा के लिये प्राप्त उपदान लौटा देने पर अनुमान्य पेंशन के वर्त्तमान मूल्य से या उपदान की राशि से अधिक न होगी।

(ख) यदि ऐसे उपदान की राशि या ऐसी पेंशन का वर्त्तमान मूल्य और पूर्व उपदान की राशि, कुल मिलाकर, पूर्व सेवा के लिये प्राप्त उपदान के लौटाने पर अनुमान्य पेंशन के मूल्य या उपदान की राशि से अधिक हो जाये, तो अधिकाई अवश्य ही अस्वीकृत कर देनी चाहिये।

**175.** नियम 173 और नियम 174 के प्रयोजनार्थ, पेंशन की पूँजी या वर्तमान मूल्य की गणना असैनिक पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली सिविल पेंशन (कम्प्यूटेशन) रूल्स] परिशिष्ट 3) के अधीन सरकार द्वारा विहित तालिका के अनुसार की जाएगी।

## प्रकरण 5 : निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक नियोजन

**175.** अ. (क) यदि कोई पेंशनभोगी जिस पर यह नियम लागू हो, अपनी निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहे, तो उसे स्वीकार करने के बारे में राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिये। वैसे पेंशन-भोगी को, जो ऐसी मंजूरी के बिना वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार कर लें, ऐसी अवधि के संबंध में, जिसमें वह नियोजित रहा हो, या और अधिक अवधि के संबंध में, जो राज्य सरकार निदेशित करे, कोई भी पेंशन देय न होगी, परन्तु जिस सरकारी सेवक को निवृत्ति-पूर्व छुट्टी की अवधि में, खास तरह का वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी ने दे दी हो उसे निवृत्ति के बाद ऐसे नियोजन में बने रहने के लिये बाद में अनुमति न लेनी होगी।

(ख) यह नियम ऐसे प्रत्येक पेंशनभोगी पर लागू होगा जो निवृत्ति के ठीक पहले निम्न अनुसूची में वर्णित राज्य सरकार के नियम विधायी नियंत्रण के अधीन सेवाओं का सदस्य रहा हो।

(ग) इस नियम में "वाणिज्यिक नियोजन" से तात्पर्य है किसी कंपनी या फर्म के अधीन अथवा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वित्तीय कारोबार या व्यवसाय में लगे किसी व्यक्ति के अधीन किसी भी हैसियत से, जिसमें एजेंट भी है, नियोजक और इसके अन्तर्गत ऐसी कंपनी की संचालनकर्त्ता तथा ऐसी कंपनी और फर्म की साझीदारी भी है । [1][ किन्तु इसमें सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित निगम-निकाय के अधीन नियोजित शामिल नहीं है ।]

**अनुसूची**

1. बिहार प्रान्तीय सेवा (कार्यपालिका शाखा) ।
2. बिहार वन-सेवा, वरीय शाखा ।
3. आबकारी-उपायुक्त और आबकारी-अधीक्षक ।
4. उत्कृष्ट न्याय-सेवा और बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा) ।
5. बिहार पुलिस-सेवा ।
6. बिहार अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) सेवा (श्रेणी 1), जिसके अन्तर्गत प्रवर-कोटि के पद भी हैं ।
7. बिहार कृषि सेवा, श्रेणी-1 ।
8. ईख विभाग के उत्कृष्ट राजपत्रित पद, जिनके अन्तर्गत ईख-आयुक्त और विशेष ईख-निरीक्षक के पद भी हैं ।
9. सहयोग विभाग – सहायक निबन्धक से ऊपर के सभी उत्कृष्ट पद और मुख्य लेखा परीक्षक का पद ।
10. उद्योग-निदेशक, उद्योग-उप-निदेशक और वस्त्र विशेषज्ञ के पद; बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, सिन्दरी कॉलेज, टेक्निकल इंस्टिच्यूट में श्रेणी-1 के पद ।
11. बिहार वित्त सेवा, वरीय शाखा और प्रवर-पद ।
12. सरकारी मुद्रणालय का अधीक्षक ।
13. श्रम-विभाग – सभी उत्कृष्ट पद, जिनके अन्तर्गत सहायक श्रम-आयुक्त के पद भी हैं ।
14. वाष्पित्र के मुख्य-निरीक्षक और निरीक्षक के पद ।
15. कारखानों के मुख्य-निरीक्षक और निरीक्षक के पद ।
16. परिवहन विभाग – सभी उत्कृष्ट राजपत्रित पद, जिनके अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन-प्राधिकारों के सचिवों के पद भी हैं ।

## [2][ प्रकरण 6 : निवृत्ति के बाद भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन नियोजन ]

**175. ब** (क) – यदि कोई पेंशनभोगी जिस पर यह नियम लागू हो, भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार करना चाहे, तो उसे ऐसे स्वीकार के लिए राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त कर लेनी चाहिए । उचित अनुमति के बिना ऐसा नियोजन स्वीकार करने वाले पेंशनभोगी को ऐसे नियोजन की अवधि के लिए या राज्य सरकार द्वारा निदेशित और अधिक अवधि के लिए कोई पेंशन देय न होगी ।

परन्तु, जिस सरकारी सेवक को निवृत्ति-पूर्व-छुट्टी की अवधि में भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन किसी खास तरह का नियोजन ग्रहण करने की अनुमति समुचित प्राधिकारी ने दे दी हो, उसे निवृत्ति के बाद ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए बाद में अनुमति न लेनी होगी ।

(ख) यह नियम ऐसे हरेक पेंशनभोगी पर लागू होगा जो, निवृत्ति के ठीक पहले, राज्य सरकार के नियम-विधायी-नियंत्रण के अधीन निम्न अनुसूची में यथावर्णित सेवाओं का सदस्य रहा हो, किन्तु उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट किसी ऐसे नियोजन के संबंध में लागू न होगा, जिसे ऐसे पेंशनभोगी ने 15 जून, 1954 के पहले स्वीकार किया हो ।

---

1. [ सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० सी०डी०आर०-5015/59-20987-वि०, दिनांक 9 नवम्बर, 1959; शुद्धि पत्र सं० 68, दिनांक 27 मई, 1960 ।]
2. [ प्रकरण और नियम 175 ब-सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, अधिसूचना सं० पी०-1-1018/54-297-एफ०आर०, दिनांक 15 जून, 1954; शुद्धि पत्र सं० 22, दिनांक 18 जनवरी, 1955 ।]

(ग) इस नियम के प्रयोजनार्थ, "भारत के बाहर किसी सरकार के अधीन नियोजन" के अन्तर्गत किसी ऐसी स्थानीय प्राधिकार या निगम अथवा कोई दूसरी ऐसी संस्था या संघटन, जो भारत के बाहर किसी सरकार के पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अधीन काम करता हो, के अधीन नियोजन भी होगा।

**अनुसूची**

1. बिहार प्रान्तीय सेवा (कार्यपालिका शाखा)।
2. बिहार वन-सेवा, वरीय शाखा।
3. आबकारी-उपायुक्त और आबकारी-अधीक्षक।
4. उत्कृष्ट न्याय-सेवा और बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा)।
5. बिहार पुलिस-सेवा।
6. बिहार अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) सेवा (श्रेणी 1), जिसके अन्तर्गत प्रवर-कोटि के पद भी हैं।
7. बिहार कृषि सेवा, श्रेणी-1।
8. ईख विभाग के उत्कृष्ट राजपत्रित पद, जिनके अन्तर्गत ईख-आयुक्त और विशेष ईख-निरीक्षक के पद भी हैं।
9. सहयोग विभाग – सहायक निबन्धक से ऊपर के सभी उत्कृष्ट पद और मुख्य लेखा परीक्षक का पद।
10. उद्योग-निदेशक, उद्योग-उप-निदेशक और वस्त्र विशेषज्ञ के पद; बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, सिन्दरी कॉलेज, टेक्निकल इंस्टिच्यूट में श्रेणी-1 के पद।
11. बिहार वित्त सेवा, वरीय शाखा और प्रवर-पद।
12. सरकारी मुद्रणालय का अधीक्षक।
13. श्रम-विभाग – सभी उत्कृष्ट पद, जिनके अन्तर्गत सहायक श्रम-आयुक्त के पद भी हैं।
14. वाष्पित्र के मुख्य-निरीक्षक और निरीक्षक के पद।
15. कारखानों के मुख्य-निरीक्षक और निरीक्षक के पद।
16. परिवहन विभाग – सभी उत्कृष्ट राजपत्रित पद, जिनके अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन-प्राधिकारों के सचिवों के पद भी हैं।

## अध्याय–9

# क्षत और अन्य असाधारण पेंशनें

## प्रकरण 1 : लागू होने की सीमा

**176.** जिन व्यक्तियों पर कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट), 1923 (ऐक्ट 8, 1923) लागू होता है, उनसे भिन्न, असैनिक बजट से भुगतान पानेवाले सभी व्यक्तियों पर जो राज्य सरकार के नियम विधायी नियंत्रण के अधीन हों, इस अध्याय के नियम लागू होंगे, चाहे उनकी नियुक्ति स्थायी हो या अस्थायी, कालमान-वेतन पर हो या नियत वेतन पर उजरत-दर पर।

## प्रकरण 2 : परिभाषा

**177.** जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस अध्याय के प्रयोजनार्थ –

(1) "दुर्घटना" से तात्पर्य है –

(i) आकस्मिक और अपरिहार्य विपत्ति, अथवा

(ii) सेवा के संबंध में या सिलसिले में बल-प्रयोग से अन्यथा उत्पन्न संकट काल में कर्त्तव्य परायणता के कारण आनेवाली कोई विपत्ति;

(2) "आघात की तारीख" से तात्पर्य है –

(i) दुर्घटना या बल-प्रयोग की दशा में, वह वास्तविक तारीख, जिस तारीख को आघात पहुँचा हो या वह तारीख जो राज्य सरकार नियत करे और जो चिकित्सक-बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बाद न हो; तथा

(ii) रोग की दशा में, वह तारीख जिस तारीख को चिकित्सक बोर्ड रिपोर्ट दे या इससे पहले की वह तारीख जो राज्य सरकार चिकित्सक-बोर्ड की राय पर उचित ध्यान देते हुए नियत करें;

(3) (i) यौन रोग या रोगाणुरक्तता (सेप्टिसीमिया) जहाँ ऐसा रोग या रोगाणु-रक्तता किसी चिकित्सक को अपने पदीय कर्त्तव्य के सिलसिले में संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी का उपचार करने या उक्त कर्त्तव्य के सिलसिले में शव-परीक्षा करने के कारण हो जाये, या

(ii) ऐसा रोग जो एकमात्र और सीधे दुर्घटना से ही हुआ हो;

(iii) कोई महामारी जो आदेशानुसार सरकारी सेवक के महामारी-क्षेत्र में कर्त्तव्यस्थ रहने के फलस्वरूप या उस क्षेत्र में, जहाँ वह कर्त्तव्य संपादन के सिलसिले में हो, ऐसे रोग से ग्रस्त किसी रोगी का उपचार, मानवता के नाते स्वेच्छा से करने के फलस्वरूप उसे हो जाये;

(4) "आघात" से तात्पर्य है शारीरिक आघात, जो बल-प्रयोग, दुर्घटना या रोग से जिसे चिकित्सक बोर्ड कठिन से कम न घोषित करे, पहुँचा हो ।

**टिप्पणी** : इस अध्याय की अनुसूची 1 में कुछ कोटियों के आघातों के उदाहरण दिये गये हैं ।

(5) "वेतन" से तात्पर्य है बिहार-उड़ीसा सेवा-संहिता के *[ नियम 38 में परिभाषित वेतन, जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु या आघात की तारीख को पा रहा था; परन्तु उजरत-दर पर भुगतान पानेवाले व्यक्ति के मामले में, वेतन से तात्पर्य है उसकी मृत्यु या आघात की तारीख को समाप्त होनेवाले पिछले छः महीने का औसत उपार्जन । [ *अब बिहार सेवा संहिता का नियम 34 देखें ।]

(6) "पद संबंधी जोखिम" से तात्पर्य है, खास जोखिम से भिन्न दुर्घटना या रोग की जोखिम जो सरकारी सेवक को अपने कर्त्तव्य के सिलसिले में या उसके फलस्वरूप बनी रहती हो, किन्तु वैसी कोई जोखिम पद संबंधी जोखिम न समझी जायेगी जो भारत के अन्तर्गत वर्तमान स्थितियों में मानव-जीवन के लिये आम जोखिम है, जबतक कि सरकारी सेवा के स्वरूप, स्थितियों, दायित्वों या अनुषंगों के चलते ऐसी जोखिम, प्रकार और मात्रा में निश्चित रूप से न बढ़ जाये;

(7) "खास जोखिम" से तात्पर्य है –

(i) बल-प्रयोग द्वारा आघात की जोखिम;

(ii) दुर्घटना या आघात की जोखिम जो किसी ऐसे खास कर्त्तव्य का पालन करते समय या उसके फलस्वरूप सरकारी सेवक की हो, जिससे उसके पद की मामूली जोखिम की अपेक्षा वस्तुतः अधिक आघात पहुँचने की संभावना बढ़ जाए;

(iii) ऐसा रोग होने की जोखिम जो चिकित्सा पदाधिकारी को, अपने पदीय कर्त्तव्य के सिलसिले में यौनरोग या रोगाणुरक्कता से पीड़ित किसी रोगी का उपचार करने या उक्त कर्त्तव्य के संपादन में शव-परीक्षा करने के फलस्वरूप हो; और

(8) "बल प्रयोग" से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो सरकारी सेवक को –

(i) उसके कर्त्तव्यों के सम्पादन में उस पर हमला करके या उसका प्रतिरोध करके अथवा उसे अपने कर्त्तव्यों के सम्पादन में अपभीत करने या उससे रोकने के लिए; अथवा

(ii) ऐसे सरकारी सेवक या किसी दूसरे लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य के विधिसंगत संपादन में किये गये किसी काम या काम की चेष्टा के कारण; अथवा

(iii) उसकी आधिकारिक स्थिति के कारण – कोई आघात पहुँचाए ।

## प्रकरण 3 : सामान्य नियम

**178.** राज्य सरकार की मंजूरी के बिना इस अध्याय के अधीन कोई परिदान न किया जायेगा । परिदान करने में राज्य सरकार उस सरकारी सेवक की, जिसे आघात पहुँचा हो या जो आघात के फलस्वरूप मर गया हो या जो मार दिया गया हो, चूक या सहायक उपेक्षा की मात्रा पर भी विचार करेगी ।

**टिप्पणी :** इस अध्याय के अधीन पेंशन-परिदान के दावों के संबंध में, ऐसी पेंशन मंजूर करने के पहले, बिहार-लोक-सेवा-आयोग से परामर्श कर लेना चाहिए ।

**179.** इस अध्याय में जहाँ कोई दूसरा उपबंध हो, वहाँ छोड़कर, इस अध्याय के अधीन किये गये परिदान से किसी दूसरी पेंशन या उपदान पर जिसका पात्र सम्बद्ध सरकारी सेवक या उसका परिवार उस समय लागू किन्हीं अन्य नियमों के अधीन हो सकता हो, कोई प्रभाव न पड़ेगा; और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रदत्त पेंशन पर, पेंशनभोगी के सरकारी सेवा में लगातार नियोजन या पुनर्नियोजन की दशा में उसका वेतन नियत करने में, विचार न किया जायेगा ।

**180.** निम्न के लिये कोई परिदान न किया जाएगा –

(i) आवेदन की तारीख से 5 वर्ष से अधिक पहले पहुँचे आघात के लिये; अथवा

(ii) वैसी मृत्यु के लिये, जो (क) बल-प्रयोग या दुर्घटना द्वारा आघात पहुँचने के अथवा (ख) सरकारी सेवा जिस रोग से मरा हो उसके कारण उसके चिकित्सक द्वारा काम के अयोग्य करार दिये जाने के सात वर्ष बाद हुई हो ।

**181.** इस अध्याय के अधीन सभी परिदान भारत में रुपये में किये जायेंगे । जब तक कि भुगतान पाने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से उस देश में न रहता हो, और उस देश में भुगतान पाना न चाहता हो, जहाँ रुपया विधि-मान्य मुद्रा नहीं है । पिछली दशा में, परिदान की रकम पौंड में, एक रुपये के लिए 1 शिलिंग 6 पेन्स की विनिमय दर पर, चुकाई जायेगी ।

## प्रकरण 4 : आघातों के प्रकार

**182.** इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, आघातों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

वर्ग (क) – पद संबंधी खास जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात, जिससे कोई आँख या कोई अंग स्थायी रूप से खराब हो गया हो या जो आघात और अधिक गहरा हो;

वर्ग (ख) – पद संबंधी खास जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात और अशक्तता की मात्रा के विचार से, अंग-भंग के बराबर आघात या और अधिक गहरा आघात, अथवा पद संबंधी जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात, से कोई आँख या कोई अंग स्थायी रूप से खराब हो गया हो या जो आघात और अधिक गहरा हो;

वर्ग (ग) – पद संबंधी खास जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात, जो गहरा तो हो, किन्तु बहुत गहरा न हो और जिसके स्थायी होने की संभावना हो; अथवा पद संबंधी जोखिम के फलस्वरूप पहुँचा आघात जो अशक्तता की मात्रा के विचार से, अंग-भंग के बराबर हो या बहुत गहरा हो तथा जिसके स्थायी हो जाने की संभावना हो ।

## प्रकरण 5 : क्षत एवं आघात पेंशन परिदान

**183.** (1) यदि किसी सरकारी सेवक को ऐसा आघात पहुँचे, जो वर्ग (क) में पड़ता हो तो उसे निम्न परिदान किया जायेगा –

(क) इस अध्याय की अनुसूची 2 में उल्लिखित राशि का उपदान, और

(ख) आघात की तारीख से जिस तारीख को एक वर्ष समाप्त हो, उस तारीख से –

(i) यदि आघात के कारण एक से अधिक अंग या आँखें स्थायी रूप से खराब हो गयी हों, तो इस अध्याय की अनुसूची 2 में उच्च मान-पेंशन के लिये उल्लेखित अनुमान्य रकम की स्थायी पेंशन; और

(ii) दूसरे मामलों में, स्थायी पेंशन जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 2 में उच्च मान पेंशन के लिये उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक और उस रकम की आधी से कम न होगी ।

(2) यदि किसी सरकारी सेवक को, ऐसा आघात पहुँचे, जो वर्ग (ख) में पड़ता हो, तो उसे निम्न परिदान किया जायेगा –

(i) यदि आघात के फलस्वरूप एक से अधिक अंग या आँखें स्थायी रूप से खराब हो गयी हों अथवा आघात अधिक गहरा हो, तो आघात की तारीख से स्थायी पेंशन जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 2 में निम्न मान पेंशन के लिए उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक और उस रकम की आधी से कम न होगी;

(ii) दूसरे मामलों में –

(क) आघात की तारीख से एक वर्ष के लिये अस्थायी पेंशन जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 2 में निम्नमान पेंशन के लिए उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक और उस रकम की आधी से कम न होगी और उसके बाद;

(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित सीमा के भीतर पेंशन, यदि चिकित्सक-बोर्ड प्रतिवर्ष यह प्रमाणित करे कि आघात बहुत गहरा बना हुआ है ।

(3) यदि किसी सरकारी सेवक को ऐसा आघात पहुँचे, जो वर्ग (ग) में पड़ता हो, तो उसे इस अध्याय की अनुसूची 2 में उल्लिखित अनुमान्य राशि का उपदान दिया जायेगा, अगर चिकित्सक-बोर्ड यह प्रमाणित कर दें कि सरकारी सेवक के एक वर्ष तक सेवा के अयोग्य हो जाने की संभावना है, अथवा अगर आनुपातिक राशि, जो ऐसी उल्लिखित राशि की एक-चौथाई से कम न होगी, चिकित्सक-बोर्ड यह प्रमाणित कर दे कि उसके एक वर्ष से कम के लिये सेवा के अयोग्य हो जाने की संभावना ।

परन्तु, जहाँ आघात अशक्तता की मात्रा के विचार से अंग-अंग के बराबर हो वहाँ राज्य सरकार, यदि उचित समझे, उपदान के बदले पेंशन दे सकेगी जो उपर्युक्त खंड (2) के उपखंड (ii) के अधीन अनुमान्य रकम से अधिक न होगी ।

(4) इस नियम के अधीन दी गई अस्थायी पेंशन निम्न दशाओं में स्थायी-आघात पेंशन में रूपान्तरित की जा सकती है –

(i) जब सरकारी सेवक को उस आघात के कारण, जिसके संबंध में उसे अस्थायी पेंशन दी गयी थी, सेवा से असमर्थ घोषित कर दिया जाये; अथवा

(ii) जब अस्थायी पेंशन कम से कम 5 वर्षों तक प्राप्त की जा चुकी हो; अथवा

(iii) किसी भी समय, यदि चिकित्सक-बोर्ड यह प्रमाणित कर दे कि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता कि असमर्थता की मात्रा में कभी कोई खास कमी होगी ।

[1][ **184.** [नियम 184 एवं 185 के टिप्पणी में दिए गये प्रावधानों के अनुसार] सरकारी सेवक की विधवा पत्नी तथा संतान को, निम्न परिदान किये जायेंगे –

(i) यदि सरकारी सेवक पद संबंधी खास जोखिम के फलस्वरूप पहुँचे आघात के कारण मारा जाये या मर जाये; तो –

(क) इस अध्याय की अनुसूची 3 में उल्लिखित अनुमान्य राशि का उपदान और

(ख) पेंशन, जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 3 में उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक न होगी ।

(ii) यदि सरकारी सेवक पद संबंधी जोखिम के फलस्वरूप पहुँचे आघात के कारण मारा जाये या मर जाये, तो पेंशन, जिसकी रकम इस अध्याय की अनुसूची 3 में उल्लिखित अनुमान्य रकम से अधिक न होगी ।

***टिप्पणी 1 : जब कोई सरकारी सेवक दो या अधिक वैध विधवा पत्नियों को छोड़कर मरे, तब इस नियम के अधीन अनुमान्य पेंशन या उपदान सभी विधवा पत्नियों में बराबर-बराबर बाँट दिया जाएगा ।**

**टिप्पणी 2 :** यदि कोई सरकारी सेवक का सरकारी कार्य के निष्पादन में विशेष जोखिम के कारण मृत्यु हो जाती है और वह अपने पेंशन वास्ते हकदार कोई विधवा को छोड़ नहीं जाता है तो उसके बच्चे को उसके उपदान की राशि स्वीकृत की जायेगी जो सबको समान रूप में विभाजित होगी, जैसा कि अगर विधवा जीवित होती तो उसके भुगतेय होता ।

1. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० सी०डी०आर०-503/59-10650-वित्त, दिनांक 28 मई, 1959; शुद्धि पत्र सं० 65, दिनांक 30 मई, 1950 ।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

1.

*विषय : कर्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधियों में मारे गये पुलिसकर्मियों तथा अन्य सरकारी सेवकों को अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

गृह [ आरक्षी ] विभाग के संकल्प संख्या–1135, दिनांक 2 दिसम्बर, 1986 में इस बात का प्रावधान है कि कर्त्तव्य के दौरान घायल तथा मृत पुलिस बल के कर्मियों तथा पदाधिकारियों को विशेष सहायता योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपया तक की राशि स्वीकृत की जा सकेगी । पिछले कुछ समय से पुलिसकर्मियों द्वारा इस बात की लगातार माँग की जा रही है कि लगभग 11 वर्ष पूर्व उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित अनुग्रह-अनुदान की राशि में यथोचित वृद्धि की जाये ।

2. इस समस्या से संबंधित सभी पहलुओं पर भली-भाँति विचार का राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व अनुग्रह-अनुदान की जो सीमा निर्धारित की गयी थी, उसे उसी अवधि में हुये मुद्रा-स्फीति को देखते हुये, यथोचित रूप से वृद्धि करने का औचित्य है । राज्य सरकार के समक्ष यह तथ्य भी आया है कि पुलिसकर्मियों की भाँति कई बार राज्य सरकार के अन्य सरकारी सेवकों को भी कर्त्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधियों का शिकार होना पड़ता है । अत: उन्हें भी पुलिसकर्मियों की भाँति समुचित अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत करने का पूर्ण औचित्य बनता है । अतः सम्पूर्ण मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि हिंसक गतिविधियों में मारे जाने वाले अथवा गंभीर रूप से घायल होने वाले सभी सरकारी सेवकों के संबंध में समान नीति का अनुसरण किया जाये और तद्नुसार कर्त्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधियों के शिकार सभी सरकारी सेवकों को समान रूप से अनुग्रह-अनुदान की राशि स्वीकृत की जाये । तद्नुसार, इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों/परिपत्रों इत्यादि को अवक्रमित करते हुये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि –

(क) उग्रवादी अथवा ऐसे ही किसी अन्य हिंसक गतिविधियों में कर्त्तव्य के दौरान मारे जाने वाले प्रत्येक सरकारी सेवक को 2.50 लाख रुपयों की दर से अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत किया जाये,

(ख) मृत सरकारी सेवकों को उपर्युक्त अनुग्रह-अनुदान की राशि स्वीकृत करने की शक्ति भी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों/क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों में विकेन्द्रित रहेगी । राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के उत्तराधिकारियों को घटना की तिथि से अधिक से अधिक एक माह की अवधि के अंतर्गत अनुग्रह-अनुदान की राशि स्वीकृत हो जायेगा और उन्हें उसका भुगतान प्राप्त हो जायेगा । यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह-अनुदान समिति की अनुशंसा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा ऐसे मामलों का निष्पादन अपने स्तर पर ही किया जायेगा ।

(ग) जहाँ-कहीं, सम्बन्धित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय आरक्षी-महानिरीक्षक द्वारा यह महसूस किया जायेगा कि सम्बन्धित मामले में 2.50 लाख रुपयों का अनुग्रह-अनुदान यथोचित नहीं होगा और मामले की प्रकृति को देखते हुए उससे अधिक अनुदान स्वीकृत करने की आवश्यकता है तो ऐसे मामलों में अपनी अनुशंसा के साथ, सम्बन्धित मामले के औचित्य पर पूर्ण प्रकाश डालते हुए सम्बन्धित विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्ताव लायी जाएगी । सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार कर अनुग्रह- अनुदान समिति अपनी यथोचित अनुशंसा करेगी जिसमें राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी, परन्तु तबतक 2.50 लाख रुपयों की राशि स्वीकृति की जा सकेगी; एवं

(घ) हिंसक गतिविधियों : में कर्त्तव्य के दौरान घायल सरकारी सेवकों को भी उपर्युक्त 2.50 लाख रुपयों की अधिसीमा तक अनुग्रह-अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा; परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में गुण एवं दोष के आधार पर, विचार कर यह निर्णय लेना होगा कि संबंधित सरकारी सेवक को हुई शारीरिक क्षति को देखते हुए, उसे कितनी राशि स्वीकृत की जाए । स्पष्टतया, ऐसे प्रत्येक घायल सरकारी सेवक का मामला दूसरे सेवक से भिन्न होगा । अत: ऐसे सभी मामलों में समुचित प्रस्ताव मुख्य सचिव की

अध्यक्षता में गठित अनुग्रह-अनुदान समिति के विचारार्थ लाया जायेगा जिसमें प्रत्येक मामले के गुण एवं दोष पर विचार कर अनुग्रह-अनुदान समिति द्वारा अपनी अनुशंसा दी जायेगी; जिसमें राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

3. इस संकल्प में देय सुविधाएँ मृत सरकारी सेवकों को देय अन्य सभी सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।

4. यह संकल्प दिनांक 1-5-1997 से प्रभावी होगा। [ *संकल्प सं० 5508, दिनांक 5-5-1997 ]

**2.**

***विषय : पारिवारिक पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों का पुनरीक्षण।**

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना से सम्बन्धित वित्त विभागीय ज्ञापांक पेन-103/64-9505-एफ०, दिनांक 3 सितम्बर, 1964 का निर्देश करते हुए कहना है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि योजना को आंशिक रूप उपांतरित करके "कार्यालयी जोखिम" या "कार्यालयी विशेष जोखिम" के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत नहीं प्रत्युत बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन नियमावली के तहत पारिवारिक पेंशन दी जायेगी।

2. (क) पूर्वोक्त कंडिका 2 में अन्तर्विष्ट निर्णय के आलोक में राज्य सरकार ने निम्नांकित तरह से क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों को पुनरीक्षित कर दिया है ताकि ये योजनाधीन अनुमान्य लाभों से अधिक हितकर हों –

| | | |
|---|---|---|
| (1) **विधवा-पेंशन** | | **मासिक पेंशन** |
| सरकारी सेवक का वेतन रु० 800 और उससे अधिक | – | वेतन का 20%, अधिकतम 275 रु०। |
| रु० 200 और अधिक, किन्तु 800 रु० से कम | – | वेतन का 25%, अधिकतम 150 रु० और न्यूनतम 75 रु०। |
| 200 रु० से कम | – | वेतन का 45%, अधिकतम 75 रु०, न्यूनतम 60 रु०। |
| (2) **मातृहीन बच्चों को पेंशन** | | |
| **सरकारी सेवक का वेतन** | | **प्रति बच्चा मासिक पेंशन** |
| 800 रु० और उससे अधिक | – | 60 रु०। |
| 250 रु० और उससे अधिक, किन्तु 800 रु० से कम | – | 37 रु० 50 पैसे। |
| 250 रु० से कम | – | वेतन का 15% |

(ये दरें इस शर्त के अध्यधीन होंगी कि किसी भी हालत में बच्चा/बच्चों को देय पेंशन उस पेंशन-राशि से कम नहीं होगी जो उसे/उन्हें मिली होती यदि पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के प्रावधान लागू हुए होते।)

(ख) पूर्वोक्त दरों पर पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त, यदि क्षत और अन्य उपदान असाधारण पेंशन नियमावली के तहत उपदान भी अनुमान्य है तो वह तद्धीन निर्धारित विद्यमान दरों पर देय होगा।

3. ये आदेश 1-4-1967 से प्रभावी होंगे। [ *ज्ञापांक पेन-105/68-1302 वि०, दिनांक 15-2-1968 ]

**3.**

***विषय : पारिवारिक पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशनों की दरों का पुनरीक्षण।**

पूर्वोक्त विषय पर इस विभाग के ज्ञापांक पेन-105/68-1302 वि०, दिनांक 15-2-1968 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें पारिवारिक पेंशन योजना 1964 द्वारा शासित सरकारी सेवकों को प्रवर्तेय बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट नियमों के तहत क्षत और अन्य असाधारण पेंशनों के अधीन विधवा

की पेंशन और मातृहीन बच्चों की पेंशन की पुनरीक्षित दरें तय की गई हैं । इस सम्बन्ध में उस सरकारी सेवक, जो एक वर्ष की सेवा पूरा करने से पहले सेवारत् हालत में कालकवलित हो जाते हैं, के मामले में पूर्वोक्त दरों की अनुमान्यता विषयक शंकाएँ प्रकट की गई हैं । बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशनों की शर्तों के तहत लाभ बिना सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसकी सेवावधि का लिहाज किये मिल सकेगा, जबकि पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के अधीन लाभ सेवा के दौरान मृत सरकारी सेवक को केवल तभी मिल सकेगा जब सेवक ने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । अत: इस विभाग के पूर्वोक्त ज्ञापन दिनांक 15-2-1968 में विहित दर पर विधवा-पेंशन और मातृहीन बच्चों को पेंशन उस सरकारी सेवक के सम्बन्ध में अनुमान्य नहीं होगी जो एक वर्ष की सेवा पूरा करने के क्रम में सेवारत् अवस्था में कालकवलित होंगे । ऐसे मामलों में, असाधारण पेंशन-अवार्ड के हक का विनियमन बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट "क्षत और अन्य असाधारण पेंशन" सम्बन्धी नियम 184 की अनुसूची 3 के अनुसार होगा । [ ***ज्ञाप सं० पेन–1042/69/10097 वि०, दिनांक 11-12-1969** ]

[ **समीक्षा** : देखें परिशिष्ट 5 में उदार पेंशन नियमावली की कण्डिका 4 के नीचे राज्य सरकार का निर्णय सं० 5 ।]

### 4.

***विषय : पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के लागू होने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट क्षत और अन्य असाधारण पेंशन की दरों का पुनरीक्षण ।**

वित्त विभागीय ज्ञापांक पेन–105/68–1302 वि०, दिनांक 15 फरवरी, 1968 में अन्तर्विष्ट आदेशों को अंशत: उपांतरित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि ऐसे मामलों को वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–101/66–951 वि०, दिनांक 5 दिसम्बर, 1966 और 101/66–750 वि०, दिनांक 22 जून, 1960 भी लागू होंगे ।

2. ये आदेश 1-4-1967 से लागू होंगे । [ ***ज्ञापांक पेन–1042/69/3484, दिनांक 28-4-1970** ]

### 5.

***विषय : "क्षत और अन्य असाधारण पेंशन अध्याय 9" के तहत वैसे मृत सरकारी सेवक के माता और पिता या मातृहीन बच्चों को उपदान की स्वीकृति, जो कार्यालयस्थ विशेष जोखिम के फलस्वरूप कालकवलित हो जाते हैं ।**

अभी बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट "क्षत और असाधारण पेंशन" के तहत उन सरकारी सेवकों की विधवायें मात्र ही उपदान के हकदार होती हैं, जो "कार्यालयस्थ विशेष जोखिम" के फलस्वरूप कालकवलित होते हैं । पिछले कुछ समय से उन सरकारी सेवकों के मातृहीन बच्चों और माता-पिता को उपदान स्वीकृत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था ।

2. राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक "कार्यालयस्थ विशेष जोखिम" के फलस्वरूप कालकवलित होंगे,उनके मातृहीन बच्चों को भी समान अंश में उस उपदान का 1/2 दिया जायेगा जो बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 के "क्षत और असाधारण पेंशन" के तहत अन्यथा उनकी विधवाओं को अनुमान्य होता और इस संदर्भ में "मातृहीन बच्चों" का वही अर्थ होगा जो बिहार पेंशन नियमावली के अध्याय 9 के "क्षत और अन्य असाधारण पेंशन" में दिया गया है । विधवा और बच्चों के नहीं रहने पर उक्त नियमावली के अधीन विधवा को अन्यथा अनुमान्य उपदान का 1/2 मृत सरकारी सेवक के माता-पिता को अलग-अलग या सामूहिक रूप से दिया जायेगा और मृत सरकारी सेवक पर निर्भरता या आर्थिक आवश्यकता का लिहाज नहीं किया जायेगा ।

इन आदेशों का प्रभाव 5-8-1965 से होगा । [ ***ज्ञापांक पेन–1055/70/9271 वि०, दिनांक 28-9-1970** ]

**185.** (1) यदि मृत सरकारी सेवक की न तो विधवा पत्नी जीवित हो और न ही कोई संतान, तो उसकी माता और उसके पिता की संयुक्त रूप से या अलग-अलग, और माता-पिता के जीवित न रहने पर अवयस्क (नाबालिग भाइयों और बहनों को सामूहिक रूप से या अलग-अलग परिदान किया जा सकेगा, यदि वे अपने निर्वाह के लिये सरकारी सेवक पर अधिकतर निर्भर थे और उन्हें आर्थिक आवश्यकता हो;

परन्तु परिदान की कुल रकम उस पेंशन की आधी रकम से अधिक न होगी जो नियम 184 के अधीन विधवा को अनुमान्य होती ।

परन्तु यह और भी कि प्रत्येक अवयस्क भाई और बहन का हिस्सा, जो संतान मातृ-विहीन न हो, उसे लिए अनुमान्य अनुसूची 3 में उल्लिखित पेंशन की रकम से अधिक न होगा ।

(2) इस नियम के खंड (1) के अधीन किये गये परिदान का पुनर्विलोकन, पेंशनभोगी की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर राज्य सरकार द्वारा आदिष्ट रीति से किया जायेगा ।

[1][ **टिप्पणी** : यदि मृतक की विधवा, बच्चे, पिता, माता या नाबालिग भाई या बहनें सरकारी सेवक की सम्पत्ति में हिस्सा से वंचित कर दिए जाते हैं, तो इन नियमों में कोई एवार्ड किसी दूसरे अन्य व्यक्ति (योग्य) को मिलेगा ।]

**186.** (1) परिवार-पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के ठीक अनुवर्ती दिन से या ऐसी दूसरी तारीख से, जो राज्य सरकार नियत करे, प्रभावी होगी ।

(2) परिवार-पेंशन साधारणत: निम्न समय तक मिलती रहेगी –

(i) विधवा पत्नी या माता को – मृत्यु या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो;

(ii) अवयस्क (नाबालिक) पुत्र या अवयस्क भाई को – जब तक उसकी उम्र 18 वर्ष न हो जाये;

(iii) अविवाहित पुत्री या अवयस्क बहन को – जबतक विवाह न हो जाये या उसकी उम्र 21 वर्ष न हो जाये, जो भी पहले हो;

(iv) पिता को – आजीवन ।

[2][ **टिप्पणी** : किसी विधवा की परिवार पेंशन उस हालत में बन्द हो जायेगा, जब वह दूसरी शादी कर लेगी, लेकिन जब ऐसी शादी, तलाक आदि कारणों से भंग हो जाती है, तो उक्त विधवा को इस आधार पर की विधवा दयनीय स्थिति में है तथा अन्य प्रकार से पेंशन पाने की अधिकारी है, पेंशन पुन: स्वीकृत की जा सकती है ।]

*राज्य सरकार का निर्णय –*

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के अनुच्छेद 9 ( नौ ) में निहित क्षत एवं असाधारण पेंशन नियमों का संशोधन ।**

विधवा जो अपने मृत पति के भाई से पुन: विवाह कर लेती है और एक साम्प्रदायिक जीवन (Communal life) साथ में रहकर व्यतीत करती हो या मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों को पालन- पोषण में योगदान देती हो को, असाधारण पेंशन देने का प्रश्न राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन था ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 186 के उप-नियम (2) के स्तम्भ (1) के शर्त्त सामान्य होने पर सरकारी सेवक की विधवा जो अपने मृत पति के भाई से पुन: विवाह कर लें तथा एक साम्प्रदायिक जीवन (Communal life) साथ में रहकर व्यतीत करती हो, या मृत सरकारी सेवक के अन्य आश्रितों के पालन-पोषण में योगदान देती हो, को असाधारण पेंशन, अगर बिहार पेंशन नियमावली के अनुच्छेद 9 (नौ) में निहित क्षत एवं असाधारण पेंशन के शर्त्तों के अनुसार अन्य प्रकारेण अनुमान्य हों, स्वीकृत करने से वंचित नहीं रखा जाये ।

3. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू हो । [ ***ज्ञाप संख्या पी०सी० 11-40-19/74/6127 एफ०, दिनांक 14-6-1974** ]

## प्रकरण 6 : प्रक्रिया

**187.** (1) प्रक्रिया के विषय में, इस अध्याय के अधीन सभी परिदान उस समय प्रवृत्त साधारण पेंशन संबंधी प्रक्रिया-नियमों के अधीन उस हद तक रहेंगे जिस हद तक वे प्रक्रिया-नियम लागू हो सकें और इस अध्याय से असंगत न हों ।

---

1. ज्ञाप सं० 9091 वि०, दिनांक 11-9-1965 द्वारा अन्त:स्थापित ।
2. जी०एस०आर० 129, दिनांक 28-3-1967 द्वारा अन्त:स्थापित ।

(2) जब आघात-पेंशन या उपदान अथवा परिवार-पेंशन संबंधी कोई दावा उठे, तब जिस कार्यालय में आहत या मृत सरकारी सेवक नियोजित था, उसका प्रधान या अध्यक्ष प्रायिक माध्यम द्वारा और महालेखापाल की मार्फत दावे को निम्न लेख्यों के साथ राज्य सरकार के पास अग्रसारित करेगा --

(i) उन परिस्थितियों का पूरा विवरण, जिनमें आघात पहुँचा, रोग हुआ या मृत्यु हुई;

(ii) पेंशन-फारम 1 में आघात पेंशन या उपदान के लिये आवेदन या पेंशन फारम 2 में परिवार-पेंशन के लिये आवेदन;

(iii) आहत सरकारी सेवक या रुग्न सरकारी सेवक की दशा में, पेंशन-फारम 3 में चिकित्सक की रिपोर्ट। मृत सरकारी सेवक की दशा में, मृत्यु के संबंध में चिकित्सक की रिपोर्ट अथवा यदि सरकारी सेवक ऐसी परिस्थिति में मरा हो कि चिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती थी, तो वास्तविक मृत्यु के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य ।

(3) महालेखापाल इस संबंध में रिपोर्ट देगा कि परिदान नियमानुसार अनुमान्य है या नहीं और यदि है, तो कितनी रकम का ?

[1][ (4) जब सरकार का यह समाधान प्रेषित साक्ष्य के आधार पर हो जाये कि सरकारी सेवक के असमर्थता या अन्य असाधारण पेंशन के स्वीकृतार्थ मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई जाँच में कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार दूसरा मेडिकल बोर्ड गठित कर सकती है जिसमें प्रथम मेडिकल के सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्य शामिल किए जायेंगे तथा इसी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी सेवक को पेंशन स्वीकृत की जायेगी ।]

## अनुसूची 1

**[ देखें नियम 177 ( 4 ) के खंड ( 4 ) की टिप्पणी ]**

**आघातों का वर्गीकरण**

**अंग-भंग के बराबर –**

वाणीरोध रहित पक्षाघात;

**श्वासनली छेदन** – नलिका का स्थायी प्रयोग;

कृत्रिम गुदा;

दोनों कानों का वज्र बहरापन ।

**बहुत गहरा –**

पूरा एक पक्षी वदन-पक्षाघात जिसके स्थायी होने की संभावना हो – गुर्दे, वृक्क-प्रणाली या वस्ति का अपविकार;

व्रण सहित अस्थिभंग (अंगूली-पोरों को छोड़कर);

कोमल अंगों का बुरी तरह नाश जिससे स्थायी अशक्तता या शारीरिक-क्रिया हानि हो जाये ।

**कठिन और जिसके स्थायी हो जाने की संभावना हो –**

निम्न जोड़ों में से किसी एक के संचालन में काठिन्य या अत्यधिक रुकावट –

घुटना, केहुनी, कंधा, नितंब, घुट्टी, शंखक एवं ऊपरी जबड़ा, अथवा मेरूदंड के पृष्ठकटि या ग्रीवा संबंधी प्रभागों का काठिन्य ।

एक आँख की आंशिक दृष्टिहीनता;

एक अंडकोष का नाश या हानि ।

विजातीय पदार्थों का भीतर रह जाना, जिससे स्थायी या गंभीर लक्षण उत्पन्न न हों ।

---

1. जी०एस०आर० 129, दिनांक 28-3-1967 द्वारा अन्तःस्थापित ।

## अनुसूची 2

[ देखें नियम 183 ]

### आघात-उपदान और पेंशन

| आघात की तारीख को सरकारी सेवक का वेतन | उपदान | मासिक पेंशन | |
|---|---|---|---|
| | | उच्च-मान | निम्न-मान |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | रु० | रु० |
| 1. 2,000 रुपये और उससे ऊपर। | तीन महीने का वेतन, किन्तु 800 रुपये से कम नहीं। | 300 | 225 |
| 2. 1,500 रु० और उससे ऊपर किन्तु 2,000 रु० से नीचे। | " | 275 | 200 |
| 3. 1,000 रु० और उससे ऊपर किन्तु 1,500 रु० से नीचे। | " | 200 | 150 |
| 4. 900 रु० और उससे ऊपर किन्तु 1,000 रु० से नीचे। | " | 150 | 125 |
| 5. 400 रु० और उससे ऊपर किन्तु 900 रु० से नीचे। | " | 100 | 84 |
| 6. 350 रु० और उससे ऊपर किन्तु 400 रु० से नीचे। | " | 85 | 70 |
| 7. 200 रु० और उससे ऊपर किन्तु 350 रु० से नीचे। | " | 67 | 50 |
| 8. 200 रु० के नीचे। | चार महीने का वेतन। | वेतन की तिहाई हिस्सा जो 8 रु० प्रतिमास या आघात की तारीख को प्राप्त वेतन के बराबर रकम, जो भी कम हो, से कम न होगा। | वेतन का पाँचवाँ हिस्सा, जो प्रतिमास 4 रु० या आघात की तारीख को प्राप्त वेतन के बराबर रकम, जो भी कम हो, से कम न होगा। |

## अनुसूची 3

[ देखें नियम 184 ]

### परिवार-उपदान और पेंशन

[ टिप्पणी : इस अनुसूची के अधीन अनुमान्य पेंशन इस शर्त के अधीन है कि एक साथ मृत सरकारी सेवक की विधवा पत्नी और संतान को देय कुल पेंशन मृत सरकारी सेवक को उसकी मृत्यु की तारीख को प्राप्त वेतन से अधिक होगी जहाँ विधवा पत्नी और संतान को अनुमान्य पेंशन की कुल रकम मृत सरकारी सेवक के वेतन से अधिक हो, वहाँ विहित न्यूनतम राशि के होते हुए भी, हरेक को देय पेंशन अनुपातत: कम कर दी जायेगी।

क. – विधवा पत्नी

| मृत्यु की तारीख को सरकारी सेवक का वेतन | उपदान | मासिक पेंशन |
|---|---|---|
| 1. 800 रु० और उससे ऊपर। | तीन महीने का वेतन। | वेतन का आठवाँ हिस्सा जो 200 रु० से अधिक न होगा। |
| 2. 200 रु० और उससे ऊपर किन्तु 800 रुपये से नीचे। | तीन महीने का वेतन, किन्तु 800 रु० से कम नहीं। | वेतन का छठा हिस्सा, जो 100 रु० से अधिक और 50 रु० से कम न होगा। |
| 3. 200 रु० से नीचे। | 4 महीने का वेतन। | वेतन का तिहाई हिस्सा, जो 50 रु० से अधिक और 8 रु० से कम न होगा। |

ख. – संतान

| मृत्यु की तारीख को सरकारी सेवक का वेतन | प्रत्येक संतान की मासिक पेंशन | |
|---|---|---|
| | यदि संतान मातृहीन हो | यदि संतान मातृहीन न हो |
| 1. 800 रु० और उससे ऊपर। | 40 रु० | 25 रु० |
| 2. 250 रु० और उससे ऊपर किन्तु 800 रु० से नीचे। | 25 रु० | 13 रु० |
| 3. 250 रु० से नीचे। | वेतन का दसवाँ हिस्सा, जो 400 रु० से कम न होगा। | वेतन का बीसवाँ हिस्सा, जो 300 रु० से कम न होगा। |

*राज्य सरकार का निर्णय –*

*भारत सरकार (वित्त विभाग, व्यय मंत्रालय) ने अपने पत्रांक एफ० 19 (23) एस०व्ही० (ए) 64, दिनांक 2 अगस्त, 1965 में "केन्द्र सरकार में राज्य सरकार के सेवकों का प्रतिनियोजन और विलोमत: के सम्बन्ध में असाधारण पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया" अपनायी है।

केन्द्र सरकार में राज्य सरकार के सेवकों का प्रतिनियोजन और विलोमत: के सम्बन्ध में असाधारण पेंशन मंजूर करने सम्बन्धी प्रक्रिया अब तक एक समान नहीं रही है। अत: इस सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है और निर्णय लिया गया है कि इस सम्बन्ध में भविष्य में निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाये –

(1) प्रतिनियोजन की अवधि में क्षति-प्राप्त सरकारी सेवक को असाधारण पेंशन/उपदान देने सम्बन्धी मामले को उधार लेनेवाली सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित किया जाये।

(2) इस तरह का प्रदान (अवार्ड) का दायित्व उधार लेनेवाली सरकार का होगा।

(3) यदि उधार लेनेवाली सरकार जम्मू और कश्मीर सरकार हो तो उसे छोड़कर, उधार लेनेवाली केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विषय में क्रमश: संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये। जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रतिनियुक्त केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों के असाधारण पेंशन-मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) इस तरह की प्रदान (अवार्ड) की मंजूरी अंकेक्षण पदाधिकारी से सामान्य परामर्श करने के पश्चात् उधार लेनेवाली सरकार द्वारा निर्गत की जाये।

2. जिन मामलों में उधार लेने वाली सरकार के असाधारण पेंशन नियम कम लाभप्रद पाये जायें उनमें ऊपर की उपकंडिका (1) में विहित प्रक्रिया शिथिलीकृत समझी जाये। ऐसे मामले उधार लेनेवाली सरकार के नियम के शिथिलीकरण के अन्दर आयेंगे ताकि सम्बद्ध सरकारी सेवकों या उनके परिवार के सदस्यों को उधार देनेवाली सरकार के नियमों के अनुसार लाभ मिल सके। ऐसे मामलों में उधार लेनेवाली सरकार उधार देनेवाली सरकार को सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ आकस्मिक प्रतिवेदन और मामलों की विवरणी भेजेगी जो सम्बद्ध अंकेक्षण पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करेगी। अंकेक्षण-प्रतिवेदन की प्राप्ति पर उधार देनेवाली सरकार उसे तथा अन्य

सुसंगत दस्तावेजों को उधार लेनेवाली सरकार के पास अपने लोक सेवा आयोग से परामर्श के लिए, यदि आवश्यक हो, और आवश्यक स्वीकृति देने के लिए भेजेगी । इन दस्तावेजों को भेजते समय उधार देनेवाली सरकार को यह भी बताना होगा कि वह अंकेक्षण पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत हैं या नहीं, और यदि नहीं तो उसे अवार्ड की अनुमान्यता और परिमाण के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए कारण बताना होगा ।

3. ऊपर की कंडिका में अंतर्विष्ट निर्णय केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियोजन पर गये डाक-तार, रेल और रक्षा विभागों के सरकारी सेवकों तथा विलोमत: को भी आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू होगा और इन आदेशों के लिए ये तीनों विभाग अलग-अलग सरकार समझे जायेंगे ।

4. ये आदेश 1-1-1962 को या उसके बाद प्रोद्भूत मामलों को लागू होंगे । जो मामले पहले ही अन्यथा निष्पादित कर दिये गये हों उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

5. ये आदेश यू०पी० राज्य से केन्द्र सरकार में प्रतिनियोजन पर रहने वाले राज्य सरकारी सेवकों और विलोमत: को लागू नहीं होंगे । ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को लागू नहीं होंगे ।

6. जहाँ तक भारतीय अंकेक्षण और लेखा विभागों में सेवारत् व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद निर्गत किये गये हैं ।

## अध्याय-10

# पेंशन के लिये आवेदन और उसकी मंजूरी

## प्रकरण 1 : सामान्य

**188.** इस नियमावली के अधीन पेंशन संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने वाले सभी प्राधिकारी यह बात ध्यान में रखेंगे कि पेंशन के भुगतान में विलम्ब होने से विशेष प्रकार की कठिनाई होती है । अत: यह सुनिश्चित कर लेना अत्यावश्यक है कि सरकारी सेवक को पेंशन, देय होने की तारीख से ही, पेंशन मिलने लगे ।

**189.** हरेक सरकारी सेवक पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन करेगा । सरकारी सेवक को, अपने ही हित में, अपनी वास्तविक या प्रत्याशित निवृत्ति की तारीख से *18 माह पहले, यथास्थिति, नियम 193 या 196 में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पेंशन के लिये औपचारिक आवेदन कर देना चाहिये –

परन्तु –

(i) जहाँ *[18 माह] पहले निवृत्ति की तारीख मालूम न हो सके, वहाँ आवेदन निवृत्ति की तारीख निर्धारित हो जाने पर तुरंत किया जायेगा; और

(ii) जो सरकारी सेवक *[18 माह] से अधिक की निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर जा रहा हो, वह ऐसी छुट्टी पर जाने के समय आवेदन कर देगा ।

**टिप्पणी :** इस नियम का उद्देश्य यह है कि पेंशन संबंधी दावों के निबटाने में विलम्ब न हो तथा कोई सरकारी सेवक इस गलत धारणा के साथ निवृत्त न हो कि उसने पेंशन उपार्जित की है, और वह बाद में अनुमान्य न पायी जाये । निवृत्ति के बाद अवधि के संबंध में वस्तुत: कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके भीतर पेंशन या उपदान के लिये आवेदन अवश्य ही कर दिया जाना चाहिये, किन्तु विशेष आदेश न रहने पर जिस पेंशन के लिए आवेदन सरकारी सेवक की निवृत्ति के बाद किया जायेगा, वह पेंशन आवेदन की तारीख से ही देय होगी (देखें नियम 209 भी) ।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

**1.**

*यह निर्णीत किया गया है कि सरकारी सेवक को अपने सेवा-निवृत्ति की तिथि से 18 माह पूर्व ही पेंशन हेतु आवेदन करना चाहिए और सम्बन्धित विभाग को पेंशन कागजात सेवक की निवृत्ति की तिथि के 18 माह पूर्व तैयार करना चाहिए । [ *जी०ओ०न० 1030/61-12928 वि०, दिनांक 4-9-1962 ]

**2.**

***विषय : सेवानिवृत्ति के 12 महीने ( अब 18 महीने ) पहले पेंशन-मामले का उपस्थापन ।**

महालेखाकार, बिहार के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों द्वारा अंकेक्षण-प्राधिकारियों को सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बहुत बाद पेंशन-मामले सौंपे जाते हैं, फलस्वरूप पेंशन-मामला के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है ।

2. इस सम्बन्ध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 साथ-साथ पठित वित्त विभाग ज्ञापांक पेन-1030/61-12928 एफ०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 की कंडिका 5 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 महीने पहले अंकेक्षण कार्यालय को पेंशन-मामला सौंप दिया जाये । निस्संदेह, सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी सेवकों को 75% पेंशन और उपदान देने का आवश्यक प्रावधान वित्त विभाग पत्रांक पेन-1032/67/8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में किया गया है । किन्तु उक्त प्रावधान केवल उन्हीं मामलों के लिए हैं जिनमें पेंशन मामलों का अन्तिम निष्पादन नहीं हुआ है । सामान्यत: सभी पेंशन-मामले 12 महीने पहले संसाधित करके अंकेक्षण कार्यालय को सुपुर्द किए जाने हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी सेवक को उसकी पूरी पेंशन और उपदान दिया जा सके ।

3. अत: अनुरोध है कि अपने अधीन सभी पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारियों को आवश्यक निदेश भेज दें कि वे सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के 12 महीने पहले उनके पेंशन-मामले महालेखाकार, बिहार को भेज दें तथा सभी लम्बित पेंशन-मामलों का स्थानिक पुनर्विलोकन करें ताकि लम्बित पेंशन मामलों का निष्पादन अगले छह महीनों के भीतर किया जा सके । (अब 12 महीने के बदले 18 महीने पढ़ा जाए)

**[ *ज्ञापांक पेन-1021/68/463 वि०, दिनांक 16-1-1969 ]**

**3.**

***विषय : पेंशन/ग्रेच्यूटी हेतु सेवा का सत्यापन ।**

लम्बित पेंशन मामलों में निष्पादन हेतु दौरा के क्रम में समीक्षा के समय यह पाया गया है कि सेवानिवृत्त/ मृत सरकारी कर्मचारियों की सेवा-पुस्त विभिन्न कार्यालयों में Acquittance Roll के आधार पर सेवा सत्यापन के लिए भेजी जाती है । इस प्रकार की प्रक्रिया के चलते पेंशन मामलों के निष्पादन में काफी समय लग जाता है और फलस्वरूप पेंशनरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को समय पर पेंशन नहीं मिलने से आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन-1032/67-8739 वि०, दिनांक 13-7-1967 के निम्नांकित प्रावधान के अनुसार अब सेवा-सत्यापन के लिए सेवा-पुस्त विभिन्न कार्यालयों में भेजना आवश्यक नहीं है –

"यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे मामलों में सेवा की प्रथम तिथि जो पेंशन हेतु अर्हक है, निवृत्ति तिथि और सेवा के बीच की अवधि जो पेंशन के लिए अर्हक नहीं है का ही सिर्फ सत्यापन होना चाहिए तथा अनर्हक सेवा की अवधि को घटा कर अर्हक सेवा का निर्धारण होना चाहिए ।"

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सेवा पुस्त में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही सेवा का सत्यापन करना है । सत्यापन करने हेतु प्रमाण-पत्र का एक नमूना दिया जा रहा है –

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री – सम्बद्ध सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम सरकारी सेवा में निवृत्त हुए/मर गये । उपर्युक्त अवधि में उनके द्वारा की गई सेवा लगातार एवं पेंशन प्रदायी है ।"

(हस्ताक्षर पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी पदनाम सहित)

**[ *वित्त विभाग ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-701/78/1690 वि०, दिनांक 9-2-1978 ]**

**190.** महालेखापाल, हरेक, राजपत्रित सरकारी सेवक के पास, जिस तारीख को वह बुढ़ापा-निवृत्ति की उम्र का हो जाये, उस तारीख के [अठारह महीने] पूर्व, अथवा जिस तारीख से उसने निवृत्त होने के लिये, औपचारिक रूप से अनुमति माँगी हो, यदि वह पहले हो तो, उस तारीख के पूर्व यथाशीघ्र 189 से 193 तक नियमों की एक प्रतिलिपि इस अभ्युक्ति के साथ भेजेगा कि यदि वह नियमानुसार औपचारिक आवेदन-पत्र नहीं देगा, तो उसकी पेंशन के आरंभ होने में विलंब की संभावना रहेगी ।

[ **समीक्षा** : देखें नियम 204 के नीचे राज्य सरकार के निर्णय सं० 1 की कण्डिका (3), जो अराजपत्रित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के बाद वाले माह के प्रथम दिन ही 75% ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान से सम्बन्धित है ।]

**191.** सरकारी सेवक की पेंशन या पेंशनी सेवा को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर, जिनका निर्णय तत्काल ज्ञात परिस्थितियों पर निर्भर हो, ज्यों ही वे उत्पन्न हों, त्योंही विचार किया जायेगा ।

कोई प्रश्न, जिसका निर्णय भविष्य में हो सकने वाली संभावित परिस्थितियों पर या उपकल्पित दशाओं पर निर्भर हो, नियम 189 के अधीन पेंशन संबंधी औपचारिक आवेदन के लिए अनुमान्य अवधि के आरंभ होते ही उठाया जा सकता है या उसपर विचार-विमर्श किया जा सकता है ।

**192.** नियम 191 के प्रथम वाक्य के भीतर आनेवाले मामलों या राज्य सरकार के विशेष आदेश के अधीन खास मामलों को छोड़कर, महालेखापाल, सरकारी सेवक के पेंशन पर दावे से संबंधित किसी प्रश्न पर तबतक सलाह न देगा जबतक कि पेंशन संबंधी औपचारिक आवेदन के लिए नियम 189 में विहित अनुमान्य अवधि आरंभ न हो जाये ।

## प्रकरण 2 – आवेदन

### उप-प्रकरण ( 1 ) : राजपत्रित-सरकारी सेवक

**193.** राजपत्रित सरकारी सेवक कार्याध्यक्ष के पास पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र देगा । यदि सरकारी सेवक स्वयं कार्याध्यक्ष हो, तो वह सीधे राज्य सरकार को पेंशन-फारम 4 में आवेदन करेगा; उसे औपचारिक आवेदन-पत्र देने की जरूरत नहीं है ।

**टिप्पणी** : आवेदक आवेदन-पत्र पर निम्न प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगा –

"मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि अपनी सेवा के किसी अंश के संबंध में जो इस आवेदन पत्र में उल्लिखित है तथा जिसके संबंध में पेंशन या उपदान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिये न तो आवेदन किया है और न पाया है और न इस आवेदन पत्र तथा इसपर दिये गये आदेश का हवाला दिए बिना इसके बाद आवेदन ही करूँगा ।"

**194.** (i) औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला प्राधिकारी उस आवेदन-पत्र को तुरंत पेंशन फारम 4 में तैयार करेगा और उसे आवेदक के पास उसके हस्ताक्षर के लिये तथा फिर से उपस्थापित करने के लिये भेज देगा ।

(ii) तब वह फारम के पृष्ठ 3 में यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक का चरित्र, आचार और अतीत सेवाएँ इस योग्य हैं या नहीं कि सरकार उसके संबंध में अनुकूल विचार करे । वह इस बारे में अपनी राय भी लिखेगा कि जिस सेवा का दावा किया गया है, वह सिद्ध हो गई है या नहीं तथा उसे स्वीकृत किया जाए या नहीं ।

(iii) छुट्टी, मुअत्तली आदि की सभी अवधियाँ, जिनकी गणना सेवा के रूप में न की जाती हो, फारम पर सावधानी से लिखी जाएँ ।

(iv) यदि आवेदनपत्र असमर्थता पेंशन के लिये हो, तो आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र संलग्न कर देना चाहिये ।

**टिप्पणी** : यदि आवेदक की स्वास्थ्य-परीक्षा उस तारीख को न की गयी हो जिस तारीख से उसने काम करना बन्द किया था, तो पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी बाद की तारीख का स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकता है ।

**195.** (क) पूर्ववर्त्ती नियम में विहित रीति से आवेदन-पत्र पूरा भरने के बाद, उसे आवश्यक लेख्यों के साथ पेंशन मंजूर करने की शक्ति वाले प्राधिकारी की मार्फत महालेखापाल के पास भेजा जायेगा ।

(ख) यदि पेंशन(उपदान नहीं) के लिये आवेदन करने वाला व्यक्ति सक्रिय सेवा में न हो, तो अन्तिम-वेतन-प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जायेगा । हाँ, ऐसा उस स्थिति में न किया जायेगा जबकि वह विदेश में छुट्टी पर रहते हुये सेवा से निवृत्त हो और अपना छुट्टी-वेतन होम ट्रेजरी में या उसकी मार्फत प्राप्त करें और उसे स्रोत से अपनी पेंशन भी पाना चाहे ।

(ग) पेंशन मंजूर करने में सक्षम पदाधिकारी मामले के तथ्यों पर यथावत् विचार करने के बाद आवेदन- पत्र पर अपनी अन्तिम सिफारिश लिखेगा कि जिस पेंशन का दावा किया गया है, उसे मंजूर किया जाए या नहीं ।

(घ) जिस सरकारी सेवक की सेवाएँ अंशत: राजपत्रित पदों पर रही हों, उसका सेवा-पुस्त तथा पेंशन-फारम 4 के पृष्ठ 2 में अराजपत्रित सेवा का विवरण जो नियम 197 के उपबंधों के अधीन महालेखापाल द्वारा यथावत् सत्यापित रहेगा, महालेखापाल के पास भेजे जाने वाले कागज-पत्रों के साथ संलग्न रहेंगे।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

***विषय : अग्रिम पेंशन, अग्रिम उपदान और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य के मामले में अंतिम-वेतन-प्रमाण-पत्र जारी करना।**

जब अंकेक्षण पदाधिकारी को पेंशन-फारम सं० 4, बी०पी०आर० में पेंशन-आवेदन-पत्र अग्रसारित किया जाता है तो उसके साथ, यदि पेंशनार्थी आवेदक सक्रिय सेवा में न हो, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र दिया जात है [ देखें बी०पी०आर० का 194 (बी) ]। अन्य मामलों में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र बाद में अलग से अंकेक्षण पदाधिकारी को दिया जाता है ताकि वह अंकेक्षण संहिता के अनुच्छेद 184 के अनुसार पेंशन की अदायगी या निर्मुक्ति कर सकें। व्यवहार में अंकेक्षण पदाधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग पर और न केवल अंतिम पेंशन की अदायगी के पहले बल्कि अग्रिम पेंशन, अग्रिम उपदान और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य के पहले भी देते हैं। अग्रिम अदायगियों के पहले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग पर जो बहुधा इन अदायगियों में विलम्ब का कारण बनता है और इस तरह वह उद्देश्य ही विफल हो जाता है जिसके लिए ऐसी अग्रिम अदायगियों का प्रावधान किया गया है, अर्थात् सेवानिवृत्त होते ही अंतिम रूप से पेंशन निर्धारित होने के पहले पेंशनर को तुरंत तात्कालिक सहायता नहीं मिल पाती है। ऐसे विलम्ब के फलस्वरूप होनेवाली कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब से अंकेक्षण पदाधिकारी अग्रिम पेंशन, अग्रिम अनुदान (मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान समेत) और अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य की अदायगी या प्राधिकृत करने के पहले अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की माँग नहीं करेंगे।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम अदायगी बिना अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाएँगे और ठीक तिथि से अदायगी शुरू हो जायेगी, यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक के वस्तुत: सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर एक गजट अधिसूचना (यदि राजपत्रित पदाधिकारी हों) या औपचारिक आदेश (यदि अराजपत्रित पदाधिकारी हों) जारी की जाए जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि सम्बन्धी तथ्य अधिसूचित या सूचित किया जाए। आदेश निर्गत होने के तुरंत बाद सम्बद्ध अंकेक्षण पदाधिकारी को उस आदेश की एक प्रति दे दी जाए।

3. उपरोक्त कंडिका 2 में अंतर्विष्ट पुनरीक्षित प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से लागू होगी। यह प्रक्रिया उन लम्बित मामलों को भी लागू होगी जिनमें इस आदेश के बाद अग्रिम पेंशन, अग्रिम मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान या अग्रिम पेंशन पर आधारित रूपांतरित मूल्य की अदायगी के प्रस्ताव किए गये हैं।

4. यदि अग्रिम पेंशन अग्रिम उपदान, अग्रिम पेंशन का रूपांतरण या अंश की स्वीकृति के समय किसी पेंशनर से वसूलनीय सरकारी बकाया आकलित या गैरभरपायी रहे तो वित्त विभाग का ज्ञापांक 10290 वि०, दिनांक 22-9-1964 में अंतर्विष्ट निदेश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। **[ ज्ञापांक पेन-1037/64/4164 वि० 2, दिनांक 5-5-1964 ]**

### उप-प्रकरण ( 2 ) : अराजपत्रित सरकारी सेवक

### सेवा का सत्यापन

**196.** राजपत्रित सरकारी सेवक पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन कार्यालय-प्रधान को करेगा।

[ **समीक्षा** : देखें नियम 189, 204 और परिशिष्ट 6 में राज्य सरकार के निर्णय।]

**197.** औपचारिक आवेदन-पत्र मिलने पर कार्यालय-प्रधान, पेंशन-फारम 4 के पृष्ठ 2 में आवेदक की सेवाओं का विवरण तुरंत तैयार करेगा और निम्न प्रक्रियानुसार उनके सत्यापन की व्यवस्था करेगा –

(क) (i) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिसके लिए सेवा-पुस्त रखा जाता है, यदि सेवा अंशत: निचली रही हो (जिस सेवा के बारे में लेखा परीक्षा-कार्यालयों के अभिलेख कभी-कभी अपूर्ण रहते हैं) तो सभी प्राप्त जानकार सर्वप्रथम सरकारी-अभिलेखों से इकट्ठी की जाएगी। उत्कृष्ट सेवा के संबंध में, पहले केवल सहज प्राप्त जानकारी ही इकट्ठी करना पर्याप्त होगा।

इस प्रकार प्राप्त जानकारी तब विवरण के साथ महालेखापाल के पास भेज दी जाएगी। महालेखापाल अपने कार्यालय-अभिलेखों से मिलाकर विवरण की जाँच करेगा और सत्यापन का आवश्यक प्रमाण-पत्र देगा।

(ii) यदि कोई भिन्नता हो, तो महालेखापाल ऐसी भिन्नता का पूरा ब्योरा देगा, जैसे कि जिस पद पर किसी अवधि में आवेदक को आसीन बताया गया है, उस पद पर लेखा-परीक्षा-कार्यालय के अभिलेखों में किसी अन्य व्यक्तियों को आसीन दिखाया गया हो। विवरण उपस्थापित करनेवाला प्राधिकारी विवादास्पद सेवा को पेंशन के लिये गिनने की अनुमति देने के पहले महालेखापाल के समाधान के अनुरूप ऐसी भिन्नता को ठीक कर देगा।

(iii) यदि वह सेवा, जिसका दावा किया गया है, लेखा-परीक्षा-कार्यालय के अभिलेखों से पूरी तरह सत्यापित न हो सके, तो जिस कार्यालय में सन्देहास्पद अवधि में आवेदक ने काम किया हो, उसके प्रधान से उसके बारे में पृच्छा की जायेगी, जबतक कि वह सेवा पहले ही सत्यापित न हो चुकी हो और सेवा-पुस्त में सत्यापन प्रमाण-पत्र अभिलिखित हो चुका हो।

(iv) यदि सेवा को अन्यथा तरह सत्यापित करना असंभव प्रतीत हो, तो सादे कागज पर आवेदक का लिखित बयान लिया जायेगा। [देखें इंडियन स्टाम्प ऐक्ट 2, 1889, अनुसूची 1, सं० 4 (सी)] और अन्य प्राप्त प्रतिपोषक साक्ष्यों का संग्रह किया जायेगा, उदाहरणार्थ पद (या कार्यालय) छोड़ने के समय किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने अधीनस्थ को दिये गये प्रमाण-पत्र और समकालीन सरकारी सेवकों के अभिसाक्ष्य।

**टिप्पणी** : इस खंड के अधीन सत्यापित सेवा को स्वीकृत करने की शक्ति का प्रयोग सभी अधीनस्थ प्राधिकारी, जिन्हें इस नियमावली के अधीन पेंशन मंजूर करने की शक्ति प्राप्त है, करेंगे।

(ख) जिस सरकारी सेवक के संबंध में सेवा-पुस्ती रखी जाती है, उसकी सेवाएँ जबतक कि वे सत्यापित न हो चुकी हों और सेवा-पुस्ती में सत्यापन-प्रमाण-पत्र अभिलिखित न हो चुका हो, वेतन-बिल, भरपाई वही या अन्य सुसंगत अभिलेखों के आधार पर सत्यापित की जायेगी और इस संबंध में जहाँ आवश्यक हो, खंड (क) के उपखंड (iv) में विहित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

**टिप्पणी** : वैसे पुलिस-पदाधिकारी के मामले में जो [1] [असैनिक पुलिस में सहायक अवर-निरीक्षक और हवलदारों तथा सैनिक पुलिस में समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों] की* पंक्ति से ऊपर का न हो, पुलिस महानिरीक्षक, [2] [और कारा-विभाग के मुख्य कक्षापाल और कक्षापालों के मामले में कारा-महानिरीक्षक] आवेदन के समय जिस बल (फोर्स) में पुलिस पदाधिकारी काम कर रहा हो उसमें उसने जितनी अवधि तक लगातार और सत्यापित सेवा की हो, केवल उतनी अवधि के लिये पेंशन संबंधी दावा महालेखापाल को पहले निर्देश किये बिना, स्वीकृत कर सकता है, यदि ठीक-ठीक नियमानुसार पेंशन अनुमान्य हो। पहचान के आवश्यक विवरण के साथ एक रिपोर्ट महालेखापाल के पास भेजी जायेगी। अन्य सभी दावों के संबंध में कार्रवाई साधारण नियमों के अधीन की जायेगी।

[**समीक्षा** : विभागीय प्रधान द्वारा अपने व्यवस्थापना की वार्षिक विवरणी महालेखाकार को प्रेषित करने का प्रथा की समाप्ति के कारण अब विभागीय प्रधान के द्वारा ही सेवक की सेवा-पुस्त में सभी पूर्ण, सत्य एवं अद्यतन प्रविष्टियाँ की जाती है। उदाहरणार्थ सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे प्रथम नियुक्ति की तिथि वेतनवृद्धि, प्रोन्नति, निलम्बन, सेवा में टूट आदि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र को भी विभागीय प्रधान द्वारा ही हस्ताक्षरित होना है।]

**198.** ज्योंही यह मालूम हो जाए कि कोई सरकारी सेवक 6 महीनों के भीतर निवृत्त होगा या निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चला गया है त्योंही कार्यालय-प्रधान पूर्ववर्त्ती नियम में बतायी गयी रीति से सेवा-विवरण की तैयारी और सेवा के सत्यापन का काम हाथ में लेगा। यह काम सरकारी सेवक के पेंशन-संबंधी औपचारिक आवेदन-पत्र वस्तुतः उपस्थापित कर देने तक कभी रुका न रहेगा।

1. प्रधान सिपाही शब्दों के लिए प्रतिस्थापित।
2. सन्निविष्ट, देखें, वित्त विभाग, ज्ञाप सं० पी० 1-1034/51-1441-वित्त, दिनांक 10 नवम्बर, 1953 और पी० 1-1020/54 वित्त, दिनांक 8 अप्रील 1954 और शुद्धि पत्र सं० 23, दिनांक 18 जनवरी, 1955।

**199.** (क) (i) नियम 197 में बतायी रीति से सत्यापन पूरा कर लेने के बाद कार्यालय-प्रधान आवेदन-पत्र को पेंशन फारम 4 में तैयार करेगा ।

(ii) वह नियम 194 के (i) से (iv) तक खंडों में दिए निर्देशों का भी पालन करेगा और एक अलग कागज पर सरकारी सेवक से नियम 193 के नीचे दी गई टिप्पणी में उल्लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न कर दिया जायेगा ।

(iii) जहाँ नियम 197 के खंड (क) के उपखंड (iv) में विहित प्रक्रिया का सहारा लेना आवश्यक हो जाये, वहाँ वह आवेदन-पत्र में यह ठीक-ठीक अभिलिखित करेगा कि वस्तुत: किस तरह की जाँच-पड़ताल की गई और किस निष्कर्ष पर पहुँचा गया ।

(ख) इसके बाद वह, आवेदन-पत्र के साथ, सेवा के सत्यापन के लिए विश्वसत सभी लेख्यों को इस तरह संजो देगा कि उनको सुविधापूर्वक देखा जा सके और तब उन्हें, यथास्थिति, सरकारी सेवक की सेवा-पुस्त या सेवा-पुस्ती और पेंशन फारम 4 के पृष्ठ 2 में यथावत् अद्यतन तैयार किए गए विवरण [तथा यदि आवश्यक हो तो, अन्तिम-वेतन-प्रमाणपत्र, देखें नियम 195 (द)] के साथ पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी की मार्फत महालेखापाल के पास भेजेगा ।

(ग) पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी नियम 195 के खंड (ग) में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा ।

## प्रकरण 3 : मंजूरी

**200.** (1) नियम 195 या 199 के उपबंधों के अधीन पेंशन कागज-पत्र प्राप्त होने पर महालेखापाल उनकी यथोचित जाँच करेगा । जहाँ पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी ने नियम 195 या 199 के खंड (ग) के अधीन अपनी अन्तिम सिफारिश लिख दी हो, वहाँ यदि महालेखापाल दावा ठीक पाए तो वह तुरन्त भुगतान-आदेश तैयार करेगा, किन्तु जिस तारीख को सरकारी सेवक निवृत्त होनेवाला हो, उसके एक पक्ष के पहले उसे न निकालेगा, वह ऐसा आदेश निकालने की सूचना उस प्राधिकारी को भी दे देगा । दूसरे मामलों में, वह सेवा और पेंशन की गणना के सही होने के संबंध में प्रमाण पत्र देगा और पेंशन के दावे के संबंध में अपनी रिपोर्ट और उस मामले में लागू होने वाले नियमों के उल्लेख के साथ पेंशन संबंधी कागज-पत्रों को पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी के पास लौटा देगा । वह अन्तिम-वेतन प्रमाण-पत्र अपने पास रख लेगा (देखें नियम 195 और 199) जबतक कि पेंशन का भुगतान लेखा परीक्षा के अन्य अंचल में न किया जानेवाला हो, और वैसी दशा में वह उस प्रमाण-पत्र को पेंशन की मंजूरी संबंधी आदेश की एक प्रति के साथ उस अंचल के महालेखापाल के पास भेज देगा ।

**टिप्पणी** : यदि पेंशन संबंधी कागजात स्पष्टत: अशुद्ध या अपूर्ण हो, तो महालेखापाल उन्हें अविलम्ब संशोधन और स्पष्टीकरण के लिये लौटा देगा ।

पेंशन-फारम 4 में पृष्ठ 2 के स्तंभ में, जो महालेखापाल की अभ्युक्ति के लिये अभिप्रेत है, अथवा उस फारम के पृष्ठ 3 में अपने प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट में, महालेखापाल किसी सेवा को अस्वीकृत करने के कारण संक्षेप में उल्लिखित करेगा तथा किसी स्पष्ट भिन्नता आदि के बारे में अपना स्पष्टीकरण देगा ।

(2) अनुमान्य पेंशन की रकम संबंधी अपनी रिपोर्ट में महालेखापाल बराबर नियम 139 और नियम 202 (1) की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करेगा ।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

**1.**

*विषय : पेंशन मामला का त्वरित निष्पादन ।

निर्णय लिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 के वाक्यखंड (1) में प्रावधानों के तहत महालेखाकार, बिहार किसी पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम एक पखवारा के अन्दर पेंशन और औपबन्धिक उपदान की अदायगी के लिए प्राधिकार निर्गत कर सकेंगे ।

2. अब एक प्रश्न उठाया गया है कि यदि मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान अदाय कर दिया गया हो तो ऐसे मामले में अँतिम वेतन प्रमाण-पत्र जो पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होगा, की जाँच के समय पायी गई अधिक-अदायगी किस प्रकार वसूल की जायेगी ।

3. निर्णय लिया गया है कि ऐसी संभाव्यताओं के बचाव के लिए महालेखाकार, बिहार उपदान में से उपदान की 10 प्रतिशत राशि या 1,000 रु० जो कम हो, रोक रखेंगे/पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी उन पदाधिकारियों से जो उपदान के हकदार नहीं हैं, उन्हें औपबन्धिक पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के पहले 1,000 रु० (एक हजार रुपए) से अनधिक की नगद राशि जमा करवायेंगे। [ *ज्ञापांक पेन–1810/63/3561 वि०, दिनांक 30–4–1965 ]

**2.**

***विषय : पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना।**

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 और 201 की ओर ध्यान दिया जाए जिनमें पेंशन-स्वीकृति के लिए प्रक्रिया विधायित है। नियम 200 उपबंधित करता है कि स्पष्ट मामलों में सेवा और पेंशन की गणना सम्बन्धी शुद्धता के लिए महालेखाकार को स्वीकृति पदाधिकारी के पास प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अन्य मामले में वैसा करना है। नियम 201 बोलता है कि जो पेंशन महालेखाकार द्वारा नियमों के अधीन स्पष्टत: और दृढ़त: अनुमान्य प्रमाणीकृत की जायेगी वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है कि उस मामला में औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिसमें महालेखाकार स्वीकृति प्राधिकारी को प्रमाण-पत्र नहीं भेजकर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 200 (1) में यथाविहित केवल पेंशन भुगतान आदेश जारी कर देते हैं। इस नियम में विहित प्रक्रिया अंतर्विष्ट करने का मूल उद्देश्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं के अनुपालन और पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने में विलम्ब के कारण पेंशनलाभी को होने वाली कठिनाई से बचाना था। यह प्रक्रिया बिहार पेंशन नियमावली के नियम 201 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अदायगी केवल औपबन्धिक है और प्रत्येक मामला में सक्षम प्राधिकारी को पेंशन की औपचारिक स्वीकृति निर्गत करनी होगी।

2. यह भी ध्यान दिलाया गया है कि अंतिम रूप से पेंशन स्वीकृत किए जाने के पहले सक्षम प्राधिकारी को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 और 201 (1) के प्रावधानों पर गौर करना चाहिए।

3. ऐसे मामले भी हैं जिनमें सेवा-निवृत्ति के समय सरकारी सेवक के जिम्मे सरकार की कतिपय राशियाँ बाकी पड़ी हैं, उदाहरणार्थ वेतन, भत्ते या छुट्टी-वेतन की अधिक निकासी या सम्मत या प्रत्यक्ष बकाए जैसे मकान-किराया, पोस्टल बीमा प्रीमियम, विभिन्न अग्रिमों आदि के बाकी पड़े अतिशेष। ये राशियाँ सरकारी सेवक की पेंशन से वसूल नहीं की जा सकतीं। अत: पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि यथासंभव अविलम्ब इन बाकी पड़ी राशियों की ओर सम्बद्ध सरकारी सेवक का ध्यान आकृष्ट किया गया है और उसे अंतिम पेंशन की औपचारिक रूप से स्वीकृति मिलने के पहले उन राशियों को अदा करने का अनुरोध किया गया है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक ओर जहाँ इन राशियों की वसूली अंतिम रूप से पेंशन-स्वीकृति के पहले कर ली जानी चाहिए वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के जिम्मे सरकार को बाकी पड़ी कुल राशि के सम्बन्ध में जानकारी देने में या उस राशि की वसूली के बाद अंतिम पेंशन की स्वीकृति करने में परिहार्य विलम्ब न हो। [ *पत्र सं० 6665-वि०, दिनांक 30-5-1951 ]

[देखें परिशिष्ट 6 में राज्य सरकार का निर्णय सं० 1 तथा वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या 3014 वि०, दिनांक 31-7-1980 की कण्डिका 6।]

**201.** (1) जिस पेंशन के बारे में महालेखापाल प्रमाणित कर दें कि नियमों के अधीन साफ-साफ और ठीक-ठीक अनुमान्य है, उसे –

(क) किसी भी मामले में, राज्य सरकार मंजूर करेगी;

(ख) अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में वह सरकारी सेवक मंजूर करेगा जिसे निवृत्त सरकारी सेवक द्वारा रिक्त किये गए पद को भरने का प्राधिकार हो।

[1][ **टिप्पणी 1 :** अराजपत्रित सरकारी सेवक जो राजपत्रित पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए सेवा निवृत्त हो जाते हैं उनके पेंशन की स्वीकृति उप-खण्ड (क) में दिए गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।]

1. विद्यमान टिप्पणी को टिप्पणी 2 बनाया गया और टिप्पणी-1, शुद्धि पत्र सं० 88, दिनांक 9-9-1961 द्वारा अन्तःस्थापित।

**टिप्पणी 2 :** राज्य सरकार इस नियम के अधीन अपनी शक्तियाँ कार्याध्यक्षों या अन्य अधीनस्थ सरकारी सेवकों को, जिन्हें निवृत्त सरकारी सेवक द्वारा रिक्त किये गए पद को भरने का प्राधिकार हो, सौंप सकती है।

[ऊपर उप-खंड (क) के अधीन सौंपी गयी शक्तियों के लिए परिशिष्ट 1 देखें।]

(2) मंजूरी प्राधिकारी की यह खास जिम्मेवारी है कि पेंशन मंजूरी का आदेश महालेखापाल के पास ठीक समय पर भेज दिया जाये, ताकि महालेखापाल को सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख तक पेंशन भुगतान आदेश निकालने के लिये काफी समय मिल सके। पेंशन मंजूरी आदेश निवृत्ति की नियत तारीख के 1 महीने से अधिक पहले न निकाला जाएगा, और महालेखापाल उसके एक पखवारे से अधिक पहले पेंशन भुगतान-आदेश न निकालेगा।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

**1.**

*निर्णय लिया गया है कि पेंशन/उपदान/पारिवारिक पेंशन को औपचारिक रूप से स्वीकृति जारी करने के बदले, महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी आवेदन-पत्र को अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ महालेखाकार के पास सत्यापनार्थ भेजने के पहले आवेदन-पत्र पर सामान्य रूप से अपना अंतिम आदेश लिखेंगे। पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात् और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 239 के प्रावधानों का सम्यक् रूपेण ध्यान करते हुए आवेदन-पत्र पर अपना आदेश अंकित करेंगे कि सेवा संतोषप्रद रही है और नियमों के अधीन अनुमान्य पूरी पेंशन देने के लिए अनुमोदित की जाती है या कि सेवा भली-भाँति संतोषप्रद नहीं रही है और ऐसी हालत में इसके लिए नियमों के तहत अनुमान्य पूरी पेंशन या/और उपदान से क्या कटौती की जाये। पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी महालेखाकार को आवेदन-पत्र अग्रसारित करने के पहले उसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे। पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अंकित आदेशों के प्राधिकार पर उचित सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार पेंशन-राशि निश्चित करेंगे और आवश्यक भुगतान आदेश जारी करेंगे। ये आदेश 1ली अगस्त, 1962 से प्रभावी होंगे।

**[ *राज्यादेश सं० पेन–1030/61–19928 वि०, दिनांक 4-9-1962 ]**

**2.**

*वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1031/61–19928 वि०, दिनांक 4 सितम्बर, 1962 की कंडिका 7 का निर्देश किया जाए जिसमें कहा गया है कि महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद पेंशन/उपदान/पारिवारिक पेंशन की औपचारिक स्वीकृति निर्गत करने के बदले पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी आवेदन-पत्र को अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ महालेखाकार के पास उनके सत्यापनार्थ भेजने के पहले आवेदन-पत्र पर सामान्य रूप में अपना अंतिम आदेश अंकित करेंगे।

2. संलग्न नमूना-फारमों में से किसी एक में, जो मामला में उपयुक्त हो, सामान्य रूप में अंतिम आदेश अंकित किये जा सकेंगे।

3. उन मामलों में जो उपर्युक्त वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 4-9-1962 की कंडिका 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकित औपचारिक स्वीकृति के महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं, महालेखाकार, बिहार औपचारिक स्वीकृति के पूर्व ही पेंशन-अदायगी आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत करने को प्राधिकृत किये जाते हैं, बशर्त्ते पेंशन-आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित भेजे गए हों –

(1) इस आशय का प्रमाण-पत्र की सेवा भली-भाँति संतोषप्रद रही है।

(2) इस आशय का आदेय-प्रमाण-पत्र कि निवर्त्तमान सरकारी सेवक से वसूल करने की कोई बकाया नहीं है। **[ *वित्त विभाग ज्ञापांक 642, दिनांक 14-1-1964 ]**

**नमूना-फारम**

**(पेंशन के लिए)**

अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..................................................
की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा पूरी पेंशन और/या उपदान देने का आदेश करता है

और इसे महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये क्योंकि ऐसा करना नियमों के अनुसार अनुमान्य है इस पेंशन और/या उपदान की स्वीकृति त. ............................ से शुरू होगी।

या

अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती कुमारी ........................................................................ की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अधोहस्ताक्षरी पूरी पेंशन और/या उपदान देने का आदेश करता है और इसे महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये, क्योंकि ऐसा करना नियमों के अनुसार अनुमान्य है, (किन्तु) निम्नांकित विनिर्दिष्ट राशि या प्रतिशत कम कर दिये जायें –

राशि या प्रतिशत जो पेंशन में कम होगा ................................................

राशि या प्रतिशत जो उपदान में कम होगा ............................................

इस पेंशन और/या उपदान की मंजूरी ता० .............................................. से प्रभावी होगी।

पेंशन और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान .......................... कोषागार से देय हैं और ........................ पर संभार्य है।

वर्तमान आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि महालेखाकार द्वारा यथाप्राधिकृत पेंशन और/या उपदान की राशि बाद में पेंशनर के नियमानुकूल हकदारी से अधिक पायी जायेगी तो आधिक्य को लौटाना होगा।

इस शर्त्त की स्वीकृति सम्बन्धी घोषणा पदाधिकारी से प्राप्त कर ली गई है और संलग्न है। इस शर्त्त की स्वीकृति सम्बन्धी घोषणा प्राप्त कर ली जायेगी और अलग से भेज दी जायेगी।

...................................................................

पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और पदनाम

**( मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के लिए )**

(क) अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी ............................................................ की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकारा जा सकता है जैसा नीचे खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से सम्बन्धित नियमों में अनुमान्य।

या

(क) अपना समाधान करने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी ............................................................ की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकारा जा सकता है जैसा नीचे खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से सम्बन्धित नियमों में अनुमान्य है, (परन्तु) नीचे अंकित मिश्रित राशि या प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

उपदान में कम की जानेवाली राशि या प्रतिशत ..............................

| (ख) व्यक्ति का नाम | पता | मृत पदाधिकारी से सम्बन्ध | मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान में अंशगत राशि |
|---|---|---|---|

2. वर्तमान आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि महालेखाकार द्वारा यथाप्राधिकृत उपदान-राशि बाद में सम्बद्ध व्यक्ति के नियमानुकूल हकदारी से अधिक पाई जायेगी तो आधिक्य को लौटाना होगा।

इस शर्त्त को स्वीकार करने की घोषणा व्यक्ति से प्राप्त कर ली गई है और संलग्न है। इस शर्त्त को स्वीकार करने की घोषणा प्राप्त कर ली जायेगी और अलग से भेज दी जायेगी।

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/अवशिष्टीय उपदान ............ कोषागार से देय है और ..........पर संभार्य है।

...................................................................

स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और पदनाम।

तिथि ..............................

**टिप्पणी :** अवशिष्टीय उपदान के मामला में मृत पदाधिकारी की सेवा पहले ही सत्यापित कर ली जानी चाहिए, और उपर्युक्त खण्ड (ख) में अपना समाधान ................................ भलीभाँति संतोषप्रद रही/नहीं रही है" का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

**( पारिवारिक पेंशन के लिए )**

अपना समाधान करने के बाद कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी ......................... की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ................................ को जो उक्त स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी ....................... के (यहाँ सम्बन्ध लिखें) हैं, ता० ................. से ................. तक. ......................... रुपए प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन मंजूर करता है जो महालेखाकार द्वारा स्वीकृत किया जाये, जैसा नियमों के अन्तर्गत अनुमान्य है ।

या

अपना समाधान करने के बाद कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................ की सेवा भलीभाँति संतोषप्रद नहीं रही है, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा आदेश करता है कि उक्त स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी . ............................. के ...................... (यहाँ सम्बन्ध लिखें) श्री/श्रीमती/कुमारी ......................... ता० .............. से ............... तक रु० ................ प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति नियमानुकूल महालेखाकार द्वारा दी जाये, (परन्तु) निम्नांकित मिश्रित राशि या प्रतिशत कम कर दिया जाये –

पारिवारिक पेंशन की राशि या प्रतिशत में कमी –

यह आदेश इस शर्त्त के अध्यधीन है कि यदि सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्राप्त महालेखाकार से यथा प्राधिकृत पारिवारिक पेंशन नियमाधीन उसकी हकदारी-राशि से अधिक होगी तो उसे आधिक्य लौटा देना होगा । इस शर्त्त के स्वीकारने की घोषणा व्यक्ति से ले ली गई है और संलग्न है । व्यक्ति द्वारा इस शर्त्त के स्वीकारने की घोषणा प्राप्त करके अलग से भेज दी जायेगी ।

पारिवारिक पेंशन ........................... कोषागार से देय है और .................. पर संभार्य है ।

..............................................

स्वीकृत करनेवाले प्राधिकारी

तिथि .........................  के हस्ताक्षर और पदनाम ।

**टिप्पणी :** सेवानिवृत्ति पश्चात् मृत्यु की दशा में, मृत पदाधिकारी की सेवा का पूर्वमेव सत्यापित हो जाने के फलस्वरूप "अपना समाधान ..................... भलीभाँति संतोषप्रद रही है । नहीं रही हैं" शब्दसमूह का प्रयोग नहीं होगा ।

**202.** (1) यदि सरकारी सेवक को मंजूर पेंशन की रकम बाद में उस रकम से अधिक पायी जाये जिसका हकदार वह नियमों के अधीन हो, तो उसे अधिक रकम को वापस करने का आदेश दिया जायेगा । [1][इसके प्रयोजनार्थ पेंशन स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक को इस आशय की सूचना निर्गत की जायेगी कि पेंशन के रूप में निर्धारित पेंशन से अधिक प्राप्त राशि को इस सूचना प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर वापस कर दे । सूचना के अनुपालन में असफल होने पर पेंशन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी इस आशय का आदेश पारित करेंगे कि ऐसी अधिकाई की राशि का समायोजन सरकारी सेवक के पेंशन राशि में से एक या अधिक किस्तों में जैसा प्राधिकारी आदेशित करे कटौती करके ही भविष्य में पेंशन का भुगतान करें ।

(2) महालेखापाल द्वारा पेंशन-रिपोर्ट दी जाने के बाद यदि कोई ऐसी घटना घटे जिससे पेंशन राशि की पुनः गणना आवश्यक हो जाये, तो यथास्थिति, कार्याध्यक्ष या कार्यालय-प्रधान महालेखापाल को इसकी सूचना अविलम्ब देगा । यदि ऐसी कोई घटना न भी हो, तो भी सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर महालेखापाल को इस बात की रिपोर्ट दी जायेगी ।

[2][ **टिप्पणी :** इस नियम के प्रयोजनार्थ पेंशन/पारिवारिक पेंशन/सेवा उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/बकाया पेंशन या उपदान मंजूर करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति निवृत्त होनेवाले सरकारी सेवक से अनुबन्ध (क) में

1. ज्ञाप सं० पेन-1021/65-7294 वि०, दिनांक 22-7-1965 द्वारा जोड़ा गया ।
2. अधिसूचना सं० 10629 वि०, दिनांक 16-9-1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

एक घोषणा पत्र पेंशन स्वीकृत करने के पहले प्राप्त करेगा । उसी प्रकार वह प्राधिकारी परिवार पेंशन या मृतक सरकारी सेवक पेंशनर के विधिक वारिस से अनुबन्ध (ख) में एक घोषणापत्र इस आशय का प्राप्त करेगा ।

[1][ अनुबन्ध "क"

( निवृत्त होनेवाले सरकारी सेवक द्वारा हस्ताक्षरणीय )

यहाँ कि ............................ (यहाँ उक्त पदाधिकारी का पदनाम लिखें जो पेंशन/सेवा उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करते हैं) ने मुझे दिनांक ...................... के प्रभाव से रुपया ................. प्रतिमास पेंशन या रुपया ....................... उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करने हेतु अनुशंसित किया है । मैं यह अवधारित करता हूँ कि उक्त राशि जो पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के रूप में प्राप्त करूँगा वह पुनरीक्षण योग्य है तथा यदि किसी कारण यह पाया जाये कि मेरे द्वारा प्राप्त राशि नियमतः प्रावधानित राशि से अधिक है तो मैं वादा करता हूँ कि अधिकाई की राशि को मैं लौटा दूँगा ।

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

1. साक्षी का हस्ताक्षर

   पेशा और पता

2. साक्षी का हस्ताक्षर

   पेशा और पता

यह घोषणा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यरित होना चाहिए जो उस शहर, ग्राम या परगना का हो जहाँ आवेदक रहता है ।

[1][ अनुबन्ध "ख"

( मृतक सरकारी सेवक के वैध उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरणीय )

यह कि ....................... (परिवार पेंशन/मृत्यु-सह-उपदान/पेंशन की बकाया राशि/या उपदान स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम यहाँ दें) ने मुझे दिनांक ....................... से रुपया ..................... परिवार पेंशन की राशि के रूप में या ......................... रुपया मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान/बकाया पेंशन या उपदान की राशि जो श्री/श्रीमती ....................... (सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम) स्वीकृत करने हेतु अनुशंसित किया है । ऐसी स्वीकृत राशि पुनरीक्षणीय है तथा यदि पुनरीक्षण के दौरान यह पाया जाये कि स्वीकृत राशि, नियमतः प्रावधानित राशि से अधिक है, तो मैं उक्त अधिकाई की राशि को वापस करने की प्रतीज्ञा करता हूँ/करती हूँ ।

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर

   साक्षी का पेशा और पता

2. हस्ताक्षर

   साक्षी का पेशा और पता

**203.** (क) राज्य सरकार को नियमों के निर्वचन तथा ऐसा अनुग्रह करने की, जिसका उपबंध इस नियमावली में नहीं है, तथा शक्ति रहेगी ।

यदि नियमों के निर्वचन करना हो या ऐसा अनुग्रह जिसका उपबंध इस नियमावली में नहीं है, करने का प्रस्ताव हो, तो कार्याध्यक्ष या कार्यालय-प्रधान मामले को, अपनी राय और सिफारिश के साथ राज्य सरकार के संबद्ध प्रशासी विभाग के पास भेज देगा ।

(ख) जबतक सरकार का आदेश प्राप्त न हो जाये, तबतक किसी विशेष अनुग्रह की सिफारिश संबद्ध सरकारी सेवक को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कभी न सूचित की जायेगी ।

(ग) इस नियम के अधीन की गई हरेक खास सिफारिश के साथ पेंशन फारम 4 में आवेदन और यथास्थिति, उस फारम के पृष्ठ 2 में या अध्याय 9 में विहित फारमों में सेवा-विवरण संलग्न रहेंगे ।

---

1. (i) प्रत्येक लाभभोगी द्वारा अलग-अलग घोषणा-पत्र देना है ।
   (ii) यह घोषणा उस क्षेत्र शहर/गाँव/परगना के निवासी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो जहाँ आवेदक रहता है ।

*राज्य सरकार के निर्णय –*

**1.**

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 ( क ) के अन्तर्गत राजस्व ( निबंधन ) विभाग के अधीन विभिन्न निबंधन कार्यालयों के नियमित स्थापना में लाये गये अतिरिक्त लिपिकों को पेंशन, उपदान एवं पारिवारिक पेंशन देने की सुविधा ।**

राजस्व (निबन्धन) विभाग द्वारा विभिन्न निबन्धन कार्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त लिपिकों को तिथि 1-4-1971 को या बाद में नियमित स्थापना में लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया है । उक्त कोटि के कर्मचारियों ने नियमित स्थापना में आने के पूर्व काफी अवधि तक अतिरिक्त लिपिक के पद पर कार्य किया है, परन्तु नियमित स्थापना में आने के बाद न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा (10 वर्षों की लगातार स्थायी सेवा एवं 15 वर्षों की लगातार अस्थायी सेवा) बिना पूरी किये ही वे सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । फलस्वरूप वे तथा उनके परिवार पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन के नियमतः भागी नहीं हो सके, क्योंकि उनके द्वारा अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा पेंशन हेतु परिगणित नहीं की जाती है । इस प्रकार, इस कोटि के लिपिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को काफी आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ती है ।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने तिथि 1-4-1971 को या बाद में नियमित स्थापना में लाये गये अतिरिक्त लिपिकों को राहत प्रदान करने हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 (क) के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन पेंशनरी लाभ जैसे पेंशन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त उपदान/उपदान तथा पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है –

(1) यह पेंशनरी लाभ दिनांक 1-4-1971 को या बाद में स्थायी/अस्थायी रूप से नियमित स्थापना में नियुक्त किये गये निबंधन कार्यालय के अतिरिक्त लिपिकों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं और जिनकी कुल नियमित सेवा न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा अर्थात् 10 वर्षों की लगातार स्थायी या 15 वर्षों की लगातार अस्थायी सेवा से कम हो, देय होगा ।

(2) न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार स्थायी या 15 वर्षों की लगातार अस्थायी पेंशन प्रदायी सेवा अवधि की कमी को उतनी अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा के साथ जोड़कर पूरी कर ली जाये । इसके निमित्त लिपिक के पद पर समय-समय की गई सेवा अवधि को भी आवश्यकतानुसार जोड़ा जाये और सेवा में भंगों को स्वतः क्षान्त समझा जाये ।

(3) पारिवारिक पेंशन सामान्य प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगा ।

3. इस कोटि के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि को अनुवर्ती तिथि 30-6-1979 तक अनुमान्य पेंशन उपदान एवं पारिवारिक पेंशन के 75 प्रतिशत औपबंधिक रूप में विहित प्रपत्र में स्वीकृत किया जाये । औपबंधिक पेंशन की राशि निर्धारित न्यूनतम पेंशन रु० 40/- (चालीस रुपये) प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए । इसकी प्रविष्टि सेवा-पुस्त/अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र में भी कर दी जाये । औपबन्धिक पेंशन आदि की स्वीकृति एवं भुगतान जहाँ से पेंशनर सेवानिवृत्त/मृत हुए हैं, उसके कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाये और औपबंधिक पेंशन का अविलम्ब भुगतान किया जाये । इसकी सूचना वित्त विभाग (पेंशन शाखा) को दी जाये ।

4. अपने अधीनस्थ सभी निबंधन पदाधिकारी को अविलम्ब औपबंधिक पेंशन आदि स्वीकृति एवं भुगतान करने का निर्देश देने की कृपा की जाये । साथ ही अंतिम स्वीकृति देकर महालेखाकार, बिहार के पास मामले तिथि 30-6-1979 के पूर्व भेज दिए जाएँ और इसकी सूचना वित्त (पेंशन शाखा) विभाग को दी जाये ।[ *ज्ञाप **सं० P.C. 2-9-45/78-79-2 वि०, दिनांक 16-1-1979 ]**

**2.**

***विषय : कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक 425 वि०, दिनांक 31-3-1976 (प्रतिलिपि संलग्न) को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने पेंशन नियमावली के नियम 203 के अन्तर्गत वैसे कर्मचारियों, जो दस वर्षों से कम कार्यभारित सेवा में रहकर भी तिथि 1-4-1978 अथवा उसके बाद नियमित स्थापना में आये हों तथा नियमित स्थापना में सेवानिवृत्ति के समय न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा (स्थायी सेवा होने पर 10 वर्ष तथा अस्थायी होने पर 15 वर्ष)

पूरी नहीं कर पाये हों, को भी पेंशन प्रदायी सेवा में कमी के तुल्य कार्यभारित सेवा जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा पूरी करने की सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें उन्हें पेंशन तथा उपदान देय हो सके। यह भी निर्णय किया गया है कि यदि नियमित स्थापना में आने के बाद न्यूनतम पारिवारिक पेंशन प्रदायी सेवा (एक वर्ष) पूरी करने के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक वर्ष पूरी करने में जो कमी रह जाती है उससे उनकी कार्यभारित सेवा को उसमें जोड़कर उन्हें पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति भी दे दी जायेगी।

2. यह सुविधा वित्त विभाग के उपर्युक्त आदेश की कंडिका-2 (ख) पर उल्लिखित शर्त्त के अन्तर्गत ही दी जायेगी यदि कार्यभारित कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त थी।

3. यह आदेश तिथि 1-4-1971 एवं उसके बाद नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों के मामले में लागू होगा। [ ***ज्ञाप संख्या पेन–P.C.-1-1-02/79–505–वि०, दिनांक 6-3-1978** ]

**3.**

***विषय : दस वर्षों से अधिक लगातार सेवा वाले कार्यभारित कर्मचारीगण, जिन्हें तिथि 1-4-1971 एवं उसके बाद नियमित स्थापना में ले लिया गया, को पेंशन की स्वीकृति।**

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेश संख्या–13327, दिनांक 29-6-1971 में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तिथि 1-4-1971 से वैसे सभी कार्यभारित कर्मचारीगण को सम्बन्धित विभाग की नियमित स्थापना में स्थायी रूप से ले लिया जाये जिनकी लगातार सेवा उक्त तिथि को दस वर्षों से अधिक की हो। सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुसार उन्हें नियमित स्थापना की सभी सुविधाएँ जिनमें पेंशन की सुविधा भी सम्मिलित है देय है। परन्तु पेंशन के वर्तमान नियमों के अनुसार 10 वर्षों की न्यूनतम स्थायी सेवा पर ही पेंशन अनुमान्य है तथा कार्यभारित सेवा की गणना पेंशन के लिए नहीं की जाती है। अत: उपरोक्त निर्णय के बावजूद भी पेंशन के वर्त्तमान नियमों के अनुसार उपरोक्त कोटि के वैसे व्यक्तियों को, जो तिथि 1-4-1971 के पूर्व सेवानिवृत्त होंगे, पेंशन अनुमान्य नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप उपरोक्त आदेश में निहित उद्देश्यों की पूर्त्ति भी सम्भव नहीं हो सकेगी।

2. ऊपर में बतायी गयी परिस्थिति में सरकार ने इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् बिहार पेंशन नियमावली के नियम 203 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया है कि तिथि 1-3-1971 एवं बाद से नियमित स्थापना में स्थायी रूप से लिये गये उपरोक्त कोटि के सभी कार्यभारित कर्मचारीगण को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन आदि की अनुमान्यता निम्नलिखित शर्त्तों के अनुसार होगी –

(क) वैसे कार्यभारित कर्मचारीगण, जो तिथि 1-4-1971 एवं बाद में नियमित स्थापना में लिए गए हों तथा जिनकी कुल नियमित सेवा 10 वर्षों से कम होती हो, को न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के लिए जितनी अवधि की कमी हो उतनी अवधि की तिथि 1-4-1971 के पूर्व की कार्यभारित सेवा की गणना पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिए की जायेगी। इस अवधि की गणना मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निर्धारित करने के लिए भी की जायेगी। पारिवारिक पेंशन में भी यदि कुल नियमित सेवा 1 वर्ष से कम होती हो तो उस कमी को कार्यभारित सेवा के उतने अंश को लेकर पूरा कर लिया जायेगा।

(ख) पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन के निमित्त विशेष रूप से गणना की गई अवधि में नियोजक द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त अंशदान की राशि सरकार को लौटा दी जायेगी अथवा सम्बन्धित कार्यभारित कर्मचारी को देय पेंशन और उपदान अथवा पारिवारिक पेंशन की राशि से इसका सामंजन कर दिया जायेगा।

3. यह आदेश तिथि 1-4-1971 एवं इसके बाद नियमित स्थापना में स्थायी रूप से लिए गए राज्य के सारे कार्यभारित कर्मचारीगण के मामलों में लागू होगा। [ ***वित्त विभाग संख्या पी०सी०–1-118/ 76/3425 वि०, दिनांक 31-3-1976** ]

**4.**

***विषय : कार्यभारित कर्मचारियों को राज्य सरकार की नियमित स्थापना में लिया जाना तथा पेंशन में अतिरिक्त लाभ।**

सम्प्रति 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने वाले कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में लेने का प्रावधान है। परन्तु सिंचाई विभाग एवं पथ-निर्माण विभाग के अधीन कार्यभारित स्थापना में कार्यरत् कार्यभारित

कर्मचारियों को 5 वर्षों की लगातार संतोषजनक सेवा पूरी करनेवाले भ्रष्टाचार एवं कदाचार मुक्त सेवकों को नियमित स्थापना में लिये जाने का निर्णय सम्बद्ध विभागों द्वारा लिया गया है । अन्य विभागों में सम्प्रति यह व्यवस्था लागू नहीं रहने की वर्षों में 10 वर्षों की लगातार सेवा करनेवाले कार्यभारित सेवकों को नियमित स्थापना में लेने की व्यवस्था है जिसकी एकरूपता नहीं रह गयी है । इस स्थिति के परिहार के लिए पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी कार्य विभागों के अधीन कार्यरत् सभी कार्यभारित सेवक जिन्होंने एक ही पद पर 5 वर्षों की संतोषजनक लगातार सेवा पूरी कर ली है, को निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत, वित्त विभाग के परामर्श से आदेश निर्गत कर नियमित स्थापना में ले लिया जाये –

(क) कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में परिणत करने पर कार्यभारित स्थापना के सम्बन्धित पद ही नियमित स्थापना में समपरिवर्तित हो जायेंगे;

(ख) जिन कार्यभारित सेवकों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया गया हो या जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित हो अथवा जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लम्बित हों, उनको वर्तमान आदेश के अन्तर्गत नियमित स्थापना में नहीं लिया जायेगा;

(ग) कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में लेने पर उनके वेतन-भत्ते पर व्यय हेतु संधारण इकाई में उपबन्धित राशि नियमित स्थापना के सम्बन्धित बजट शीर्ष में हस्तानान्तरित कर दी जायेगी ।

(घ) वित्त विभाग के पत्र संख्या 8954, दिनांक 23 जुलाई, 1975 के जरिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में कार्यभारित स्थापना में न तो कोई नया पद सृजित किया जाए और न ही रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाये । इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से किया जाए । यदि किसी सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाए तो उस सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए ।

(ङ) इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी आदेश एवं नियम इस अंश तक संशोधित समझा जाये ।

2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3425 वि०, दिनांक 31 मार्च, 1976 तथा 505 वि०, दिनांक 6 मार्च, 1980 के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को नियिमित स्थापना में किये जाने पर उनकी न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा में कमी के बराबर के कार्यभारित स्थापना में की गयी सेवा जोड़कर पेंशन स्वीकृत करने की सुविधा प्रदान की गयी है । इस पर सावधानीपूर्वक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उन्हें पेंशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुविधाएँ देने का निर्णय लिया है –

(क) नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों को सामान्य पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्ष या कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी सेवावधि दोनों में से जो कम हो, जोड़ दी जाये । ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जायेंगी, उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान, अगर कोई हो तो राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्यकोष में जमा कर देनी होगी ।

(ख) उक्त कोटि के कर्मचारियों को उपर्युक्त आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन की राशि में 30 रु० जोड़कर पेंशन की राशि निश्चित की जायेगी, बशर्ते वह अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर परिगणित होने वाली पेंशन की राशि से अधिक नहीं हो ।

(ग) उपर्युक्त उप-कंडिका-3 में उल्लिखित 30 रु० की राशि पेंशन लघुकरण की गणना में नहीं की जाएगी । [ *ज्ञाप संख्या पी०सी० 2-29-02/84-3058 वि०, दिनांक 22-10-1984 ]

**5.**

***विषय : कार्यभारित कर्मचारियों को 'पेंशन' प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देने के लिए कार्यभारित स्थापना में बितायी गई अवधि को क्वालिफाईंग पीरियड की गणना करने के सम्बन्ध में ।**

वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या पी०सी० 02-29-02/84-3058, दिनांक 22-10-1984 के द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों के पेंशनादि के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि –

(क) नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारियों को सामान्य पेंशन प्रदायी सेवा में 5 वर्ष या कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी सेवावधि दोनों में से जो कम हो जोड़ दी जाये। ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जाएँगी, उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान अगर कोई हो, की राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्यकोष में जमा कर देनी होगी।

(ख) उक्त कोटि के कर्मचारियों को उपर्युक्त आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन की राशि में 30 रु० जोड़कर पेंशन की राशि निश्चित की जायेगी, बशर्त्ते कि वह अधिकतम पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर परिगणित होने वाली पेंशन की राशि से अधिक नहीं हो।

(ग) उपर्युक्त उप-कंडिका में उल्लिखित 30 रु० की राशि पेंशन लघुकरण की गणना में नहीं की जायेगी।

2. वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 3 पी०आर०सी० 45-83-1560, दिनांक 27-2-1974 के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि सरकारी सेवक के द्वारा कार्यभारित स्थापना में की गई सेवा कालबद्ध प्रोन्नति के लिए परिगणित नहीं की जायेगी।

3. कार्यभारित कर्मचारियों को पेंशन, प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा देने के लिए कार्यभारित स्थापना में बितायी गयी अवधि को क्वालिफाईंग पीरियड की गणना का विषय सरकार के विचाराधीन था। अतः पूर्ण विचारोपरान्त पूर्व में लिए गए निर्णय को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है –

(ए) ऐसे कार्यभारित कर्मचारी जिनको वर्त्तमान अनुदेशों के अधीन पेंशन एवं उपदान अनुमान्य होता है उनके द्वारा कार्यभारित स्थापना में बितायी गई पूरी सेवावधि को शामिल करते हुए पेंशन एवं उपदान के लिए क्वालिफाईंग पीरियड की गणना की जायेगी, बशर्त्ते ऐसा करते समय कार्यभारित सेवा से जितनी अवधि पेंशन योग्य सेवाएँ जोड़ी जाएँगी उतनी अवधि में अंशदायी भविष्य निधि में प्रदत्त सरकारी अंशदान अगर कोई हो, की राशि सरकार को लौटा देनी होगी तथा राज्य कोष में जमा कर देनी होगी।

(बी) नियमित स्थापना में आने के पश्चात् कार्यभारित सेवा वृद्धि को जोड़ते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा उपलब्ध करायी जाये, बशर्त्ते कि उससे किसी भी नियमित कर्मचारी की वरीयता का अवक्रमण नहीं होता हो। वरीय प्रवर कोटि या कालबद्ध प्रोन्नति के सम्बन्ध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व का कोई भी बकाया अनुमान्य नहीं होगा। इस प्रसंग में पूर्व में निर्गत सभी आदेश एवं अनुदेश इस अंश तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. इस आदेश का प्रभाव आदेश निर्गत होने की तिथि से होगा। [ ***वित्त विभाग, संकल्प संख्या 3 पी०ए०आर० 01/86 खण्ड 1503 वि०, दिनांक 27-3-1987** ]

## प्रकरण 4 : प्रत्याशा-पेंशन

**204.** (क) जब कोई सरकारी सेवक, जिसकी पेंशन भारत में देय हो, इस अध्याय के पूर्ववर्त्ती प्रकरण के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन अन्तिम रूप से निर्धारित और तय होने के पहले ही निवृत्त होनेवाला हो तब महालेखापाल उतनी पेंशन का भुगतान मंजूर करेगा, जितनी कि पूरी सावधानी के साथ अविलम्ब संक्षिप्त जाँच-पड़ताल के बाद वह समझे कि सरकारी सेवक पाने का हकदार है, परन्तु ऐसी पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जबतक कि निवृत्त होनेवाला सरकारी सेवक निम्नलिखित घोषणा पर हस्ताक्षर कर दे –

> "चूँकि (यहाँ अग्रिम मंजूर करनेवाले सरकारी सेवक का पदनाम लिखें), ने मेरी पेंशन की रकम नियत करने के लिए आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशी में, मुझे कच्चे तौर पर प्रतिमास ............... रु० अग्रिम देने की सम्मति दी है, इसलिए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपचारिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है, और प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति न करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली कच्ची पेंशन की रकम उस पेंशन से अधिक है जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस पेंशन का हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक दी गई रकम लौटा दूँगा।"

(ख) जब कोई सरकारी सेवक, जिसकी पेंशन इंगलैंड में देय हो, अपनी पेंशन के अन्तिम रूप से निर्धारित और तय होने के पहले ही निवृत्त होनेवाला हो, तब महालेखापाल, अविलम्ब पूरी सावधानी के साथ संक्षिप्त जाँच-पड़ताल करने के बाद, पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी एवं राज्य सरकार की मार्फत भारतीय उच्च-आयुक्त को निम्नतम रकम जिसका हकदार वह सरकारी सेवक को समझता हो, प्रतिवेदित करेगा। सरकारी सेवक से उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा–जैसे घोषणा प्राप्त होने पर उच्च आयुक्त अपने विवेकानुसार प्रतिवेदित रकम या यथोचित रकम तुरन्त भुगताने की मंजूरी देगा।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

**1.**

***विषय : पेंशन-स्वीकृति के लिए बिहार पेंशन नियमों और प्रक्रिया का सरलीकरण।**

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने पेंशन नियमों और प्रक्रिया के सरलीकरण के सुझाव दिये हैं ताकि पेंशन-मामले के समापन में विलम्ब न हो। राज्य सरकार ने उन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये हैं –

(1) विद्यमान पेंशन नियमों के तहत प्रत्येक सरकारी सेवक को औपचारिक आवेदन पत्र देना होता है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन के लिए राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी सेवक को कोई औपचारिक आवेदन-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय-प्रधान सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद बिहार पेंशन नियमावली के फारम 4 में एक आवेदन पत्र तैयार करेंगे और उसे सभी आवश्यक कागजात के साथ महालेखाकार को सुपुर्द करेंगे, ताकि अंकेक्षण कार्यालय फारम के तीसरे पृष्ठ पर रिपोर्ट कर सके।

(2) विद्यमान नियमों के तहत, राजपत्रित सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को कागजात तैयार करने होते हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है कि राजपत्रित सेवक के पेंशन-कागजात महालेखाकार द्वारा प्रथमत: तैयार किया जायेगा। इन्हें समय पर तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध किया जायेगा, किन्तु जबतक अन्यथा न ज्ञात हो तबतक उनको रिपोर्ट करने की तिथि या सेवानिवृत्ति की तिथि, जो पहले हो, से तीन महीना बीत जाने के बाद पेंशन के विषय में प्रशासी पदाधिकारी की स्वीकृति मान ली जायेगी।

(3) विद्यमान नियमों के तहत स्वीकृति-प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दिये जाने और महालेखाकार द्वारा पेंशन अदायगी आदेश निर्गत कर दिये जाने के बाद पेंशन दी जाती है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय प्रधान जिनके अधीन सेवानिवृत्त अराजपत्रित सरकारी सेवक सेवारत था, एक अलग बिल फारम 4 (प्रति संलग्न) के आधार पर उप कोषागार से, जिससे वेतन और भत्ते की निकासी होती थी, 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान, मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान निकालकर सरकारी सेवक को जिस महीना में सेवानिवृत्त होगा उसके उत्तरवर्ती महीना की पहली तारीख को भुगतान करेगा और इस आशय की सूचना अंकेक्षण कार्यालय को देगा। यदि पेंशनर अपने निवास स्थान पर मनीआर्डर या बैंक-ड्राफ्ट से अदायगी लेना चाहेंगे तो पेंशन मनीआर्डर/बैंक-ड्राफ्ट से भेजी जायेगी और विभाग कमीशन-शुल्क को आकस्मिक-शुल्क के रूप में वहन करेगा, पेंशन की ऐसी अदायगी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने तक जारी रहेगी और ऐसा करते हुए महालेखाकार कार्यालय में पेंशन-मामले के अंतिम निष्पादन पर लगनेवाला समय का लिहाज नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त रीति से भुगतान की गई पेंशन और उपदान औपबन्धिक और अंकेक्षण कार्यालय द्वारा समंजेय होंगे।

राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में महालेखाकार आवश्यक कार्रवाई करेंगे ताकि सेवानिवृत्त राजपत्रित सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति के महीने के अनुवर्ती महीने की पहली तारीख को 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निकाल सकें।

कदाचित् ऐसे भी हों जहाँ सेवानिवृत्ति के छह महीने के अन्दर पेंशन का अंतिम रूप से निबटारा नहीं हो सके, उनमें केवल महालेखाकार के विशेष प्राधिकार पर औपबन्धिक अदायगी जारी रहेगी, जिसके लिए

प्राधिकार कार्यालय-प्रधान के अनुरोध पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कार्यालय-प्रधान को सूचना देकर कोषागार पदाधिकारी को निर्गत किया जायेगा । पेंशन-कागजात, अग्रसारित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त करने के बाद उनपर अंकेक्षण पदाधिकारी उन पर आवश्यक जाँच शुरू करेंगे और फारम के तीसरे पृष्ठ पर अपना अंकेक्षण-मुखांकन अंकित करेंगे जिसमें कुल अर्हता प्रदायी सेवावधि दर्शित की जाएगी जो सत्यापित और स्वीकृत की गयी हो, तथा राशि और तिथि इत्यादि जब से अनुमान्य होगी, दर्शित की जायेंगी । यदि पेंशन उसकी अंकेक्षण-सर्किल में देय होगी तो अंकेक्षण कार्यालय उचित जाँचोपरान्त पेंशन अदायगी आदेश तैयार करेगा और पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने के बाद से अथवा उस अवधि की तिथि के बाद से जिस अवधि को महालेखाकार ने विशेष रूप से औपबन्धिक अदायगी जारी रखने के लिए बढ़ाया है, दोनों में जो बाद की हो, अदायगी की व्यवस्था करेगा । वह सरकारी बकायों, यदि हो, का समंजन करके उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की शेष रकम के लिए भी प्राधिकृत करेगा । यदि पदाधिकारी ने कार्यालय- प्रधान के द्वारा उपदान-निकासी का विकल्प दिया है तो अंकेक्षण-पदाधिकारी उस कार्यालय को वैसी अदायगी करने को प्राधिकृत करेगा । इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित कार्यालय को भी भेजी जायेगी । महालेखाकार कार्यालय-प्रधान से भी उसके द्वारा अदाय की गई औपबन्धिक पेंशन का विवरण प्राप्त करेंगे और पेंशनर को उसको बाकी रकम की अदायगी (अथवा) फाजिल अदायगी की वसूली के लिए प्राधिकार निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे । पेंशन अदायगी आदेश (पी०पी०ओ०) निर्गत किये जाने की सूचना तत्परतापूर्वक पेंशन स्वीकृत करनेवाले प्राधिकार को दी जायेगी और पेंशन कागज उनको लौटा दिया जायेगा ।

यदि अंकेक्षण की अन्य सर्किल में पेंशन अदा की जानी है तो अंकेक्षण पदाधिकारी पेंशन स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी के आदेश और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र यदि प्राप्त हो, सहित उसका अंकेक्षण-मुखांकन, पेंशन आवेदन-पत्र की प्रति उस सर्किल के अंकेक्षण पदाधिकारी को भेजकर निदेश देंगे कि वह सेवानिवृत्ति के छह महीने के बाद के दिन से आवश्यक पी०पी०ओ० निर्गत कर दें ।

छह महीने या विनिर्दिष्ट विस्तृत अवधि तक के लिए अदा की गई औपबन्धिक पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान का समंजन उस अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसकी सर्किल में औपबन्धिक अदायगियाँ की गई थीं ।

**टिप्पणी :** उपदान (ग्रेच्युटी)/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान के बकाया को छह महीने या विस्तारित अवधि जबतक कार्यालय-प्रधान द्वारा पेंशन की औपबन्धिक अदायगी की जाती है, के बाद तक अनावश्यक तरह से नहीं रोक रखा जाना चाहिए बशर्ते कि उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान को प्राधिकृत करनेवाली सभी अन्य अपेक्षायें पूरी हो गई हों और पेंशनर से कोई रकम बाकी नहीं हो । ज्योंहि औपचारिकतायें पूरी हो जायें और महालेखाकार द्वारा अनुमान्य उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की राशि निश्चित कर दी जाए महालेखाकार उसे प्राधिकृत कर देंगे ।

विद्यमान नियम के अनुसार पेंशन की गणना सेवा की अंतिम तीन वर्षों की उपलब्धियों की औसत पर की जाती है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन की गणना 12 महीनों की औसत उपलब्धियों के आधार पर की जाये ।

विद्यमान नियम के अनुसार यदि स्थायी सरकारी सेवक विभिन्न कार्यालयों में सेवा करता है तो जहाँ-जहाँ उसने सेवा की वहाँ-वहाँ के प्राधिकारियों से सेवा-सत्यापन का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । यद्यपि उक्त आशय की प्रविष्टियाँ सेवा-पुस्तिका में दर्ज रहती हैं । पेंशन-मामले के अंतिम निबटारे का विलम्ब का यह मुख्य कारण होता है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में केवल सेवा की पहली तिथि जो पेंशन की अर्हता देती है, सेवावृत्ति की तिथि और बीच की वह अवधि, जो पेंशन की अर्हता नहीं देती है, के सत्यापन किये जायें और पेंशन के लिए अनर्ह करने वाली सेवा को छाँटकर अर्हताप्रदायी सेवा विनिश्चित कर ली जाए ।

ये आदेश 1ली अप्रैल, 1967 से प्रभावी होंगे । **[ *ज्ञापांक पेन–1032/67-8739 वि०, दिनांक 13-7-1967 ]**

***फारम टी०आर०**

अराजपत्रित पदाधिकारियों (उन राजपत्रित पदाधिकारियों समेत जिनका वेतन और भत्ते स्थापना-विपत्र पर निकाले जाते हैं) के औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी/मृत्यु-सह-निवृत्ति ग्रेच्युटी की निकासी का बिल-फारम/

**जिला** **लेखा-शीर्ष** **भाउचर सं० .............. लिस्ट ..........**

**वास्ते ..............................................**

रु० पै०

मास ................. 19 .................. के लिए

श्री/श्रीमती/कुमारी ......................................

को देय औपबन्धिक पेंशन/और ग्रैच्युटी/मृत्यु-

सह-निवृत्ति ग्रैच्युटी की राशि प्राप्त की

आयकर घटायें –

शुद्ध राशि ..............................................................................................

(शब्दों में ) ......................................................................................................

पेंशनर का गैर-नियोजन-प्रमाण-पत्र संलग्न है।

स्थान ........................ हस्ताक्षर ...........................................................

तिथि .................... 19 ............. निकासी पदाधिकारी का पदनाम ....................

जाँचा और दर्ज किया। अदा करें रु० ..................... रु० ..................

मामले में ........................... रु०

कोषागार लेखापाल आय पर 4 – कर रु० ................................

तिथि .................... 19 ............. कोषागार पदाधिकारी .........................................

**महालेखाकार कार्यालय में प्रयोगार्थ**

स्वीकार किया रु० ...................................

आपत्ति की रु० .........................................

अंकेक्षक .......................... अधीक्षक ....................... राजपत्रित पदा० .......................

**[ *फारम टी०आर०, ज्ञापांक पेन–1032/67/8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967 ]**

**2.***

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली और पेंशन-स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण और सेवा-पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृति-राशि का अंकन।**

बिहार पेंशन नियमावली और पेंशन-स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण पर वित्त विभाग का ज्ञापांक पेन–1032/67-8739, दिनांक 13 जुलाई, 1967 का निर्देश करें। महालेखाकार, बिहार का ध्यान इस ओर गया है कि पेंशनर की सेवा-पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में छह महीने की अवधि के लिए 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान की औपबन्धिक अदायगी अंकित नहीं रहती है। फलतः पेंशनर को अंतिम रूप से पेंशन और उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत करने में देरी होती है।

अतः अनुरोध है कि जहाँ 75 प्रतिशत पेंशन और 75 प्रतिशत उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत किये गये हैं वहाँ महालेखाकार, बिहार के पास सेवा-पुस्तिका भेजने के पहले इन स्वीकृतियों के सम्बन्ध में उसमें अवश्यमेव प्रविष्टि कर दी जाये। पेंशनर के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में भी समान प्रविष्टि की जाये। **[ *ज्ञापांक पेन–1040/69-2636 एफ०, दिनांक 26-2-1970 ]**

**3.**

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली एवं प्रक्रिया का सरलीकरण—औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक ग्रेच्युटी का भुगतान।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1040/49–2336, दिनांक 26 फरवरी, 1970 (प्रतिलिपि संलग्न) के परिपत्र में यह निर्देश दिया गया था कि 75 प्रतिशत औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान जब सेवा निवृत्त अराजपत्रित सरकारी सेवक को कर दिया जाये तो इनकी प्रविष्टि उनकी सेवा–पुस्त में एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र से भी कर देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने से महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन मामले के निष्पादन में विलम्ब हो जाता है, क्योंकि सम्बन्धित पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी से महालेखाकार को यह सूचना प्राप्त करनी पड़ती है कि औपबन्धिक भुगतान किया गया है या नहीं। सूचना प्राप्त होने पर ही महालेखाकार के कार्यालय से पी०पी०ओ० एवं जी०पी०ओ० (पेंशन भुगतान आदेश एवं ग्रेच्युटी भुगतान आदेश) निर्गत किया जाता है।

(2) इस निदेश के बावजूद यह देखा गया है कि अधिकांश सेवानिवृत्त अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की सेवा–पुस्ति एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि नहीं रहती है जिससे पेंशन के मामले के अन्तिम निष्पादन में विलम्ब हो जाता है।

(3) अत: आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों को यह निदेश दिया जाये कि जब भी महालेखाकार को अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन मामले भेजे जायें तो यह प्रविष्टि सेवा–पुस्ति एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में अवश्य कर दी जाये कि औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान हो गया है या नहीं।

(4) इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि अधिकांश सेवानिवृत्त अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा नहीं किया जाता है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए ही सरकार ने औपबन्धिक पेंशन एवं औपबन्धिक ग्रेच्युटी देने का निर्णय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1032/67–8739, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में किया है इसके नहीं प्राप्त होने से पेंशनरों को काफी कठिनाइयाँ होती हैं। अत: जिन मामलों में (Superannuation or retiring) पेंशन एवं डी०सी०आर० ग्रेच्युटी अनुमान्य हो उन सभी मामलों में 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं 75 प्रतिशत औपबन्धिक डी०सी०आर० ग्रेच्युटी अवश्य स्वीकृत करके भुगतान किया जाये और पेंशन कागजात महालेखाकार को भेजने के पहले इसकी प्रविष्टि सेवा–पुस्त एवं अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में कर दी जाये।

(5) असमर्थता पेंशन (Invalid Pension) एवं (Wound एवं Injury) के असाधारण पेंशन के मामलों में औपबन्धिक पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान कार्यालय प्रधान द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में महालेखाकार के प्राधिकार–पत्र पर ही पेंशनर को औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। **[ *ज्ञाप सं० पेन–101/72–4565 वि०, दिनांक 21–5–1973 ]**

**4.**

***विषय : बिहार पेंशन नियम एवं पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण।**

वित्त विभाग के आदेश संख्या पेन–1032/67/8739–वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी के अन्तिम निष्पादन के प्रत्याशा में सरकारी सेवकों को औपबन्धिक रूप से 75 प्रतिशत पेंशन एवं 75 प्रतिशत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाये। औपबन्धिक पेंशन 6 माह तक के लिए देय है। अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालय प्रधान भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं और राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में महालेखाकार भुगतान के लिए प्राधिकार–पत्र निर्गत करते हैं।

2. उपर्युक्त निर्देशित वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13 जुलाई, 1967 का आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने अब निम्नलिखित निर्णय लिया है –

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं 75 प्रतिशत औपबन्धिक ग्रेच्युटी का भुगतान पहले जैसा कार्यालय प्रधान (Head of Office) ही करेंगे।

(2) वर्तमान नियम के अनुसार महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार–पत्र पर राजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान होता था।

अब यह निर्णय किया गया है कि राजपत्रित कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन सम्बन्धी आदेश पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (Pension Sanctioning Authority) निर्गत करेंगे जिसके आधार पर कोषागार द्वारा भुगतान होगा। इसके लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु 75 प्रतिशत औपबन्धिक ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी का भुगतान महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर ही पहले जैसा होगा।

राजपत्रित कर्मचारियों के औपबन्धिक पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी।

(3) राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी/डी०सी०आर० ग्रेच्युटी राशि, 1 जनवरी, 1971 से लागू नये वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन के आधार पर आँकी जायेगी, चाहे वह वेतन औपबन्धिक रूप से निर्धारित हो या अन्तिम रूप से।

(4) वर्तमान आदेश के अनुसार औपबन्धिक पेंशन का भुगतान सिर्फ 6 माह के लिए होता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों को औपबन्धिक पेंशन का भुगतान दो वर्षों के लिए होगा। परन्तु इस अवधि में वृद्धि के कारण पेंशन मामलों के अन्तिम निष्पादन में विलम्ब न होना चाहिए। **[ *ज्ञाप सं० PC–107–73–500 वि०, दिनांक 1-2-1973 ]**

**5.**

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पी०सी० 107/73-500-एफ०, दिनांक 1 फरवरी, 1973 की कंडिका 4 के अनुसार औपबन्धिक पेंशन का भुगतान करने की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 2 (दो) वर्ष कर दी गई है। यह आदेश तिथि 1 फरवरी, 1973 को निर्गत किया गया था अत: इसका लाभ तिथि 1 फरवरी, 1973 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होगा।

2. जो अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी तिथि 1 फरवरी, 1973 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हैं उनके मामलों में पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी दो वर्ष के लिए पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं हैं। अत: ऐसे कर्मचारियों को 6 माह से अधिक अवधि के लिए औपबंधिक पेंशन भुगतान हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं० पेन–1032/67-8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के शर्तों के अनुसार – महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी जिसके लिये उनसे अनुरोध करना चाहिये। इसके प्राप्त होने पर ही कोषागार द्वारा 6 माह से अधिक अवधि के लिए औपबन्धिक पेंशन का भुगतान होगा।

3. जैसा कि वित्त विभाग के आदेश संख्या पी०सी० 107/73-3506, दिनांक 1 मई, 1973 में निर्णय हो चुका है राजपत्रित पदाधिकारियों को औपबन्धिक पेंशन का भुगतान किसी भी अवधि के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर ही होगा। **[ *वित्त विभाग ज्ञाप सं० पी०सी०–107/74-5659 वि०, दिनांक 28-6-1973 ]**

**6.**

***विषय : औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान।**

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967, पी०सी० 107/73-500 वि०, दिनांक 1-2-1973 एवं पी०सी० 107/73-3506 वि०, दिनांक 1-5-1973 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को औपबन्धिक रूप में पेंशन/ग्रेच्युटी देने की व्यवस्था की गई। इधर मृत सरकारी कर्मचारियों को समय पर पारिवारिक पेंशन नहीं भुगतान होने से काफी कठिनाई पैदा हो गई है। मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक स्त्रोतों से मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत प्रदान करने की माँग की जा रही है। भारत सरकार ने इस प्रकार के मामले में औपबन्धिक पेंशन देने का उपबन्ध किया है। महालेखाकार, बिहार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए अनुशंसा किया है।

2. उपर्युक्त तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की भाँति मृत अराजपत्रित सरकारी सेवक के परिवार को 75% पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी दो वर्ष के लिए भुगतान किया जाये। इस भुगतान के लिए महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार- पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

3. मृत अराजपत्रित कर्मचारियों के परिवार को औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृत एवं भुगतान की प्रक्रिया वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13-7-1967 में दिए गए शर्तों के अनुसार

होगी । परन्तु, औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति एवं भुगतान की राशि एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख सम्बन्धित मृत अराजपत्रित कर्मचारी की सेवा-पुस्त में कर देना अनिवार्य है, जिससे दुहरा भुगतान की सम्भावना दूर हो जाये । सेवापुस्त में बिना प्रविष्टि के किसी को औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाये ।

4. सभी लम्बित पारिवारिक पेंशन के मामले का निष्पादन इस आदेश के अनुसार किया जाये । यदि औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान के फलस्वरूप किसी मामले में ओवर पेमेंट (Over payment) हो जाये तो उसकी वसूली बची हुई पेंशन/ग्रेच्युटी या भविष्य से मिलनेवाली पेंशन की राशि से की जायेगी ।

**[ *वित्त विभाग, ज्ञाप संख्या पेन–11-40-6/74–1436 वि०, दिनांक 16-2-1974 ]**

**7.**

***विषय : औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1032/67-8739 एफ०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई से बचाने के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र के बिना पूरे पेंशन/ग्रेच्युटी के 75 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी औपबन्धिक रूप में स्वीकृत करने एवं भुगतान करने की सुविधा दी गई हैं । पहले यह सुविधा तिथि 1 अप्रील, 1967 से सिर्फ 6 माह के लिए दी गई थी । परन्तु, तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश द्वारा उक्त सुविधा को और उदार कर दिया है और औपबन्धिक पेंशन के भुगतान की अवधि छः माह से बढ़ाकर दो वर्ष के लिए कर दी गयी । यह सुविधा वित्त विभाग के ज्ञापांक पी०सी० 107-73-500 के द्वारा तिथि 1 फरवरी, 1973 से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी गई है । फिर भी समाचार पत्रों एवं अभिवेदनों के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि पेंशन मामलों के अन्तिम रूप से निष्पादन में काफी विलम्ब होता है जिससे पेंशनरों की आर्थिक कठिनाई बढ़ती जा रही है । औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि समाप्त होने पर भी अनेक मामलों का अन्तिम निष्पादन नहीं हो पाता है । इस समस्या को सुलझाने के लिए तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति ने सुझाव दिया था कि दो वर्ष औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि की समाप्ति के बाद अगर पेंशन मामलों का निष्पादन अन्तिम रूप में नहीं हो जाता है तो पूरा पेंशन स्वतः इस अवधि के बाद पेंशनर को मिलने लगेगा ।

(2) सरकार ने तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के उक्त सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है –

(क) तिथि 1 फरवरी, 1973 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन का भुगतान दो वर्षों के लिए किया जाता है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि अगर दो वर्षों की औपबंधिक पेंशन के भुगतान की अवधि समाप्त होने तक, महालेखाकार का पेंशन भुगतान प्राधिकार-पत्र निर्गत नहीं हो सके तो उक्त दो वर्षों की अवधि के बाद पूरे पेंशन (अर्थात् शत-प्रतिशत) को औपबंधिक रूप में स्वीकृत कर पूर्ववत् महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के बिना भुगतान किया जाये । यह भुगतान महालेखाकार के अन्तिम पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र निर्गत होने तक कायम रहेगा । इसके लिए विशेष आदेश विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-1) में निर्गत किया जाये जो महालेखाकार को सम्बोधित रहे एवं उसे निबंधित डाक (Registered Post) के माध्यम से भेजा जाये ।

(ख) पूरे पेंशन को औपबंधिक रूप में स्वीकृत करते समय पेंशनर से एक घोषणा पत्र विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-2) में प्राप्त कर लिया जाये जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित रहे कि पूरे पेंशन भुगतान करने के फलस्वरूप यदि अधिक भुगतान हो जाये तो उसका सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी या भविष्य में प्राप्त पेंशन से कर लिया जाएगा ।

(ग) जैसे ही कोषागार में महालेखाकार द्वारा निर्गत पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाये और उस आधार पर पेंशनर, पेंशन प्राप्त करने के लिए कोषागार में विपत्र दाखिल करें तो उप-कोषागार पदाधिकारी को चाहिए कि वे पेंशन के अधिक भुगतान की अधिकाई का सामंजन पेंशन तथा शेष 25 प्रतिशत ग्रेच्युटी से कर लें । तद्नुसार कोषागार पदाधिकारी औपबंधिक पेंशन भुगतान करने वाले प्राधिकारी से औपबंधिक पेंशन भुगतान की राशि एवं अवधि सम्बन्धी सूचना विहित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-3) में प्राप्त कर ले जिससे पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान की राशि का सामंजन हो सके ।

(घ) महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करते समय स्पष्ट रूप से प्राधिकार पत्र में अंकित कर दें कि औपबंधिक पेंशन/ग्रेच्युटी की भुगतान की राशि का सामंजन कर भुगतान किया जाये।

(ङ) महालेखाकार प्राधिकार पत्र निर्गत करते समय इसकी सूचना पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अवश्य निबंधित डाक से दें जिससे पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी औपबंधिक रूप में भुगतान की गई राशि की जाँच कर ले और इसकी सूचना सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी को दे दें। ऐसा करने से औपबंधिक पेंशन का भी सामंजन हो जायेगा और पेंशन भुगतान में विलम्ब नहीं होगा। भुगतान करते समय पेंशनर से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि वे महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

(3) (i) उपयुक्त पद्धति के लागू होने से पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेवारी अधिक बढ़ जाती है। उन्हें चाहिए कि पेंशन कागजात को महालेखाकार के पास समय भेजकर दो वर्ष की औपबंधिक पेंशन की समाप्ति होने के पहले ही अन्तिम पेंशन के लिए प्राधिकार पत्र महालेखाकार से निर्गत करा लें। महालेखाकार भी यह सुनिश्चित कर लें कि दो वर्ष की औपबन्धिक पेंशन भुगतान की अवधि समाप्त होने के बहुत पहले ही पेंशन मामलों में प्राधिकार पत्र अन्तिम रूप से निर्गत हो जाये।

(ii) सरकार की यह घोषित नीति है कि निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवकों को निवृत्ति के एक माह के अन्दर ही पेंशन/ग्रेच्युटी का प्राधिकार पत्र मिल जाये। फिर भी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो साल के लिए औपबन्धिक पेंशन देने की व्यवस्था की है। सरकार आशा करती है कि उक्त अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही निवृत्ति प्राप्त सरकारी सेवकों के पेंशन मामले का अन्तिम निस्तार हो जायेगा एवं वास्तव में बहुत कम ही मामले में दो साल के बाद भी औपबन्धिक तौर पर शत-प्रतिशत पेंशन देना आवश्यक होगा। जहाँ दो साल के अन्दर पेंशन मामले का अन्तिम निष्पादन नहीं हो सके ऐसी स्थिति में पेंशन की स्वीकृति में दो साल से अधिक विलम्ब होने के कारण की जाँच की जाये और इसके लिए जिम्मेवारी निर्धारित की जाये एवं जिम्मेवारी यदि प्रमाणित हो तो सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाये।

(4) ग्रेच्युटी के औपबन्धिक भुगतान पूर्ववत् 75 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे। पूरे औपबंधिक पेंशन की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या पेन–1032/8739 वि०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 के साथ संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।

(5) राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में भी महालेखाकार द्वारा उपर्युक्त पद्धति के अनुसार औपबन्धिक पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही की जाये। प्रथम दो वर्षों तक औपबंधिक पेंशन भुगतान करते समय उसके बाद पूर्ण पेंशन प्राप्त करने की राशि को अंकित कर दिया जाये जिससे भविष्य में भुगतान में कठिनाई नहीं हो।

(6) यह सुविधा पारिवारिक पेंशन में लागू नहीं होगी।

## परिशिष्ट 1

### शत-प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन स्वीकृत करने का प्रपत्र

### ( देखें कंडिका 2 क )

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार।

विषय : श्री ........................................................................ को औपबन्धिक रूप में पेंशन की स्वीकृति।

2. पदाधिकारी से सम्बन्धित ब्योरा –

(क) पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं विभाग

(ख) सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि

(ग) सेवानिवृत्ति की तिथि

(घ) कुल पेंशन प्रदायी सेवा अवधि

(ङ) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन, विशेष वेतन आदि

(च) अनुमानित पेंशन की राशि

(छ) 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन की माहवारी राशि एवं अवधि जिसकी स्वीकृति पहले दी जा चुकी है।

आदेश : (i) श्री ........................................................................ को रु० ....................................
(शब्दों में ........................................) प्रतिमाह की दर से दिनांक .................. से शत-प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश संख्या 3349 दिनांक 2 अप्रील, 1974 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इसका भुगतान महालेखाकार, बिहार द्वारा भुगतान प्राधिकार-पत्र निर्गत करने तक होगा।

(ii) औपबंधिक पूरे पेंशन का भुगतान .................................. कोषागार से किया जायेगा।

(iii) महालेखाकार, बिहार द्वारा जैसे ही पूर्ण पेंशन की राशि के लिए पेंशन भुगतान आदेश निर्गत होगा इस आदेश द्वारा स्वीकृत औपबन्धिक पेंशन का भुगतान समाप्त हो जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पाया जाये कि स्वीकृत औपबन्धिक पेंशन की राशि महालेखाकार, बिहार द्वारा नियमत: निर्धारित अनुमान्य पेंशन की राशि से अधिक है तो इस अधिकाई का सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी तथा भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जायेगा।

(v) यह खर्च बजट शीर्षक 277-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त भत्ते में 19 . ................................ 19 विकलनीय है।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।
दिनांक

**ज्ञाप संख्या**

प्रतिलिपि कोषागार, पदाधिकारी, कोषागार ........... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार से जैसे ही भुगतान प्राधिकार प्राप्त हो, इस आदेश के आधार पर भुगतान बन्द कर दिया जाये कि औपबन्धिक स्वीकृति प्राधिकारी से भुगतान सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर भुगतान की राशि एवं अधिक भुगतान की राशि का सामंजन कर लिया जाये। सामंजन के पश्चात् ही भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।
दिनांक

**ज्ञाप संख्या**

प्रतिलिपि ..............................................................................................................................

(सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम एवं पता)

को सूचनार्थ अग्रसारित।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का
हस्ताक्षर एवं पदनाम।

## परिशिष्ट 2

### पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का घोषणा-पत्र

**( देखें कंडिका 2 ख )**

मैं ...................................................................................................................................

(सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूरे पेंशन की राशि रु० ........................ (अक्षर में) औपबन्धिक रूप में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र निर्गत होने तक जो स्वीकृत एवं भुगतान किया जाये, अगर बाद में औपबन्धिक रूप में स्वीकृत पेंशन की उक्त राशि महालेखाकार द्वारा नियमत: निर्धारित अनुमान्य पेंशन की राशि जिनका मैं हकदार रहूँगा, से अधिक पायी जाये, तो औपबन्धिक रूप में स्वीकृत एवं भुगतान की राशि एवं अधिक राशि का समांजन मेरे शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी एवं भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जाये। मैं इसके लिए

किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करूँगा। साथ ही महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर प्रथम भुगतान लेने के पूर्व में सूचना पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को दे दूँगा।

अभिप्रमाणित

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित पदाधिकारी एवं पदनाम

सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम

**टिप्पणी :** घोषणा-पत्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

## परिशिष्ट 3

## कोषागार पदाधिकारी को पूरे औपबन्धिक भुगतान की गई राशि सम्बन्धी सूचना प्रपत्र

**( देखें कंडिका 2 ग )**

सेवा में,

कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी,

..........................................................

विषय : श्री ..........................................................................................................

( नाम एवं पदनाम )

पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में स्वीकृत एवं भुगतान की गई राशि की सूचना।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह सूचित करना है कि श्री .................................................................................................................... ( नाम एवं पदनाम ) सरकारी सेवा से तिथि ........................ को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें औपबन्धिक रूप में पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :–

1. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
2. पेंशन की राशि
3. कुल डी०सी०आर० ग्रेच्युटी की राशि
4. 75 प्रतिशत पेंशन की दर एवं भुगतान की अवधि
5. 75 प्रतिशत डी०सी०आर० ग्रेच्युटी की राशि
6. ( क ) शत-प्रतिशत पेंशन की राशि जिसे औपबन्धिक पेंशन के रूप में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र के रूप में निर्गत करने तक स्वीकृत किया गया है।
   ( ख ) शत-प्रतिशत पेंशन के भुगतान की अवधि कब से कब तक।
7. भुगतान की गई कुल राशि जिसका सामंजन ( स्तम्भ 4, 5 एवं 6 का योग के आधार पर )

2. यह अनुरोध किया जाता है कि भुगतान की राशि का सामंजन शेष 25 प्रतिशत पेंशन/ग्रेच्युटी एवं भविष्य में मिलने वाले पेंशन से कर लिया जाये।

विश्वासभाजन,

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का

हस्ताक्षर एवं पदनाम

दिनांक

ज्ञाप संख्या

प्रतिलिपि श्री ................................................................... (सेवानिवृत्त सेवक का नाम एवं पता) को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का

हस्ताक्षर एवं पदनाम

**[ *ज्ञाप संख्या P.C.–11-40 1/74-3349 वि०, दिनांक 2-4-1974 ]**

**8.**

***विषय : औपबन्धिक रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।**

वित्त विभाग ज्ञाप पेन–11-40-6/74-1436, दिनांक 15 फरवरी, 1974 की कंडिका (2) में मृत अराजपत्रित सरकारी सेवकों के परिवारों को 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन/उपदान दो वर्षों तक भुगतान करने का जो प्रावधान है वह ऐसे सभी पारिवारिक पेंशन/उपदान सम्बन्धी मामलों में लागू होगा जो 15 फरवरी, 1974 के पूर्व या उसके पश्चात् विभागों/कार्यालयों में स्वीकृति हेतु लम्बित है । परन्तु, औपबन्धिक पेंशन/ ग्रेच्युटी की स्वीकृति की एक मुख्य शर्त्त यह है कि भुगतान की राशि एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख कार्यालय प्रधान द्वारा सम्बन्धित मृत अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा-पुस्ती में कर देना होगा जिससे दोबारा भुगतान की संभावना दूर हो जाये । अत: सेवा-पुस्ति में बिना प्रविष्टि के किसी को औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाये एवं जब तक सेवा-पुस्ती उपलब्ध नहीं होती है तब तक इस औपबंधिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृति रोक रखी जाये । इस प्रकार के मामलों में पेंशन कागजात महालेखाकार को भेजने के पहले ही औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृति दी जाये एवं उसकी प्रविष्टि सेवा-पुस्ती में कर देनी होगी । **[ *ज्ञाप संख्या 11-40-6/74-4516 वि०, दिनांक 13-5-1974 ]**

**9.**

***विषय : औपबन्धिक पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान ।**

वित्त विभाग के ज्ञापांक पी०सी० 11-40-1/74/3349 वि० दिनांक 2-4-1974 में निहित आदेश उन अराजपत्रित कर्मचारियों पर ही लागू है जो तिथि 1-2-1973 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं । पूरे पेंशन औपबन्धिक रूप में कार्यालय प्रधान द्वारा ही विहित प्रपत्र में स्वीकृत किया जायेगा । **[ *वित्त विभाग, संख्या पी०सी० 11-40-1/74/11641, दिनांक 7-11-1974 ]**

**10.**

***विषय : वाह्य सेवा ( फोरन सर्विस ) में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक की निवृत्ति के पश्चात् 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन की ग्रेच्युटी का भुगतान ।**

एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक को वाह्य सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने पर उनके मामले में वित्त विभाग ज्ञापांक पेन-1032/67-8739 एफ०, दिनांक 17 जुलाई, 1967 के अनुसार 75 प्रतिशत औपबन्धिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देय है या नहीं । यदि है तो इसके भुगतान करने के लिए सक्षम कौन होगा ।

2. वित्त विभाग के ज्ञापांक पेन–1032/67-8731 एफ०, दिनांक 13 जुलाई, 1967 में उच्च कोटि के सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय नहीं है । इस प्रश्न पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति रहते हुए सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 13 जुलाई, 1967 के अनुसार औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी देय है । उनके मामले में लेखा परीक्षा पदाधिकारी (ऑडिट ऑफिसर) पैतृक कार्यालय/विभाग (पैरेन्ट ऑफिस डिपार्टमेंट) के कार्यालयाध्यक्ष (हेड ऑफ ऑफिस) द्वारा औपबन्धिक पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी । **[ *वित्त विभाग ज्ञाप संख्या पेन–101-72- 12204 वि०, दिनांक 30-9-1972 ]**

**205.** पूर्ववर्ती नियम के खंड (क) या (ख) के मामले में यदि महालेखापाल यह समझे कि सरकारी सेवक केवल उपदान का ही हकदार होगा तो ऐसे संभावित उपदान का छठा हिस्सा, समान घोषणा के बाद उसे प्रतिमास भुगताया जाएगा, जबतक कि रकम अन्तिम रूप से तय न हो जायें ।

**206.** प्रत्याशा-पेंशन के भुगतान की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि जिस महीने में सरकारी सेवक निवृत्त होने वाला हो उस महीने के अनुवर्त्ती महीने की पहली तारीख तक भुगतान अवश्य हो जाये ।

**207.** यदि नियमित जाँच-पड़ताल पूरी हो जाने पर यह पाया जाये कि इस प्रकार संक्षिप्त रूप से दी गई पेंशन और अन्तिम रूप से तय की गई पेंशन में अन्तर पड़ता है, तो बाद के प्रथम भुगतान में अन्तर को अवश्य समंजित कर दिया जायेगा;

परन्तु, यदि नियम 205 के अधीन संक्षिप्त रूप से दिया गया उपदान, जाँच पूरी होने के बाद वस्तुतः देय पाई गई रकम से अधिक सिद्ध हो, तो सरकारी सेवक को, जो अधिक रकम उसे वस्तुतः चुकाई गई हो, वह अध्याय 8 के उपबंधों की अनुकुलता से अन्यथा लौटाना न होगा ।

**208.** नियम 204 के अधीन सौंपे गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग महालेखापाल कर सके, इसके लिये वह प्राधिकारी, जिसका कर्त्तव्य पेंशन मंजूर करना हो, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़े कि सरकारी सेवक की निवृत्ति की तारीख तक पेंशन संभवतः मंजूर न हो सकेगी तो, अविलम्ब महालेखापाल को सरकारी सेवक की सेवा, पेंशन की संभावित राशि आदि के संबंध में पूरी जानकारी देगा, जब तक कि ऐसी जानकारी वाले पेंशन कागजपत्र महालेखापाल के पास पहले से ही न हों ।

# अध्याय–11

# पेंशन का भुगतान

## प्रकरण 1 : सामान्य नियम

### उप-प्रकरण ( 1 ) : पेंशन के आरंभ की तारीख

**209.** विशेष आदेश को छोड़कर, क्षत या असाधारण पेंशन से भिन्न पेंशन, उस तारीख से देय होगी जिस तारीख को पेंशनभोगी स्थापना से हट गया हो या जिस तारीख को उसने आवेदन किया जो, जो भी बाद में हो । इस पिछले विकल्प का उद्देश्य आवेदनों के उपस्थापन में अनावश्यक विलंब को रोकना है । विलंब के लिये संतोषप्रद स्पष्टीकरण होने पर इस संबंध में पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी इस नियम को शिथिल कर सकता है ।

**टिप्पणी :** जो सरकारी सेवक नियम 114 (क) के अधीन सूचना के बदले उपदान प्राप्त कर चुका हो, उसे उस अवधि के लिये, पेंशन देय न होगी जिस अवधि के लिये उसे उपदान दिया जा चुका है ।

[ **समीक्षा** : इस नियम के प्रावधानों में संशोधन हेतु नियम 204 के नीचे राज्य सरकार के निर्णयों को देखें ।]

***राज्य सरकार का निर्णय –***

***विषय : उन सरकारी सेवकों को पेंशन की स्वीकृति जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद किन्तु पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन करने के पहले हो जाती है ।**

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 189 के साथ पठित उस नियमावली के नियम 193, 199 (ए) (3) और 209 के अनुसार पेंशन की स्वीकृति सम्बन्धित सरकारी सेवक से औपचारिक आवेदन पत्र की प्राप्ति पर ही दी जाती है जिसे बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193 की टिप्पणी के अनुसार घोषणा भी देनी होती है । नियमावली के नियम 189 के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी, जिसके अनुसार वास्तविक या पूर्वकल्पित निवृत्ति तिथि के काफी पहले पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र देना आवश्यक है, समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें सरकारी सेवकों की मृत्यु सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद या कुछ समय बाद हो गई है और वे पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन पत्र भी नहीं दे पाये हैं । अब प्रश्न है कि ऐसे मामलों में सम्बद्ध सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि तक पेंशन मंजूर की जाये और उनके उत्तराधिकारियों को बकाया दे दिया जाये या नहीं ।

2. राज्य सरकार ने पूर्वोक्त प्रश्न पर सावधानी से विचार करके निर्णय लिया है कि वह प्राधिकारी, जो मृत सरकारी सेवक की पेंशन मंजूर किया होता यदि मृत्यु-पूर्व औपचारिक आवेदन-प्राप्त हो जाता, पूर्वोक्त कंडिका-1 में कथित बिहार पेंशन नियमावली के नियमों के प्रावधानों को शिथिल करके सरकारी सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से उसकी मृत्यु की तिथि तक पेंशन और/या उपदान मंजूर कर सकता है मानो सरकारी सेवक ने सेवानिवृत्ति के पहले औपचारिक आवेदन कर दिया था, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु के

बीच समय-पार्थक्य छह महीने से अधिक न हो। फिर भी, छह माह से अधिक समय पार्थक्य के मामले निर्णयार्थ वित्त विभाग को भेजे जायेंगे। इस कंडिका के अनुसार मंजूर की गई पेंशन और/या उपदान नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार मृतक के उत्तराधिकारियों को दिया जा सकेगा। [ *ज्ञापांक पी 1-1017/ 57/15668 वि०, दिनांक 11 नवम्बर, 1957 ]

**210.** पूर्ववर्ती नियम साधारण मामलों में ही लागू होता है, खास मामलों में नहीं। यदि खास परिस्थितियों में, सरकारी सेवक की निवृत्ति के बहुत बाद पेंशन मंजूर की जाये, तो सरकार के विशेष आदेश के बिना पेंशन भूतलक्षी प्रभाव से न दी जायेगी; विशेष आदेश रहने पर ऐसे पेंशन मंजूरी की तारीख से ही देय होगी।

**211.** जहाँ क्षत या आघात पेंशन के लिये आवेदन करने में काफी विलंब हो गया हो वहाँ ऐसी पेंशन चिकित्सक-बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख से ही मंजूर की जायेगी, और उपदान या पेंशन के लिए कोई भी आवेदन पत्र तबतक न लिया जायेगा जब तक कि वह क्षत या आघात की तारीख से पाँच वर्षों के भीतर ही न दिया गया हो।

### उप-प्रकरण ( 2 ) : भुगतान का स्थान

**212.** जब पेंशन पौंड में उल्लिखित हो, तब उसका भुगतान होम ट्रेजरी से अथवा यदि पेंशनभोगी भारत में रहता हो, तो उसकी पसन्द से भारत के किसी भी कोषागार से ऐसी विनिमय-दर पर, जो भारत सरकार आदेश द्वारा विहित करे, रुपये में परिवर्तित करके, किया जायगा।

परन्तु निम्न वर्गों के पेंशनभोगी अपनी पसन्द से अपनी पेंशन को जबतक वे भारत में रहे और वहाँ अपना स्थायी आवास बनाए रखें, प्रति रुपये 1 शिलिंग 4 पेंस की दर से रुपये में परिवर्तित कर सकते हैं।

(i) भारत, पाकिस्तान या बर्मा में निवास करनेवाले पेंशनभोगी जो, 1ली फरवरी, 1921 को उक्त दर से परिवर्तित पेंशन पा रहे थे;

(ii) भारत के अधिवासी पेंशनभोगी, जो 1ली फरवरी, 1921 को अस्थायी तौर पर अपनी पेंशन पौंड में पा रहे थे;

(iii) वैसे पेंशनभोगी जो पहली फरवरी, 1921 को सरकारी सेवा में थे और जो उस तारीख को भारत अधिवासी थे;

परन्तु यह और भी कि खंड (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट किसी पेंशनभोगी की पेंशन, जिसने अपनी पेंशन के किसी अंश का रूपान्तरण 10वीं अक्टूबर, 1928 के बाद करा लिया हो, इस नियम में पहले यथा उपबन्धित भारत सरकार द्वारा विहित विनिमय दर पर परिवर्तित की जायगी और फलस्वरूप जो पेंशन निकलेगी उसमें जबतक वह भारत, पाकिस्तान या बर्मा में रहे या वहाँ स्थायी आवास बनाए रखे, क्रमश: उक्त दर और 1 शि० 4 पेंशन की दर से परिवर्तित कुल पौंड पेंशन (11वीं अक्टूबर, 1928 के पश्चात् रूपान्तरित किसी अंश को घटाकर) के मूल्य के बीच का अन्तर जोड़ा जायगा।

**213.** रुपये में उल्लिखित पेंशन का भुगतान भारत सरकार के किसी भी कोषागार से या पेंशनभोगी के पसन्द से –

(i) होम ट्रेजरी से या उसकी मार्फत; अथवा

(ii) बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 18 में वर्णित किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया अन्यत्र जायगा।

उपर्युक्त (1) और (2) स्रोतों के प्राप्त पेंशन पौंड में उस दर से परिवर्तित की जाती है जो भारत सरकार विहित करे।

परन्तु जहाँ पेंशनभोगी भारत में (जिसमें इस नियम तथा 214 से 218 तक नियमों के प्रयोजनार्थ बर्मा, लंका, नेपाल, पाकिस्तान और भारत स्थित फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली बस्तियाँ भी शामिल है) रहा हो वहाँ छोड़कर, परिवर्तन की न्यूनतम दर प्रति रुपया 1 शि० 6 पें० होगी।

**214.** कोई पेंशनभोगी जो भारत में रह रहा हो और जो भारत के बाहर किसी स्थान के लिए, वहाँ निवास करने के अभिप्राय से; प्रस्थान करे, अपनी पेंशन को न्यूनतम दर से भारत छोड़ने की तारीख ही परिवर्तित कराने का हकदार होगा।

**215.** कोई पेंशनभोगी, जो अपनी निवृत्ति के छ: महीनों के भीतर अन्यत्र निवास करने के विचार से भारत छोड़ दे, वह भारत में जिस तारीख तक पेंशन पा चुका हो, उस तारीख के बाद से अथवा यदि वहाँ कोई

भुगतान न किया गया हो, तो पेंशन के आरंभ की तारीख से अपनी पेंशन की न्यूनतम दर पर परिवर्तित कराने का हकदार होगा।

**216.** कोई पेंशनभोगी जिसे न्यूनतम दर पर पेंशन परिवर्तित कराने की अनुमति दी गयी हो और भारत को लौट आये तथा होम ट्रेजरी से या उसकी मार्फत अथवा बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 18 में वर्णित प्राधिकारियों में से किसी से अपनी पेंशन पाता रहे, भारत लौटने की तारीख से छः महीनों तक न्यूनतम दर का फायदा उठा सकेगा।

**217.** जो पेंशनभोगी न्यूनतम दर का हकदार हो और जिसने 4थी दिसम्बर, 1928 के बाद अपने पेंशन के किसी अंश का रूपान्तरण कराया हो, उसकी पेंशन भारत सरकार द्वारा विहित विनिमय-दर पर परिवर्तित की जायगी और फलस्वरूप जो पेंशन निकलेगी उसमें, जबतक वह न्यूनतम दर का हकदार रहे क्रमशः उक्त दर एवं भारत सरकार द्वारा विहित विनिमय दर पर परिवर्तित पूरी पेंशन (5वीं दिसम्बर, 1928 के पूर्व रूपान्तरित किसी अंश को घटाकर) के मूल्य के बीच का अन्तर जोड़ा जायगा।

**218.** न्यूनतम दर भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को दिये गये उपदानों पर लागू होगी, किन्तु जहाँ सरकारी सेवक की सेवा जिसे उपदान मंजूर किया जाए, भारत में ही समाप्त हो जाय, वहाँ उसका उपदान भारत में ही भुगताया जायगा।

**टिप्पणी :** 213 से 218 तक नियमों में निर्दिष्ट प्रति रुपया 1 शि० 6 पें० की न्यूनतम रूपान्तरण दर पर भुगतान की रियायत उन सरकारी सेवकों को अनुमान्य नहीं है जिन्होंने 25वीं नवम्बर, 1949 के बाद सेवा में प्रवेश किया हो।

### उप-प्रकरण 3 : इंगलैंड और भारत के बीच अन्तरण

**219.** भारतीय कोषागार से होम ट्रेजरी में तथा स्वराष्ट्र होम ट्रेजरी से भारतीय कोषागार में पेंशन के रूपान्तरण की अनुमति जब भी वांछित हो, युक्तियुक्त सीमाओं के भीतर दी जायगी।

**टिप्पणी :** एक स्थान से दूसरे स्थान में इस प्रकार का बार-बार अन्तरण अनुमान्य नहीं है और महालेखापाल उन मामलों को, जहाँ ऐसा प्रतीत हो कि नियम का अनुचित फायदा उठाया जा रहा है, विशेष आदेश के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगा।

**220.** भारत से होम ट्रेजरी में भुगतान के अन्तरण का आवेदन उस महालेखापाल के पास किया जायगा जिसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर भुगतान का कोषागार हो। महालेखापाल अन्तिम वेतन-प्रमाण-पत्र देगा और उसकी दूसरी प्रति, जिस आवेदन-पत्र पर पेंशन मूलतः मंजूर की गई थी, उसके प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि के साथ, भारतीय उच्चायुक्त के पास भेज देगा।

## प्रकरण 2 : भारत में भुगतान

**221.** (क) पेंशन-मंजूरी-आदेश, पेंशन फारम 4 में आवेदनपत्र के प्रथम पृष्ठ की एक प्रतिलिपि के साथ महालेखापाल के पास भेजा जायेगा। वह अपनी रिपोर्ट से उस आदेश को मिलायेगा और यदि भुगतान किसी अन्य लेखापरीक्षा अंचल में किया जाना हो, तो उसकी एक प्रतिलिपि लेखा-परीक्षा पदाधिकारी को भेज देगा।

(ख) जिस व्यक्ति के लिए खंड (क) में निर्दिष्ट फारम का व्यवहार न होता हो, उसके मामले में, पेंशन-भुगतान-आदेश के लिए अपेक्षित जानकारी उस राज्य के महालेखापाल के पास जहाँ भुगतान किया जाना हो, एक अलग पत्र में भेजी जानी चाहिए।

(ग) प्रधान सिपाही के अनुच्च पंक्ति का पुलिस अधीनस्थ पुलिस अवर-कर्मचारी की पेंशन के मामले में, जिसके संबंध में महालेखापाल का अनुमान्यता-प्रमाणपत्र अपेक्षित न हो, पेंशन मंजूरी आदेश महालेखापाल के पास भेजा जाएगा जो उपर्युक्त खंड (क) को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जाँच करेगा और उसमें यथाविहित रीति से उसे पृष्ठांकित करेगा।

**टिप्पणी :** यदि पेंशन मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारी आवेदनपत्र पर, या आवेदन अग्रसारण पत्र पर अपनी सिफारिश लिखे कि माँगी गई पेंशन स्वीकृत की जाये, तो महालेखापाल दावा सही पाने पर, अविलंब आवश्यक पेंशन भुगतान आदेश निकालेगा और अपनी यह कार्रवाई संबद्ध प्राधिकारी को सूचित करेगा।

*राज्य सरकार के निर्णय –*

1.

***विषय : पेंशन का स्थानान्तरण ।**

समाचार पत्रों एवं आवेदन पत्रों के माध्यम से पेंशनरों द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के स्थानान्तरण में अत्यधिक विलम्ब होने की ओर सरकार का ध्यान समय-समय पर आकृष्ट किया जाता है । कई मामलों में समय पर स्थानान्तरण नहीं होने के कारण महालेखाकार तथा वित्त विभाग के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए नोटिस भी मिला है । यह तो निर्विवाद है कि समय पर पेंशन भुगतान आदेशों (पी०पी०ओ०) का स्थानान्तरण नहीं होने से पेंशनरों की आर्थिक कठिनाई काफी बढ़ जाती है ।

2. बिहार कोषागार संहिता में पेंशन भुगतान आदेशों (पी०पी०ओ०) का स्थानान्तरण का समुचित प्रावधान है, यथा –

**(i) भारत के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य में पेंशन का स्थानान्तरण –**

बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 340 एवं 341 में इस प्रकार के पी०पी०ओ० स्थानान्तरण का स्पष्ट प्रावधान है । इन नियमों के अनुसार सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि पेंशन स्थानान्तरण के आवेदन पत्र प्राप्त होते ही पेंशन भुगतान आदेश (पी०पी०ओ०) के दोनों अर्द्ध भागों को अद्यतन भुगतान प्रमाण पत्र के सहित महालेखाकार बिहार, पटना को भेज दें । इसकी प्राप्ति के पश्चात् महालेखाकार, बिहार, पी०पी०ओ० का स्थानान्तरण वांछित स्थान पर अपने स्तर से कर दें ।

**(ii) राज्य के अन्तर्गत पेंशन का स्थानान्तरण –**

बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 342 एवं 343 इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट है । सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि अपने स्तर से ही वे पी०पी०ओ० को आवेदित कोषागार/ उप-कोषागार से भुगतान प्राप्त करने हेतु स्थानान्तरण कर दें । यथासमय उन्हें महालेखाकार को सूचित भी कर देना है ।

"राज्य सरकार के पेंशन पानेवाले असैनिक कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान करने की योजना अन्तर्गत स्थानान्तरण का प्रावधान नियम 15 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । इसके अतिरिक्त पेंशन स्थानान्तरण का प्रावधान बिहार पेंशन नियमावली के नियमों में भी उपलब्ध है ।"

3. पेंशन स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार पी०पी०ओ० स्थानान्तरण करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बद्ध कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों का है । कोषागार पदाधिकारियों द्वारा विलम्ब के फलस्वरूप ही पी०पी०ओ० के स्थानान्तरण में विलम्ब होता है । विलम्ब का यह भी कारण है कि कोषागारों में पी०पी०ओ० के अर्द्धकटी सही रूप में नहीं रखे जाते हैं । फलस्वरूप पेंशनरों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । सरकार पेंशनरों को समय पर पेंशन भुगतान करवाने के लिए कृत संकल्प है और इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए पेंशन नियमों को काफी सरल किया गया है । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लेने की कृपा किया है –

(i) कोषागार/उप-कोषागारों में पी०पी०ओ० के अर्द्धभाग को संभाल कर रखा जाये ।

(ii) जैसे ही पेंशनर पी०पी०ओ० का स्थानान्तरण करने का आवेदन देता है, उसे अविलम्ब स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमानुसार निष्पादित किया जाये । अगर भुगतान राज्य के बाहर प्राप्त करने का आवेदन हो तो अविलम्ब पी०पी०ओ० के दोनों भाग महालेखाकार, बिहार के पास निबन्धित डाक द्वारा भेज दिया जाये ।

4. भविष्य में पी०पी०ओ० के स्थानान्तरण में विलम्ब होने की शिकायत मिलने पर कृपया तुरन्त जाँचकर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी एवं सम्बद्ध कोषागार के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाये ।

5. यह अनुरोध है कि अपने सभी अधीनस्थ कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा दिया जाये । इसे सरकार का स्थायी आदेश समझा जाये । महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची को भी इस आदेश से अवगत करा दिया गया । [ ***वित्त विभाग, ज्ञाप सं० 2-9-20/78-5484 वि०, दिनांक 1-5-1978** ]

2.

***विषय : पाकिस्तान में रहनेवाले व्यक्तियों को भारत में पेंशन की अदायगी ।**

सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि कुछ पेंशनर जो पाकिस्तान के अनिवासी हैं स्वयं या अपने अभिकर्त्ताओं के द्वारा भारत के कोषागारों से अपनी पेंशन की निकासी करते हैं । राज्य सरकार का अनुमान है कि ऐसी बातें बिहार राज्य में भी हो सकती हैं । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947– यथासंशोधित, की धारा 5 के अनुसार बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को कोई अदयगी या पावना की स्वीकृति नहीं दी जाती है । अत: बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनिवासियों या उनके अभिकर्त्ताओं के पेंशन अदाय करना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है ।

2. बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनिवासी या उसके अभिकर्त्ताओं को पेंशन–अदायगी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कोषागार पदाधिकारी और अन्य पेंशन व्ययन पदाधिकारी किसी व्यक्ति को पेंशन देते समय अपना समाधान कर लें कि वह व्यक्ति भारत का निवासी है और संदेह होने पर पेंशनर से निवास–प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए जोर डालें । साधारण तौर पर भारत में रहनेवाला पेंशनर भारत का निवासी माना जाए । यदि यह पता लगे कि पेंशनर पाकिस्तान का निवासी है तो जबतक वह स्वयं या अपने अभिकर्त्ता द्वारा पेंशन प्राप्त करने वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति न प्राप्त कर ले तब तक पेंशन न दी जाए ।

3. बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 359 में उल्लिखित किसी प्राधिकारी से प्राप्त पूर्वोक्त कंडिका 2 (1) में यथापेक्षित निवास–प्रमाणपत्र को इस प्रयोजन के लिए विधिसंगत माना जाए । [ ***ज्ञापांक पी 1–1023/59–18618 वि०, दिनांक 18–9–1959** ]

**222.** यदि पेंशन का भुगतान इस राज्य में किया जाना हो, तो महालेखापाल जिस जिले में पेंशन का भुगतान किया जाना हो, उस जिले के कोषागार–पदाधिकारी के पास विहित फारम (पेंशन फारम 5) में पेंशन–भुगतान 5 आदेश भेजेगा ।

**टिप्पणी :** हरेक पेंशन–भुगतान–आदेश के साथ एक वैलेट रहेगा जिसे वितरण पदाधिकारी संबद्ध पेंशनभोगी को दे देगा, ताकि पेंशन–भुगतान आदेश के पेंशनभोगी संबंधी अद्धांश के लिए उसका उपयोग हो ।

**223.** महालेखापाल से प्राधिकार–पत्र प्राप्त होने पर उपदान का भुगतान एकमुश्त किया जाता है, किस्तों में नहीं । (बिहार कोषागार–संहिता का नियम 384 भी देखें ।)

**224.** राज्य सरकार के विवेक से या पाने वाले के आवेदन पर राज्य सरकार की मंजूरी से उपदान आजीवन–वार्षिकी में या अस्थायी आजीवन वार्षिकी में या ऐसे वार्षिकी में जो नियत वर्षों तक देय होगी और वार्षिकी–ग्राही की मृत्यु हो जाने पर शेष राशि उसके उत्तराधिकारियों को देय होगी, परिवर्तित किया जा सकता है । आजीवन वार्षिकी की राशि "असैनिक पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली" के अधीन विहित तालिका के आधार पर नियत की जायेगी तथा अस्थायी आजीवन–वार्षिकी की राशि, हर मामले में, भारत सरकार के जीवनांकित के परामर्श से उसी ब्याज–दर और मरण–अनुपात को मानकर नियत की जाएगी, पर, जिस पर "असैनिक पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली" के अधीन विहित तालिका आधारित हो (देखें परिशिष्ट 3) ।

**225.** राज्य सरकार उपदान को वार्षिकी में परिवर्त्तित करने के लिये कभी आग्रह न करेगी जबतक कि सक्षम चिकित्सा–प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट न दे कि सरकारी सेवक के जीवन की आशा औसत के बराबर है ।

**226.** पेंशन किसी दीवानी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं की जा सकती; देखें अधिनियम 23, सं० 1871 का प्रकरण 2 जो नीचे उद्धृत है –

"धारा 11 – राजनीतिक विचारों से अथवा अतीत सेवा या वर्त्तमान दुर्बलता के कारण या अनुकम्पा भत्ते के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त या जारी रखी गई कोई पेंशन और ऐसी पेंशन या भत्ते के मद्दे देय या देय होने वाली कोई भी रकम, ऋणदाता की प्रेरणा से, भारत के किसी न्यायालय की आदेशिका द्वारा पेंशनभोगी के विरुद्ध किसी माँग के लिये अथवा ऐसी किसी न्यायालय की डिग्री के भुगतान या आदेश के निष्पादन में जब्त, कुर्क या समपहृत न की जायेगी ।"

**227.** पेंशन–भुगतान संबंधी विस्तृत प्रक्रिया बिहार कोषागार संहिता के अध्याय 5, प्रकरण 6 में दी गई है ।

## प्रकरण 3 : इंगलैंड में भुगतान

**228.** जब किसी ऐसे सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान की जाय जो अपनी पेंशन का भुगतान उसके आरंभ की तारीख से होम ट्रेजरी से होने की इच्छा प्रकट करे तब महालेखापाल को पेंशन–प्रदान की मंजूरी प्राप्त होने पर,

अन्तिम वेतन-प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए और उनकी दूसरी प्रति, पेंशन-सम्बन्धी आवेदनपत्र के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि और राज्य सरकार या पेंशन-प्रदान करने वाले अन्य पदाधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि के साथ, भारतीय उच्चायुक्त के पास अग्रसारित करना चाहिए। अग्रसारणपत्र में बराबर यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि भुगतान किसी खास तारीख से किया जाय और तारीख अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र से निश्चित की जाए।

**229.** यदि पेंशन पूर्णतः आम राजस्व पर भारितव्य न हो तो प्रमाणपत्र में सावधानीपूर्वक यह लिख दिया जायगा कि यह किसी पर कैसे भारित होगी।

**230.** होम ट्रेजरी से भुगताई गई पेंशन के किसी पुनरीक्षण की सूचना भारतीय उच्चायुक्त को इस तरह दी जानी चाहिए कि पेंशनभोगी को सूचना मिलने के पहले उसके पास सूचना पहुँच जाय।

## प्रकरण 4 : उपनिवेश में भुगतान

### उप-प्रकरण (1) : सामान्य

**231.** इस प्रकरण के नियम इस नियमावली के किसी भी अध्याय के नियमों के अधीन मन्जूर पेंशनों पर लागू होंगे। बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 18 में नामित किसी उप-निवेश में रहने वाले पेंशनभोगी की पेंशन का भुगतान वहाँ किया जा सकता है।

**टिप्पणी** : किसी उपनिवेश में पेंशन का भुगतान विदेशी विनिमय के विषय में उन प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा जो भारत सरकार समय-समय पर आरोपित करे।

**स्पष्टीकरण** : (क) यदि सरकारी सेवक पौंड-क्षेत्र का राष्ट्रीय हो, किन्तु भारतीय न हो तो वह किसी भी पौंड-क्षेत्र देश में अपने लिए पेंशन भेज सकता है।

(ख) यदि सरकारी सेवक सुलभ-मुद्रा-देश का राष्ट्रीय हो तो वह केवल अपने ही देश में अपने लिए पेंशन भेज सकता है।

(ग) कोई सरकारी सेवक, चाहे उसकी राष्ट्रीयता जो भी हो, किसी भी पौंड-क्षेत्र देश या सुलभ-मुद्रा-देश में अपने लिये पेंशन भेज सकता है, यदि वह उस देश में स्थायी रूप से निवास करने के लिये प्रस्थान कर रहा हो।

(घ) दुर्लभ-मुद्रा देशों के मामले में पेंशन-विप्रेषण सम्बन्धी विनिमय सुविधायें केवल तभी दी जा सकती हैं जबकि जिस देश में सरकारी सेवक निवृत्त होकर रहने के लिए जा रहा हो। वह देश उसके जन्म तथा स्थायी अधिवास का भी देश हो।

### उप-प्रकरण (2) : वारंट का निकालना

**232.** किसी उपनिवेश में पेंशन-भुगतान का अधिकार पेंशन फारम 6 में वारन्ट होगा जिसे महालेखापाल निकालेगा।

**233.** हरेक वारंट की प्रतियाँ निकाली जायगी। मूल प्रति, जिस पर पाने वाले का हस्ताक्षर रहेगा, सम्बद्ध औपनिवेशिक प्राधिकारी के पास भेजी जायगी, दूसरी प्रति भारतीय उपायुक्त के पास भेजी जायगी और तीसरी प्रति पाने वाले को सौंप दी जायगी। हरेक भुगतान वारंट की मूल तथा तीसरी प्रति, दोनों की पीठ पर पृष्ठांकित होगा; पाने वाला प्राप्त रकम के लिए पावती देगा। यदि प्रविष्टियों के लिए स्थान न रह जाय, अथवा यदि वारंट खो या नष्ट हो जाय, तो औपनिवेशिक वितरण-पदाधिकारी दूसरा वारंट निकालेगा। उच्चायुक्त के पास वारंट की दूसरी प्रति अग्रसारित करने वाले पत्र में बराबर निम्न जानकारी दी जाए –

(1) क्या पेंशनभोगी उपनिवेश में छुट्टी पर पहले से ही है ?

(2) निवृत्ति की तारीख।

(3) भारत छोड़ने की तारीख।

(4) जन्म की तारीख।

### उप-प्रकरण (3) : भुगतान का अन्तरण

**234.** (क) भारतीय कोषागार से किसी उपनिवेश में, जहाँ भुगतान होम ट्रेजरी के लेखे में समंजित होते हैं, पेंशन के अन्तरण की अनुमति केवल एक बार दी जाती है; किन्तु कोई पेंशनभोगी किसी समय भी भुगतान होम ट्रेजरी के लेखे में समंजित होते हैं, इंगलैंड में भुगतान का अन्तरण करा सकता है, ताकि उसे होम ट्रेजरी से सीधे भुगतान किया जा सके।

(ख) यदि पेंशनभोगी अपनी पेंशन के भुगतान का अन्तरण एक उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में कराना चाहे, तो सरकार, ऐसे अन्तरण को मंजूर करने वाले औपनिवेशिक प्राधिकारियों की कार्यवाहियों की मान्यता देगी जिन्हें पेंशनभोगी अलग से सरकार तथा भारत के उच्चायुक्त को प्रतिवेदन करेगा।

**टिप्पणी :** पेंशनों का अन्तरण केवल उन्हीं उपनिवेशों के लिए अनुमान्य है जो बिहार-उड़ीसा सेवा संहिता के परिशिष्ट 18 में उल्लिखित हैं।

**235.** भारत में लौटने पर सरकारी सेवक वारन्ट को अपनी प्रति अर्पित कर देगा जो अन्तिम वेतन-प्रमाण-पत्र का काम करेगी।

***राज्य सरकार का निर्णय–***

**1.**

***विषय : बिहार पेंशन नियमावली के तहत् पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति हेतु सरकार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद पेंशन एवं उपादान स्वीकृत नहीं होने तथा कतिपय अन्य कारणों से इसकी अन्तिम स्वीकृति में विलम्ब होने पर न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं। यह एक ठोस यथार्थ है कि ऐसे मामलों में प्रासंगिक नियमों के पक्ष में होने के बावजूद राज्य सरकार की हार इसलिए हो जाती है कि मुकदमों में प्रशासी विभाग द्वारा या तो ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया जाता है अथवा प्रतिशपथ पत्र बिना वित्त विभाग को दिखाये हुए ही दायर कर दिया जाता है, जिसमें नियम की सही वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। अपील दायर करने की कार्यवाई भी त्वरित गति से नहीं की जाती है। उक्त सभी स्थितियाँ अवांछित हैं, क्योंकि हर हालत में इसका फलाफल होता है कि राज्य सरकार को पेंशन एवं उपादान की राशि के अलावे ब्याज का भुगतान करने को विवश होना पड़ता है।

2. अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के विरुद्ध दायर किये गए पेंशन सम्बन्धी सभी मामलों में वांछित कार्रवाई सही समय पर करने, ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं दायर करने के पूर्व उसे वित्त विभाग से अनिवार्यतः दिखा लेने की व्यवस्था कृपया अपने स्तर पर सुनिश्चित की जाय। इसे कारगर एवं अचूक बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपने यहाँ संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के एक पदाधिकारी को उनके सामान्य कार्यों के अतिरिक्त ऐसे मुकदमों में कार्रवाई करने के लिये भी उत्तरदायी बनाया जाय और ऐसे पदाधिकारी के नाम एवं पदनाम की सूचना कृपया वित्त विभाग को अवश्य दी जाय। इसे कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। [ ***ज्ञाप सं० पी०सी० 1-2-25/90 1554, दिनांक 23-2-1991** ]

## अध्याय–12

# पेंशन का रूपान्तरण

## प्रकरण 1 : सामान्य

**236.** इस अध्याय के नियम बिहार असैनिक पेंशन (रूपान्तरण) नियम कहलायेंगे। ये राज्य सरकार के नियम विधायी नियंत्रण के अधीन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होंगे।

**237.** इन नियमों के उपबन्धों तथा ऐसी शर्तों जिन्हें राज्य सरकार लगाना उचित समझे, के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी सरकारी सेवक के आवेदन पर उसे एक मुश्त भुगतान के लिए इस नियमावली के अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली पेंशन के आधे से अनधिक अंश के रूपान्तरण को मंजूरी दे सकती है।

**टिप्पणी :** इस नियम के प्रयोजनार्थ यदि असैनिक लेखा-संहिता (सिविल एकाउन्ट कोड), खंड 1 के अनुच्छेद 33(क) के अर्थ में दो विभिन्न सरकारें संबद्ध हों, तो सरकारी सेवक उस सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में समझा जायेगा जिस (सरकार) पर उसकी पेंशन के रूपान्तरित मूल्य का भुगतान भारित होगा, न कि उस सरकार के अधीन जिसने उसकी पेंशन मूलतः मंजूर की थी। किन्तु, जिस तारीख को पेंशन मंजूर की जाए उसके पहले ही यदि रूपान्तरण के लिये आवेदन कर दिया गया हो, तो वह सरकार, जिसके अधीन आवेदक अन्तिम बार स्थायी रूप से नियोजित था, उसके आवेदन को निबटाने में सक्षम होगी।

**[ समीक्षा :** उदार पेंशन नियमावली ( परिशिष्ट 5 ) में निहित नियम के अनुसार स्वीकृत पेंशन की राशि का अधिकतम एक-तिहाई भाग का ही रूपान्तरण किया जा सकता है ।

उदार पेंशन नियमावली जो दिनांक 20-6-1950 से प्रभावी है और पूर्व 1939 प्रविष्टियों को छोड़कर जिन्होंने इस योजना में नहीं रहने का विकल्प दिया है, सभी सरकारी सेवक पर लागू है ।]

**238.** जिन सरकारी सेवकों पर ये नियम लागू होते हैं उन्हें इस आधार पर कि वे अपनी पेंशन भारत के बाहर या भारत के भीतर पाते हैं, दो वर्गों में विभक्त किया गया है । सुविधा के लिये उन दो वर्गों का नामांकण निम्न प्रकार से किया गया है, (क) इंगलैंड-निवासी पेंशनभोगी, और (ख) भारत-निवासी पेंशनभोगी ।

**239.** इन नियमों में प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्तों के अधीन रहते हुए, इंगलैंड-निवासी पेंशनभोगी की पेंशन के आधे से अधिक अंश के रूपान्तरण की मन्जूरी देने की शक्ति राज्य सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को सौंप दी है ।

**240.** भारत या इंगलैंड-निवासी पेंशनभोगियों की पेंशन के रूपान्तरण की अनुमति दी जाये या नहीं, इसका निर्णय करने में निम्न सिद्धान्तों का अनुसरण किया जायेगा –

(क) बजट-उपबन्ध सबसे पहली बात है जिसे ऐसी रियायत के आवेदन पर विचार करते समय अवश्य ध्यान में रखना चाहिए । जब कुल माँग प्राप्त निधि से अधिक हों, तो आवेदन आवश्यकता-क्रम में सूचीबद्ध किए जाएँगे और जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति प्राप्त सबूतों के अनुसार अच्छी हो, उनके अनुरोध दूसरे वर्ष के लिये स्थगित कर दिये जाएँगे और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो, उनके अनुरोध पूर्णत: या अंशत: अस्वीकृत कर दिये जाएँगे । फिर भी, यह कोई निरपेक्ष नियम नहीं है कि जिनकी निजी आर्थिकी स्थिति अच्छी सिद्ध हो, उनके मामले में रूपान्तरण अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

(ख) रूपान्तरण, पेंशनभोगी तथा उसके परिवार के स्पष्ट एवं स्थायी लाभ के लिये होना चाहिये और पेंशन का शेषांश इतना पर्याप्त होना चाहिये कि पेंशनभोगी अपने उचित स्तर पर जीवन-निर्वाह कर सके । उदाहरणार्थ, यदि पेंशनभोगी की एकमात्र आश्रित उसकी पत्नी हो जिसे कोई अपना साधन न हो और जो अपना निर्वाह करने में असमर्थ हो तथा पति की मृत्यु के बाद जिसके पुनर्विवाह की आशा न हो, तो रूपान्तरण के लिए आवेदन इस कारण से न्यायोचित होगा कि पेंशनभोगी एक मकान बना सके जिसमें, उसकी मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी रह सके या जो उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए आमदनी का जरिया बन सके ।

(ग) भारत निवासी पेंशनभोगियों के मामले में, रूपान्तरण के बाद पेंशन का शेषांश किसी भी मामले में प्रतिमास 20 रु० से कम न होगा ।

(घ) सट्टेबाजी या किसी बड़े कारबार के लिये रूपान्तरण की अनुमति न दी जायेगी । साधारणत: निम्न उद्देश्यों से रूपान्तरण की अनुमति दी जाती है –

(1) ऋण-शोधन ।

(2) निवास-गृहों के निर्माण, खरीद या बड़ी मरम्मत ।

(3) सन्तान-शिक्षा ।

(4) सन्तान का विवाह जिस पर खर्च करना सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार अनिवार्य हो ।

ऋण-शोधन के लिये रूपान्तरण की मंजूरी का उद्देश्य पेंशनभोगी को रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की रकम के बराबर या उससे अधिक ब्याज की बड़ी रकम के भुगतान से तथा मुकदमेबाजी के भय से छुटकारा दिलाना है । ऋण सम्बन्धी संदिग्ध प्रमाणों की अवहेलना की जायेगी, और केवल उन्हीं दायित्वों पर विचार किया जायेगा जिनकी पुष्टि लेख्यात्मक साक्ष्य, जैसे बन्धपत्र आदि, से हो । किसी आवेदन-पत्र पर सिफारिश करने के समय स्थानीय पदाधिकारी लेख्यात्मक साक्ष्य की जाँच करेंगे । इसी प्रकार वे निवासगृह के निर्माण या मरम्मत की आवश्यकता के सम्बन्ध में जाँच करेंगे और विचार करेंगे कि इस काम पर जो रकम खर्च की जाने वाली है, वह उचित है या नहीं । सन्तान की शिक्षा के लिये रूपान्तरण की अनुमति केवल खास-खास परिस्थितियों में ही दी जायेगी, जैसे कि, जब पेंशनभोगी का पुत्र किसी ऐसी शिक्षाचर्या में पूरी तरह प्रविष्ट हो गया हो जिसका खर्च उसका पिता उठा नहीं सकता । भतीजों या अन्य आश्रितों की शिक्षा, रूपान्तरण के लिये वैध कारण न मानी जायेगी । सन्तान के विवाह के लिये रूपान्तरण की अनुमति केवल तभी दी जायेगी जबकि माँगी गई राशि उचित हो और बहुत बड़े पैमाने पर न हो और प्रतीत हो कि रूपान्तरण की अनुमति न देने से पेंशनभोगी ऋणग्रस्त हुए बिना खर्च न उठा सकेगा ।

**टिप्पणी** : भारत सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं० 55 सी०एस०आर०, तारीख 14 जनवरी, 1921 (परिशिष्ट 4 के रूप में उद्धृत) के अनुसार छोटी पेंशन पाने वालों को दी गई वृद्धियाँ, जिनकी अवधि राज्य सरकार के आदेश के अधीन समय-समय पर बढ़ा दी गई हो, पेंशन के रूपान्तरण के प्रयोजनार्थ सम्मिलित न की जाएगी ।

**241.** आवेदनपत्र उपस्थापित करते समय आवेदक अपनी आर्थिक स्थिति, रूपान्तरण की आवश्यकता और प्रत्याशित लाभ के बारे में पूरी जानकारी देगा । मंजूरी पदाधिकारी को किसी भी मामले में यथोचित जाँच करने का अधिकार है ।

**242.** प्रत्याशा-पेंशन के रूपान्तरण के मामले में आवेदक रूपान्तरण के लिये अपने आवेदनपत्र के साथ निम्न फारम में एक घोषणा संलग्न करेगा –

**घोषणा-पत्र**

चूँकि ...................................... (यहाँ रूपान्तरण मंजूर करने वाले पदाधिकारी का पदनाम लिखें) ने मेरी पेंशन की रकम और फलत: रूपान्तरित किये जाने वाले पेंशन-अंश सरकार द्वारा नियत किये जाने के उद्देश्य से आवश्यक जाँच-पड़ताल पूरी होने की प्रत्याशा में कच्चे तौर पर मुझे प्रत्याशा-पेंशन के अंश के रूपान्तरित मूल्य के रूप में .................................. रु० देने की सम्मति दी है, इसलिए मैं इसके द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस रकम को लेते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि अभी दिया जाने वाला रूपान्तरित मूल्य, आवश्यक औपचारिक जाँच पूरी होने के बाद पुनरीक्षित हो सकता है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण के बारे में मैं इस आधार पर कोई आपत्ति न करूँगा कि प्रत्याशा पेंशन के अंश के रूपान्तरित मूल्य के रूप में मुझे अभी दी जाने वाली कच्ची रकम उस रकम से अधिक है जिसका हकदार मैं अन्तत: पाया जाऊँ । मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस रकम से, जिसका हकदार मैं अन्तत: पाया जाऊँ, अधिक दी गई रकम, नकद भुगतान कर या बाद में मिलने वाली पेंशन से कटवा कर, लौटा दूँगा ।

## प्रकरण 2 : आवेदन पत्रों का उपस्थापन

**243.** पेंशन के रूपान्तरण का आवेदनपत्र पेंशन फारम 7 के भाग 1 में दिया और निम्न को सम्बोधित किया जाना चाहिए –

(1) यदि आवेदक सेवा में बना हो, अथवा निवृत्त हो गया हो, किन्तु उसकी पेंशन अभी मंजूर न हुई हो, तो जिस कार्यालय में वह हो या नियोजित था, उसके प्रधान और सम्बद्ध कार्याध्यक्ष की मार्फत अथवा यदि आवेदक स्वयं कार्यालय-प्रधान हो या था, तो अपने कार्याध्यक्ष की मार्फत राज्य सरकार को; और

(2) जब आवेदक की पेंशन मंजूर की जा चुकी हो, तब –

(क) यदि वह भारत के किसी कोषागार से पेंशन पाता हो अथवा यदि ऐसे किसी उपनिवेश का, जिसका लेखा केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल के साथ चलता हो, निवासी होते हुए स्थानीय कोषागार से पेंशन पाता हो, तो जिस कार्यालय में वह अपनी निवृत्ति के समय नियोजित था, उसके प्रधान और सम्बद्ध कार्याध्यक्ष अथवा यदि आवेदक स्वयं कार्यालय-प्रधान था, तो अपने कार्याध्यक्ष की मार्फत राज्य सरकार को अथवा

(ख) यदि वह उपखंड (क) में उल्लिखित से अन्यथा अपनी पेंशन पाता हो, तो भारत के उच्चायुक्त को; परन्तु उपखंड (क) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी डोमीनियन या उपनिवेश में रहनेवाले पेंशनभोगी के मामले में आवेदनपत्र, उस पदाधिकारी की मार्फत जिससे पेंशन मिलती हो, उच्चायुक्त को सम्बोधित किया जायेगा ।

[ **समीक्षा** : इंगलैंड, डोमिनियन और पहले के उपनिवेशों में पेंशन-भुगतान सम्बन्धी प्रावधान और इंगलैंड में भारत के लिए उच्च आयुक्त के यहाँ आवेदन समर्पित करना अब अप्रचलित हो गया है ।]

**244.** इंगलैंड निवासी पेंशनभोगियों के बारे में, भारतीय उच्चायुक्त उस चिकित्सा प्राधिकारी को विहित करेगा जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और प्रत्याशित जीवन कालावधि के विषय में आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा तथा रूपान्तरण की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में ऐसे अन्य अनुदेशों को, जिन्हें वह आवश्यक समझें, विहित करेगा ।

**245.** भारत निवासी पेंशनभोगियों के बारे में –

(क) आवेदनपत्र पाने वाला प्राधिकारी, आवेदक द्वारा दिये गये विवरणों का नियम 240 के अनुसार आवश्यक सत्यापन करने के बाद, आवेदनपत्र कार्याध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित करेगा;

(ख) कार्याध्यक्ष अपनी सिफारिश लिखेगा और यदि आवेदक को असमर्थता पेंशन प्रदान की गई थी, तो उसके स्वास्थ्य विवरण की एक प्रति संलग्न करेगा या उसकी असमर्थता के कारण बतायेगा;

(ग) आवेदनपत्र को इस तरह पूरा कर राज्य सरकार के वित्त विभाग में भेज दिया जायेगा ।

**246.** राज्य सरकार नियम 240 में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार आवेदनपत्र की जाँच करेगी । यदि आवेदनपत्र में किसी तरह की त्रुटि पायी जाये या यदि उसे किसी आधार पर अस्वीकृत करने का विचार हो, तो यह बात उस प्राधिकारी को तुरंत सूचित की जाएगी जिसने अन्तिम बार सरकार के पास आवेदनपत्र अग्रसारित किया था । किन्तु, यदि आवेदित राशि को पूर्णत: या अंशत: रूपान्तरित करने का निर्णय किया जाए, तो सरकार अपना अन्तिम निर्णय महालेखापाल को सूचित करेगी और आवेदनपत्र उसके पास रिपोर्ट के लिए भेजेगी ।

## प्रकरण 3 : महालेखापाल की रिपोर्ट

**247.** महालेखापाल अविलंब पेंशन फारम 7 के भाग 2 को भरेगा और उसे नियम 250 (3) के अन्तिम भाग में वर्णित स्वास्थ्य-रिपोर्ट की प्रतियों के साथ, यदि वे उसके कार्यालय के रेकर्ड में हो, राज्य सरकार के पास भेज देगा ।

**टिप्पणी** : यदि पेंशन का भुगतान बिहार के बाहर किसी कोषागार से किया जाता हो तो बिहार का महालेखाकार, राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के पहले जहाँ पेंशन का भुगतान किया जाता हो, उस राज्य के लेखापदाधिकारी से आवश्यक विवरण प्राप्त करेगा ।

**248.** रूपान्तरण के बाद देय एक मुश्तराशि की गणना समय-समय पर सरकार द्वारा विहित वर्तमान मूल्य तालिका के अनुसार की जायेगी । (अभी लागू तालिका के लिये देखें परिशिष्ट 3 ।]

**टिप्पणी** : ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनका अधिवास, प्रथम नियुक्ति के समय गैर-एशियाई था और जो 8वीं मार्च, 1926 को सरकारी सेवा में थे, रूपान्तरण के बाद देय राशि की गणना भूतपूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेवाओं के पेंशनभोगियों के लिये विहित तालिका के अनुसार की जायेगी ।

## प्रकरण 4 : प्रशासनिक मंजूरी और स्वास्थ्य-परीक्षा

**249.** इसके बाद राज्य सरकार पेंशन फारम 7 के भाग 3 में अपनी प्रशासनिक मंजूरी देगी और आवेदक की स्वास्थ्य-परीक्षा की व्यवस्था करेगी ।

**टिप्पणी** : यदि महालेखापाल के भाग 2 वाले प्रमाणपत्र से पता चले कि रूपान्तरण-भार अंशत: अन्य राज्य सरकार पर पड़ता है जिसकी शर्त के अनुसार विधि की प्राप्यता के बारे में उसकी सलाह ली जानी चाहिए, तो मंजूरी प्राधिकारी को प्रशासनिक मंजूरी देने के पहले उस सरकार की सहमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये । ये मद्रास, बम्बई, बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं ।

**250** इसके बाद मंजूरी प्राधिकारी –

(i) यदि नियम 251 में विहित चिकित्सा-प्राधिकारी रिपोर्ट करे कि आवेदक रूपान्तरण पाने योग्य है तो, पेंशन फारम 8 में रूपान्तरण के मद्दे देय एकमुश्त राशि के बारे में पेंशन-फारम 7 के भाग 2 में अन्तर्विष्ट महालेखापाल के प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति और पेंशन फारम 9 की एक प्रति (जिसका भाग 1 आवेदक अपनी स्वास्थ्य-परीक्षा के पहले भरेगा और चिकित्सा-प्राधिकारी को दे देगा) आवेदक के पास प्रेषित करेगा;

(ii) आवेदक को अनुदेश देगा कि वह आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर अथवा यदि उसने अपनी निवृत्ति की तारीख से पहले ही रूपान्तरण के लिये आवेदन किया हो, तो उस तारीख से तीन महीने के भीतर किन्तु किसी भी दशा में निवृत्ति की वास्तविक तारीख से पहले नहीं, उस चिकित्सा-प्राधिकारी के सम्मुख जाँच के लिए उपस्थित हो;

(iii) पेंशन फारम 9 की एक प्रति और उस फारम के भाग 3 की एक अतिरिक्त प्रति के साथ, भरे हुए पेंशन फारम 7 की मूल प्रति, और यदि आवेदक को असमर्थता प्रदान की गई हो अथवा यदि वह अपनी वास्तविक उम्र में और वर्ष के आधार पर अपनी पेंशन का कोई अंश पहले रूपान्तरित करा चुका हो (या रूपान्तरण स्वीकार करने से इंकार कर चुका हो) या उसे स्वास्थ्य के आधार पर रूपान्तरण की स्वीकृति न दी गई हो, तो उसकी पूर्व स्वास्थ्य-रिपोर्टों या उसके मामले के विवरणों की प्रतिलिपियाँ चिकित्सा- प्राधिकारी के पास भेजेगा ।

*राज्य सरकार का निर्णय –*

*** विषय : वार्धक्य-निवृत्ति पर पेंशन का रूपान्तरण – चिकित्सीय जाँच आवश्यक नहीं ।**

सरकार ने राज्य के सरकारी सेवकों को निवृत्ति लाभों की स्वीकृति और अदायगी त्वरित करने के उद्देश्य से

नियमों और प्रक्रियाओं को सरल और कारगार बनाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। सरलीकरण के अगला कदम के रूप में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी सेवक वार्धक्य-निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें रूपान्तरित मूल्य प्राप्त करने के लिए बिहार पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली के तहत यथापेक्षित चिकित्सीय जाँच नहीं करवानी होगी, परंतु यह छूट बिहार पेंशन (रूपान्तरण) नियमावली और बिहार सरलीकृत पेंशन नियमावली में विहित सीमा तक ही होगी।

2. वार्धक्य छोड़कर अन्य प्रकार से निवर्तमान व्यक्तियों को ये आदेश लागू नहीं होंगे। ये आदेश उनको भी लागू नहीं होगे जो वार्धक्य निवृत्ति के एक वर्ष के बाद पेंशन-रूपान्तरण के लिए आवेदन करेंगे।

3. इन आदेशों के तहत पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन निवृत्ति की तिथि के बाद किया जायेगा और रूपान्तरण पूर्ण हो जायेगी, यानि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक उक्त तिथि को रूपान्तरित मूल्य पाने को हकदार हो जायेंगे जिस तिथि को उचित माध्यम से उनका आवेदनपत्र वित्त विभाग में प्राप्त हो जायेगा।

4. उचित समय पर, औपचारिक संशोधन अधिसूचित किया जायेगा।

5. ये आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। यह आदेश उनको भी लागू होंगे जो इस परिपत्र के जारी होने के पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, किन्तु वार्धक्य-निवृत्ति के बाद अगली जन्मदिन–आयु पार नहीं हुए हैं और चिकित्सीय जाँच के लिए चिकित्सा-बोर्ड या चिकित्सा अधिकारी के पास नहीं गए हैं। [ ***वित्त विभाग, ज्ञापांक 4019/एफ०, दिनांक 14-3-1978** ]

**251.** (i) प्रशासनिक मंजूरी-प्राप्त किसी रूपान्तरण के पक्के होने के पहले आगे विहित चिकित्सा-प्राधिकारी द्वारा आवेदक की जाँच अवश्य हो जानी चाहिये।

(ii) चिकित्सा-प्राधिकारी निम्न होंगे –

(क) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान की जा चुकी हो या प्रदान की जाने वाली हो अथवा जिसके मामले में पहले रूपान्तरित रकम या रकमों के साथ रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल रकम 25 रु० से अधिक हो, चिकित्सक-बोर्ड, जिसके सामने आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा।

(ख) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान नहीं की गई हो या नहीं की जाने वाली हो और जो ऐसी रकम के रूपान्तरण के लिये आवेदन करे कि पहले रूपान्तरित रकम या रकमों के साथ, रूपान्तरित की जाने वाली पेंशन की कुल रकम 25 रु० या उससे कम हो, वह चिकित्सा प्राधिकारी, जो उस क्षेत्र के, जहाँ आवेदक साधारणतया रहता हो, असैनिक शल्य-चिकित्सक, जिला चिकित्सा-पदाधिकारी, या प्रेसिडेन्सी शल्य-चिकित्सक की पंक्ति से नीचे न हो।

(iii) चिकित्सा-प्राधिकारी, पेंशन फारम 9 के भाग 1 में (जिस पर चिकित्सा-प्राधिकारी के सामने आवेदक हस्ताक्षर करेगा) एक विवरण आवेदक से ले लेने के बाद उसकी कड़ी जाँच करेगा, पेंशन फारम 9 के भाग-2 में फल दर्ज करेगा और अपनी राय लिखेगा कि पेंशनभोगी ने अपनी आदतों और अपनी स्वास्थ्य-वृत्त के बारे में भाग 1 में विहित प्रश्नों का किस हद तक ठीक-ठीक और सही उत्तर दिया है। अन्त में वह पेंशन फारम 9 के भाग 3 में दिए प्रमाणपत्र को भरेगा।

(iv) ऐसे आवेदक के मामले में जिसे असमर्थता-पेंशन प्रदान की जा चुकी हो या की जाने वाली हो, प्रमाण-पत्र देने वाला चिकित्सा-प्राधिकारी, प्रमाण-पत्र (पेंशन फारम 9 के भाग 3) पर हस्ताक्षर करने के पहले असमर्थकारी कारणों या स्वास्थ्य विवरण पर यथावत् विचार कर लेगा।

(v) यदि स्वास्थ्य परीक्षा बिहार में चिकित्सा बोर्ड करें, तो परीक्षा के पहले आवेदक 16 रु० नकद देगा जिसमें से 4 रु० सरकार के नाम जमा होगा और बाकी 12 रु० बोर्ड के सदस्य आपस में बाँट लेंगे। यदि परीक्षा कहीं अन्यत्र हो या बिहार में असैनिक शल्य-चिकित्सक द्वारा हो, तो आवेदक चिकित्सा-प्राधिकारी को उतनी फीस देगा जितनी उससे अपेक्षा की जाये।

(vi) कोई पेंशनभोगी किसी सक्षम चिकित्सा-सम्बन्धी प्राधिकारी द्वारा रूपान्तरण के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जाने के बाद उक्त प्राधिकार की सिफारिश पर अपनी वास्तविक उम्र में और वर्ष जोड़े जाने के कारण रूपान्तरण कराने से एक बार इंकार कर चुकने के बाद, अपने खर्च से केवल एक बार फिर से परीक्षा कराने के लिये उपस्थित होने की अनुमति पा सकता है ताकि मूल निर्णय का पुनरीक्षण किया जा सके, परन्तु –

(क) पहली स्वास्थ्य-परीक्षा की तारीख और दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा की तारीख के बीच 1 वर्ष से कम का अन्तर होगा, और

(ख) दूसरी स्वास्थ्य-परीक्षा बराबर चिकित्सक-बोर्ड द्वारा ही होगी।

पेंशनभोगी परीक्षा करने वाले चिकित्सा-प्राधिकारी को नियम 250 के अन्तिम भाग में वर्णित लेख्य के अलावा, जिस चिकित्सा-प्राधिकारी ने पहले उसकी परीक्षा की थी, उसकी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भी दी जायेगी।

(vii) खंड (2) में विहित चिकित्सा प्राधिकारी, अविलंब भरे हुए पेंशन फारम 7 और 9 की मूल प्रतियाँ उस महालेखापाल के पास जिसने पेंशन फारम 7 के भाग 2 में अन्तर्विष्ट प्रमाण-पत्र दिया था, और भरे हुए पेंशन फारम 9 की प्रमाणित प्रतिलिपि राज्य सरकार के पास तथा पेंशन फारम 9 के भाग 3 की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक के पास लेखा-परीक्षा कार्यालय को देय पावती सहित निबंधित (रजिस्टर्ड) पत्र द्वारा भेजेगा।

**टिप्पणी** : यदि खंड 2 में विहित चिकित्सा-प्राधिकारी की राय में ऐसी विशेष परीक्षा आवश्यक हो जिसे वह स्वयं करने की स्थिति में न हो, तो वह आवेदक को अपने खर्च से ऐसी परीक्षा कराने की आज्ञा दे सकता है। परीक्षा का फल चाहे जो भी निकले, ऐसे खर्च को सरकार वापस न करेगी।

**252.** नियम 249 के अधीन दी गई प्रशासनिक मंजूरी व्यपगत हो जायेगी, यदि मंजूरी आदेश में विहित अवधि के भीतर स्वास्थ्य-परीक्षा न हो जाए (देखें नियम 250)। यदि आवेदक विहित अवधि के भीतर उक्त चिकित्सा-प्राधिकारी के सम्मुख परीक्षा के लिये उपस्थित न हो, तो मंजूरी-प्राधिकारी अपने विवेक से पेंशन के रूपान्तरण के लिये नया आवेदन-पत्र प्राप्त किये बिना प्रशासनिक मंजूरी की अवधि और तीन महीने के लिये बढ़ा सकता है। आवेदक, स्वास्थ्य-परीक्षा की नियत तारीख के पहले कभी भी लिखित सूचना प्रेषित कर अपना आवेदन-पत्र वापस ले सकता है, किन्तु यह विकल्प चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख उसके उपस्थित हो जाने पर समाप्त हो जायेगा --

परन्तु, यदि चिकित्सा-प्राधिकारी निदेश दे कि रूपान्तरण के प्रयोजनार्थ उसकी उम्र उसके वास्तविक उम्र से अधिक समझी जायेगी, तो रूपान्तरण होने पर देय पुनरीक्षित राशि की सूचना उसे जिस तारीख को मिले, उस तारीख से दो सप्ताह के भीतर अथवा यदि यह राशि मंजूरी आदेश में ही उल्लिखित हो, तो जिस तारीख को उसे चिकित्सा-प्राधिकार के मन्तव्य की सूचना मिले, उस तारीख से दो सपताह के भीतर महालेखापाल और राज्य सरकार के वित्त-विभाग के लिखित सूचना प्रेषित कर आवेदक अपना आवेदन-पत्र वापस ले सकता है।

यदि आवेदक ऊपर विहित दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना आवेदन-पत्र वापस न ले, तो यह समझा जायेगा कि उसने दी गई राशि को स्वीकार कर लिया है।

**टिप्पणी** : जब चिकित्सा-प्राधिकारी निदेश दे कि आवेदक की उम्र उसकी वास्तविक उम्र से अधिक समझी जायेगी, तब उसे अपना आवेदन-पत्र वापस लेने के विकल्प के अतिरिक्त, यह विकल्प भी दिया जायेगा कि वह रूपान्तरण होने पर देय पुनरीक्षित राशि की सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अपने आवेदन-पत्र में वर्णित राशि कम कर दे।

**253.** इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहाँ जीवन क्षीणता का प्रश्न न हो, वहाँ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को तथा जहाँ जीवन क्षीणता का प्रश्न हो, वहाँ रूपान्तरण के लिखित स्वीकार की तारीख को या आवेदन-पत्र वापस लेने का विकल्प समाप्त होने की तारीख को, जो भी पहले हो, रूपान्तरण पक्का हो जायेगा, अर्थात् पेंशन का रूपान्तरित अंश पाने का हक समाप्त हो जायेगा और रूपान्तरित मूल्य पाने का हक प्राप्त हो जायेगा।

**254.** यदि आवेदक अपनी स्वास्थ्य-परीक्षा के सम्बन्ध में किसी लिखित या मौखिक प्रश्न के उत्तर में कोई ऐसा बयान दे जो उसकी जानकारी में मिथ्या हो या किसी महत्वपूर्ण बात को जानबूझ कर छिपा ले, तो राज्य सरकार, वस्तुत: भुगतान होने के पहले कभी भी मंजूरी रद्द कर सकती है; और नियम 43 (क) के प्रयोजनार्थ ऐसा बयान या ऐसा छिपाना घोर कदाचार समझा जायेगा।

## प्रकरण 5 : रूपान्तरित मूल्य का भुगतान

**255.** यदि चिकित्सा-प्राधिकारी ने रूपान्तरण की सिफारिश कर दी हो, तो भरे हुए पेंशन फारम 7 और 9 प्राप्त होने पर महालेखापाल समुचित रूपान्तरित मूल्य के भुगतान की और पेंशन के अनुसार कटौती की अविलम्ब व्यवस्था करेगा।

**टिप्पणी 1 :** यदि स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र में यह विहित हो कि आवेदक की वास्तविक उम्र में पाँच से अधिक वर्ष जोड़ दिए जाएँ, तो महालेखापाल रूपांतरण होने पर देय पुनरीक्षित राशि आवेदक को अविलम्ब सूचित करेगा ।

**टिप्पणी 2 :** पेंशन के रूपान्तरित मूल्य के भुगतान के लिए महालेखापाल द्वारा जारी किये गये प्राधिकारी-पत्र की एक प्रतिलिपि जानकारी के लिये राज्य सरकार के वित्त विभाग को भेजी जाएगी ।

**256.** रूपान्तरित मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र किया जायेगा, किन्तु वास्तविक भुगतान की तारीख चाहे जो हो, भुगतान की राशि और पेंशन पर प्रभाव वही होगा जो रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख को रूपान्तरित मूल्य के भुगतान होने पर होता । यदि पेंशन का रूपान्तरित अंश, रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख के बाद प्राप्त किया गया हो, तो प्राप्त राशि, रूपान्तरण में देय राशि से काट ली जायेगी ।

**257.** जहाँ रूपान्तरण राज्य सरकार मंजूर करें, वहाँ एक मुश्त राशि भारत में रुपये में देय होगी । जहाँ रूपान्तरण इंगलैंड स्थित भारतीय उच्चायुक्त मंजूर करें, वहाँ भुगतान, होम ट्रेजरी से, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित विनिमय दर पर, किया जायेगा ।

[ **समीक्षा :** इस नियम का दूसरा वाक्य अब अप्रचलित है ।]

**258.** यदि पेंशनभोगी रूपान्तरण के पक्के होने की तारीख को या उसकी अनुवर्त्ती तारीख के बाद, किन्तु रूपान्तरित मूल्य प्राप्त करने के पहले मर जाये तो यह मूल्य उसके उत्तराधिकारियों को दिया जायेगा ।

**259.** रूपान्तरण, जो एक बार आवेदित, मंजूर और प्रभावी हो जाए, अपखंडित नहीं किया जा सकता है अर्थात् रूपान्तरित पेंशन का अंश, पूँजीकृत मूल्य लौटा देने पर, प्रतयावर्तित (फिर चालू) नहीं हो सकता ।

***राज्य सरकार का निर्णय –***

**1.**

*** विषय : पेंशन के रूपान्तरित राशि की पुनर्स्थापन (Restoration) ।**

बिहार पेंशन नियमावली में निहित पेंशन के लघुकरण प्रावधानों के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन के एक-तिहाई हिस्सा तक स्थाई रूप से रूपान्तरित करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक मुश्त रूपान्तरित मूल्य भुगतान किया जाता है । रूपान्तरण मूल्य भुगतान के पश्चात् उनके मौलिक पेंशन की राशि में से रूपान्तरित पेंशन की राशि को घटाकर पेंशन का भुगतान किया जाता है । बिहार पेंशन नियमावली के नियम 259 के प्रावधानों के अधीन स्थायी रूप से रूपान्तरित की गई पेंशन की राशि का पुनर्स्थापना (Restoration) वर्जित है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रूपान्तरित पेंशन की राशि के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

(क) 10 वर्षों की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् पेंशनरों को स्थायी रूप से रूपान्तरित पेंशन की राशि का पुनर्स्थापन कर दिया जाये ।

(ख) रूपान्तरित राशि के पुनर्स्थापन हेतु 10 वर्षों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाये जिस तिथि को पेंशनर के मौलिक पेंशन के रूपान्तरित राशि की कटौती की गयी हो ।

(ग) यह आदेश दिनांक 1-10-1982 से प्रभावकारी होगा । इस तिथि के पूर्व या बाद में जिन पेंशनरों को रूपान्तरण की कटौती के पश्चात् 10 वर्षों की अवधि पूरी हो गई हो या हो जायेंगे उन्हें रूपान्तरित राशि का पुनर्स्थापन का लाभ अनुमान्य होगा ।

(3) रूपान्तरित राशि का पुनर्स्थापन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाएगी –

[ **समीक्षा :** कण्डिका 2 वित्त विभाग की अधिसूचना सं०–पी०सी० 1-9-16/87/1581 वि०, दिनांक 9-4-1990 द्वारा अवक्रमित हो गया है ।]

(i) राज्य के अन्तर्गत कोषागार/उप-कोषागार जहाँ से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन का भुगतान प्राप्त करते हैं उनके कार्यालय में पेंशन भुगतान सम्बन्धी कोषागार संहिता खण्ड-1 के नियम 345 (2) के प्रावधानों के अधीन स्थायी रूप से अभिलेख रखे जाते हैं और रूपान्तरण के पश्चात् रूपान्तरित मूल्य का भुगतान कर सम्बन्धित पेंशनर के भुगतान पंजी में रूपान्तरित पेंशन की राशि को मौलिक पेंशन से घटाकर अनुमान्य पेंशन की राशि दर्शाये जाते हैं एवं पेंशनर भुगतान आदेश में भी इस हद तक अनुमान्य पेंशन की राशि को अंकित कर दिया जाता है । पेंशनर रूपान्तरित पेंशन की राशि के पुनर्स्थापन हेतु अपने पेंशन भुगतान आदेश सहित आवेदन- पत्र कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किए गए पेंशन रूपान्तरण की राशि की पुनर्स्थापन की माँग को सत्यापित कर और स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् अपने अभिलेखों एवं पेंशनर्स के पेंशन भुगतान आदेश में रूपान्तरित

राशि की पुनर्स्थापन की प्रविष्टि अपने हस्ताक्षर के द्वारा कर देंगे तथा इसकी सूचना महालेखाकार एवं वित्त विभाग को देंगे ।

(ii) उप-कंडिका (i) में अंकित प्रक्रिया के अनुसार यदि कोषागार/उप-कोषागार, जहाँ पेंशनर अपने पेंशन की रूपान्तरित राशि की पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में आवेदन करेंगे, वहाँ यदि पेंशन भुगतान आदेश पंजी में मौलिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे मामले में महालेखाकार, बिहार अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् पुनर्स्थापन सम्बन्धी मौलिक पेंशन भुगतान आदेश संशोधित करते हुए कोषागारों को भेज देंगे । इस हेतु पेंशनरों को अपने पेंशन भुगतान आदेश के साथ सम्बन्धित कोषागारों में आवेदन प्रस्तुत किए जायेंगे और सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी "अभिलेख अनुपलब्ध प्रमाण-पत्र" के साथ महालेखाकार के पास भेज देंगे ।

(iii) विवादग्रस्त मामलों में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा ।

(iv) जो पेंशनर बैंकों के माध्यम से अपने पेंशन की राशि का भुगतान प्राप्त करते हैं उनके मामले भी उपरोक्त उप-कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किए जाएँ ।

(v) राज्य के बार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के रूपान्तरित पेंशन की राशि का पुनर्स्थापन महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र पर किया जायेगा ।

(4) पुनस्थापित पेंशन की राशि पुनः रूपान्तरित नहीं होगी ।

(5) रूपान्तरित पेंशन की राशि के पुनर्स्थापन हेतु अलग से प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(6) बिहार पेंशन नियमावली एवं कोषागार संहिता के सुसंगत नियम इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । सम्बन्धित शुद्धि पत्र अलग से निर्गत किए जायेंगे ।

(7) जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/परिषद् के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर बाद में आदेश निर्गत किए जाएँगे । [ ***संकल्प सं० पी०सी० 3 विशेष 82-646 वि०, दिनांक 8-3-1983** ]

## 2.

***विषय : पेंशन की रूपान्तरित राशि का प्रत्यास्थापना (Restoration) ।**

पेंशन की रूपान्तरित राशि के प्रत्यास्थापन के प्रावधान वित्त विभाग के संकल्प संख्या पी०सी० 03-स्पेशल/82-646 वि०, दिनांक 8 मार्च, 1983 में निहित है, जिनके अनुसार सम्प्रति पेंशन का रूपान्तरण कराने वाले पेंशन धारकों को दस वर्षों की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् पेंशन की रूपान्तरित राशि प्रत्यास्थापित कर दी जाती है, और दस वर्षों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाती है, जिस तिथि को उनके मूल पेंशन से रूपान्तरित राशि की कटौती की गई हो ।

2. भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनर, कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 34/2/86 पी० एण्ड पी०डब्लू०, दिनांक 5-3-1987 में पेंशन के रूपान्तरित भाग का प्रत्यास्थापन सेवानिवृत्त होने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि पूरा होने पर किया जाता है । इस सम्बन्ध में भली-भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अब वित्त विभाग के संकल्प संख्या 646/वि०, दिनांक 8-3-1983 की कंडिका-2 के प्रावधानों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) पेंशन की रूपान्तरित राशि सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्षों की अवधि पूरी होने पर प्रत्यास्थापित की जाये ।

(ख) यह निर्णय आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी होगा । पूर्व में 10 वर्षों के आधार पर जिन पेंशनरों के पेंशन का प्रत्यास्थापन किया जा चुका है, अथवा देय है उन मामलों में किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा ।

पेंशनर की रूपान्तरित राशि के प्रत्यास्थापन की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें वही होंगी जो वित्त विभाग के संकल्प संख्या 646/वि०, दिनांक 8-3-1983 में निहित है ।

3. जहाँ तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/परिषद् के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर आदेश बाद में निर्गत किया जाएगा । [ ***वित्त विभाग, संकल्प संख्या पी०सी० 1-9-16/87-1851/वि०, दिनांक 19-4-1990** ]

# बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान पुनरीक्षण ( विधिमान्यकरण एवं प्रवर्त्तन ) अधिनियम, 2001 ][1]

**[ बिहार अधिनियम 3, 2001 ]**

बिहार राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के पुनरीक्षण को विधिमान्य बनाने तथा प्रवर्त्तन कराने हेतु अधिनियम/प्रस्तावना –

और चूँकि, राज्य मंत्रिपरिषद् ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सिद्धान्तत: केन्द्र सरकार के पैटर्न पर वेतन/पेंशन का पुनरीक्षण स्वीकार करते समय अपने पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने का भी निर्णय लिया था;

और चूँकि, वित्तीय साधन स्रोत की विषम स्थिति और दिसम्बर, 1986 के पंचम वेतन पुनरीक्षण आयोग के प्रवर्त्तन तथा कर्मचारियों के साथ हुए समझौते के कारण अन्तर्वलित करोड़ों रुपये के बोझ को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान तथा पेंशन/उपदान का लाभ वैचारिक रूप से दिनांक 1 जनवरी, 1986 से तथा वास्तविक रूप से 1 मार्च, 1989 से प्रदान करने के लिए वित्त विभाग का संकल्प संख्या 806, दिनांक 13 फरवरी, 1980 द्वारा फिटमेंट-सह--पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया था तथा यह अनुबंध किया था कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1989 तक की अवधि के बकाये का भुगतान नहीं किया जायेगा;

और चूँकि, बिहार सरकार ने वेतन पुनरीक्षण के संबंध में दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 का संकल्प तथा दिनांक 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान के लिए संकल्प संख्या 1853 (वि०) तथा 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशनरी लाभ के लिए संकल्प संख्या 1854 (वि०) पारित और निर्गत किया था तथा प्रत्येक मामले में वेतन/पेंशन के पुनरीक्षण का वैचारिक लाभ दिनांक 1 जनवरी, 1986 से तथा वास्तविक लाभ 1 मार्च, 1989 से देने हेतु, किन्तु 1 जनवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1989 के बीच के बकाये को छोड़कर स्पष्ट प्रावधान किया गया था;

और चूँकि, वेतन पुनरीक्षण के लिए उपर्युक्त रूप में अंगीकृत किये गये "कट ऑफ" सिद्धान्त को भारत संविधान के संगत होने के कारण पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 511/ 1994 में सही ठहराया गया था;

और चूँकि, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 2467/1991 को स्वीकार किया तथा पेंशनरी लाभ के लिए आशयित संकल्प संख्या 1853 (वि०) की कंडिका 1.1 एवं संकल्प संख्या 1854 (वि०) की कंडिका सं० 2.1 को अभिखंडित कर दिया तथा मामले पर पुनर्विचार करने का निदेश सरकार को दिया एवं उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका दिनांक 20 जनवरी, 1997 को खारिज कर दी गयी है तथा पुनर्विलोकन याचिका भी खारिज कर दी गयी है;

और चूँकि, एम०जे०सी० सं० 1608/1997 में अवमानना कार्यवाही में पारित आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर एस०एल०पी० 1672/1999 को असफल होने के नाते उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है;

और चूँकि, एच० कुजूर के मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय का अनुसरण करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पेंशन के बकाये से संबंधित सी०डब्लू०जे०सी० सं० 2086/1996 को खारिज कर दिया गया था, किन्तु पूर्व के खंड पीठ के दिनांक 21 अगस्त, 1996 के निर्णय का अनुसरण करते हुए पटना उच्च न्यायालय की राँची खंडपीठ द्वारा उक्त निर्णय को उलट दिया गया और राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल एस०एल०पी० में उक्त निर्णयों को रिट याचिका वापस लेने हेतु प्रत्याशियों द्वारा किये गये कथन के आलोक में, असंगत अभिधारित कर दिया गया है;

और चूँकि, दिनांक 21 अगस्त, 1996 के अपने निर्णय में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संप्रेक्षण किया था कि सरकार 'कट ऑफ' तारीख के रूप में 1 मार्च, 1989 या अपेक्षित संकल्प की तारीख यथा 19 अप्रील, 1990 नियत कर सकती थी, किन्तु केन्द्रीय पैटर्न पर 1 जनवरी, 1986 नियत करने के बाद, सरकार को पारिणामिक आर्थिक लाभों को इन्कार करने तथा उसे 1 मार्च, 1989 से ही प्रभावी करने हेतु कोई अधिकारिता नहीं थी तथा मामले पर विधि के अनुसार पुनर्विचार करने की अपेक्षा सरकार से की गई थी;

और चूँकि, राज्य सरकार मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि वित्तीय साधन स्रोतों की गुरुत्तर अपर्याप्तता को देखते हुए पेंशन के बकाये संबंधी अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करना सम्भव नहीं है तथा

1. बिहार राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 7-4-2001 में प्रकाशित।

उपदान से संबंधित उसी "कट ऑफ" सिद्धान्त का प्रश्नगत करने वाली अनेक रिट याचिकाओं के उच्च न्यायालय में लंबित रहने के कारण वित्तीय बोझ में सारभूत रूप से वृद्धि की सम्भावना है;

और चूँकि, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "कट ऑफ" तिथि निश्चित करने में वित्तीय बोझ एक महत्वपूर्ण तथ्य है;

और चूँकि, संकल्प संख्या 1853 (वि०) की कंडिका 1 (1) को पूर्णतः अभिखंडित करने से विसंगति भी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि यह कंडिका 1 मार्च, 1989 के बाद सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों से भी संबंधित है;

और चूँकि, पेंशन/पारिवारिक पेंशन उपदान का पुनरीक्षण दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से ही विधिमान्य एवं प्रवर्त्तित करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** – (1) यह अधिनियम "बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपदान (विधिमान्यकरण एवं प्रवर्त्तन) अधिनियम, 2001" कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**2. पुनरीक्षण लाभ दिया जाना** – दिनांक 19 अप्रील, 1990 को निर्गत राज्य सरकार (वित्त विभाग) के संकल्प संख्या 1853 (वि०) तथा संकल्प संख्या 1854 (वि०), दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से प्रवृत्त समझे जायेंगे तथा उक्त संकल्पों को ध्यान में रखकर पुनरीक्षण लाभ दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से दिये जायेंगे।

**3. वर्तमान पेंशनधारियों को राहत** – (1) राज्य सरकार (वित्त विभाग) के संकल्प संख्या 1854 (वि०), दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 3.1 के अनुसार वर्तमान पेंशन धारकों के लिये अतिरिक्त राहत तथा उक्त संकल्प की कंडिका 4 के अधीन प्रोद्भूत पेंशन की अतिरिक्त राशि दिनांक 1 मार्च, 1989 के प्रभाव से भुगतेय होगी, तथापि पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन निम्नलिखित को एक साथ जोड़कर 1 जनवरी, 1986 के प्रभाव से किया जायेगा –

(i) वर्तमान पेंशन/वर्तमान पारिवारिक पेंशन,

(ii) वर्तमान महँगाई राहत, और

(iii) उक्त संकल्प की कंडिका 3.1, 3.2 तथा 3.3 से प्रोद्भूत अतिरिक्त राहत तथा कंडिकका 4 से प्रोद्भूत पेंशन की अतिरिक्त राशि।

(2) राशि की गणना से संबंधित उपर्युक्त दोनों संकल्पों के शेष प्रावधान उसी रूप में बने रहेंगे सिवाय इसके कि उपर्युक्त दोनों संकल्पों के सभी प्रावधानों के लिए ऐसा समझा जायेगा कि वे "कट ऑफ" तारीख 1 मार्च, 1989 नियत करने वाले हैं, तथा उन दोनों संकल्पों के सभी प्रतिकूल उपबंध एतद् द्वारा निरसित माने जायेंगे सिवाय इसके कि संकल्प संख्या 1853 (वि०) दिनांक 19 अप्रील, 1990 की कंडिका 6 में तथा उपबंधित पुनरीक्षित दरों पर पेंशन के रूपान्तरण के कारण किये गये भुगतान की वसूली नहीं की जायेगी।

**4. पेंशन/उपदान के पुनरीक्षण का विधिमान्यकरण** – किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, दिनांक 19 अप्रील, 1990 के सरकारी संकल्प संख्या 1853 (वि०) एवं 1854 (वि०), दिनांक 1 मार्च, 1989 से प्रवृत्त समझे जायेंगे तथा उक्त दोनों संकल्पों के अधीन सरकारी कर्मचारियों को दिया गया पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उपदान का लाभ दिनांक 1 मार्च, 1989 के ही प्रभाव से देय समझा जायेगा, तथा उक्त दोनों संकल्पों के लिये उक्त तारीख ही सर्वदा "कट ऑफ" तिथि समझी जायेगी।

**5. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव** – किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी एवं प्रभावी होंगे।

**6. निरसन एवं व्यावृत्ति** – (1) बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (विधिमान्यकरण) एवं प्रवर्त्तन अध्यादेश, 2000 (बिहार अध्यादेश सं०–3, 2000) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी। ●